

सत्यमेव जयते

Hkkjr

d\

fu;=d&egky[kkijh{kd

dk

31 ekpZ 2002 dk lekIr gq, o"kZ dk

izfrosnu

(flfoy)

fcgkj ljdkj



सत्यमेव जयते

Hkkjr

d\

fu;a=d&egkys[kkijh{kd

dk

31 ekpZ 2002 dks lekIr gq, o"kZ dk

izfrosnu

(fl foy)

fcgkj ljdkj

htpp:\\cagindia.org\states\Bihar\2002

fo"k;-lph

	lnHk	
	dfMdk	i"B
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi-xviii
v/;k;&I		
jkT; ljdkj dh foÙk ij ,d fogxkoykdu		
प्रस्तावना	1.1	3
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	3
निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.3	4-9
राज्य सरकार का वित्तीय संचालन	1.4	10-13
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	14
राजस्व व्यय	1.6	14-16
पूँजीगत व्यय	1.7	17
व्यय की गुणवत्ता	1.8	17-19
वित्तीय प्रबन्धन	1.9	19-23
लोक ऋण	1.10	23-25
वित्तीय क्रियाकलाप के सूचक	1.11	25-31
v/;k;&II		
fofu;kx ykl[kkijh{kk ,oa 0;; ij fu;a=.k		
प्रस्तावना	2.1	36
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	36
विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम	2.3	36-39
व्यय एवं बजटीय नियंत्रण	2.4	39-40

	lnHk	
	dfMdk	i"B
v/;k;&III		
vlfud foHkkx		
[k.M&d % leh{kk,a		
i'kqikyu ,oa eRL; ikyu foHkkx		
मत्स्य पालन विकास	3.1	43-51
xkeh.k fodkl foHkkx		
ग्रामीण विकास विभाग का क्रियाकलाप	3.2	52-64
ग्रामीण आवास	3.3	65-70
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	3.4	71-77
[k.M & [k % dfMdk,a		
lgdkfjrk foHkkx		
बिहार में सहकारी ग्रामीण भण्डार केन्द्र	3.5	78-81
सहकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा ऋण तथा निवेश	3.6	81-82
LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx		
नियमों के विरूद्ध ''असैनिक जमा''/बैंकों में रखने के लिए निधि आहरित की गई	3.7	83
xg ¼dkjk½ foHkkx		
बंदियों के लिए जल के क्रय पर परिहार्य व्यय	3.8	84
;kstuk ,oa fodkl foHkkx		
अधूरे तथा परित्यक्त जिला योजनागत योजनाओं पर अलाभकारी व्यय : 48.49 लाख रुपये	3.9	84-85
ek/;fed] ikFkfed rFkk o;Ld f'k{kk foHkkx		
शिक्षकों के वेतन भुगतान पर निरर्थक व्यय : 1.11 करोड़ रुपये	3.10	85-86

	lnHk	
	dfMdk	i"B
xg ¼vkj{kh½] xg ¼dkjk½] jkt Lo ,oa Hkfe l/kkj rFkk xkeh.k fodkl foHkkx		
गबन एवं हानि	3.11	86-87
dY;k.k foHkkx		
बिहार में सफाईकर्मियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	3.12	87-90
v/;k;&iv		
dk;Z 0;;		
[k.M&[k ¼ dfMdk,½		
ykd LokLF; vfHk;a=.k foHkkx		
हस्त नलकूपों से लगे हुए लौह पृथक्करण संयंत्रों के निर्माण में अतिरिक्त लागत	4.1	93-94
iFk fuekZ.k foHkkx		
कार्यों के अवमानक कार्यान्वयन के कारण हानि	4.2	94
iFk fuekZ.k ¼jk"Vªh; mPp iFk½ foHkkx		
कार्य को उच्च दर पर अनधिकृत रूप से प्रदान किया जाना	4.3	95
ty lalk/ku foHkkx		
पुल के निर्माण लागत में वृद्धि तथा ब्याज की हानि	4.4	96
स्थलीय स्कंधों के निर्माण पर निष्फल व्यय	4.5	97
प्रवाह तंत्र और मरम्मती कार्यों पर निष्फल व्यय	4.6	97-98
Hkou fuekZ.k ,oa vkokl rFkk iFk fuekZ.k foHkkx		
गबन	4.7	98-99
v/;k; & v		
HkkMkj ,oa lkexzh		
[k.M&[k ¼ dfMdk		
iFk fuekZ.k foHkkx		
अलकतरे की कमी	5.1	103

		lnHk	
		dfMdk	i"B
v/;k;&VI			
LFkkuh; fudk;k ,oa vU; dk foÙkh; lgk;rk			
[k.M&d % leh{kk			
mPp f'k{kk foHkkx			
पटना विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली		6.1	107-114
[k.M & [k % dfMdk,			
सामान्य		6.2	115-116
सरकारी अनुदानों एवं ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय एवं प्राधिकार		6.3	116
v/;k;&VII			
okf.kfT;d fØ;kdyki			
[k.M & [k % dfMdk,			
सामान्य		7.1	119
i;koj.k ,oa ou foHkkx			
ईमारती लकड़ी की गुणवत्ता में कमी के लिए उत्तरदायित्त्व का निर्धारण नहीं किया जाना		7.2	119-120
ifjf'k"V			
I	भाग 'क' : सरकारी लेखे	1.1	125
	भाग 'ख' : सूचकांकों/अनुपातों की सूची एवं उनके गणना का आधार	1.11.2	126
II	राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अधिक बचतों की विवरणी	1.8.3	127-136
III	अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ, जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थी, की सूची	1.9.2	137
IV	वित्तीय सूचकों के कार्य–पत्रक	1.11.2	138-139

		lnHk	
		dfMdk	i"B
V	नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य का विवरण	2.3.1	140
VI	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	141-142
VII	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए	2.3.3	143
VIII	वैसे मामले जहाँ व्यय कम हुए	2.3.6	144-155
IX	वैसे मामले जिनमें प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक सतत् बचत था	2.3.7	156-157
X	नई सेवाएँ/सेवा के नए साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय	2.3.8	158
XI	नई सेवाएँ/सेवा के नये साधन पर बिना बजट प्रावधान के व्यय	2.3.8	159
XII	प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.3.9	160-161
XIII	अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी	2.3.10	162-165
XIV	असमायोजित व्यय की विवरणी	2.3.11	166
XV	मार्च 2002 तक भुगतान किये गये सहायता अनुदान, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 सितम्बर 2002 तक अप्राप्त था	6.2.1	167-169
XVI	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने अपने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	7.1	170
XVII	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	7.1	171

çkDdFku

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और लोक कार्य और सिंचाई विभाग, भंडार तथा सामग्री सहित विभिन्न विभागों में लेन–देन, स्वायत्त निकायों और विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंध रखते हैं।

4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियाँ रखने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5 प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2001–02 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2001–02 की बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कही आवश्यक हैं, भी शामिल किये गए हैं।

fOgxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार की वित्तीय व्यवस्था एवं लेखे पर दो अध्याय तथा सरकार के वित्तीय लेनदेन तथा चयनित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत 5 समीक्षाओं एवं 20 कंडिकाओं को सम्मिलित करते हुये 5 अध्याय शामिल हैं। लेखापरीक्षा समीक्षाओं एवं महत्त्वपूर्ण कंडिकाओं में अन्तर्निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में सन्निहित है।

1 jkT; ljdkj d/ foÙk ij ,d fogxkoyksdu

📖 o"kZ 2001&2002 d nkjku jkT; ljdkj d nkf;Ùo e ioo`Ùkh o"kZ l 11 ifr'kr dh of) gbZ tcfd ifjlifÙk;k 9 ifr'kr c<hA ykHk dh vR;Yi {kerk oky ?kkVs e pyu oky ykd miØeksa e fd;k x;k fuos'k ifjlEifÙk;ksa e 'kkfey gA vr% y[k d bu vkdMksa l Hkh cnrj foÙkh; fLFkfr gksxhA

📖 jktLo ikfIr;k] tks jkT; ljdkj d fuf/k dk vfr egÙoi.kZ lzksr gS] e 11-97 ifr'kr dh deh gq;h tcfd dqy ikfIr;ksa e mudk ikjLifjd vu'k o"kZ 2000&2001 d 72-34 ifr'kr l c<dj o"kZ 2001&2002 d nkjku 78-30 ifr'kr gks x,A _.k ,oa vfxeksa dh olyh dk vu'k lno ux.; FkkA ykd&y[k l fuoy ikfIr;ksa dk vu'k o"kZ 2000&01 d 9-99 ifr'kr l ?kVdj o"kZ 2001&2002 e 3-34 ifr'kr _.kRed gks x;kA ykd _.k l ikfIr;k 17-61 ifr'kr l c<dj 24-92 ifr'kr gks x;hA ifj.kkeLo:i o"kZ d nkjku jkdM 'kq"d e 130 djksM #i;s dh of) gq;hA

📖 o"kZ 2001&02 d nkjku jktLo 0;; ljdkj d dqy 0;; dk 90 ifr'kr Fkk tcfd iwathxr 0;; dk vu'k 5-97 ifr'kr d fuEu Lrj ij FkkA iwathxr 0;; e de fuos'k gh ifjlifÙk;ksa e vlyof) dk e[; dkj.k FkkA ykd 0;; e cdkuh] fuf/k;ksa dk fopyu ,oa vi.kZ ifj;kstukvksa e fuf/k;ksa d vo:) gkuh d dkj.k 0;; dh x.kuÙkk ij foijhr vlj iMkA

📖 dUnzh; ;kstukxr ;kstukvksa ¼34 djksM #i;½ ,oa dUnzh; ik;kftr ;kstukvksa ¼231 djksM #i;½ d lkFk&lkFk fofHkUu jkT; ;kstukxr ;kstukvksa ¼1292 djksM #i;½ d rgr o"kZ 2001&02 d nkjku jkT; ljdkj ctV ikoa/kku e l 1557-35 djksM #i;s ¼48-45 ifr'kr½ 0;; dju e foQy jghA o"kZ 2001&02 d nkjku jkT; ;kstukxr ;kstukvksa d fy, dUnzh; _.k] ckstkj dt ,oa dUnzh ljdkj l ikfIr dk dqy 2614-99 djksM #i;s FkkA ble l jkT; ;kstukxr ;kstukvksa ij 1263-12 djksM #i;s ¼48 ifr'kr½ 0;; fd, x, FkkA

📖 ckstkj dt] ftldk o"kZ d nkjku vklru iHkkoh C;kt nj 8-79 ifr'kr Fkk] foÙk 0;oLFkk dk lcl lLrk lzksr Fkk] fQj Hkh jkT; ljdkj us 11-5 ifr'kr ifro"kZ dh nj l jk"Vªh; y?kq cpr dk"k l 1532-96 djksM #i;s ,oa 12 ifr'kr ifro"kZ dh nj l Hkkjr ljdkj l 1076-65 djksM

#i;s m/kkj fy;kA m/kkj yh x;h fuf/k;ksa dk dqifu;ksa e fuo'k l ;k rks dkbZ ykHk ugh gqvk ;k ux.; ykHk gqvkA 20 vi.kq fl|pkbZ ifj;kstukvksa e 1174 djksM #i;s dk fuf"Ø; fuo'k FkkA

📖 fiNys o"kksZa e vfoodi.k ,oa vufpr ckdh _.k rFkk mudh vuRikndrk fuo'k dh ifj.kkeLo:i vlg; C;kt Hkkj vkj fuo'kksa ij ux.; Qy ikIr gqvkA foxr 4 o"kksZa ds nkSjku m/kkj yh x;h fuf/k;ksa dk 50 izfr'kr jkstLo 0;; dk ijk djus gsrq mi;ksx fd;k x;kA

¼dfMdk 1-1 l/ 1-11½

2 fofu;ksx y[kkijh{kk ,oa 0;; ij fu;a=.k

📖 jkT; ljdkj us o"kZ 2001&2002 ds nkSjku 22725-35 djksM #i;s dh dqy ctVh; izko/kku dh fo:) 18882-33 djksM #i;s [kpZ fd;kA 3843-02 djksM #i;s dh dqy cpr 47 vuqdqyksa ds ekeyksa rFkk 5 fofu;ksx ds ekeyksa e 9190-03 djksM #i;s dh cpr] tks ,d vuqdqy ¼15&i'ku½ ,oa ,d fofu;ksx ¼14&dtZ dh vnk;xh½ e 5347-01 djksM #i;s ds vf/kdkbZ 0;; ls izfrqyu dk ifj.kke FkkA o"kZ 1977&78 ls o"kZ 2001&2002 ls lapf/kr 7457-47 djksM #i;s dk vf/kdkbZ 0;; fofu;fer ugh Fkk ftldk Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 205 ds rgr fofu;eu vif{kr FkkA

📖 vDVwcj 2001 ls ekpZ 2002 ds e/; 50 ekeyksa e ljdkj }kjk ikIr fd;k x;k 464-43 djksM #i;s dk ijd izko/kku izkIr vuko';d Fkk D;ksafd bu ekeyksa e eq izko/kku ds Lrj rd Hkh 0;; ugh fd;k x;k FkkA

📖 51 ekeyksa e eq izko/kku dk 10 izfr'kr ls vf/kd rFkk 2 djksM #i;s ls vf/kd dh fujarj cpr FkhA

📖 jkstLo izHkkx ds rgr 26 vuqdqyksa ,oa 3 fofu;ksxksa e rFkk iathxr izHkkx ds rgr 14 vuqdqyksa e dqy 1884-51 djksM #i;s ds cpr ¼izR;sd e ,d djksM #i;s ls vf/kd½ vH;fiZr ugh Fkk tcfd 22 ekeyksa e 162-50 djksM #i;s dk vH;i.kq vufpr@vR;f/kd FkkA

📖 foÙkh; fu;ekoyh ds vuqlkj 0;; ds foHkkxh; vkdMksa ,oa egky[kkdkj ds vfHky[kksa e nt vkdMksa dk feyku ljdkjh foHkkxksa ds fu;a=h inkf/kdkfj;ksa ds }kjk lkof/kd :i ls fd;k tkuk pkfg,A izo ds y[kkijh{kk izfrosnuksa e ckjEckj mYyf[kr fd, tkus ds ckotwn o"kZ 2001&2002 ds nkSjku fofu;ksx ds 1650 bdkbZ;ksa ds rgr 122 fu;a=h inkf/kdkfj;ksa }kjk 7290 djksM #i;s ¼39 izfr'kr½ dk feyku ugh fd;k x;k FkkA

¼dfMdk 2-1 l/ 2-3-11½

3 eRL; ikyu fodkl

📖 eRL; mRiknu e o`f) ,oa eNqvkjksa rFkk eRL;ikydksa ds lkekftd&vkfFkd n'kk e lq/kkj djus eRL; ikyu fodkl dh ifjdYiuk

FkhA ;g ik;k x;k fd 14 ;kstukxr ;kstukvksa esa ls 6 ;kstuk,¡ ¼dUnh; %
2 (jkT; % 4½ jkT; esa dk;kZUor ugha dh xbZ ,oa ;kstukvksa ds rgr eRL;
rFkk eRL; cht mRiknu ds fy, vkdsa x, ik[kj] rkykc] eu ,oa pkjksa
bR;kfn dk 11 ls 30 ifr'kr rd {ks= 'kkfey ugha fd, x, FkA vuqJo.k
dk vHkko] ogr cpr] vi.k ;kstukvksa ij ogr 0;;] bPNqd eRL; ikydksa
dks _.k@vuqnku dk Hkqxrku ugha fd, tkus] fuf"Ø; ekuocy ij ogr
0;;] eRL;ikyu fodkl ij vuqla/kku esa deh] eRL; cht i{ks= ¼115½]
ulZjh ¼604½ dh vdk;Zrk bR;kfn ds dkj.k ;kstukvksa dk dk;kZUo;u
vi Hkkodkjh FkkA bl ifdkj] eRL;ikydksa ,oa eNqvkjksa ds lkekftd&vkfFkd
n'kk esa lq/kkj ds ek/;e ls lex xkeh.k fodkl dk c<kok nus dk okfNr
mís'; iwjk ugha fd;k x;kA

📖 eRL; ikyu fodkl ;kstukvksa ds rgr vkdsa x, ik[kj] rkykc] eu
,oa pkjksa ds 11 ls 30 ifr'kr {ks= 'kkfey ugha fd, x,A

📖 miyC/k fuf/k dk 36 ifr'kr ¼23-03 djksM #i;½ mi;ksx ugha fd;k
x;kA yfdu dqy 0;; dk 85 ifr'kr LFkkiuk ij 0;; ¼34-16 djksM #i;½
fd;k x;k FkkA

📖 fun'kZd] eRL;ikyu us iR;sd o"kZ 31 ekpZ dk 1-26 djksM #i;s ls
2-07 djksM #i;s rd ogr jkdM 'k"kZ j[kk FkkA

📖 jkT; esa 115 gSpjh ,oa 604 ulZjh vdk;Zrk FkkA

📖 16 vi.k ljkoj fodkl ;kstukvksa ij 26 yk[k #i;s dk 0;Fk 0;;
fd;k x;k FkkA

📖 lrr ogr cpr ¼58 ifr'kr½] eRL; ikydksa dk _.kksa dh ux.;
Lohdfr] i;oS{kh inkf/kdkfj;ksa }kjk ik[kj@rkykcksa ds fujh{k.k dk vHkko
rFkk yf{kr eRL; ikydksa dk if'k{k.k dh deh ds dkj.k eRL; ikyd
fodkl vfHkdj.k ¼,Q-,Q-Mh-,-½ ;kstuk dk fuLrkj foQy jgkA

📖 eNqvkjksa ds xgu fuekZ.k ds fy, vkgfjr 84-60 yk[k #i;s esa ls
67-37 yk[k #i;s v0;oSar jgkA

📖 dfe;ksa ds fy, if'k{k.k@iz'kkl ikB;Øe ugha pyk, x, FkA bl
iz;kstu ds fy, vkgfjr 4-00 yk[k #i;s pkyw [kkrs esa iM jgkA

📖 vuqnku lforj.k ds fy, vkgfjr 91-00 yk[k #i;s esa ls ek=
19-77 yk[k #i;s lforjfr fd, x, FkA

📖 eRL;ikyu vuqla/kku lLFkku] iVuk] tgk vuqla/kku dk;Z ugha fd;k
x;k] ij 86-96 yk[k #i;s dk 0;; fd;k x;k FkkA

294 eN vkj] 24 eRL; j{kd ,o 156 eRL; ikyu çlkj i;o{kdk dh lyok dk mi;kx eRL; ikyu fodkl dk;ks ij ugh fd;k x;kA ifj.kkeLo:i mudh oru ,o HkÙk ij o"k 1997&2002 dh nkjku 15-89 djkM #i;s dk o gr fujFkd 0;; gvkA

¼dfMdk 3-1½

4 xkeh.k fodkl foHkkx dk dk;kZdyki

o gr cpr] vlfud tek e fuf/k dk vojks/ku] jkT; dh v'k dh lgk/kuk dk foeDr dju e foQyrk] HkMkj@fuf/k dk n:i;kx@nfo fu;ktu@foiFku] i'kkldh; vUrZlajpuk ij vR;f/kd 0;;] ;ktukvk dk tkyh fØ;kUo;u] ekudk dh cckn] vi.k@v/kjh NkMh x;h ;ktukvk ij o gr 0;;] =fVi.k ekuocy ic/ku bR;kfn dh dkj.k dk;Øek dk dk;kUo;u yM[kMk x;kA bldh ifj.kkeLo:i xkeh.k fodkl ;ktukvk dk viHkkoh fØ;kUo;u Fkk ,o fofHkUu dk;Øek dh rgr yf{kr xjhc xkeh.k okfNr ykHk l ofpr FkkA

fofHkUu ;ktukvk l lEcfU/kr 5-15 djkM #i;s dk y[kkdj.k ugh fd;k x;k FkkA

8 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk e fofHkUu dfe;k ,o vfHkdj.kk dk Hkxrku fd, x, 74-35 djkM #i;s vol fyr jgA

8 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk e i'kklh lajpuk ij ekud l 8-68 djkM #i;s vf/kd 0;; fd, x, Fk] ifj.kkeLo:i ;ktukvk ij 0;; de gk x;kA

3 dk;ikyd vfHk;Urkvk u 3-89 djkM #i;s ,o ,d duh; vfHk;Urk u 1-18 djkM #i;s dk nfo fu;ktu fd;kA

tykbZ 2002 rd 8 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk e 18-15 djkM #i;s dh 0;; okyh 2504 ;ktuk,¡ 2 l 7 o"kZ rd vi.k iMh jgh] tcfd 7 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk e 1-75 djkM #i;s 0;; fd;s tku dh ckn ;ktuk,¡ v/kjh NkMh x;h FkhA

t-vkj-okbZ- dh vUrxZr 6 l 35 fnuk rd ,o b-,-,l dh vUrxZr 2 l 4 fnuk rd iR;sd ykHkkfFk;k dk ,d o"k e jktxkj egs¸;k djk;k x;k Fkk tcfd ekud 100 fnuk dk FkkA blh idkj ;kX; ch-ih-,y-ifjokjk dh ek= 1 l 7 ifr'kr dk Lo&jktxkj miyC/k djk;k x;k FkkA

3 ftyk e 12 fØ;kUo;u vfHkdj.kk dk 54 tkyh eLVj jksy dh rgr 1-87 djkM #i;s dk Hkxrku gvk Fkk] ftldh tkp dh vko';drk FkhA

📖 ueuk tkfpr 4 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk e ry dEifu;k }kjk 25-93 yk[k #i;s eY; d 291-26 Vu vydrj dh de vkifr dh xbZ FkhA blh idkj] 2 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.kk ,o ,d i[kM dk;ky; e 32-03 yk[k #i;s eY; d 26614 ckj fleUV dh de vkifr gbZ FkhA bu de vkifr;k d fo:) dkbZ dkjokbZ ugh dh x;h FkhA

📖 ,d duh; vfHk;Urk }kjk 25-92 yk[k #i;s d 378-11 Vu vydrj dk nfo:fu;kstu fd;k x;k FkkA

📖 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k] tgkukckn e o"k 1997&98 d nkjku 48-64 yk[k #i;s d vfxeka dk tkyh lek;kstu ,o xkeh.k fodkl foHkkx] iVuk e 8-70 yk[k #i;s d xcu dh tkp dh vko';drk gA

¼dfMdk 3-2½

5 xkeh.k vkokl

📖 xjhch j[kk l uhps clj dj jgs v-tk-@vu-t-tk-] xj v-tk-@vu-t-tk- leg d eDr c/kk vk etnj ,o lksk fuoZk ljs{kkdeh xkeh.k xjhcksa dk xg bdkbZ miyC/k djkus d mís'; l Hkkjr ljdkj }kjk bfUnjk vkokl ;kstuk ,o 5 vU; xkeh.k vkokl ;kstuk,s ikjHk dh x;h FkhA

📖 fuf/k dk fopyu] fuf/k dk nq:i;kx] fuf/k dk vojk/ku] vn; Hkkxrku] v;kX; ykHkkfFkZ;ksa dk 'kkfey dju] xgksa dk vi.k fuek.k bR;kfn l ;kstukvksa dk dk;kZUo;u ckf/kr gvkA LoPN 'kkpky; ,o /kesjfgr pYgk lfo/kk d cxj gh vf/kdrj ?kjksa dk fuek.k fd;k x;k FkkA ikp xkeh.k fodkl ;kstuk,s ¼ØfMV&lg&lclhMh ;kstuk] lex vkokl ;kstuk] xkeh.k vkokl ,o fuokl fodkl d fy, mUu;u ;kstuk] xkeh.k Hkou dUn] i/kkuesh xkekn; ;kstuk½ ftUgsa vifry 1999 ,o o"k 2000&01 e ikjHk fd, x, Fk] 'k: gh ugh gbZ FkhA bl idkj] yf{kr ykxksa dk okfNr ykHk inku dju e xkeh.k vkokl ;kstuk,s foQy jghA

📖 96-43 djkM #i;s v0;oâr FkA ifj.kkeLo:i Hkkjr ljdkj l 401-40 djkM #i;s dh lgk;rk ikIr dju e jkT; foQy jgkA

📖 ft- xk- fo- vfHkdj.k] iVuk u 9-29 djkM #i;s dk fopyu vU; ;kstukvksa ij 4 l 5 o"kksa rd fd;k ftll ekp 2002 rd 2-23 djkM #i;s d C;kt dh gkfu gbZA ueuk tkfpr 3 ftyksa ¼e t¶Qji j] uoknk ,o iVuk½ e 17-27 yk[k #i;s dk nq:i;kx dk;ky; ,o vkdfLedrk 0;; ij fd;k x;k FkkA

📖 nks i[kM fodkl inkf/kdkfj;ksa ¼xkjkMhg ,o lkj½ u 1-46 djkM #i;s vuf/kd`r :i l ,d futh lgdkjh lfefr e j[kkA i[k.M fodkl inkf/kdkjh ,o vipykf/kdkjh] uoknk u 92-17 yk[k #i;s cksdksa d pky [kkrs e j[kk Fkk] ftll C;kt dh gkfu gbZA

📖 ueuk tkfpr ftyk e 9-01 djkM #i;s lfUufgr 0;; l 6934 vkokl dk 2 l 5 o"kk l vi.k@v/kj NkM fn, x, FkA

📖 v;kX; ykHkkfFk;k d fy, 4-78 djkM #i;s d ykxr ij 3050 vkokl fufeZr fd, x, FkA

📖 xkeh.k vkokl d fy, ØfMV&lg&lCMh ;kstuk ,oa i/kkuea=h xkekn; ;kstuk ¼ih-,e-th-okbZ-½ d vUrxZr foÙkh; ,oa Hkkfrd izxfr vYi ,oa ux.; FkhA

¼dfMdk 3-3½

6 Lo.kZt;Urh xke Lojkstxkj ;kstuk ¼,l-th-,l-okbZ-½

📖 Lojkstxkfj;k dk 3 o"kk e xjhch j[kk l mij mBus enn djus d fy, cid _.k ,oa ljdkjh vuqnku d ek/;e l mUgs vk; lftr djus okyh ifjlEifÙk;k miyC/k djkrs gq, Lojkstxkj d fofHkUu igyqvksa dk lfEefyr djrs gq, Hkkjr ljdkj }kjk 1 vizSy 1999 l Lo.kZt;Urh xkeh Lojkstxkj ;kstuk dh 'kq:vkr ,d 0;kid dk;ZØe d :i e dh x;h FkhA dUnz ,oa jkT; ljdkjksa }kjk 75%25 d vuqikr e fuf/k;ksa dk cVokjk fd;k x;k FkkA o"kZ 1999&2002 d nkjku ek= 4 ifr'kr ch-ih-,y- ifjokj ykHkkfUor gq, FkA fuf/k dk vYi mi;ksx] fuf/k dk ogr i=eku ij fopyu ,oa n:i;ksx d dkj.k ;kstuk chp e gh yM+[kMk xbZA

📖 75-63 djkM #i;s v0;oâr FkA vr% dUnzh; fuf/k 141-87 djkM #i;s de foe|Dr dh xbZA

📖 ifjØkeh fuf/k d fy, fpfàr fuf/k dk ek= 3 ifr'kr ¼5-89 djkM #i;s½ dk mi;ksx **Lo;a lgk;rk leg** ¼,l-,p-th-½ d lgk;rk gqbZ fd;k x;k FkkA ifj.kkeLo:i ,l-,p-th- dk {kerk fuekZ.k iHkkodkjh ugha FkkA

📖 fpfàr fuf/k dk ek= 4 ifr'kr ¼9-48 djkM #i;s½ if'k{k.k nus d fy, mi;ksx fd;k x;k FkkA ;g n'kkZrk Fkk fd cxSj if'k{k.k izkIr fd, ,oa U;wure n{krk d gh Lojkstxkfj;k dk foÙkh; lgk;rk izkIr dh x;h FkhA

📖 ftyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k] ekfrgkjh us i[k.M Lrjh; ,l-th-,l-okbZ- lefr dh vuq'kalk d cxSj gh xkaukeksa d fuekZ.k d fy, 2-78 djkM #i;s dk vfxe fn;k Fkk tcfd fuekZ.k vi.kZ jgkA fufeZr xkaukeksa dk n:i;ksx vU; i;kstuksa gqbZ fd;k x;k FkkA

📖 ft- xk- fo- vfHkdj.k] ekfrgkjh e 121 ,l-,p-th- dk izko/kku ijk fd, oxSj gh 1-10 djkM #i;s dh foÙkh; lgk;rk nh xbZA

📖 jkT; ,oa ftyk Lrjksa ij ,l-th-,l-okbZ- d dk;kZo;u dk vuqJo.k ugha fd;k x;k rFkk ;kstuk dk xgu fo'ys"k.k ugha fd;k x;kA

¼dfMdk 3-4½

7 iVuk fo'ofo|ky; dk dk;ZdykiA

📖 ijh{kkQyk d idk'ku e 92 fnuk l 211 fnuk rd d foyEc d dkj.k Nk=k ij vlj iMkA

¼dfMdk 6-1-5-1½

📖 f'k{kdk dk 1-97 djkM #i;s d vUrfje jkgr dk vfu;fer Hkqxrku gvkA

¼dfMdk 6-1-7 ¼i½½

📖 vify 1997 l Qjojh 2002 d nkjku f'k{kd ,o f'k{kdsÙkj deZpkfj;k dk fn, x, 1-12 djkM #i;s d vf/kd oru Hkqxrku olyl ugh x, FkA

¼dfMdk 6-1-7 ¼ii½½

📖 fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx l ikIr 1-35 djkM #i;s dk fodkl vuqnku v0;oâr FkkA

¼dfMdk 6-1-9½

8 xcu ,o gkfu;k¡

📖 fudklh ,o 0;;u inkf/kdkjh] fu;=h inkf/kdkjh rFkk dk"kkxkj inkf/kdkjh dh yxkrkj foQyrk l 4 vlfud foHkkx ,o 2 dk;l foHkkxk d 6 dk;kZy;k e 2-10 djkM #i;s dk xcu lqxe gvkA

¼dfMdk 3-11 ,o 4-7½

📖 37-02 yk[k #i;s eY; d vydrj dh deh d fy, mÙkjnkf;Ùo fu/kkj.k dju e dk;likyd vfHk;rk] iFk fuekZ.k ieMy] <kdk foQy jgA

¼dfMdk 5-1½

📖 ouk d e[; lj{kd d funs'kk d ckotn ou lj{kd] x;k ieMy u 27-82 yk[k #i;s eY; dh bekjrh ydMh dh gkfu d fy, mÙkjnkf;Ùo fu/kkfjr ugh fd;kA

¼dfMdk 7-2½

9 ifjgk;Z@vykHkdkjh@fu"Qy 0;;

📖 i;ty lfo/kk d oxj gh ftyk dkjk] lklkjke vify 1988 l dk;l djuk ikjEHk dj fn;k] ifj.kkeLo:i ty d Ø; ij 46-50 yk[k #i;s dk ifjgk;l 0;; gvkA

¼dfMdk 3-8½

📖 fuf/k dh miyC/krk lfuf'pr fd, oxj ;kstuk ikjEHk fd, tku d ifj.kkeLo:i tgkukckn fty e 35 vi.k ,o v/kj NkM x, ;kstukvk ij 48-49 yk[k #i;s dk vykHkdkjh 0;; gvkA

¼dfMdk 3-9½

📖 ftyk f'k{kk v/kh{kd] iVuk u 456 f'k{kdk d inLFkkiuk e foyEc fd;k] ifj.kkeLo:i 1-11 djkM #i;s dk fujFkd 0;; gvkA

¼dfMdk 3-10½

📖 if.k;k fty e xkeh.k vkcknh dk ljf{kr i;ty dh vkifr djus d fy, 1-70 djkM #i;s d 0;; l fufeir 1277 ykg iFDdj.k l;=s vdk;'khy FkA

¼dfMdk 4-1½

📖 rduhdh lHkk0;rk lfuf'pr fd, oxj vkjk&cDlj iFk e iFk dk;s fØ;kfUor djus d ifj.kkeLo:i dk;k dk voekud fØ;kUo;u gvk ,o {kfrxLr iFk d ifjgk;s ejEefr dk;k ij 48-35 yk[k #i;s d ykxr d vfrfjDr iFk d vkdfLed ejEefr ij 6-30 yk[k #i;s dh ykxr vk;hA

¼dfMdk 4-2½

📖 e[; vfHk;rk] jk- m- iFk LdU/k] i- fu- fo- }kjk jk- m- i- & 30 e iFk dk;s vuf/kdr :i l mPprj njk ij fn, tkus d ifj.kkeLo:i 1-03 djkM #i;s dh vfrfjDr ykxr vk;hA

¼dfMdk 4-3½

📖 ck< jkdFkke mik;k ij etcr lykLVj dk dk;s djus d cnys feêh d Vhy d fuek.k dk vu'kflr djus d ifj.kkeLo:i 3-72 djkM #i;s dk fu"Qy 0;; ,o 46-49 yk[k #i;s dk ifjgk;s 0;; gvkA

¼dfMdk 4-5½

📖 djlyk forj.kh e vkj&ikj uky d ljpuk dk fuek.k ,o iuk)kj dk;s oxj lefpr ;kstuk d fd, tkus d ifj.kkeLo:i 29-08 yk[k #i;s dk 0;Fk 0;; gvkA

¼dfMdk 4-6½

📖 fcgkj e lgdkjh xkeh.k HkMkj.k dUn & b-b-lh- }kjk lgk;rk ikIr ifj;kstuk dk mís'; 0;kolkf;d n{krk ,o dk;sd'kyrk dk mUur djr g, df"k mRiknu dk c<kuk FkkA ueuk tkfpr 5 ftyk e 2-57 djkM #i;s ¼23 ifr'kr½ v0;oâr Fk] lkFk gh] icU/kdh; vuinku d fy, fpfàr 87 ifr'kr fuf/k ¼97-08 yk[k #i;½ ,o efgykvk d vk; lftr djus okyh ;kstuk d fy, 75 ifr'kr fuf/k ¼62-00 yk[k #i;½ Hkh v0;oâr FkhA v/kj fufeir xknkek ftu ij 66-67 yk[k #i;s dk 0;; gvk Fkk] jkT; e vfØ;k'khy Fk tcfd 87 ikFkfed df"k lgdkjh lfefr;k ¼ih-,-lh-,l-½ ftu ij 1-97 djkM #i;s dk 0;; fd;k x;k Fkk] d ikl dkbZ 0;kikfjd xfrfof/k;k ugh FkhA vf/kdk'k ih- ,- lh- ,l- us _.k okil ugh fd;k FkkA vuJo.k d vHkko e ifj;kstuk ckf/kr gvk ,o okfNr mís'; ikIr djus e foQy jgkA

¼dfMdk 3-5½

v/;k;&I

jkT; ljdkj dh foÙk ij ,d fogaxkoyksdu

1-1 iLrkouk

वित्त लेखें में समाहित सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इस अध्याय में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गयी है। विश्लेषण का आधार राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रवृत्ति, व्यय की विशेषता एवं वित्तीय व्यवस्था है। साथ ही सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों के सूचकों के विश्लेषण पर इस अध्याय में एक खण्ड भी है जो वित्त लेखे में समाहित सूचनाओं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अन्य सूचना के अनुसार खास अनुपात एवं घातांकों के आधार पर तैयार किया हैं। इस अध्याय में व्यवहृत कुछ शब्दों को परिशिष्ट–I में वर्णित किया गया है।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया है एवं 15 नवंबर 2000 (अर्थात निर्धारित दिन) के प्रभाव से संयुक्त बिहार राज्य के 18 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखण्ड राज्य का गठन हुआ है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधान के अनुसार संयुक्त बिहार के परिसम्पत्तियों एवं दायित्त्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक मामले में निर्धारित दिन के ठीक पहले करना था। शेष बिहार एवं झारखण्ड के बीच परिसम्पत्तियों एवं दायित्त्वों के बँटवारे की वास्तविक स्थिति परिशिष्ट–II में दर्शाई गई है। उससे यह द्रष्टव्य होगा कि अभी तक मात्र लोक–ऋण एवं रिजर्व बैंक में जमा का ही बँटवारा किया गया है। लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि जैसे दायित्त्व तथा लोक लेखे में अन्य दायित्त्व और परिसम्पत्ति के मद का भी बँटवारा किया जाना शेष है (सितम्बर 2003)।

1-2 jkT; dh foÙkh; fLFkfr

शासकीय लेखाकरण पद्धति में सरकार द्वारा स्वामित्त्व भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी अचल सम्पत्तियों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है। हालाँकि, शासकीय लेखे में सरकार के वित्तीय दायित्त्व एवं सरकार द्वारा किए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती है। 31 मार्च 2001 की स्थिति की अनुरूपी तुलना करते हुए 31 मार्च 2002 को ऐसे दायित्त्वों एवं परिसम्पत्तियों की संक्षिप्त सूची प्रदर्श–I दर्शाती है, 15 नवंबर 2000 के प्रभाव से इस राज्य का दो राज्यों में पुनर्गठन होने एवं पूर्ववर्त्ती वर्षों के विभक्त आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण यहाँ एवं इस अध्याय के परवर्त्ती कंडिकाओं में की गई ऐसी तुलना हालाँकि वास्तविक नहीं है। इस विवरणी के दायित्त्वों में मुख्यतः वाह्य एवं अंतः ऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियाँ, लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि समाहित हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियाँ तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है। प्रदर्श–I से द्रष्टव्य होगा कि वर्ष 2001–02 के दौरान पूर्व के वर्ष से परिसम्पत्तियों में 9 प्रतिशत की वुद्धि हुई जबकि दायित्त्व 11 प्रतिशत बढ़ गया। घाटे में चलने वाले लोक–क्षेत्र उपक्रमों, जिसमें प्रतिफल की अल्प क्षमता थी, में किया गया निवेश परिसम्पत्तियों में शामिल था। इस प्रकार दर्शाए गए इन लेखा आँकड़े से भी वित्तीय स्थिति अधिक बद्तर होगी। हालाँकि लेखा में वर्णित बिहार सरकार के दायित्त्वों में सेवारत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को भुगतेय पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद के अन्य लाभ, राज्य सरकार द्वारा निर्गत गारंटी/एल.ओ.सी. इत्यादि समाहीत नहीं हैं।

1-3 fuf/k dk lkr ,o mi;kx

1-3-1 प्रदर्श–III चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग की स्थिति को दर्शाता है। निधियों के मुख्य स्रोतों से सरकार की राजस्व प्राप्तियों, कर्जे एवं पेशगियों की वसूली, लोक ऋण एवं लोक खाते में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। इनका उपयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु किया जाता है।

राज्य सरकार के लिए निधियों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व प्राप्तियाँ थी। झारखण्ड के पृथक होने से राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर 11.97 प्रतिशत का प्राथमिक ह्रास हुआ था, कुल प्राप्तियों में उसके आपेक्षिक अंश वर्ष 2000–01 के 72.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001–02 में 78.30 प्रतिशत हो गया। हालाँकि कर्जे एवं पेशगियों की वसूली वर्ष 2000–01 के 0.07 प्रतिशत के सीमांत रूप से बढ़कर वर्ष 2001–02 में 0.10 प्रतिशत तक सदैव तुच्छ थी। मुख्यतः जमा एवं पेशगियों (84.45 करोड़ रुपये), आरक्षित निधि (287.97 करोड़ रुपये) में तीक्ष्ण ह्रास तथा उचन्त एवं विविध लेन–देनों के निवल प्रभाव (1315.79 करोड़ रुपये) तथा लघु बचतों (254.37 करोड़ रुपये) में कमी के कारण लोक खाता से निवल प्राप्तियों का हिस्सा वर्ष 2000–2001 के 9.99 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2001–02 में 3.34 प्रतिशत ऋणात्मक हो गया। लोक ऋण से प्राप्तियाँ आंशिक रूप से बढ़कर 17.61 प्रतिशत से 24.94 प्रतिशत हो गयी। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में 130 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

1-3-2 निधियों का उपयोग मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए होता था, जिसका अंश (89.74 प्रतिशत) राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों (78.30 प्रतिशत) के अंश से स्पष्टतः उच्चतर था। इस कारण 1320.06 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो गया। वर्ष के दौरान प्रतिशत पूँजीगत व्यय का निम्न रहना जारी रहा जो मात्र 5.97 प्रतिशत ही था। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कर्ज वितरण 4.40 प्रतिशत से घटकर 4.29 प्रतिशत हो गयी।

çn'k & I

31 ekp 2002 dk fcgkj ljdkj dh foÙkh; fLFkfr dk lkj

31 ekp 2001 dk		nkf;Ro	31 ekp 2002 dk	
¼djkM #i;s e½			¼djkM #i;s e½	
7096-82		vkUrfjd _.k		9682-03
	4855.60	ब्याज युक्त बाजार ऋण	5883.47	
	0.58	ब्याज मुक्त बाजार ऋण	0.56	
	13.88	एल. आई. सी. से ऋण	13.78	
	4.72	जी. आई. सी. से ऋण	4.44	
	2168.82	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष सुरक्षा	3698.52	
	53.22	अन्य संस्थानों से ऋण	81.26	
681-40		fjtoZ cSad dh tek esa deh		472-93
11243-29		dsUnz ljdkj ls _.k ,oa vU;nkf;Ro		11791-71
	648.67	वर्ष 1984–85 से पूर्व का ऋण	588.98	
	3914.31	गैर योजना ऋण	3846.97	
	6612.50	राज्य योजनागत योजना के लिए ऋण	7286.29	&&
	10.61	केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए ऋण	9.91	&&
	14.24	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजना के लिए ऋण	16.60	
	42.96	अर्थोपाय पेशगियाँ	42.96	
350-00		vkdfLedrk fuf/k		350-00
7624-55		ykHkkalh] Hkfo"; fuf/k bR;kfn		7684-16
2099-22		tek		2278-01
380-54		vkjf{kr fuf/k		447-54
29475-82		;ksx		32706-38
		ifjlEifÙk;k¡		
12618-76		अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		13361-23
	678.61@	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	688.85	
	11940.15	अन्य पूँजीगत परिव्यय	12672.38	
6952-84		ऋण एवं पेशगियाँ		7473-60
	5023.92	उर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	5508.24	
	1850.69	अन्य विकास ऋण	1889.12	
	78.23	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	76.24	
93-80		पेशगियाँ		93-82
1560-08		प्रेषण शेष		1620-32
300-50		उचन्त एवं विविध शेष		965-95
207-01		रोकड़		128-57
	67.79	विभागीय रोकड़ शेष	78.12	
	0.17	स्थायी पेशगियाँ	0.17	
	0.10	चिह्नित निधि का निवेश	0.10	
	138.95	रोकड़ शेष निवेश	50.18	
7742-83		शासकीय खाते में घाटा		9062-89
	770.31	राजस्व घाटा	1320.06	
	6972.52	समग्र घाटा	7742.83	
29475-82		योग		32706-38

@ राजस्व खाते में से किए गए निवेश 9.05 करोड़ रुपये को छोड़कर।

çn'k & II

o"k 2001&2002 dh izkfIr;k ,oa lforj.k dk lkj

½djkM+ #i;k esa½

izkfIr;k			;kx 2001-02	lforj.k					dy ;kx
2000&01				2000&01		2001&02			
						xSj&;kstuk	;kstuk	;kx	
[k.M&*v*									
11177-32	1. राजस्व प्राप्तियाँ		9839-29		1. राजस्व व्यय				11159.35
2809.23	– कर राजस्व	2318.95		6983.70	– सामान्य सेवाएँ	6300.02	22.86	6322.88	
711.68	– करेत्तर राजस्व	286.70		4808.80	– सामाजिक सेवाएँ	3141.72	390.51	3532.23	
6575.63	– संघीय करों में राज्य का अंश	6176.62		3269.28	– शिक्षा, क्रीड़ा, कलाप एवं संस्कृति	2385.56	92.57	2478.13	
185.40	– गैर योजना अनुदान	267.08		680.18	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	342.96	175.65	518.61	
625.08	– राज्य योजनागत योजना के लिए अनुदान	477.20		214.99	– जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	131.20	5.13	136.33	
270.30	– केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान	312.74		518.47	– समाज कल्याण एवं पोषाहार	189.45	68.68	258.13	
				125.88	– अन्य	92.55	48.48	141.03	
				1712.74	– आर्थिक सेवाएँ	848.14	454.28	1302.42	
				337.80	– कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलाप	197.94	62.63	260.57	
				617.82	– ग्रामीण विकास	164.92	315.70	480.62	
				@	– विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	
				388.56	– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	288.30	36.00	324.30	
				217.07	– परिवहन	126.00	1.75	127.75	
				153.45	– अन्य	72.80	38.20	111.00	
11177-32			9839-29	13507-20	;kx	10291-70	867-65	11159-35	
2329.88	II–खण्ड 'ब' में ले जाया गया राजस्व घाटा		1320-06		II–खण्ड 'ब' में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				
[k.M&*c*									
(–)663.18	III–स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित आरम्भिक शेष		(-)474-38		III–आर. बी. आई. से आरंभिक ओवरड्राफ्ट				

½djkM+ #i;s e½

ikfIr;k				lforj.k					
2000&01			;kx 2001-02	2000&01		2001&02			dqy ;kx
						xSj&;kstuk	;kstuk	;kx	
	IV–विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			1075.51	IV–पूँजीगत परिव्यय				742.48
				8.80	– सामान्य सेवाएँ	–	19.19	19.19	
				84.32	– सामाजिक सेवाएँ	–	43.49	43.49	
				18.78	– शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	–	23.57	23.57	
				26.99	– जलापूर्ति एवं स्वच्छता	–	17.00	17.00	
				22.90	– आवास एवं नगर विकास	–	–	–	
				982.53	– आर्थिक सेवाएँ	–	679.80	679.80	
				12.58	– कृषि एवं तत्संबंधी गतिविधि	–	–	–	
				375.10	– ग्रामीण विकास	–	334.12	334.12	
				439.07	– सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	–	299.95	299.95	
				171.42	– अन्य आर्थिक सेवाएँ	–	48.65	48.65	
10.58	V–ऋण एवं पेशगियों की वसूली		12-95	680-46	V–संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ				533-71
0.06	– उर्जा परियोजना से	शून्य		588.46	– उर्जा परियोजना के लिए			482.42	
10.52	– अन्य से	12.95		92.00	– अन्य को			51.29	
	VI–राजस्व आधिक्य नीचे ले जाया गया			2329-88	VI–राजस्व घाटा नीचे ले जाया गया				1320-06
3527.70	VII–लोक ऋण प्राप्तियाँ		3757-67	807-07	VII–लोक ऋण की अदायगी				624-02
2044.85	– अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण	2681.01		70.37	– अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण			95.79	
237.19	– अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन			186.07	– अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवर ड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन				

½djkM #i;s e½

ikfIr;k				lforj.k					
2000&01			;kx 2001-02	2000&01		2001&02			dqy ;kx
						xSj&;kstuk	;kstuk	;kx	
1245.66	– केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	1076.66		550.63	– केन्द्र सरकार के ऋण एवं पेशगियों की अदायगी			528.23	
5384.59	VIII–लोक लेखा प्राप्तियाँ		3093-43	3841-16	VIII–लोक लेखा संवितरण				3513-74
1033.29	– लघु बचत एवं भविष्य निधि	770.05		719.31	– लघु बचत एवं भविष्य निधि			710.44	
355.07	– आरक्षित निधि	67.01		0.10	– आरक्षित निधि			0.01	
1108.82	– उचन्त एवं विविध भत्ते	(–) 446.56		458.48	– उचन्त एवं विविध			218.89	
1156.86	– प्रेषण	635.28		1195.95	– प्रेषण			695.52	
1730.54	– जमा एवं पेशगियाँ	2067.65		1467.32	– जमा एवं पेशगियाँ			1888.88	
	IX–भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट	–	&	(–) 474.38	IX–अन्त का रोकड़ शेष	–	–	(–)344.34	
					– कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	–	–	–	
				(–) 681.40	– रिजर्व बैंक में जमा	–	–	(–) 472.92	
				67.96	– अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	–	–	78.30	
				0.10	– चिह्नित निधि का निवेश	–	–	0.10	
				138.96	– रोकड़ शेष निवेश	–	–	50.18	
8259-68	;kx		6389-67	8259-68					6389-67

çn'k & III
fuf/k dk lkr ,oa mi;kx

lkr				
2000&2001			2001&2002	
				¼djksM #i;s esa½
11177-32		1. राजस्व प्राप्तियाँ		9839-29
10-58		2. ऋण एवं पेशगियों की वसूली		12-95
2720-63		3. ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त लोक ऋण में वृद्धि		3133-65
1543-43		4. लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ		¼&½ 420-31
	313.98	लघु बचत में वृद्धि	59.61	
	263.22	जमा एवं अग्रिम में वृद्धि	178.77	
	354.97	आरक्षित निधि में वृद्धि	67.00	
	650.34	उचन्त एवं विविध लेन–देन का निवल प्रभाव	(–)665.45	
	(–)39.09	प्रेषण लेन–देनों का निवल प्रभाव	(–)60.24	
	–	5. आकस्मिकता निधि में लेन–देनों का निवल प्रभाव	–	&
15451-96		;kx		12565-58
mi;kx				
2000&2001				
	13507.20	1. राजस्व व्यय		11159-35
	680.46	2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उधार देना		533.71
	1075.51	3. पूँजीगत व्यय		742.48
	188.79	4. अन्त रोकड़ शेष में वृद्धि		130.04
15451-96		;kx		12565-58

in'k.k I] II ,oa III dh fy, 0;k[;kRed fVIif.k;k

1. दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखा वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ी जानी है।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श–I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्य मद अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ों में विविधता इत्यादि वाले मद लेखे में अंकित नहीं होते हैं।

3. प्रेषण, उचन्त एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किए गए चेक, अन्य राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य लम्बित लेन–देनों का निपटारा आदि सम्मिलित है।

4. बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत निर्धारित तिथि (15 नवम्बर 2000) के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य के परिसम्पत्तियों एवं दायित्त्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के सम्बन्ध में किया गया है।

1-4 jkT; ljdkj dk foÙkh; lapkyu

1-4-1 राज्य सरकार द्वारा की गयी निकासी एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदर्श–II में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (9839 करोड़ रुपये) से अधिक राजस्व व्यय (11159 करोड़ रुपये) होने के परिणामस्वरूप 1320 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (2319 करोड़ रुपये), करेत्तर राजस्व (287 करोड़ रुपये), संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश (6176 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (1057 करोड़ रुपये) सम्मिलित थे। अतः राज्य के राजस्व व्यय का मात्र 23 प्रतिशत की पूर्ति राज्य के अपने राजस्व से होती थी।

कर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री कर (61 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (10 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (13 प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (6 प्रतिशत) थे। करेत्तर राजस्व मुख्यतः सामाजिक सेवा (41 प्रतिशत), आर्थिक सेवा (39 प्रतिशत), सामान्य सेवाएँ (16 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियों (6 प्रतिशत) से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2001–2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 1339 करोड़ रुपये का ह्रास मुख्यतः 15 नवंबर 2000 के प्रभाव से राज्य का पुनर्गठन किए जाने से सम्पूर्ण वर्ष प्रभावित होने के कारण हुई।

1-4-2 पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण के 3758 करोड़ रुपये तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली के 13 करोड़ रुपये सम्मिलित थे। इसके विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय पर 742 करोड़ रुपये, ऋण एवं पेशगियों के संवितरण पर 534 करोड़ रुपये तथा लोक ऋण की अदायगी पर 624 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान पूँजीगत परिव्यय का 85 प्रतिशत ग्रामीण विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर खपत हुआ था जबकि वर्ष के दौरान ऋण एवं पेशगियों का 90 प्रतिशत उर्जा परियोजनाओं पर खपत हुआ।

लोक लेखा में कुल मिलाकर 3093 करोड़ रुपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 3514 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे। वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष में 130 करोड़ रुपये की वृद्धि संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में लेन–देन का निवल परिणाम थी।

1-4-3 प्रदर्श–II में सम्मिलित सूचना एवं प्रदर्श–IV में प्रस्तुत वर्ष 1997–98 से 2001–2002 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए समयबद्ध आँकड़ों के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित इसके वित्तीय संचालन की चर्चा नीचे की कंडिकाओं में की गयी है।

çn'k & IV
jkT; Ljdkj dh foÙkh; fLFkfr dk dkyc) vkdMk
¼Lnhk dfMdk ¼ 1-4-3½

¼djksM #i;s e½

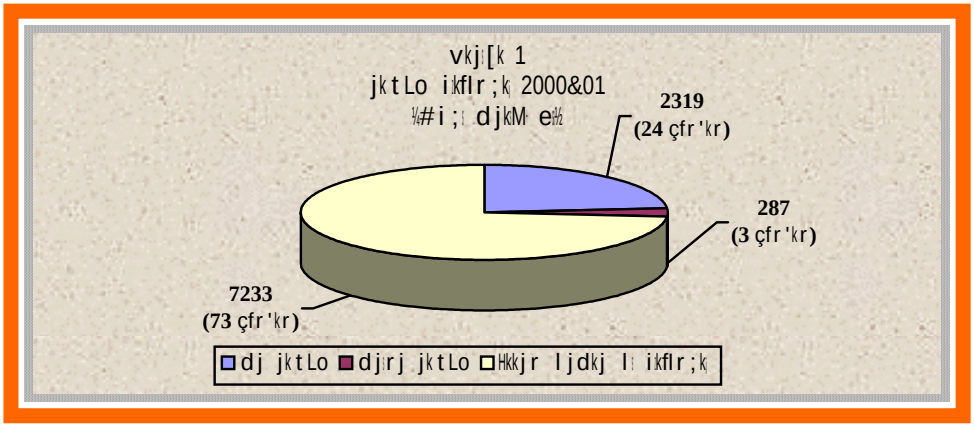
	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
[k.M *v* & çkfIr;k					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	9479	9296	10659	11177	9839
(i) कर राजस्व	2400 (25)	2682 (29)	3085 (29)	2809 (25)	2319 (24)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1568 (65)	1822 (68)	2068 (67)	1821 (65)	1413 (61)
राज्य उत्पाद	226 (9)	240 (9)	278 (9)	243 (9)	239 (10)
वाहन पर कर	174 (7)	165 (6)	178 (6)	224 (8)	142(6)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	253 (11)	279 (10)	326 (11)	302 (11)	304 (13)
भू–राजस्व	23 (1)	25 (1)	29 (1)	34 (1)	34 (2)
अन्य कर	155 (6)	151 (6)	206 (7)	185 (7)	187 (8)
(ii) करेत्तर राजस्व	1225 (13)	1146 (12)	1166 (11)	712 (6)	287 (3)
(iii)संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	4074 (43)	4441 (48)	4962 (46)	6576 (59)	6177 (63)
(iv)भा. स. से सहायता अनुदान	1780 (19)	1027 (11)	1446 (14)	1080 (10)	1057 (11)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–
3. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	9479	9296	10659	11177	9839
4. ऋण एवं पेशगियों की वापसी	15	10	12	11	13
5. लोक ऋण प्राप्ति					3758
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	717	734	427	2045	2681
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	1792	2809	3046	1246	1077
अर्थोपाय पेशगियाँ के तहत शुद्ध लेन–देन	शून्य	शून्य	शून्य	237	–
6. समेकित निधि में कुल प्राप्ति (3+4+5)	12003	12849	14144	14716	13610
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	209	–	3	–	–
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	28244	35744	31087	10462	7719
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	40456	48593	45234	25229	21329
[k.M&*c* 0;;@lforj.k					
10. राजस्व व्यय	10530 (90)	11563 (89)	14362 (86)	13507 (89)	11159 (90)
योजना	1700 (16)	1737 (15)	1541 (11)	839 (6)	867 (8)
गैर–योजना	8830 (84)	9826 (85)	12821 (89)	12668 (94)	10292 (92)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	4499 (43)	5309 (46)	6505 (45)	6983 (52)	6323 (57)
सामाजिक सेवाएँ	3897 (37)	4012 (35)	5483 (38)	4809 (35)	3532 (31)
आर्थिक सेवाएँ	2133 (20)	2240 (19)	2326 (16)	1713 (13)	1302 (12)

					¼djkM #i;s e½
	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
सहायतानुदान एवं अंशदान	1.93	2.21	48.06	1.96	1.82
11. पूँजीगत व्यय	560	824	1233	1076	742
योजना	560 (100)	818 (100)	1233 (100)	1076 (100)	742 (100)
गैर योजना	नगण्य	6	नगण्य	नगण्य	नगण्य
सामान्य सेवाएँ	8 (1)	10 (1)	11 (1)	9 (1)	19 (2)
सामाजिक सेवाएँ	107 (19)	149 (18)	97 (8)	84 (8)	43 (6)
आर्थिक सेवाएँ	445 (80)	665 (81)	1125 (91)	983 (91)	680 (92)
12. ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	642	579	1072	680	534
13. कुल व्यय (10+11+12)	11732	12956	16667	15263	12435
14. लोक ऋण की अदायगी	527	511	799	807	624
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	57	15	240	71	96
अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेन–देन	शून्य	शून्य	शून्य	186	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	470	497	559	550	528
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	–	–	–	–	–
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	12259	13467	17466	16070	13059
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. लोक लेखा संवितरण	28107	35887	27533	8966	8060
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	40369	49354	44999	25036	21119
[k.M&I ¼?kkVk					
20. राजस्व घाटा (1–10)	1052	2267	3703	2330	1320
21. राजकोषीय घाटा (3+4–13)	2239	3659	5996	4075	2583
22. प्राथमिक घाटा (21–23)	177	1247	3129	933	(–) 46
[k.M&n ¼ vU; vk;dMk					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय सहित)	2062	2412	2867	3142	2629
24. राजस्व का बकाया (कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	1272 (35)	1616 (42)	2211 (52)	1012 (29)	1237 (47)
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	790	859	705	634	565
26. उपयोग किए गए अर्थोपाय पेशगियाँ / ओवरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	117	188	229
27. अर्थोपाय पेशगियाँ / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	12	12

					¼djkM #i;s e½
	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	60870	66253	72083	49383*	50987*
29. लम्बित ऋण (वर्षान्त)	15738	18770	21444	18340	21474
30. लम्बित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	244	190	172	–	–
31. गारन्टी दी गयी अधिकतम राशि (वर्षान्त)	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.	अ.नु.
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	23	23	23	22
33. अपूर्ण परियोजनाओं पर अवरूद्ध पूँजी	53	86	138	116	30

टिप्पणी : कोष्ठक के अंक प्रत्येक उपशीर्ष के योग के प्रतिशत (लगभग) का द्योतक है।

* बिहार सरकार द्वारा शीघ्र आकलन के आँकड़े दिए गए।



1-5 jktLo izkfIr;k

1-5-1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः कर एवं करेत्तर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। उनके पारस्परिक अंश आरेख–1 में दिखाए गए हैं। झारखण्ड के पृथक हो जाने के कारण पूर्व वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2001–2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 12 प्रतिशत का ह्रास हुआ था।

1-5-2 dj jktLo

ये राजस्व प्राप्तियों के मात्र 24 प्रतिशत थे। वर्ष 1998–99 से वर्ष 1999–2000 के दौरान इनका अंश 29 प्रतिशत था। बिक्री कर (61 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन (13 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (10 प्रतिशत) का प्रमुख अंशदान था। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि एक तिहाई जिले झारखण्ड में स्थानान्तरित हो जाने के कारण वर्ष के दौरान मुख्यतः बिक्री कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर एवं अन्य करों में ह्रास था।

1-5-3 djrj jktLo

वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियों का मात्र 3 प्रतिशत ही करेतर राजस्व था जो वर्ष 1997–98 के 13 प्रतिशत से कम था। यह गिरावट मुख्यतः प्रमुख खनन् क्षेत्रों के झारखण्ड का भाग बन जाने के कारण थी।

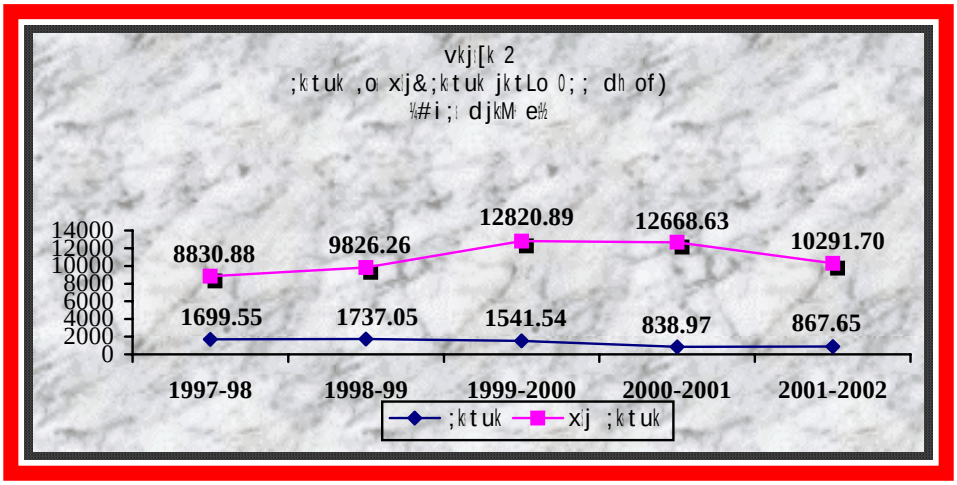
1-5-4 l?kh; djksa ,oa 'kYdksa esa jkT; dk va'k ,oa dsUnz ljdkj ls lgk;rkuqnku

ये राजस्व प्राप्तियों का वृहत अंश (73 प्रतिशत) था। संघीय करों (सीमा एवं उत्पाद शुल्क तथा आय एवं निगम कर) में राज्य की प्राप्तियों का अंश वर्ष 2001–02 में 6 प्रतिशत घटा, परिणामस्वरूप राज्य की समस्त प्राप्तियों में इसके अंश में कमी हुई। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के सापेक्षिक अंश में पूर्व वर्ष से 2 प्रतिशत का ह्रास था। केन्द्रीय कर स्थानांतरण एवं सहायता अनुदान अंश में सापेक्षिक वृद्धि को शामिल करते हुए वर्ष 1997–98 की तुलना में वर्ष 2001–02 में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के अपने स्रोत का अंश 38 प्रतिशत से गिरकर 27 प्रतिशत हो गया।

1-6 jktLo O;;

1-6-1 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के व्यय का 90 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में दर्ज था। गैर योजना व्यय में मात्र 2 प्रतिशत (2377 करोड़ रुपये) की कमी हुई थी जबकि योजना व्यय में 3 प्रतिशत (29 करोड़ रुपये) की वृद्धि थी। साथ ही राजस्व

व्यय को गतिविधियों पर बाँट देना दर्शाता था कि राजस्व व्यय के प्रमुख सभी तीनों प्रभागों यथा सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं में क्रमशः 9 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत की कमी हुई थी, जो मुख्यतः 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से राज्य के पुनर्गठन के प्रभाव के कारण हुआ था।



1-6-2 खण्डवार विश्लेषण दर्शाता है कि जब सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक सेवाएँ इत्यादि) 41 प्रतिशत बढ़ते हुए वर्ष 1997–98 के 4499 करोड़ रुपये से वर्ष 2001–02 में 6323 करोड़ रुपये हो गया तब सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में क्रमशः 9 एवं 39 प्रतिशत की कमी हुई थी। कुल व्यय के समानुपात के रूप में सामान्य सेवाओं का अंश वर्ष 1997–98 के 43 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001–2002 में 57 एवं सामाजिक सेवाओं का अंश घटकर 37 प्रतिशत से 31 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं का अंश 20 प्रतिशत से गिर कर 12 प्रतिशत हो गया था।

ब्याज भुगतान (2629 करोड़ रुपये), पेंशन (2273 करोड़ रुपये) एवं प्रशासनिक सेवाओं (1106 करोड़ रुपये) पर ही राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत खपत हो गया। इन सामान्य सेवाओं एवं इसके घटकों पर हुए व्यय को निम्न तालिका दर्शाता है :

¼djksM #i;s esa½

o"kZ	iz'kklu	lkekftd	vkfFkZd	;ksx	jktLo izkfIr;k¡	jktLo ?kkVk
1997–98	777	2062	1660	4499	10530	9479
1998–99	1024	2412	1874	5310	11563	9296
1999–2000	1241	2867	2397	6505	14362	10659
2000–01	2011	3142	1831	6983	13507	11177
2001–02	2273	2629	1421	6323	11159	9839

उपरोक्त तालिका पेंशन व्यय के प्रवृत्ति में स्पष्ट बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। सेवानिवृत्तियों की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य में पेंशन दायित्त्व और बढ़ने वाली है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के तीव्रता से बढ़ रही पेंशन दायित्त्व को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कोई कोष की स्थापना नहीं की है। पेंशन का दायित्त्व जिस दर से बढ़ रहा है उसे देखते हुए वर्त्तमान पेंशन योजना में सुधार एक अति महत्त्वपूर्ण माना जाय। सरकारी सेवकों के लिए बनायी गयी इस सामाजिक सुरक्षा योजना के व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को कोई वैकल्पिक नीति पर विचार करना चाहिए।

1-6-3 C;kt Hkqxrku

ब्याज भुगतान में 27 प्रतिशत के करीब वृद्धि होते हुए वर्ष 1997–98 के 2062 करोड़ रुपये से वर्ष 2001–2002 में 2629 करोड़ रुपये हो गए। हालाँकि वर्ष के दौरान बिहार एवं झारखण्ड के बीच लोक दायित्त्व का बँटवारा होने के कारण वर्ष 2000–01 की तुलना में ब्याज भुगतान में 513 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) की कमी आयी थी, फिर भी राज्य के अपने समस्त राजस्व को खपत करने वाला व्यय का सबसे महत्त्वपूर्ण शीर्ष अकेले यही था।

ग्यारहवीं वित्त आयोग (अगस्त 2000) ने अनुशंसा किया था कि मध्यकालिक उद्देश्यों के रूप में राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के 18 प्रतिशत तक के अनुपात में ब्याज भुगतान को रखने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी यह पाया गया कि वित्तीय घाटा को वित्त प्रदान करने के लिए मुख्यतः कर्जों पर निर्भरता जारी रहने के कारण वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 27 प्रतिशत का ब्याज भुगतान पर व्यय किया गया था।

जबकि वर्ष के दौरान बाजार कर्ज (1116 करोड़ रुपये) के ब्याज का प्रभावी औसत दर 8.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष था, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1532.96 करोड़ रुपये एवं भारत सरकार से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1076.65 करोड़ रुपये उधार लिया। राज्य सरकार ने निलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की दरों पर बाजार कर्ज उगाही करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया।

1-6-4 LFkkuh; fudk;ksa ,oa vU; lLFkkvksa dk foÙkh; lgk;rk

वर्ष 2001–2002 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को मुहैया कराए गए सहायता के परिमाण निम्नानुसार थे :

	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
	¼djksM #i;s esa½				
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	382.82	417.34	518.65	463.00	369.13
नगर निगम एवं नगरपालिका	25.90	27.21	115.44	57.18	28.99
जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थान	26.37	5.89	6.93	2.90	106.60
विकास अभिकरण	241.64	226.86	34.76	61.32	12.87
अन्य संस्थान	113.45	181.93	29.29	49.20	47.05
;ksx	790-18	859-23	705-07	633-60	564-64
पूर्व वर्ष की अपेक्षा वृद्धि की प्रतिशतता	(–)0.49	9	(–)17.94	(–)10.14	10.88
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	7	5	5	5

वर्ष 1997–98 की तुलना में समग्रता के आधार पर वर्ष 2001–02 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में मुख्यतः राज्य के पुनर्गठन के कारण 29 प्रतिशत की गिरावट आयी।

1-7 i/tgxr 0;;

पूँजीगत व्यय से परिसंपत्तियों का सृजन होता है। साथ ही लोक क्षेत्र उपक्रमों (पी. एस. यू.), निगमों इत्यादि जैसे सरकार से बाह्य संस्थानों या उपक्रमों में किए गए निवेश तथा ऋण एवं पेशगियों की राशि से वित्तीय संपत्ति उत्पन्न होती है।

1-7-1 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2001–02 के दौरान पूँजीगत व्यय 7 प्रतिशत से गिरकर 6 प्रतिशत हो गया था। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि अधिकतर पूँजीगत व्यय योजना पक्ष के आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर किए गए थे। वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत परिव्यय मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (300 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (334 करोड़ रुपये), पथ एवं पुलों (34 करोड़ रुपये) एवं विद्युत परियोजना (11 करोड़ रुपये) के तहत् थे जबकि सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत मुख्यतः शिक्षा, कला एवं संस्कृति (24 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (3 करोड़ रुपये), जलापूर्ति (17 करोड़ रुपये) के तहत थे। सम्पत्ति के कम वृद्धि का मुख्य कारण पूँजीगत व्यय में कम निवेश का होना था।

1-7-2 jkT; ljdkj }kjk _.k ,oa i/'kfx;k

विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि को सरकार ऋण एवं पेशगियाँ देती है। नीचे दी गयी विगत पाँच वर्षों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1997–2002 के दौरान अदायगियाँ नगण्य थीं (आरंभिक शेष के 1 प्रतिशत से कम) एवं अंतशेष लगभग 37.72 प्रतिशत बढ़ा था। ऋणों की नगण्य अदायगी राज्य सरकार की दयनीय वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों में से एक थी तथा उसने राजकोषीय घाटा को बढ़ाने में स्पष्ट भूमिका अदा किया था।

स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, निजी संस्थानों, कम्पनियों एवं व्यक्ति विशेषों को दिए गए ऋणों, जिसके विस्तृत लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार रखते थे, की वसुली सदैव तुच्छ थी एवं उनमें से 3574.71 करोड़ रुपये (मूलधन 1613.19 करोड़ रुपये तथा ब्याज 1961.52 करोड़ रुपये) 31 मार्च 2002 तक बकाया थे। ऋणों का ब्यौरा, जिसके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा संघारित किए जाते थे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार वसुली योग्य ऋण की वास्तविक राशि को कम करके बताया गया है।

	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&01	2001&02
	¼djksM+ #i;s esa½				
आरम्भिक शेष	4027.15	4654.79	5223.26	6282.97	6952.84
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	642.18	578.56	1071.79	680.46	533.71
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	14.54 (0.36)	10.09 (0.22)	12.08 (0.23)	10.59 (0.17)	12.95 (0.19)
अन्तशेष	4654.79	5223.26	6282.95	6952.84	7473.60
शुद्ध जोड़	627.64	568.47	1059.71	669.87	520.76
प्राप्त ब्याज	7.11 (0.18)	2.31 (0.05)	22.31 (0.43)	8.58 (0.14)	11.75 (0.17)

टिप्पणी : कोष्ठक के अंक आरम्भिक शेष की प्रतिशतता सूचित करते है।

1-8 0;; dh x.kokÙkk

1-8-1 विधि–व्यवस्था सम्भालने से लेकर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के नियामक कार्य कलापों तक अनेक गतिविधियों के लिए सरकार राशि खर्च करती है। सरकारी

खर्च को राजस्व एवं पूँजीगत के अधीन योजना एवं गैर योजना में विस्तृत तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। योजना एवं पूँजीगत व्यय का सम्बन्ध संपत्ति सृजन से है, जबकि गैर योजना एवं राजस्व व्यय स्थापना, संघारण एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में समझे जाते है। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार आम तौर पर पूँजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में समझा जा सकता है।

1-8-2 लोक व्यय में बर्बादी, निधियों का विपथन एवं अपूर्ण योजनाओं पर निधियों का अवरूद्ध रहना भी व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मकता की ओर दृष्टिगोचर कराता है। इसी प्रकार निधियों को व्यय के रूप में दर्ज करने के बाद उन्हें लोक लेखा के जमा शीर्षों में स्थानान्तरित किया जाना भी व्यय की गुणवत्ता का निर्णय करने में नकारात्मकता के रूप में समझा जा सकता हैं। चूँकि सम्बन्धित वर्ष में व्यय वास्तविक तौर पर नहीं हुआ था, अतः इस वर्ष के व्यय के आँकड़ों से इसे हटा देना चाहिए था। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं को नुकसान पहुँचाते हुए सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि होना एक दूसरा संभाव्य सूचक है।

निम्नलिखित सारणी इन सूचकों में प्रवृत्ति को दर्शाती है :

		1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
1.	प्रतिशतता के रूप में योजना व्यय :					
	– राजस्व व्यय का	16	15	11	6	8
	– पूँजीगत व्यय का	100	100	100	100	100
2.	पूँजीगत व्यय (प्रतिशत)	5	6	7	7	6
3.	अपूर्ण परियोजना पर प्रतिफल रहित व्यय (प्रतिशत)	53	86	138	116	30

यह द्रष्टव्य होगा कि राजस्व पक्ष में योजना व्यय का अंश तीव्रता से गिरकर वर्ष 1997–98 के 16 प्रतिशत से वर्ष 2001–02 में 8 प्रतिशत हो गया। अवधि के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश सदैव 5 एवं 7 प्रतिशत तक के निम्न स्तर पर रहा।

1-8-3 ;kstuk i.'ku

योजना व्यय से सम्बन्धित बिहार सरकार के दयनीय प्रदर्शन के सम्बन्ध में 31 मार्च 2000 एवं मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लेख किया गया था। वर्ष 2001–2002 के दौरान भी दयनीय प्रदर्शन जारी रहा, जैसा कि नीचे विवर्णित है :

राज्य सरकार ने बाजार कर्ज एवं केन्द्र सरकार से केन्द्रीय ऋण एवं प्राप्तियों के रूप में कुल 2614.99 करोड़ रुपये वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य योजनागत कार्यक्रमों के लिए प्राप्त किया था। इनमें से मात्र 1263.12 करोड़ रुपये (48 प्रतिशत) राज्य योजनागत योजना पर व्यय किया गया था। राज्य योजनागत योजना को वित्त प्रदान करने के लिए चालू राजस्व में कोई अधिशेष नहीं था।

राज्य सरकार के वर्ष 2001–2002 के विनियोग लेखा से यह भी पाया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजना (231 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं (34 करोड़ रुपये) के साथ–साथ विभिन्न राज्य योजनागत योजनाओं (1292 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत परिशिष्ट–II के अनुसार राज्य सरकार बजटीय प्रावधान में से 1557.35 करोड़

रुपये (48.45 प्रतिशत) व्यय करने में विफल रही। कुल बचत सकल बजटीय प्रावधान का 17 प्रतिशत थी। बचतों पर आगे चर्चा कंडिका 2.3 में शामिल की गई है।

1-9 foÙkh; i.kkyu

सरकार में वित्तीय प्रबन्धन के मामले इसके राजस्व एवं व्यय संचालन की दक्षता, मितव्ययिता एवं कारगरता से सम्बद्ध होने चाहिए। इस प्रतिवेदन के आने वाले अध्यायों में नमूना लेखापरीक्षा के जाँच के आधार पर खासकर इन मामलों पर विस्तृत व्याख्या की गई है, क्योंकि ये सरकार के व्यय प्रबंधन से संबंधित है। लेखे एवं सरकार की संबंधित वित्तीय सूचनाओं से अलग की जा सकने वाले अन्य मापदंडों को इस अनुभाग में विमर्शित किया गया है।

1-9-1 fuos'k ,oa ifrQy

विकासात्मक, निर्माण, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूँजीगत परिव्यय में से निवेश किया जाता है। किए गए निवेशों का क्षेत्र–वार विवरण एवं सम्मिलित संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार थे :

{k=	lLFkkvksa dh la[;k	fuos'k jkf'k	
		31 ekpZ 2002 dks	o"kZ 2001&02 ds nkjku
		¼djksM #i;s esa½	
(i) सांविधिक निगम	3	102.01	1.00
(ii) सरकारी कम्पनियाँ	36	345.41	0.20
(iii) संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ	10	3.88	––
(iv) सहकारिता संस्थान	अनु.	237.55	––
;ksx	49	688-85	1-20

विगत पाँच वर्षों के दौरान इसके निवेशों से प्राप्त लाभांश तथा ब्याज के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिफल तुच्छ था।

o"kZ	o"kZ ds nkjku fuos'k	o"kZ dh lekfIr ij fuos'k	ifrQy	ifrQy dk izfr'kr	ljdkjh dtZ ij izfr'kr C;kt
	¼djksM #i;s esa½				
1997–98	0.09	641.31	रु. 1000 मात्र	शून्य	13.75
1998–99	14.03	646.34	रु. 192 मात्र	शून्य	12.50
1999–2000	2.74	649.08	रु. 1.10 करोड़	0.17	11.30
2000–2001	29.53	687.66	रु. 4500 मात्र	शून्य	12.00
2001–2002	1.20	688.85	रु. 65417 मात्र	शून्य	10.35

अतः जबकि सरकार बाजार से उच्च दर पर कर्ज ले रही थी, सरकारी कम्पनियों इत्यादि में इसका निवेश या तो कोई प्रतिफल नहीं दे रहा था या नगण्य प्रतिफल दे रहा था।

30 सरकारी कम्पनियों (वित्त लेखा के विवरणी सं. 14 में सूचीबद्ध 36 में से) एवं 3 सांविधिक निगमों के नवीनतम निष्पादित लेखा के अनुसार 29 कम्पनियों एवं 2 निगमों में क्रमशः 338.66 करोड़ रुपये एवं 866.48 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था तथा शेष 1 कम्पनी एवं 1 निगम ने क्रमशः 5.68 करोड़ रुपये एवं 5.32 करोड़ रुपये का कुल लाभ

अर्जित किया था। एक दशक या अधिक काल से ही इन कम्पनियों के लेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। 6 कम्पनियों के लेखा की स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

एक सांविधिक बोर्ड अर्थात बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे सरकार ने वर्ष 2001–02 तक कुल 4688.65 करोड़ रुपये का ऋण अग्रिम दिया है, ने वर्ष 1999–2000 तक कुल 4646.30 करोड़ रुपये की हानि उठायी थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने दो और सरकारी कम्पनियों, अर्थात बिहार राज्य पुलिस भवन निगम लि. (0.10 करोड़ रुपये) एवं तेनुघाट विद्युत निगम लि. (100.00 करोड़ रुपये) में हिस्सा पूँजी का निवेश किया था लेकिन जिस स्रोत से इन निवेशों को किया गया था वे दर्शाए नहीं गए थे एवं इस प्रकार इन्हें वित्त लेखें में विशिष्ट तौर पर दर्शाया नहीं जा सका। ये दोनों कम्पनियाँ क्रमशः 0.49 करोड़ रुपये (वर्ष 1988–89 तक) एवं 221.83 करोड़ रुपये (वर्ष 1993–94 तक) का सकल हानि उठायी थी।

1-9-2 vi.k ifj;kt uk,a

22 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 11 ; मध्यम : 11) में से मार्च 2002 तक 19 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 09 ; मध्यम : 10) पर परिशिष्ट–III के अनुसार 1174 करोड़ रुपये अवरूद्ध थे। 3 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत : 2 ; मध्यम : 1) में अवरूद्ध पूँजी का आँकड़ा उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2001–02 के दौरान परियोजनाओं, जिनमें प्रचुर मात्रा में निवेश किए गए, निम्नलिखित थे : (i) पूर्व कोशी नहर परियोजना (3.02 करोड़ रुपये) (ii) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना (26.99 करोड़ रुपये)। यह दर्शाता था कि सरकार अपने संसाधनों का धीमा विस्तार कर रही थी, जो कोई प्रतिफल देने में विफल रहा।

1-9-3 jkt Lo d cdk;a

31 मार्च 2002 को, जैसा कि विभागों द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे, राजस्व के मुख्य शीर्षों में से आठ के अन्तर्गत संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व का बकाया 1236.63 करोड़ रुपये लम्बित थे एवं मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (698.72 करोड़ रुपये), राज्य परिवहन (80.32 करोड़ रुपये), अलौहिक खनन एवं धातुकर्म उद्योग पर कर (75. 28 करोड़ रुपये), राज्य उत्पाद (44.73 करोड़ रुपये), ईख विकास विभाग (16.18 करोड़ रुपये), विद्युत पर शुल्क (9.03 करोड़ रुपये), मनोरंजन कर (7.00 करोड़ रुपये), जल कर (0.95 करोड़ रुपये), से सम्बन्धित थे। उपरोक्त बकाए राजस्व की राशि कम करके बतायी गयी थी क्योंकि सरकार के अन्य विभागों के सचिवों द्वारा सूचनाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी थीं (सितम्बर 2003)।

1-9-4 vFkk ik; i'kfx;k ,o vkojMk¶V

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अनुबन्ध के तहत 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 1.73 करोड़ रुपये रोकड़ शेष बनाए रखना था। अगर किसी भी दिन का न्यूनतम अनुबन्धित शेष नीचे गिर जाता है तो कमी को बैंक से अर्थोपाय पेशगियाँ (डब्लू॰ एम॰ ए॰)/ओवरड्राफ्ट (ओ॰डी॰) लेते हुए इसे पूरा करना था। साथ ही, जब भी आवश्यकता हुई बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ भी दी गयीं। अर्थोपाय पेशगियाँ/ओवरड्राफ्ट के सहारा का अर्थ सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का बेमेल होना है एवं इस प्रकार यह सरकार के दयनीय वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता था। वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकार ने 2593.23 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियाँ (106 दिन) एवं 3229.53 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट (123 दिन) लिया तथा भारतीय

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2001–2002 के दौरान अर्थोपाय पेशगियों पर 7.86 करोड़ रुपये तथा ओवरड्राफ्ट पर 3.94 करोड़ रुपये के ब्याज की वसूली की।

1-9-5 ?kkVk

1-9-5-1 सरकारी लेखा में घाटा प्राप्तियों एवं व्यय के बीच का अन्तर दर्शाता है। घाटे की प्रकृत्ति सरकार में वित्तीय प्रबन्धन की दूरदर्शिता का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है। साथ ही, घाटा को वित्तीय समर्थन प्रदान करने का तरीका एवं इस तरह से बढ़ाई गई निधियों का उपयोग सरकार के राज कोषीय दूरदर्शिता के महत्त्वपूर्ण सूचक हैं। इस खण्ड में घाटा के तीन अवधारणाओं अर्थात राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा से सम्बन्धित चर्चा है।

1-9-5-2 राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजस्व घाटा है। राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (दिये गये निवल ऋण सहित) को राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं। राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा है। निम्नलिखित प्रदर्श सरकारी लेखा में घाटा के विभिन्न क्रमों को दर्शाता है।

lfpr fuf/k ¼l-fu-½				¼djkM+ #i;s esa½	
çkfIr	jkf'k		lforj.k	jkf'k	
राजस्व	9839	jktLo ?kkVk	राजस्व	11159	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	–	1320	पूँजीगत	742	
ऋण एवं पेशगियों की वसूली	13		संवितरित ऋण एवं अग्रिम	534	
mi ;kx	9852	ldy jktdk"kh; ?kkVk 2583	mi ;kx	12435	
लोक ऋण	3758			लोक ऋण अदायगी	624
;kx	13610	v½ lfpr fuf/k esa vkf/kD; 551		13059	
		c½ vkdfLedrk fuf/k ykd ys[kk			
लघु बचत, भ. नि. इत्यादि	770			लघु बचत, भ.नि. इत्यादि	710
जमा एवं अग्रिम	2068			जमा एवं अग्रिम	1889
आरक्षित निधि	67			आरक्षित निधि	नगण्य
उचन्त एवं विविध	(–) 447			उचन्त एवं विविध	219
प्रेषण	635			प्रेषण	696
dy ykd ys[kk	3093	l½ lfpr fuf/k }kjk foUk ikf"kr ykd ys[kk esa ?kkVk l- fu- 421			3514

रोकड़ शेष में वृद्धि (अ – ब + स) : 130

तालिका दर्शाती है कि 1320 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा को कर्जे के द्वारा पूरा किया गया था। राजकोषीय घाटा (2583 करोड़ रुपये) से अधिक लोक ऋण से निवल प्राप्ति (3134 करोड़ रुपये) थी, परिणामस्वरूप संचित निधि में आधिक्य (551 करोड़ रुपये) था। संचित निधि के आधिक्य का लोक लेखे में घाटे (421 करोड़ रुपये) को वित्त प्रदान करने के लिए अंशतः उपयोग किया गया था। संचित निधि में बचे आधिक्य के परिणामस्वरूप रोकड़ शेष में 130 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। प्रदर्श–IV दर्शाता है कि वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 के दौरान दोनों घाटों में हुई तीव्र वृद्धि में वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान वर्ष 1999–2000 से क्रमशः 64 एवं 57 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। हालाँकि यह ग्यारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर केन्द्रीय कर स्थानांतरण में पर्याप्त वृद्धि तथा नवंबर 2000 में राज्य के पुनर्गठन से इसके राजस्व एवं कुल व्यय में ह्रास के कारण ऐसा हुआ था।

1-9-5-3 d t/ yh x;h fuf/k dk mi;ksx ¼jkt dk"kh; ?kkVk½

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल कर्जे को संसूचित करती है। इन कर्जो का उपयोग राजकोषीय घाटा (आर.डी.) को पूरा करने, पूँजीगत व्यय (सी.ई.) करने तथा विकासात्मक एवं अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन उपयोगों का सापेक्षिक समानुपात राज्य सरकार की वित्तीय दूरदर्शिता एवं उनके कार्यों के संचालन की सुदृढ़ता को भी इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए कर्ज लेते रहना बाद में चलकर कायम नहीं रह पाएगा। निम्नलिखित तालिका बिहार सरकार से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों की स्थिति को दर्शाती है :

vuqikr	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.47	0.62	0.62	0.57	0.51
पूँजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.25	0.22	0.20	0.26	0.29
निवल ऋण/ राजकोषीय घाटा	0.28	0.16	0.18	0.17	0.20
;ksx	1-00	1-00	1-00	1-00	1-00

यह द्रष्टव्य होगा कि विगत 4 वर्षो के दौरान कर्ज ली गयी निधि का 50 प्रतिशत से अधिक भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था। कर्जे के अधिकांश को राजस्व व्यय पर उपयोग एवं पूँजी सृजन पर जोर देने में अभाव के कारण कर्जे लेने की स्थिति, वृहत ब्याज बहिर्गमन, निम्न पूँजी निवेश एवं उच्च ऋण बोझ के द्वारा राजकोषीय दबाव की स्थिति को दर्शाता है।

1-9-6 jkT; ljdkj }kjk nh x;h xkjaVh;ksa

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थाओं इत्यादि द्वारा बढ़ाए गए खास दायित्त्वों, जैसे ऋणों की अदायगी, अंश पूँजी इत्यादि तथा उनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश का भुगतान के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटियाँ दी जाती हैं। वे राज्य के आकस्मिक दायित्त्व बन जाते हैं। ऐसी अधिकतम सीमा, जिसके भीतर राज्य के संचित निधि की प्रत्याभूति पर सरकार द्वारा गारन्टी दी जा सके, के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत् राज्य विधान मंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था। ऋण भुगतान, उन पर ब्याज का भुगतान एवं बकाया राशि के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियों से सम्बन्धित वर्ष 1997–98 से 2001–2002 की समाप्ति तक की स्थिति निम्नवत् थी :

o"k dh lekfIr ij fLFkfr	nh x;h xkjaVh dh jkf'k ¼dloy ey/ku½	cdk;k jkf'k	
		ey/ku	C;kt
	¼djkM #i;s e½		
1997–98	243.78	199.34	सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया
1998–99	190.17	962.28	
1999–2000	171.92	852.25	
2000–2001	39.95	624.43	
2001–2002	39.95	209.21	

ये गारन्टियाँ 4 सांविधिक निगमों/बोर्डो, 11 सरकारी कम्पनियों, 3 संयुक्त पूँजी कम्पनियों, 5 स्वायत्तशासी निकायों, 2 सहकारिता बैंकों एवं अनेक सहकारिता समितियों के लिए दी गयी थी। ऋणियों द्वारा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में दोषी होने की स्थिति में ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्त्व राज्य सरकार के जिम्मे आता।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.10.4 (अ) में यह उल्लेखित था कि गारन्टियों के निर्वहन में वर्ष 1990–98 के दौरान सरकार द्वारा 718.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। वर्ष 1998–99 के दौरान गारन्टियाँ निष्पादित करने हेतु भुगतान की राशि राज्य सरकार द्वारा बतायी नहीं गयी थी। वर्ष 1999–2001 के दौरार सरकार ने कुल 396.71 करोड़ रुपये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (मूलधन : 305.63 करोड़ रुपये एवं ब्याज : 62.22 करोड़ रुपये), बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (मूलधन : 4.23 करोड़ रुपये ; ब्याज : 0.70 करोड़ रुपये), बिहार राज्य वित्त निगम (मूलधन : 22.83 करोड़ रुपये) तथा बिहार राज्य आवास बोर्ड (ब्याज : 1.10 करोड़ रुपये) द्वारा 1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1998 की अवधि के लिए जारी किए गए बॉण्डों पर मूलधन के पुनर्भुगतान की गारण्टी एवं बकाये ब्याज भुगतान की जिम्मेवारी निभाने के लिए भुगतान किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2001–2002 के दौरान विद्युत बोर्ड द्वारा निर्गत बॉण्डों के निर्वहन के सम्बन्ध में (98.10 करोड़ रुपये) गारन्टियाँ दी गयी। ये भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं को ऋण के रूप में माने गए थे।

सरकार द्वारा वर्ष 1990–2002 के दौरान गारंटी निर्वहन पर किए गए अत्यधिक भुगतान (1212.98 करोड़ रुपये) को देखते हुए आने वाले वर्षों में भी लंबित गारंटी के पुनर्भुगतान के लिए काफी अधिक राशि के दायित्त्वों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1-10 ykd _.k

1-10-1 भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य के विधानमंडल के अध्यादेश द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए उन निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत राज्य की संचित निधि के प्रत्याभूति पर भारतीय भू–भाग के अन्तर्गत एक राज्य उधार ले सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी सीमा निर्धारण हेतु कोई कानून पारित नहीं किया गया था।

विगत पाँच वर्षों की समाप्ति पर राज्य सरकार के कुल दायित्त्वों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है। वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकार ने 8.79 प्रतिशत के प्रभावी औसत वार्षिक ब्याज दर पर खुले बाजार से 1116 करोड़ रुपये उधार लिया

था। वर्ष 2001–2002 के दौरान लोक ऋण में 3134 करोड़ रुपये एवं अन्य दायित्त्वों में 306 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि हुई थी।

¼djkM+ #i;s esa½

o"kZ	vkUrfjd _.k	dsUnz ljdkj ls _.k ,oa izkfIr;k¡	dqy ykd _.k	vU; nkf;Ro@	dqy nkf;Ro	th-,l-Mh- ih- ls _.k dk vuqikr
1997–98	4676	11061	15737	7525	23262	33
1998–99	5395	13375	18770	8056	26826	40
1999–2000	5582	15862	21444	9169	30613	42
2000–01	7097	11243	18340	10104	28444	58
2001–02	9682	11792	21474	10410	31884	63

हालाँकि लेखा में वर्णित बिहार सरकार के दायित्त्वों में सेवारत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को भुगतेय पेंशन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् के अन्य लाभ, राज्य सरकार द्वारा निर्गत गारन्टीयाँ/लेटर ऑफ कम्फोर्ट इत्यादि शामिल नहीं हैं। तीव्रता से बढ़ रहे पेंशन दायित्त्व को भविष्य में पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कोई कोष नहीं बनाया हैं।

बाजार कर्ज, जिसका वर्ष के दौरान औसतन प्रभावी ब्याज दर 8.79 प्रतिशत था, वित्त व्यवस्था का सबसे सस्ता स्रोत था, फिर भी राज्य सरकार ने 11.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 1532.96 करोड़ रुपये एवं 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से भारत सरकार से 1076.65 करोड़ रुपये उधार लिया। 31 मार्च 2002 को राज्य सरकार के वर्तमान बाजार कर्ज का 77 प्रतिशत 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक ब्याज दर पर था। इस प्रकार, वर्तमान में बाजार से जिस दर पर संसाधन उगाही करने में वे समर्थ हैं उससे अधिक पर पूर्व में लिए गए उधार के कर्जे की प्रभावी लागत थी। मार्च 2002 को राज्य सरकार के बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि कुल बाजार ऋण के 28.54 प्रतिशत को आगामी पाँच वर्षों में वापस करना है जबकि शेष ऋणों को 5 से 10 वर्षों के भीतर वापस करना है।

1-10-2 लोक ऋण के माध्यम से इकट्ठा की गयी निधि की रकम, पुनर्भुगतान की रकम एवं उपलब्ध निवल निधि निम्नलिखित तालिका में दी गयी है :

	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&01	2001&2002
	¼ djkM+ #i;s esa½				
आन्तरिक ऋण सहित अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट					
– प्राप्तियाँ	717	734	3503	5414	8504
– पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	500	596	4025	4359	6821
– उपलब्ध निवल निधि	217	138	(–)520	1055	1683
प्रतिशत	30	19	(–) 15	19	20
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ					
– वर्ष के दौरान प्राप्ति	1792	2809	3046	1246	1077
– पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	1562	1792	2180	2264	1926
– उपलब्ध निवल निधि	230	1017	866	(–)1018	(–)849
प्रतिशत	13	38	28	(–)82	(–)79

@ *लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधि एवं जमा।*

	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&01	2001&2002
	¼djkM #i;s e½				
अन्य दायित्त्व					
– वर्ष के दौरान प्राप्ति	2385	2503	3019	3059	2875
– पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	2263	2511	2445	2580	2898
– उपलब्ध निवल निधियाँ	122	(–)8	574	479	(–)23
(प्रतिशत)	5	(–)0.31	19	16	(–)0.8

यह द्रष्टव्य होगा कि ऋण एवं ब्याज भुगतान के पुनर्अदायगी को पूरा करने के लिए लोक ऋण का लगभग 93.5 प्रतिशत खपत हो चुका था एवं राज्य सरकार के पास पूँजी सृजन के लिए मात्र 6.5 प्रतिशत उपलब्ध थे। यह समझते हुए कि बकाया ऋण वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रहा है लोक कर्जे के माध्यम से निधि की निवल उपलब्धता आगे घटती जा रही है।

1-10-3 dsUnz ljdkj ls _.k ,oa i'kfx;k

विगत पाँच वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों की स्थिति निम्नानुसार थी :

o"kZ	o"kZ ds nkjku of)	_.k $ C;kt dh okilh		;kx	fuoy vUrokg	LrEHk 5 dk LrEHk 2 ls ifr'krrk
		eyèku	C;kt			
1	2	3	4	5	6	7
	¼djkM #i;s e½					
1997–98	1791.80	470.04	1092.07	1562.11	229.69	87
1998–99	2808.93	499.51	1292.27	1791.78	1017.15	64
1999–2000	3045.97	558.85	1621.64	2180.49	865.48	72
2000–2001	1245.66	550.63	1713.03	2263.66	(–)1018.00	182
2001–2002	1076.66	528.23	1397.54	1925.77	(–) 849.11	179

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि राज्य कर्जे के एक जाल में फँसा हुआ है क्योंकि ऋण के मूलधन एवं उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए ही यह उधार ले रहा है।

1-11 foÙkh; fØ;kdyki dk lpd

1-11-1 सरकार या तो अपनी किसी वर्त्तमान गतिविधि को कायम रखने या अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। गतिविधि के वर्त्तमान स्तर को कायम रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय स्रोत किस हद तक सुदृढ़ है। इसी प्रकार सरकार अगर अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्त प्रदान करने के साधन की नम्यता एवं अन्ततः प्रक्रिया के दौरान सरकार की बढ़ी हुई योजना का परीक्षण आवश्यक रूप से करना चाहिए। सभी राज्य सरकारें अपनी गतिविधि के स्तर में वृद्धि मूलतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जारी रखती है जो वार्षिक विकास योजनाओं का रूप लेती है एवं राज्य बजट में शामिल की जाती है। विस्तृत रूप में यह कहा जा सकता है कि गैर–योजना व्यय सरकार के वर्त्तमान गतिविधि के स्तर को कायम रखने का द्योतक है, जबकि योजना व्यय गतिविध के विस्तार को सुनिश्चित करती है। सरकार की बढ़ती हुई भेद्यता की स्थिति में इन दोनों गतिविधियों में संसाधन बढ़ाना अपेक्षित है। संक्षेप में सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता, भेद्यता एवं नम्यता के नाम से वर्णित किया जा सकता है। ये शब्द निम्नानुसार परिभाषित किए जाते है :

¼i½ l/n<rk

सुदृढ़ता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्त्तमान कार्यक्रमों को कायम रख सकती है एवं ऋण बोझ को बढ़ाए बगैर वर्तमान कर्जदाता के आवश्यकताओं को पूरा करती है।

¼ii½ uE;rk

नम्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार, की गयी वचनबद्धता की अनुक्रिया में या तो अपने राजस्व या अपने ऋण बोझ में वृद्धि लाते हुए अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ा सकती है।

¼iii½ Hkn;rk

भेद्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार पराश्रित हो जाती है एवं इस प्रकार वित्त प्रदान करने के लिए घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों, जो इसके नियंत्रण या प्रभाव से बाहर हो जाता है, के लिए भेद्य हो जाता है।

¼iv½ ikjnf'kZrk

सरकार के अपने वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) तथा लेखे द्वारा प्रदत्त वित्तीय सूचना भी एक विषय है। बजट के संबंध में, बजटीय प्रक्रिया दर्शाते हुए सामयिक प्रस्तुतिकरण तथा आकलनों की शुद्धता मुख्य पैमाने हैं। जहाँ तक लेखे का संबंध है, उपस्थापन में सामयिकता, जिसके दृष्टांत मौजूद हैं तथा लेखे की पूर्णता मुख्य कसौटी होंगें।

1-11-2 वित्त लेखे में उपलब्ध सूचना का उपयोग सुदृढ़ता, नम्यता एवं भेद्यता व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एवं उसे खास सूचकांक/अनुपातों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसी सूचकांकों/अनुपातों की सूची परिशिष्ट–I एवं IV में दी गई है। प्रदर्श–V वर्ष 1997 से 2002 की अवधि के दौरान इन सूचकांकों/अनुपातों के आचरण को दर्शाता हैं।

1-11-3 राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति की दशा के लिए इन सूचकांकों/अनुपातों की सार्थकता पर परवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

çn'k & v

fcgkj ljdkj dk foÙkh; lpd

	1997&98	1998&99	1999&2000	2000&2001	2001&2002
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
lqn<rk					
बी.सी.आर. (करोड़ रुपये में)	(–)43.74	(–)1452	(–)3418.00	(–)2387	(–)1242
प्रारम्भिक घाटा (पी.डी.) (करोड़ रुपये में)	177.55	1247	3129.00	934	(–)46
ब्याज अनुपात	0.21	0.25	0.27	0.28	(–)0.27
पूँजीगत परिव्यय / पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.23	0.24	0.37	0.25	0.23
dy dj ikfIr;k@ th-,l-Mh-ih-	0.11	0.11	0.11	0.19	0.17
राज्य कर प्राप्तियाँ / जी.एस.डी.पी.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
निवेश पर प्रतिफल अनुपात	शून्य	शून्य	नगण्य	नगण्य	शून्य
uE;rk					
ch-lh-vkj- ¼djksM #i;s e½	(–)43.74	(–)1452	(–)3418	(–)2387	(–)1242
पूँजीगत अदायगी / पूँजीगत कर्ज	0.21	0.14	0.23	0.19	0.17
राज्य कर प्राप्तियाँ / जी.एस.डी.पी.	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05
ऋण / जी.एस.डी.पी.	0.42	0.40	0.42	0.58	0.63
Hkn;rk					
राजस्व घाटा (आर.डी.) (करोड़ रुपये में)	1052	2267	3703	2330	1320
राजकोषीय घाटा (एफ.डी.) (करोड़ रुपये में)	2239	3659	5996	4076	2583
प्रारंभिक घाटा (पी. डी.) (करोड़ रुपये में)	178	1247	3129	934	(–)46
पी.डी. / एफ.डी.	0.08	0.34	0.52	0.23	(–)0.02
आर.डी. / एफ.डी.	0.47	0.62	0.62	0.57	0.51
लम्बित गारंटियाँ / राजस्व प्राप्तियाँ	0.02	0.10	0.08	0.06	0.02
परिसम्पत्तियाँ / दायित्त्व	0.77	0.73	0.64	0.73	0.72

¼i½ pkyw jkt Lo lq 'k"k ¼ch-lh-vkj-½

राजस्व प्राप्तियाँ घटाव योजना सहायता अनुदान घटाव गैर–योजना राजस्व व्यय को बी.सी.आर. के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक घनात्मक बी.सी.आर. दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय को पूरा करने के लिए उसके राजस्व से अधिशेष है। तालिका दर्शाती है कि राज्य सरकार को सभी पाँच वर्षों में चालू राजस्व से अधिशेष नहीं था। वर्ष 2001–2002 में ऋणात्मक बी.सी.आर. हालाँकि राज्य बँटवारें के कारण पूर्व के वर्ष से 48 प्रतिशत घटा हुआ था। सरकार को अपने समस्त योजना व्यय मात्र को ही पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था अपितु, चालू राजस्व में पर्याप्त अन्तर को पाटने के लिए भी कर्जा पर निर्भर रहना पड़ता था।

¼ii½ C;kt vuqikr

ब्याज अनुपात जितना ही उच्चतर होगा, सरकार को कोई नयी ऋण देने एवं अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। बिहार के मामले में वर्ष 1997–2001 के दौरान अनुपात तीव्रता से बढ़कर 0.21 से 0.28 हो गया है। वर्ष 2001–2002 के दौरान अनुपात घटकर 0.27 हो गया। इसके परिणामस्वरूप इसके परिचालन से सुदृढ़ता की प्रक्रिया आधातित करते हुए राजस्व व्यय (चालू वर्ष में राजस्व व्यय का 24 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर संगणित किया गया था) में वृद्धि हुई एवं कर्ज बढ़ गया।

¼iii½ iwath ifj0;;@iwath izkfIr;k

यह अनुपात दर्शाएगा कि पूँजीगत प्राप्तियों को किस हद तक पूँजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। एक से कम का अनुपात दीर्घ काल में तब तक दृढ़ नहीं रहेगा जब तक यह इंगित होता रहे कि पूँजीगत प्राप्ति के एक हिस्से को अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिये विचलन किया जा रहा हैं। इसके विपरीत, एक से अधिक का अनुपात इंगित करेगा कि राजस्व अधिशेष से ही पूँजीगत निवेश किए जा रहे हैं। इस अनुपात के प्रवृति का विश्लेषण राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन को आलोकित करेगा। बढ़ती हुई प्रवृति का अर्थ, प्रदर्शन में सुधार होगा। बिहार के मामले में, अनुपात हमेशा से ही एक से कम रहा है और वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान 0.23 एवं 0.24 के मध्य तक नीचे रहा है, वर्ष 1999–2000 में 0.37 तक बढ़ गया एवं तीव्रता से नीचे घटकर वर्ष 2000–2001 में 0.25 तथा वर्ष 2001–2002 में 0.23 हो गया जो संसूचित करता है कि पूँजीगत प्राप्तियों का 63 से 77 प्रतिशत निवेश के इतर अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया था। यह समझते हुए कि राज्य सालों भर अत्यधिक राजस्व घाटा की स्थिति में रहा था, अल्प अनुपात ही बताएगा कि सरकार का पूँजीगत व्यय कुल व्यय के करीब 5 से 7 प्रतिशत पर क्यों स्थिर था।

¼iv½ dj jktLo cuke ldy jkT; ?kjsyw mRikn ¼th-,l-Mh-ih-½

कर प्राप्तियों में राज्य कर एवं केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा शामिल है। राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगतित केन्द्रीय करों के रूप में भी परवर्ती को समझा जा सकता है। कर प्राप्तियाँ सुदृढ़ता का संकेत देती हैं लेकिन साथ ही साथ कर प्राप्तियों के जी.एस. डी.पी. से अनुपात का आशय नम्यता के लिए भी लेना चाहिए। जबकि कम अनुपात का अर्थ होगा कि सरकार और कर लगा सकती है एवं इस प्रकार इसकी नम्यता होगी, एक उच्च अनुपात वित्तीय साधन की सीमा को ही नहीं अपितु उसकी नम्यता को भी सूचित करता है। जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात भी वर्ष 1997–98 से 2000–2001 के दौरान 0.04 पर तथा वर्ष 2001–2002 में 0.05 पर स्थिर रहा। जी. एस. डी. पी. से राज्य कर का कम अनुपात होना संकेत देता है कि सरकार अपने कर आधार को सुधारने में कारगर कदम उठाने में विफल रही। बकाये करों के संग्रहण में भी सुधार नहीं हुआ है।

¼v½ fuo'k ij ifrQy ¼vkj- vk- vkb-½

पूँजीगत लागत से उपार्जन का अनुपात आर.ओ.आई. कहलाता है। एक उच्च आर.ओ. आई. सुदृढ़ता का द्योतक है। सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी

कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में सरकार के निवेश से प्रतिफल को तालिका प्रस्तुत करती है। अधिकतर निवेश उनके घाटा को वित्त प्रदान करने में चला जाता था एवं इस प्रकार निवेश से प्रतिफल नगण्य स्तर पर रहता था।

¼vi½ ijhxr vnk;xh cuke ijhxr dt

यह अनुपात दर्शाता है कि कर्जे, पूँजीगत अदायगी के बाद किस हद तक निवेश के लिए उपलब्ध है। अनुपात जितना निम्नतर होगा निवेश के लिए पूँजी की उपलब्धता उतनी ही उच्चतर होगी। बिहार सरकार के मामले में यद्यपि यह अनुपात वर्ष 1997–98 के 0.21 से घटकर वर्ष 2001–02 में 0.17 हो गया, हालाँकि अदायगियाँ अभी तक आरंभ नहीं हुई थी फिर भी बढ़े हुए कर्ज के कारण मुख्यतः निधि की उपलब्धता के चलते ऐसा हुआ था।

¼vii½ _.k cuke ldy jkT; ?kjyw mRikn ¼th ,l Mhih½

जी एस डी पी राज्य सरकार के कुल आन्तरिक संसाधन का आधार है जिसे ऋण सेवा पर उपयोग किया जा सकता हैं। ऋण/जी एस डी पी के अनुपात में वृद्धि का अर्थ होगा कि अपने ऋण दायित्त्वों का निर्वाह करने में सरकार की सामर्थ्य घट रही है एवं इस प्रकार कर्जदार के लिये जोखिम बढ़ रहा है। बिहार के मामले में वर्ष 1998–99 तक यह अनुपात लगभग 0.40 एवं वर्ष 1999–2000 में 0.42 के उच्च स्तर पर रहा एवं वर्ष 2000–2001 में भी 0.58 के उच्च स्तर पर तथा वर्ष 2001–2002 में 0.63 के उच्च स्तर तक रहा जो दर्शाता था कि अत्यधिक कर्ज राशि को अवलम्ब देने के कारण राज्य के संसाधन पर दबाव था। जब तक कर्ज को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक आने वाले वर्षों में बाद के कर्ज कष्टदायी होंगे क्योंकि राज्य अपने निवेशों से राजस्व पैदा करने में विफल था एवं इसकी परिसम्पत्तियाँ अनुत्पादक रही।

¼viii½ jktLo ?kkVk@jkt dk"kh; ?kkVk

राजस्व प्राप्तियाँ से अधिक राजस्व व्यय होना राजकोषीय घाटा है एवं दर्शाता है कि राजस्व व्यय कर्ज इत्यादि के द्वारा वित्त प्रदत्त है। स्पष्टतः जितना ही अधिक राजस्व घाटा होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होगी। चूँकि राजकोषीय घाटा सम्पूर्ण कर्जे का सूचक है, राजकोषीय घाटा के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा इंगित करेगा कि सरकार के कर्जे का उपयोग किस हद तक गैर उत्पादन राजस्व व्यय को वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनुपात जितना ही उच्चतर होगा राज्य की स्थिति उतनी ही बद्तर होगी क्योंकि वह इंगित करेगा कि राज्य की अदायगी की सामर्थ्य में वृद्धि हुये बिना ही ऋण बोझ बढ़ रहा हैं। वर्ष 1997–2000 के दौरान अनुपात द्रुत गति से बढ़कर वर्ष 1997–98 के 0.47 से वर्ष 2000–2001 में 0.57 तथा वर्ष 2001–2002 में 0.51 पर चला गया। यह इंगित करता है कि अन्य प्रयोजनों हेतु निवेश के लिए बहुत कम राशि छोड़ते हुए कर्ज ली गयी निधि का लगभग आधा भाग राजस्व व्यय पर लगाए गये।

¼ix½ ikjfHkd ?kkVk cuke jkt dk"kh; ?kkVk

राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान प्रारंभिक घाटा होता है। इसका अर्थ है कि अनुपात का मान जितना ही कम होगा, पूँजीगत निवेश के लिए निधि की उपलब्धता

उतनी ही कम होगी। बिहार सरकार के मामले में इस अनुपात में वर्ष 1997–2000 में स्थिति थोड़ी सुधरी जबकि ऋण ली गयी निवल निधि का क्रमशः 92, 66 एवं 48 प्रतिशत ब्याज भुगतान के लिए लेखाबद्ध किया गया था। वर्ष 2000–2001 में स्थिति पुनः बिगड़ी जब ब्याज भुगतान (3142 करोड़ रुपये) उधार ली गयी शुद्ध निधि (2721 करोड़ रुपये) से काफी अधिक था। वर्ष 2001–2002 में अनुपात ऋणात्मक था क्योंकि राजकोषीय घाटा (2583 करोड़ रुपये) से 46 करोड़ रुपये अधिक का ब्याज भुगतान (2629 करोड़ रुपये) था। ब्याज भुगतान का बोझ अधिक रहना जारी था।

¼x½ xkjUVh cuke jkt Lo izkfIr;k

सरकार द्वारा निर्गत लेटर ऑफ कम्फोर्ट सहित लम्बित गारंटियाँ किसी राज्य सरकार के जोखिम की बात को इंगित करता है एवं इसलिए सरकार की भुगतान क्षमता के साथ–साथ उसकी राजस्व प्राप्तियों से तुलना होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ से कुल लम्बित गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार की भेद्यता के स्तर को संसूचित करेगा। बिहार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1998–99 के 0.10 से घटकर 2001–2002 में 0.02 हो गया था। हालाँकि लम्बित गारंटियों के आँकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि सहकारिता समितियों इत्यादि के विरूद्ध कुल लम्बित गारन्टियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं किए गए थे। चूँकि सरकार को अत्यधिक राशि गारंटी चुकाने पर खर्च करना पड़ता है, भारी लम्बित गारंटियों की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार गारंटियों के कारण दायित्त्व का परिमाण एवं राजकीय राजस्व पर जोखिम का खतरा ज्ञात नहीं है।

¼xi½ ifjlEifÙk;k cuke nkf;Ùo

यह अनुपात सरकार के ऋण चुकाने की योग्यता को सूचित करता है। एक से अधिक का अनुपात सूचित करेगा कि सरकार को ऋण चुकाने की (दायित्त्वों से परिसम्पत्तियाँ अधिक है) योग्यता है, जबकि एक से कम का अनुपात प्रतिकूलता की सूचक होगी। यह अनुपात क्रमिक रूप से घटते हुए वर्ष 1997–98 के 0.77 से गिरकर 2001–2002 में 0. 72 हो गया। यह राज्य सरकार की सम्पन्नता में कमी जारी रखने को इंगित करता है। नए राज्य झारखण्ड को परिसम्पत्तियों का बँटवारा किए जाने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

¼xii½ ctV

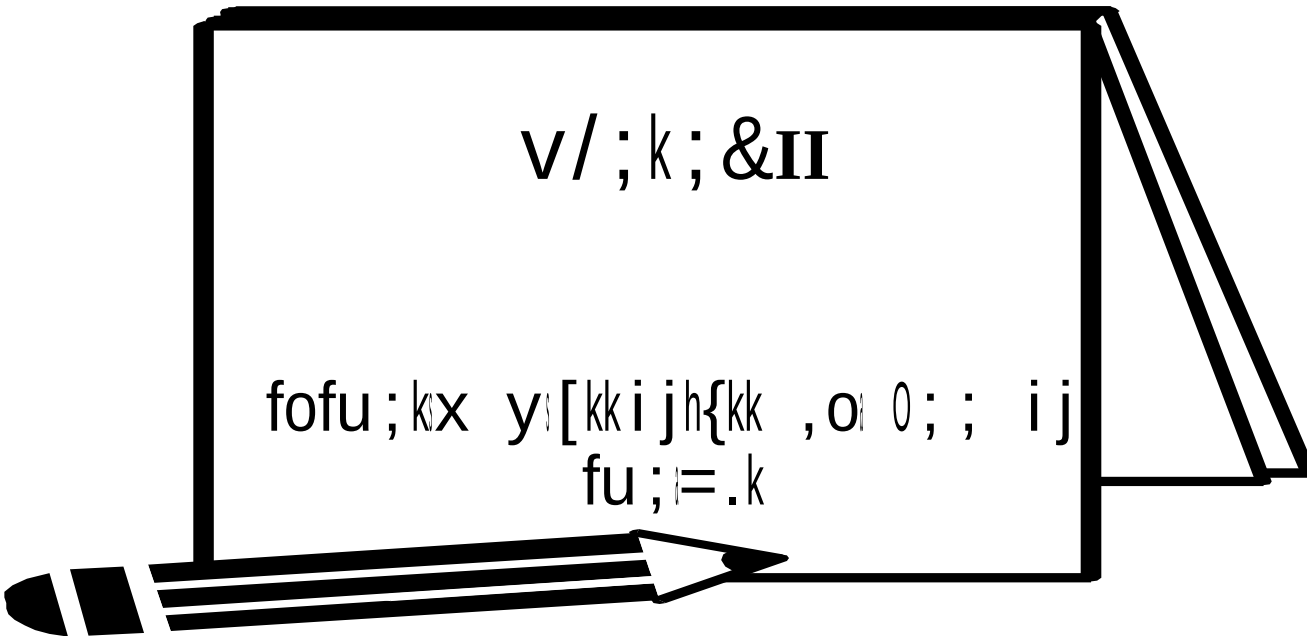
बजट को उपस्थापित करने एवं उन्हें अनुमोदित करने में विलम्ब नहीं किया गया था। इस प्रतिवेदन के अध्याय–II में बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय में विविधता तथा बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की गुणवत्ता का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बजट बनाने में त्रुटि एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को यह इंगित करता है, जैसा कि प्रतिवर्ष यथेष्ट राशि का निरन्तर पुनर्ग्रहण (अभ्यर्पण) के साथ–साथ अन्तिम संशोधित अनुदान के द्वारा स्पष्ट था। वर्ष 2001–2002 के दौरान कुल बजटीय निधि का 17 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया था (बचत) जो बजट की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है। पुनः वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए पूरक प्रावधान मूल आकलन का 37 प्रतिशत था जिससे अविश्वसनीय एवं गलत बजट निर्माण का संकेत मिलता है।

½xiii½ y[kk

बिहार सरकार आदतन बहुत महीनों तक लेखा में विलम्ब किया जिसके कारण इसका वार्षिक लेखा समय पर संकलित नहीं हो सका। वर्ष 2001–2002 के दौरान कोषागार एवं लोक निर्माण तथा वन प्रमण्डल जैसी अन्य लेखाकरण इकाईयाँ नियत तिथियों पर लेखा समर्पित नहीं करते थे। उदाहरणस्वरूप मार्च 2002 का लेखा देने में 13 कोषागारों, 85 लोक निर्माण प्रमण्डलों तथा 30 वन प्रमण्डलों द्वारा 30 एवं 90 दिनों के मध्य का विलम्ब किया गया था। फलस्वरूप वर्ष के अधिकांश महीनों में व्यय के वास्तविक स्तर को लेखा नहीं दर्शा पाया।

1-11-4 fu"d"k

उपरोक्त विश्लेषण दर्शाता है कि वर्ष 1997–2001 के दौरान सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सरकार की गम्भीर वित्तीय स्थिति चालू वर्ष में और भी बद्तर हो गयी। पूर्ववर्ती वर्षों में अविवेकपूर्ण एवं अनुचित बाजार कर्जे एवं उनके अनुत्पादक निवेश के कारण असहाय्य ब्याज भार और निवेश से तुच्छ प्रतिफल मिला।


v/;k;&II
fofu;kx y[kkijh{kk ,oa 0;; ij
fu;a=.k

v/;k;&II

fofu;kx y[kkijh{kk ,oa 0;; ij fu;a=.k

fofu;kx Yk[k dk lkjk'k 2001&2002

fofu;kx Yk[k

vuqnkuksa dh dy lwph % 47

fofu;kxksa dh dy lwph % 05

dy izko/kku ,oa okLrfod 0;;

izko/kku	jkf'k (djksM+ #ik;s esa)	0;;	jkf'k (djksM+ #ik;s esa)
मूल	16599.02		
अनुपूरक	6126.33		
कुल सकल प्रावधान	22725.35	कुल सकल व्यय	18882.33
व्यय की कमी में प्राक्कलित वसूलियाँ घटायें	–	व्यय की कमी में वास्तविक वसूलियाँ घटायें	–
dy 's k) izko/kku	22725-35	dy 's k) 0;;	18882-33

nRrer ,oa Hkkfjr izko/kku ,oa 0;;

	izko/kku		0;;	
	nRrer	Hkkfjr	nRrer	Hkkfjr
	¼djksM+ #i;s esa½			
राजस्व	10481.74	2784.01	8509.78	2650.07
पूँजीगत	2368.27	7091.33	1276.20	6446.78
ldy ;kx	12850-01	9875-34	9785-48	9096-85
घटायें–व्यय की कमी में वसूलियाँ	–	–	–	–
dy 's k)	12850-01	9875-34	9785-48	9096-85

fofu;kx y[kk ijh{kk ,oa 0;; ij fu;a=.k

2-1 iLrkouk

सरकार द्वारा विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत राशि की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक रूप से किए गए व्यय की राशि का विवरण दर्शाते हुए प्रति वर्ष विनियोग लेखे तैयार किये जाते हैं।

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किए गए वास्तविक व्यय विनियोग विधेयक के तहत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं या नहीं तथा व्यय, जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत भारित होने की आवश्यकता है, भारित किया गया है या नहीं, को आंकना विनियोग लेखा परीक्षा का उद्देश्य है। वो यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय कानून, सम्बद्ध नियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों के साथ सम्मत है अथवा नहीं।

2-2- fofu;kx y[kk dk lkjka'k

वर्ष 2001–2002 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार थी :

	0;; dh izdfr	ey vuqku@ fofu;kx	ijd vuqku@ fofu;kx	;kx	okLrfod 0;;	cpr (-)@ vkf/kD; (+)
		(djksM+ #i;s esa)				
दत्तमत	(i) राजस्व	10153.82	327.92	10481.74	8509.28	(-)1972.46
	(ii) पूँजीगत	1475.75	218.56	1694.31	742.48	(-)951.83
	(iii) ऋण एवं पेशगियाँ	609.14	64.82	673.96	533.72	(-)140.24
dqy nRrer		**12238.71**	**611.30**	**12850.01**	**9785.48**	**(-)3064.53**
भारित	(iv) राजस्व	2769.30	14.71	2784.01	2650.07	(-)133.94
	(v) पूँजीगत				–	
	(vi) लोकऋण	1591.01	5500.32	7091.33	6446.78	(-) 644.55
dqy Hkkfjr		**4360.31**	**5515.03**	**9875.34**	**9096.85**	**(-)778.49**
dqy ;kx		**16599.02**	**6126.33**	**22725.35**	**18882.33**	**(-)3843.02***

* 20.71 करोड़ रुपये का व्यय, जिसके अभिश्रव महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) को प्राप्त नहीं हुए थे एवं राज्य के समेकित निधि में राशि का लेखाकरण नहीं हो पाया था, को छोड़कर तथा 53.00 करोड़ रुपये का व्यय, जो सार आकस्मिकता विपत्र पर निकासी किए गए थे एवं इनके लिए विस्तृत आकस्मिकता विपत्र उपस्थापित नहीं किए गए थे तथा 30.96 करोड़ रुपये जमा शीर्ष के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिए गये थे, सहित।

2-3 fofu;kx y[kk ijh{kk dk ifj.kke

2-3-1 3843.02 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 17 प्रतिशत) की समग्र बचत, अनुदानों के 47 मामलों एवं विनियोगों के 8 मामलों में हुए 9190.03 करोड़ रुपये की बचत एवं 1 अनुदान (15–पेंशन) और 1 विनियोग (14–ऋण की अदायगी) के 5347.01 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। कुल बचत में 2106 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत), 952 करोड़ रुपये (25 प्रतिशत) तथा 785 करोड़ रुपये (20 प्रतिशत) क्रमशः राजस्व, पूँजीगत एवं ऋण तथा अग्रिम एवं लोक ऋण लेखा से सम्बन्धित थे। 5347.01

करोड़ रुपये के आधिक्य में से 491.24 करोड़ रुपये को संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमित करना अपेक्षित था, जैसा कि परिशिष्ट V में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान अधिक पेंशन का भुगतान होने के कारण ऐसा हुआ था। 2504 करोड़ रुपये के बचत के लिए संबंधित विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

2-3-2 वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया पूरक प्रावधान मूल बजट प्रावधान का 36.91 प्रतिशत था जब कि गत वर्ष में यह 34.65 प्रतिशत था।

2-3-3 अक्टूबर 2001 एवं मार्च 2001 के मध्य 50 मामलों में प्राप्त किये गये (परिशिष्ट VI) 464.43 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुए थे। 4 अन्य मामलों में (परिशिष्ट VII) मात्र 50.75 करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, जबकि 135.40 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान प्राप्त किए गये थे, फलतः प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रुपये से अधिक था।

2-3-4 एक मामले (अनुदान सं.–15–पेंशन) में 0.95 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे 490.29 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय छुटे रह गए ।

2-3-5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल द्वारा विनियमित कराना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, वर्ष 1977–78 से वर्ष 2001–02 तक के कुल 7457.47 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय को विधान मंडल द्वारा विनियमित नहीं कराने (अगस्त 2002) से सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने में विफल रही, जैसा नीचे विवरणित है :

o"k	vunkuk@ fofu;kx dh l[;k	vunku@fofu;kx la	vkf/kD; dh jkf'k	jkf'k ftldh fy, ih-,-lh-dk Li"Vhdj.k ugh fn;k x;k Fkk
			¼djksM #i;ksa esa½	
1977-78	4	4,5,9,24	14.51	14.51
1978-79	4	4,9,17,27	31.11	31.11
1979-80	4	3,4,6,17	34.50	34.50
1980-81	7	4,6,8,10,12,16,17	27.92	27.92
1981-82	14	1,3,4,8,9,10,11,12,13,15,16, 17, 21,24	80.30	80.30
1982-83	5	6,8,12,16,22	5.25	5.25
1983-84	4	6,9,11,12	227.36	227.36
1984-85	4	3,4,8,14	2.66	2.66
1985-86	4	4,8,10,13	15.17	15.17
1986-87	3	4,6,13	87.43	87.43
1987-88	13	1,4,5,9,12,14,18,19,25,31, 38,42, 48	420.66	420.66
1988-89	6	4,9,12,18,25,38	166.92	166.92
1989-90	6	4,18,25,27,38,45	228.65	228.65
1990-91	8	12,18,36,37,38,42,43,47	330.07	330.07
1991-92	8	1,4,6,11,12,18,38,43	1228.67	1228.67
1992-93	6	1,4,12,18,25,38	1462.10	1462.10
1993-94	4	12,18,25,37	702.17	702.17
1994-95	2	12,37	318.23	318.23
1995-96	5	4,12,25,36,37	405.08	405.08
1996-97	6	4,12,20,23,36,37	256.38	256.38
1997-98	4	4,7,12,15	12.19	12.19
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-2000	5	10,13,14,40,50	196.23	196.23
2000-01	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001-02	1	15	491.24	491.24
	;kx		**7457.47**	**7457.47**

2-3-6 प्रत्येक 44 मामलों में, जैसा कि परिशिष्ट VIII में दर्शाया गया है, व्यय में 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी।

2-3-7 प्रत्येक 51 मामलों में सतत् 2 करोड़ रुपये से अधिक एवं कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक की बचतें पायी गयी थीं (द्रष्टव्य परिशिष्ट IX)।

2-3-8 ub lok@lok dk u;k lk/ku ij 0;;

जिस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणी (अर्थात बजट) में ''नई सेवा'' पर व्यय को शामिल नहीं किया गया हो तथा ''सेवा के नए साधन'' पर व्यय को विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत होना आवश्यक है। राज्य लोक लेखा समिति ने अपने 30वें प्रतिवेदन में ''नई सेवा'' के रूप में व्यय की गणना करने के लिए मुद्रा सीमा की अनुशंसा की थी (जिसे राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1971 में स्वीकार कर लिया गया)। विधान मंडल द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन मामलों को कर्मचारी की संख्या में वृद्धि, अतिरिक्त कार्य, अनुदान एवं अंशदान (वर्त्तमान उद्देश्यों के लिए) ब्याज सहित ऋण एवं पेशगियाँ जो बजट में किए गए प्रावधानों में शामिल नहीं हो, सरकार द्वारा समय–समय पर गठित समिति तथा वेतनमान में संशोधन, जिसके लिए पृथक मानदण्ड विहित है, पर होने वाले व्यय को छोड़कर) 'नई सेवा' के रूप में समझा जाना है, जो व्यय पूर्व के दत्तमत्त अनुदान से दो गुणा अधिक या 2 लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो, रहे। एक मामले में विधानमंडल का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही प्रावधान से अधिक, मूल प्रावधान से दो गुणा से अधिक जिन्हें ''नई सेवा''/''नए सेवा के साधन'' समझा जाना था, कुल 1.90 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। विवरण परिशिष्ट–X में दिए गऐ हैं। 2 मामलों में बजट प्रावधानों के बिना कुल 30.24 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था, (द्रष्टव्य परिशिष्ट–XI) ।

2-3-9 ogr cpr vH;fir ugh dh x;h

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जब कभी भी बचतें पूर्वानुमानित हो, व्यय करने वाले विभागों द्वारा वित्त विभाग को अनुदानों/विनियोगों या उसके भाग अभ्यर्पित कर दिये जाने थे। हालाँकि वर्ष 2001–2002 के अंत में राजस्व खण्ड के 26 अनुदानों एवं 3 विनियोगों तथा पूँजी खण्ड के 14 अनुदानों में, जिनमें प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक के 1884.51 करोड़ रुपये की वृहत बचत थीं, को विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया था (द्रष्टव्य परिशिष्ट XII)।

3843.02 करोड़ रुपये (शुद्ध) के कुल बचत के विरुद्ध वर्ष 2001–2002 के दौरान केवल 2446.46 करोड़ रुपये ही अभ्यर्पित किए गए जिसमें से 2446.44 करोड़ रुपये (लगभग 100 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के केवल अंतिम दिन किया गया। यह दर्शाता था कि विभागीय पदाधिकारी समुचित बजट नियंत्रण रखने में विफल थे।

2-3-10 vuqfpr@vf/kd vH;i.k

बिहार बजट नियमावली के नियम 135 के प्रावधानों के तहत जब भी अभ्यर्पण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, नियंत्रण अधिकारी को, उसके द्वारा अभ्यर्पित की जा सकनेवाली राशि का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर ही रखने का लक्ष्य होना चाहिए।

अनुदान सं. 38 – निबंधन विभाग में 1.34 करोड़ रुपये के उपलब्ध बचत के विरूद्ध 3.91 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण किया गया था। 22 मामलों में वास्तविक व्यय संशोधित

अनुदान से बहुत अधिक था जिससे 162.50 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण अनुचित/अधिक साबित हुआ (द्रष्टव्य परिशिष्ट–XIII)।

2-3-11 39 ifr'kr 0;; dk feyku ugh fd;k x;k Fkk

वित्तीय नियमावली के अनुसार आवश्यक है कि व्यय के विभागीय आंकड़ों को महालेखाकार की बही में दर्ज आंकड़ों के साथ अवधिक तौर पर विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा मिलान किया जाए। उच्चतम स्तर के अधिकारियों से बारंबार स्मार के बावजूद वर्ष 2001–2002 के दौरान 122 नियंत्री पदाधिकारियों ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक 1650 अदद विनियोग के अन्तर्गत लगभग 7290 करोड़ रुपये के कुल व्यय की राशि का मिलान नहीं किया था। मिलान नहीं किए गए व्यय कुल व्यय का 39 प्रतिशत होता था।

वर्ष 1999–2000 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं पूर्ववर्त्ती प्रतिवेदनों में भी विभागीय आँकड़ों का मिलान नहीं किए जाने एवं मिलान की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के बावजूद भी नियंत्री पदाधिकारियों की ओर से इस सम्बन्ध में उदासीनता बनी रही एवं वर्ष 2001–2002 के दौरान भी व्यय पर विभागीय नियंत्रण में शिथिलता जारी रही। राशियों का विभाग–वार विवरण, जिनका वर्ष 2001–2002 के दौरान मिलान नहीं हुआ था, परिशिष्ट–XIV के अनुसार थे।

यह पाया गया कि 7290 करोड़ रुपये के कुल मिलान नहीं की गई राशि में से 7037 करोड़ रुपये, मानव संसाधन विकास विभाग (2425 करोड़ रुपये) वित्त विभाग (2295 करोड़ रुपये), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग (432 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास विभाग (387 करोड़ रुपये), सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार कल्याण (345 करोड़ रुपये), पंचायती राज विभाग (324 करोड़ रुपयें), पुलिस निगरानी विभाग (243 करोड़ रुपये), जल संसाधन विभाग (251 करोड़ रुपये), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (204 करोड़ रुपये) तथा लोक कार्य प्रमण्डल (131 करोड़ रुपये) से संबंधित थे।

विभिन्न विभागों के नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा व्यय का मिलान नहीं किए जाने से कपट, धोखाधड़ी एवं गबन, आदि के उजागर नहीं होने, जैसा कि वर्ष 1996–97 तक पशुपालन विभाग के मामले में देखा गया था, जैसी गंभीर अनियमितताओं के होने का खतरा था।

2-4 0;; ,o ctVh; fu;=.k

2-4-1 vkjf{kr fuf/k&ctV d fy, y[kk ifd;k dk ikyu ugh

¼i½ vuqnku l[;k 39& lgk;; ,o iuokl foHkkx

भारत के नियंत्रक –महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 2.9 में आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार (75 प्रतिशत) एवं राज्य सरकार (25 प्रतिशत) द्वारा 35 करोड़ रुपये के वार्षिक अंशदान के साथ आपदा राहत कोष का सृजन और कोष की अभिवृद्धि में निवेश नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1991–92 से वर्ष 1999–2000 तक 9 वर्षो में राहत व्यय के लिए व्यय शीर्ष ''2245–प्राकृतिक विपदाओं के मद में राहत'' के अन्तर्गत बजट प्रावधान करने की प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जाना एवं शीर्ष के अन्तर्गत लेन–देन के गलत लेखाकरण का भी उल्लेख किया गया था। वर्ष 2000–2001 में भी सहाय्य व्यय हेतु बजट प्रक्रिया, जैसाकि योजना में निर्धारित था, का अनुपालन हुआ था। आपदा

राहत कोष में लंबित अंशदान के स्थानांतरण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया था तथा कोष में कुल 354.16 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन इसमें से कोई निवेश नहीं किया गया था।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्त्तमान योजना को कुछ संशोधन के साथ वर्ष 2000–2005 तक जारी रखने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2001–2002 के दौरान कोष में भारत सरकार का अंशदान 52.73 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 17 अगस्त 2001 को अपने हिस्सा के प्रथम किस्त के रूप में मात्र 26.37 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। लेकिन भारत सरकार का अंशदान (52.73 करोड़ रुपये) एवं राज्य सरकार का अंशदान (17.58 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से अनुदान (26.37 करोड़ रुपये) को आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान राहत व्यय का कोई अंश उस निधि से नहीं किया गया था।

(ii) बजट तैयार करने के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार सम्बद्ध सेवा शीर्ष (राजस्व एवं पूँजीगत) एवं वसूलियाँ के अन्तर्गत व्यय के सकल राशि के लिए अनुदानों/विनियोगों का माँग किया जाता है जिसमें वसूलियाँ शीर्ष के नीचे अलग से ''घटाव–प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ को व्यय में कमी के रूप में दिखाया जाता है। हालाँकि बिहार सरकार का बजट इस सिद्धान्त का अनुपालन नहीं किया था एवं इसके परिणामस्वरूप व्यय में से की गयी वसूलियों का परिमाण आँकने योग्य नहीं था।

v/;k;&III

vlfud foHkkx

[k.M&d % lehf{kk,

i'kqikyu ,oa eRL; ikyu foHkkx

3-1 eRL; ikyu fodkl

e[;kd"k.k

मत्स्य पालन विकास से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं मछुआरों तथा मत्स्य पालकों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का विचार था। यह पाया गया कि 14 में से 6 योजनागत योजनाओं (केन्द्रीय : 2 ; राज्य : 4) का क्रियान्वयन नहीं हुआ था तथा मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए तालाब, हौज, मन, चौर इत्यादि के निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत योजना के तहत शामिल नहीं किया गया था। अनुश्रवण के अभाव, वृहत् बचत, अपूर्ण योजनाओं पर भारी व्यय, इच्छुक मत्स्य पालकों को ऋण/अनुदान का भुगतान नहीं करने, निष्क्रिय कर्मियों पर अत्यधिक व्यय, मत्स्य विकास के लिए अनुसंधान के अभाव, मत्स्य बीज फार्म (115) तथा नर्सरी (604) के अक्रियाशील रहने, इत्यादि के कारण योजना का क्रियान्वयन दयनीय था। अतः मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार कर समग्र ग्रामीण विकास करने का लक्षित उद्देश्य अप्राप्त रहा।

eRL; fodkl ;kstukvksa dk rgr rkykc] gkt] eu rFkk pkj dh fu/kkfjr {ks= dk 11 ls 30 izfr'kr 'kkfey ugha fd;k x;kA

¼dfMdk 3-1-4½

miyC/k fuf/k dk 36 izfr'kr ¼23-03 djksM #i;½ [kpZ ugha fd;k x;kA ijUrq LFkkiuk 0;; dk 85 izfr'kr ¼34-16 djksM #i;½ FkkA

¼dfMdk 3-1-5 ¼d½½

funs'kd] eRL; ikyu us 1-26 djksM #i;s ls 2-07 djksM #i;s rd dk vR;f/kd jkdM 'ks"k viuk ikl j[kkA

¼dfMdk 3-1-5 ¼[k½½

jkT; esa 115 gpjh ,oa 604 uljh vfØ;'khy jgsA

¼dfMdk 3-1-6½

16 vi.kh >hy fodkl ;kstukvksa ij 26 yk[k #i;s dk vuqRiknd 0;; gqvkA

¼dfMdk 3-1-7-1 ¼i½½

ogÙk lrr cpr ¼58 izfr'kr½] eRL; ikydksa dk _.kksa dh ux.kuh Loh dfr] i;kZIr {ks=h; inkf/kdkfj;ksa }kjk gkt@rkykcksa dh fujh{k.k dk vHkko ,oa yf{kr eRL; ikydksa dk if'k{k.k dk vHkko dh dkj.k eRL; ikyd fodkl vfHkdj.k ¼,Q-,Q-Mh-,-½ ;kstuk 'kq: gksus ugha gks ldhA

¼dfMdk 3-1-7-2 ¼i½½

eRL; ikydk d vkokl d fuek.k d fy, fudkl h dh xb 84-60 yk[k #i; e l 67-37 yk[k #i; v0;oâr jghA

¼dfMdk 3-1-7-4½

inkf/kdkfj;k d fy, if'k{k.k@if'kj ikB;Øe vk;kftr ugh fd;k x;kA bl mís'; d fy, fudkl h dh xb 4-00 yk[k #i; pky [kkr e iMh jghA

¼dfMdk 3-1-7-5½

vunku lforfjr dju d fy, fudkl h fd, x, 91-00 yk[k #i; e l doy 19-77 yk[k #i; gh lforfjr fd, x,A

¼dfMdk 3-1-7-6½

eRL; ikyu vuqla/kku lLFkku] iVuk ij 89-96 yk[k #i; [kpZ gvk] tgk dkbZ vuqla/kku dk; ugh gvkA

¼dfMdk 3-1-7-7½

eRL; ikyu fodkl dk;ksZ d fy, 294 eNqvkjk] 24 eRL; ifjf;k rFkk 156 eRL; ikyu foLrkj i;osZ{kdk dh lqokvk dk mi;ksx ugh fd;k x;k ftld QyLo:i 1997&2002 d nkjku mudk oru ,o HkUk ij 15-89 djksM #i; dk vR;f/kd fujFkZd 0;; gvkA

¼dfMdk 3-1-9½

3-1-1 Hkfedk

मत्स्य पालन विकास में मत्स्य पालन के वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हुए मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी एवं उसके द्वारा रोजगार के अवसर का सृजन, उचित दर पर मत्स्य पालकों के बीच वितरित करने के लिए उन्नत मत्स्य बीज का उत्पादन तथा उन्हें मत्स्य पालन के वैज्ञानिक तरीके से संबंधित प्रशिक्षण देना था। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संपोषित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य परंपरागत मछुआरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारना, कम हो गए एवं विलुप्त होनेवाले मत्स्य जाति को सुरक्षित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर को सृजित करना था। राज्य में 14 योजनागत योजनाओं (केन्द्र संपोषित : 7, राज्य क्षेत्र : 6, केन्द्र से सहायता प्राप्त परियोजना : 1) में से केवल 8 योजनाएँ ही क्रियान्वित की जा रही थी।

3-1-2 lkxBfud <kapk

आयुक्त–सह–सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी थे। उन्हें निदेशक, मत्स्य पालन, जिला मत्स्य पालन अधिकारियों एवं मत्स्य विकास निगम से सहयोग किया जाता था।

3-1-3 y[kkijh{kk foLrkj

p;fur dk;kZy;k dh ueuk tkp dh xbZ

निदेशक, मत्स्य पालन, पटना तथा 3 रेंज उप निदेशकों[1], 10 जिला मत्स्य पालन पदाधिकारियों[2] (33 प्रतिशत) एवं मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पटना के अभिलेखों

[1] *दरभंगा, पटना एवं सहरसा*

[2] *भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर तथा वैशाली*

की फरवरी तथा जून 2002 के बीच नमूना जाँच के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा मत्स्य पालन के विकास के लिए 1997–2002 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। पाए गए मामले अनुवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3-1-4 ;kstuk ,oa vkadM+ksa dk fuekZ.k

eRL; ikyu fodkl dk fy, fu/kkfjr {ks= dk 11 ls 30 izfr'kr 'kkfey ugha Fkk

राज्य में अंतःस्थलीय मत्स्य पालन संसाधन 95000 हेक्टेयर तालाब एवं हौज, 70000 हेक्टेयर जलाशय (जलाच्छादित) तथा 5000 हेक्टेयर मन्स[3] (गोखुर झील), दलदल तथा 35000 हेक्टेयर चौर[4] के अतिरिक्त 3200 किलोमीटर बारहमासी नदियों एवं नहरों के रूप में निर्धारित किया गया था (1980–1983), जहाँ मत्स्य पालन योजना को क्रियान्वित करना था। हाँलाकि बिहार के विभाजन (14 नवंबर 2000) के पश्चात हौज एवं तालाब का क्षेत्र 65000 हेक्टेयर रह गया तथा 115 मत्स्य बीज फार्म एवं 605 नर्सरी थे। इसके अतिरिक्त जलाशय क्षेत्र भी घटकर 70000 हेक्टेयर रह गया जहाँ कोई मत्स्य पालन विकास योजना जारी नहीं थी तथा बारहमासी नदियाँ जनवरी 1992 से ही पारंपरिक मछुयारों के लिए मुक्त मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनी हुई थी। इस योजना के तहत शामिल तालाब, हौज, मन्स तथा चौर के क्षेत्र निम्नवत थे :

¼{ks= yk[k gDV;j esa½

o"kZ	vkdfyr {ks=			;kstuk dk rgr vkPNkfnr {ks=			;kstuk dk rgr vukPNkfnr {ks=			deh ¼izfr'kr esa½
	rkykc ,oa VkdM+	eUl@pkj	;ksx	rkykc VkdM+ ,oa pkj	eUl	;ksx	rkykc ,oa VkdM+	eUl	;ksx	
1997-1998	0.65	0.05/0.35	105	0.49	0.02	0.51	0.16	0.03	0.19	18
1998-1999	0.65	0.05/0.35	105	0.56	0.02	0.58	0.09	0.03	0.12	11
1999-2000	0.65	0.05/0.35	105	0.46	0.02	0.48	0.19	0.03	0.22	21
2000-2001	0.65	0.05/0.35	105	0.36	0.02	0.38	0.29	0.03	0.32	30
2001-2002	0.65	0.05/0.35	105	0.49	0.02	0.51	0.16	0.03	0.19	18

अतः तालाब, हौज, मन्स तथा चौर के निर्धारित क्षेत्र का 11 से 30 प्रतिशत मत्स्य एवं मत्स्य बीज के उत्पादन हेतु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था।

3-1-5 foÙkh; ykxr ,oa O;;

निधि का आवंटन एवं व्यय निम्नवत था :

o"kZ	izko/kkfur fuf/k			O;;@			cpr		
	;kstuk	xSj&;kstuk	;ksx	;kstuk	xSj&;kstuk	;ksx	;kstuk	xSj&;kstuk	dqy cpr
	¼#i;s yk[k esa½								
1997-98	312.55	660.08	972.63	136.32	587.63	723.95	176.23 (56)	72.45 (11)	248.68 (26)
1998-99	348.49	880.43	1228.92	89.52	567.05	656.57	258.97 (74)	313.38 (36)	572.35 (47)
1999-2000	302.69	1078.71	1381.40	119.50	733.87	853.37	183.19 (61)	344.84 (32)	528.03 (38)
2000-01	308.10	1144.76	1452.86	81.66	890.25	971.91	226.44 (73)	254.51 (22)	480.95 (33)
2001-02	354.62	928.43	1283.05	172.38	637.38	809.76	182.24 (51)	291.05 (31)	473.29 (37)
;kX	**1626.45**	**4692.41**	**6318.86**	**599.38**	**3416.18**	**4015.56**	**1027.07 (63)**	**1276.23 (27)**	**2303 .30 (36)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत के द्योतक है।)

[3] *''मन्स'' (गोखुर झील) गहरा बारहमासी जल समूह होता है, जो मुख्य नदी से उसके विभ्रमण प्रक्रिया के दौरान अलग हो जाता है।*

[4] *''चौर'' वह दलदली क्षेत्र होता है जो मानसून के महीनों में जलमग्न हो जाता है तथा कृषि कार्य में जिसका उपयोग नहीं किया जाता है।*

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

dy fuf/k dk 36 ifr'kr 0;; ugh fd;k x;k

(क) वर्ष 1997–2000 के दौरान कुल प्रदान की गई निधि का 36 प्रतिशत (23.03 करोड़ रुपये) व्यय नहीं किया गया। इसमें से 16.26 करोड़ रुपये योजना निधि का था। इनमें से 10.27 करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) योजना कटौती या 6 योजनाओं[5] की अस्वीकृति के कारण व्यय नहीं किए गए। 56.77 लाख रुपये की केंद्रीय निधि अव्यवहृत रही। यह भी पाया गया कि वर्ष 1997–2002 के दौरान 40.16 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 85 प्रतिशत (34.16 करोड़ रुपये) तक गैर योजना व्यय (स्थापना) था।

LFkkiuk ij vR;f/kd 0;;

vR;f/kd jkdM 'k"k dk vojk/ku

(ख) निदेशक मत्स्य पालन ने बिना तात्कालिक आवश्यकता के भारी राशि की निकासी की। परिणामतः प्रत्येक वर्ष 1.26 करोड़ रुपये से 2.07 करोड़ रुपये तक का अत्यधिक रोकड़ शेष अवरोधित रहा जिससे दुर्विनियोजन का खतरा था।

lkof/k tek ij vftZr 28-87 yk[k #i;s dk C;kt dk y[kkdj.k ugh rFkk 30 yk[k #i;s dk 0;; lefFkr ugh

निदेशक ने मन्स मत्स्य पालन विकास के लिए मार्च 1997 में 1 करोड़ रुपये की निकासी की। इसमें से 80 लाख रुपये मई 1997 में सावधि जमा में निवेश किया। 30 लाख रुपये का सावधिक जमा भुना लिया गया (1998–99 तथा 2000–01) तथा उसे मन्स विकास पर खर्च किया गया। परन्तु कोई अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। मई 2002 तक सावधि जमा में 50 लाख रुपये निवेषित रहा। सावधिक जमा से 28.99 लाख रुपये का ब्याज अर्जित हुआ लेकिन वह रोकड़ बही में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ था।

(ग) बैंक खाता एवं रोकड़ बही के बीच 11.49 लाख रुपये का अंतर था जिसके दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी के खतरे की संभावना थी।

3-1-6 eRL; ,oa eRL; cht dk mRiknu

नवम् पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के प्रारंभ में पुनर्गठित बिहार में सभी जल स्रोतों से वार्षिक मत्स्य उत्पादन 1.41 लाख टन था जिसे योजना अवधि के अंत तक बढ़ाकर 3.50 लाख टन करना प्रस्तावित था। इसी प्रकार उत्तम मत्स्य बीज का उत्पादन 6000 लाख से बढ़ाकर 8000 लाख करना प्रस्तावित था।

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत थे :

eRL; ,oa eRL; cht dk mRiknu dk y{; ijh rjg izkIr ugh gqvk

o"kZ	fcgkj esa eRL; cht dk mRiknu		fcgkj esa eRL; mRiknu	
	y{;	miyfC/k	y{;	miyfC/k
	¼yk[k esa½		¼yk[k esa½	
1997-1998	3490	2745 (79)	1.71	1.41 (82)
1998-1999	3420	2604 (76)	1.71	1.58 (92)
1999-2000	3370	2512 (75)	1.90	1.70 (89)
2000-2001	3497	2813 (80)	2.10	1.78(85)
2001-2002	3575	3300 (92)	2.50	2.40 (92)
;kx	**17352**	**13974 (81)**	**9.92**	**8.87 (89)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत को दर्शाते है।)

ufn;ksa dk tyh;&tSfod lo{k.k ugh fd;k x;k

किसी भी वर्ष में लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया। संयुक्त मत्स्य पालन के लिए जलीय–जैविक सर्वेक्षण विकास के लिए उपलब्ध तटीय मत्स्य पालन की कोटि को निर्धारित करने हेतु आवश्यक होने के बावजूद भी नहीं किया गया।

lHkh ljdkjh gpjh ,oa uljh vdk;'kh y jgs

सभी 115 मत्स्य बीज फार्म तथा 604 नर्सरी जिन पर 14.73 लाख रुपये का रख–रखाव व्यय था, अकार्यशील रहे। मत्स्य बीज की आवश्यकता मत्स्य पालकों के स्व–प्रयास तथा निजी क्षेत्र के 14 मत्स्य बीज फार्म के द्वारा पूरी की गई।

[5] *2 केंद्रीय योजनागत योजनाएँ ; मत्स्य आँकड़े का विकास एवं मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण; 4 राज्य योजनागत योजनाएँ ; जलाशय का विकास ; मत्स्य विपणन योजना ; मत्स्य पालन निदेशालय का नियमन तथा मत्स्य पालकों को अनुदान एवं आवश्यकताओं की आपूर्त्ति।*

3-1-7 eRL; ikyu fodkl ;kstukvksa dk inh'ku

14 योजनागत योजनाओं में से 6 (केन्द्रीय : 2 तथा राज्य : 4)[6] क्रियान्वित नहीं हुई। शेष 8 योजनाओं का प्रदर्शन अनुवर्त्ती उप–कंडिकाओं में वर्णित है।

3-1-7-1 *eU/I* eRL; ikyu dk fodkl

lexz xkeh.k fodkl dk izkRlkfgr djus dh ;kstuk

5 जिलों[7] में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, भू–उत्पादकता बढ़ाने, पारिस्थितिक असुरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित करने, रोजगार सृजित करने, समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा ग्रामीण विकास को तीव्र करने के लिए मई 1992 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना जून 1999 तक पूरी करने के लिए (दिसंबर 2000 तक विस्तारित) लागू की गई। इस परियोजना में झील विकास, प्रोत्साहन सेवा, मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ.एफ.डी.ए.) के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) तथा राज्य परियोजना इकाई शामिल थी।

आवंटन एवं व्यय (दिसंबर 2000 तक) निम्नवत था :

		¼yk[k #i;s esa½
?kVd	ifj;kstuk vkoaVu	0;;
झील विकास (1394 हेक्टेयर)	239.39	92.79
एन. जी. ओ. सहित प्रोत्साहन सेवा	186.42	21.51
कर्मचारी को प्रशिक्षण	9.49	0.09
एफ. एफ. डी. ए. का सुदृढ़ीकरण	76.71	39.89
राज्य परियोजना इकाई	44.10	70.46
;kx	**556.11**	**224.74**

संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुआ :

vi.kh ;kstukvksa ij fu"Qy 0;;

(i) वर्ष 1996–97 के दौरान ली गई 23 झील विकास योजनाओं (1394 हेक्टेयर) में से मार्च 2000 तक 67 लाख रुपये व्यय पर केवल 7 (504 हेक्टेयर : 30 प्रतिशत) ही पूरी हुई थी। 26 लाख रुपये के सन्निहित व्यय वाली शेष 16 योजनाएँ (890 हेक्टेयर) अपूर्ण रहीं। परिणामतः इन झीलों को कम आरक्षित मूल्य पर मत्स्य पालकों को बंदोबस्त किया गया तथा अपूर्ण योजनाओं पर हुआ व्यय अंशतः निष्फल रहा।

lgk;rk lsok ij vYi 0;;

(ii) सहायता सेवा के लिए विनिहित (186.42 लाख रुपये) राशि, जिसमें मत्स्य बीज, नाव एवं जाल के क्रय के लिए तथा नर्सरी तालाब के निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को ऋण एवं मछुआरों में जागरूकता लाने एवं उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए एन.जी.ओ. को सहायता शामिल थी, का केवल 12 प्रतिशत (21.51 लाख रुपये) 7 मछुआरा सहयोग समितियों के लाभ के लिए खर्च किया गया।

dehkfj;ksa dh if'k{k.k ij ux.; 0;;

(iii) तालाब विकास में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विनिहित राशि का 1 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया।

LFkkiuk ij vR;f/kd 0;;

(iv) मुख्यालय में 3 वाहनों (1 एम्बेसडर कार एवं 2 स्टेशन वैगन) के रख–रखाव एवं खरीद के कारण राज्य परियोजना इकाई के स्थापना खर्च पर मानक के विरूद्ध

[6] *केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ : मत्स्य आँकड़े का विकास, मत्स्य विपणन का सुदृढ़ीकरण राज्य योजनागत योजनाएँ : जलाशय का विकास, मत्स्य विपणन योजना, मत्स्य पालन निदेशालय का पुनर्गठन, मत्स्य पालकों को अनुदान एवं आवश्यकताओं की आपूर्त्ति*

[7] *बेतिया, बेगुसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर*

26.36 लाख रुपये अधिक व्यय किये गये थे। यह पाया गया कि इन वाहनों का उपयोग अन्य प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया।

3-1-7-2 eRL; ikyd fodkl vfHkdj.k ¼,Q-,Q-Mh-,-½ dk fodkl

,Q-,Q-Mh-,- u xkeh.k vkcknh dh lkekftd&vkfFkd fLFkfr dk lq/kkju gsrq lex eRL; ikyu fodkl dh ifjdYiuk dh Fkh

ग्रामीण रोजगार सृजित करने, मत्स्य विपणन के लिए अंतः संरचना का निर्माण करने तथा अतिरिक्त पोषक आहार पैदा करने इत्यादि के लिए सभी विद्यमान ग्रामीण हौज एवं तालाबों को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाने तथा समाज के कमजोर वर्गों से चयनित मत्स्य पालकों को जलक्षेत्र पट्टे पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना वर्ष 1973–74 में आरंभ की गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) अवधि के दौरान योजना का पूरा स्थापना लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था जबकि भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों[8] पर 10 से 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। योजना के अंत तक पुनर्गठित बिहार के 37 में से 33 जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरोत्तर शामिल हुए।

निधि का प्रावधान एवं व्यय निम्नवत थे :

¼#i;s yk[k e½

o"k	foHkkftr fcgkj dh fy, fuf/k dk iko/kku	0;;	cpr	cpr dh ifr'krrk
1997-1998	155.95	90.22	65.73	42
1998-1999	213.20	67.03	146.17	69
1999-2000	160.02	87.53	72.49	45
2000-2001	256.70	70.69	186.01	72
2001-2002	188.00	91.61	96.39	51
;kx	**973.87**	**407.08**	**566.79**	**58**

vR;f/kd lrr cpr ls ;kstuk dk fØ;kUo;u cjh rjg iHkkfor gqvk

योजनाओं की अस्वीकृति, अनुदान का भुगतान नहीं करने एवं मत्स्य पालकों को समुचित सांगठनिक प्रशिक्षण नहीं देने के कारण 58 प्रतिशत (5.67 करोड़ रुपये) की अधिक बचत से योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(ii) 1997–2002 के दौरान हौज एवं तालाबों की सुधार/निर्माण के लिए मत्स्य पालकों को बैंक ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति/वितरण निम्नवत था :

[8] *नए हौज एवं तालाबों का निर्माण (अ.ज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), हौज एवं तालाब का सुधान/पुनरूद्धार, प्रथम वर्ष निवेश (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद एवं इ.यू.एस.मत्स्य रोगों से निवारक उपाय) (अ.जा./अ.ज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), मीठा जल मत्स्य बीज हैचरी (10 प्रतिशत), मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण (प्रत्येक को 50 रुपये), वाहनों का क्रय (50 प्रतिशत), राज्य स्तर पर प्रयोगशाला की स्थापना (38 लाख रुपये), मत्स्य/झींगा बीज का परिवहन (1000 फ्राई के लिए 20 रुपये), समेकित मत्स्य पालन (अ. जा./अज.जा. को 20 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत), वातक/पंप (25 प्रतिशत)।*

o"k	cSd dk fn, x, vkonu	vkPNkfnr djus ;kX; ty {ks= ¼gDVs;j esa½	çLrkfor jkf'k ¼yk[k #i;s esa½	cSd }kjk Lohdr vkonu ¼ykf[k;k esa½	vkPNkfnr ty {ks= ¼gDVs;j esa½	[kpZ dh xbZ jkf'k ¼yk[k #i;s esa½	Hkkxrku dh xbZ vuqeku dh jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
1997-1998	463	265.62	310.49	80	45.70	34.19	नगण्य
1998-1999	395	279.41	273.83	29	21.63	13.49	3.48
1999-2000	141	110.19	116.63	1	0.17	0.23	6.73
2000-2001	116	80.43	142.06	4	3.17	6.68	नगण्य
2001-2002	138	107.52	165.86	7	5.66	4.99	नगण्य
;kx	**1253**	**843.17**	**1008.87**	**121**	**76.33**	**59.58**	**10.21**

ux.; lq[;k esa bPNd eRL; ikydksa dk _.k Lohdr

बैंकों द्वारा हौज एवं तालाबों के सुधार/निर्माण हेतु ऋण के लिए आवेदनों (1253) का केवल 10 प्रतिशत (121) ही स्वीकृत किया गया जिसमें लक्षित जल क्षेत्र (843.17 हेक्टेयर) का केवल 9 प्रतिशत (76.33 हेक्टेयर) शामिल था। परिणामतः मत्स्य पालकों द्वारा ऋण (10.09 करोड़ रुपये) के लिए दिए गए आवेदन का केवल 6 प्रतिशत (59.58 लाख रुपये) का ही वितरण किया गया। यह संबंधित जिलाधिकारी द्वारा शीर्षित एफ. एफ.डी.ए. की विफलता दर्शाता था।

,Q- b- ,l- ,o ,Q- b- vk- u gkt ,o rkykcksa dk vkof/kd fujh{k.k ugh fd;k

(iii) यद्यपि मत्स्य पालकों को पथ प्रदर्शन करने तथा उन्हें तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु एफ.एफ.डी.ए. में पदस्थापित मत्स्य पालन विस्तार पर्यवेक्षकों एवं मत्स्य पालन विस्तार पदाधिकारियों से हौज एवं तालाबों का आवधिक निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था, नमूना जाँचित जिलों में ऐसे निरीक्षण का कोई प्रमाण नहीं था।

u rks eRL; foi.ku vkSj lajpuk fodflr dh xbZ] u gh dk;ZØe dk vlj dk eY;kdu fd;k x;k

(iv) यद्यपि मत्स्य विपणन के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में मत्स्य विक्रय काउन्टर/स्टॉल के निर्माण जैसी अंतःसंरचना का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, किसी भी नमूना जाँचित जिलों में न तो निर्माण किया गया, न ही कार्यक्रम के असर का मूल्यांकन किया गया। केवल विनिहित निधि में से 2.68 लाख रुपये (5 प्रतिशत) ही 1997–98 एवं 2001–02 के दौरान खर्च किया गया। 1998–2001 के दौरान कोई निधि विनिहित नहीं की गई।

jkT; esa dqy 15 ifr'kr yf{kr eRL; ikydksa dk izf'k{k.k fd;k x;k

(v) एफ.एफ.डी.ए. से मत्स्य पालकों को 15 दिनों का अल्प अवधि प्रशिक्षण देना अपेक्षित था। वर्ष 1997–2002 के दौरान 11230 मत्स्य पालकों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1701 (15 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया जबकि नमूना जाँचित 10 जिलों में 4394 मत्स्य पालकों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 907 (21 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार, मत्स्य उत्पादन, रोगों के नियंत्रण एवं निवारण के नवीनतम तकनीकी ज्ञान से मत्स्य पालक वंचित रहे।

3-1-7-3 eNqvkjksa ds fy, lkefgd nq?kZVuk chek ;kstuk

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान भागीदारी की इस केन्द्र पोषित योजना में उन निबंधित सक्रिय मछुआरों को जो राष्ट्रीय मत्स्य पालन सहयोग संघ (फीसकोफेड) के सदस्य थे, 12 माह की अवधि की बीमा सुरक्षा परिकल्पित थी।

chek lqj{kk ij lgkLin 0;;

भारत सरकार एवं बिहार सरकार ने मछुआरों की बीमा सुरक्षा के लिए सामान्य बीमा निगम को वर्ष 1997–2002 के दौरान 24 लाख रुपये का भुगतान किया। हाँलाकि इस व्यय की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि न तो निदेशालय और न ही नमूना जाँचित जिलों में अभिलेख संधारित था।

3-1-7-4 eNvkjk d fy, vkokl

मछुआरों को आवास, पेयजल तथा सामुदायिक भवन जैसी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 1990–91 में एक कल्याण योजना शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के माध्यम से इस योजना की लागत का 50 प्रतिशत तथा शेष राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। एक मकान की लागत 0.35 लाख रुपये थी। कम से कम 75 मकान वाले मछुआरों के एक गाँव में 1.75 लाख रुपये की अधिकतम लागत पर एक सामुदायिक भवन उपलब्ध कराना था।

jkT; ljdkj }kjk vkokl ;kstuk mi f{kr

निदेशक, मत्स्य पालन ने मछुआरों के लिए आवास निर्माण हेतु वर्ष 1997–98 (34.50 लाख रुपये) तथा वर्ष 2001–02 (50.10 लाख रुपये) में 84.60 लाख रुपये की निकासी की। इसमें से पूरी तरह निर्मित 23 मकानों पर 8.05 लाख रुपये तथा वर्ष 1997–98 में शुरू किए गए अधूरे 57 मकानों पर 9.18 लाख रुपये खर्च किए गए। जून 2002 तक 67.37 लाख रुपये (बेगुसराय में वर्ष 1997–98 से 17.27 लाख रुपये तथा समस्तीपुर में वर्ष 2001–02 से 50.10 लाख रुपये) अनुपयोगित रहे। इस प्रकार योजना राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित रही।

3-1-7-5 eRL; ikyu if'k{k.k ,oa foLrkj ;kstuk

vf/kdkfj;ksa dk if'k{k.k ugh fn;k x;k

मत्स्य पालकों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रभावी विस्तार सहायता सुनिश्चित करने के लिए इस केन्द्र प्रायोजित योजना में सरकारी अधिकारियों एवं मत्स्य पालकों के बीच संबंध स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। कर्मियों को वर्ष 1997–2002 के दौरान ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यहाँ तक कि निदेशक द्वारा 31 मार्च 2002 को निकासी किए गए 4.00 लाख रुपये एक बैंक के चालू खाते में रखे गए।

3-1-7-6 gkt eRL; ikyu dk fodkl ,oa m)kj

इस योजना में राज्य सरकार से अनुदान एवं बैंकों से ऋण के द्वारा निजी तालाबों का विकास परिकल्पित किया गया था।

fdlkuksa dk rkykc eRL; ikyu ds fodkl ,oa m)kj ds fy, vYi fuf/k forfjr

वर्ष 1997–2002 के दौरान किसानों को अनुदान के रूप में 91.00 लाख रुपये के प्रावधान के विरूद्ध केवल 19.77 लाख रुपये वितरित किए गए। निदेशक ने 71.23 लाख रुपये की बचत के लिए बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं दिए जाने को उत्तरदायी ठहराया (जून 2002)।

इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित 10 जिलों में से 8 जिलों में अनुदान के रूप में वितरित करने के लिए निकासी किए गए 17.26 लाख रुपये को ''असैनिक जमा'' में रखा गया।

3-1-7-7 eRL; ikyu vuqla/kku ;kstuk

eRL; ikyu vuqla/kku lLFkku ij vR;f/kd LFkkiuk 0;; tgk 1997&2002 ds nkjku dkbZ vuqla/kku dk;Z ugh fd;k x;k

मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, पटना को अभिप्रेरित प्रजनन, वायु श्वसन मत्स्य का कृत्रिम प्रजनन, झींगा प्रजनन एवं पालन , केज पालन एवं मत्स्य के रोगों का नियंत्रण पर अनुसंधान कार्य करना था। यद्यपि कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर वर्ष 1997–2002 के दौरान 86.96 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि कोई अनुसंधान नहीं किया गया। वर्ष 2001–02 के दौरान अनुसंधान कार्य के लिए रखे गए 4.10 लाख रुपये तालाबों के लघु निर्माण एवं सामग्रियों के क्रय पर खर्च किए गए।

संस्थान के संयुक्त निदेशक ने बताया (जून 2002) कि संस्थान में लिए गए अनुसंधान कार्य समुचित जल क्षेत्र के अभाव, तालाब में जल के अन्तर्ग्रहण के लिए अपर्याप्त

प्रावधान, तकनीकी कर्मचारियों की कमी एवं अनुसंधान कार्य के लिए निधि के अभाव के कारण प्रभावित हुए। यह तर्कसंगत नहीं था।

3-1-8 eRL; ikyu l/lk/kuk dh cnkcLrh

eRL; ikydk dk vf/kd l[;k e gkt ,o rkykc cnkcLr ugh fd, x,

(क) हौज, तालाब एवं मन को मत्स्य पालकों को दीर्घ अवधि (10 वर्ष) एवं अल्प अवधि (वार्षिक रूप से या 3 वर्षों के लिए) के आधार पर बंदोबस्ती करना था। यह पाया गया कि वर्ष 1997–2002 के दौरान 15699 हेक्टेयर जल क्षेत्र वाले 5940 तालाब एवं हौज की बंदोबस्ती नहीं की गई। निदेशक ने तालाब एवं हौज में गाद भर जाना, विवाद एवं नक्सली तत्त्वों द्वारा हस्तक्षेप को कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। हाँलाकि इन बाधाओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई अभिलेखित नहीं थी।

jktLo lxg e deh

(ख) वर्ष 1997–2002 के दौरान 17.66 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 11.19 करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रह किया गया। निदेशक ने तालाब एवं हौज में गाद भर जाने को कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया (जून 2002)। हाँलाकि बताया गया कारण तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वर्ष 2001–02 के दौरान मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई थी।

lqjkr ij tk lefpr :i ls l/kkfjr ugh

(ग) नमूना जाँचित 10 जिलों में से सैरात पंजी (हौज/तालाब का राजस्व बंदोबस्ती पंजी) समुचित रूप से संधारित नहीं था। अतः सैरात संग्रह एवं बकाए की सही स्थिति को सुनिश्चित करना मुश्किल था। इसी प्रकार इन जिलों में 27.46 लाख रुपये के बकाए की सत्यता को लेखापरीक्षा में जाँच नहीं किया जा सका।

vf/kd l[;k e rkykc ,o gkt eRL; ikyu fodkl dk fy, lfEefyr ugh fd, x,

इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन विकास के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा नमूना जाँचित 10 जिलों में जून 2002 तक बहुत सारे तालाब एवं हौज को सम्मिलित नहीं किया गया।

3-1-9 ekuo 'kfä ica/ku

eNvkjk rFkk eRL; igfj;k ,o ,Q-bZ-,l- dh lokvk dk mi;kx eRL; ikyu fodkl dk fy, ugh fd;k x;k] ifj.kker% mudk oru ,o HkUk ij vR;f/kd fu"Qy 0;; gvk

वर्ष 1997–2002 के दौरान 294 मछुआरों एवं 24 मत्स्य प्रहरियों की सेवाओं का उपयोग नर्सरी/हैचरी में झींगा का पालन/वितरण एवं विभाग द्वारा प्रबंधित हौज/तालाबों में मत्स्य कार्य जैसी मत्स्य पालन के विकास में करने के बदले राजस्व संग्रह या अन्य विभागीय कार्य में उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया। इस प्रकार उनके वेतन एवं भत्ते पर किया गया 8.34 करोड़ रुपये का खर्च निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त मछुआरों एवं मत्स्य प्रहरियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने वाले 156 मत्स्य पालन विस्तार पर्यवेक्षकों (एफ.ई.एस.) के वेतन एवं भत्ते पर वर्ष 1997–2002 के दौरान हुआ 7.55 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा क्योंकि उन्हें पर्यवेक्षण का कार्य नहीं था।

3-1-10 vfHkJo.k ,o eY;kdu

vfHkJo.k ,o eY;kdu dk i.kr% vHkko dk dkj.k eRL; ikyu fodkl ;kstuk,a cjh rjg iHkkfor gbZ

प्रत्येक 3 माह में बैठक करने हेतु 3 वर्षों के लिए मार्च 1993 में गठित राज्य स्तरीय समन्वय एवं अभिश्रवण समिति ने मार्च 1996 में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की। उसके बाद समन्वय तथा अभिश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया। अतः अभिश्रवण का पूर्णतः अभाव था जिसने मत्स्य पालन विकास कार्यों के क्रियान्वयन को बुरी तरह प्रभावित किया। लाभार्थियों के लक्षित समूह पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन न तो स्वयं विभाग द्वारा और न ही किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितंबर 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

3-2 xkeh.k fodkl foHkkx dk fØ;kdyki

e[;kd"k.k

राज्य एवम् जिला स्तरीय कार्यकारियों द्वारा मुख्यतः अनुश्रवण के अभाव में बजटीय तथा व्यय नियंत्रण उपायों के सभी पहलुओं तथा ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभाग का क्रियाकलाप पूरी तरह कुप्रबंधित था। अधिक बचत, निधि को 'असैनिक जमा' में रखे जाने, राज्य के हिस्से के संसाधनों की विमुक्ति में विफलता, दुरूपयोगिता/दुर्विनियोजन/भंडारों/निधि का विचलन, प्रशासकीय अंतःसंरचना पर अत्यधिक व्यय, योजनाओं का जाली क्रियान्वयन, मानकों की अवहेलना, अपूर्ण/परित्यक्त योजनाओं पर अत्यधिक व्यय, मानवशक्ति के कुप्रबंधन आदि के कारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लड़खड़ा गया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन था तथा लक्षित ग्रामीण गरीबों को विभिन्न कार्यक्रमों के वांक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

fofHkUu ;kstukvksa d fufeÙk #i;s 5-15 djksM #i;s dk y[kkdj.k ugh fd;k x;k FkkA

¼dfMdk 3-2-4-2 ¼ii½½

vkB ft- xk- fo- v- e fofHkUu vf/kdkfj;ksa ,oa vfHkdj.kksa dk Hkqxrku dh xbZ 74-35 djksM #i;s volfyr jghA

¼dfMdk 3-2-4-2¼vi½½

vkB ft- xk- fo- v- e i'kklfud vuqeksnu ij 8-68 djksM #i;s dk [kpZ ekud ls vf/kd gqvk ftlls ;kstukvksa ij de 0;; gqvkA

¼dfMdk 3-2-4-2 ¼vii½½

rhu dk;Zikyd vfHk;kvksa rFkk ,d duh; vfHk;qDr }kjk Øe'k% 3-89 djksM #i;s rFkk 1-18 djksM #i;s dk nqfofu;kstu fd;k x;kA

¼dfMdk 3-2-4-2 ¼vi½ rFkk ¼viii½½

vkB ft- xk- fo- vfHk- e tqykbZ 2002 rd 2504 ;kstuk,a ftuij 18-15 djksM #i;s dk 0;; gqvk] 2 ls 7 o"kksZa rd vi.kh jgh tcfd 1-75 djksM #i;s dh [kpZ dh ckn 7 ft- xk- fo- vfHk- ;kstuk,a NksM nh xbZA

¼dfMdk 3-2-5-1 ¼x½¼?k½½

ifro"k 100 ekuofnolksa dh ekud dh fo:) tqykbZ- okbZ- rFkk bZ- ,- ,l- dh rgr izR;sd ykHkkfFkZ;ksa dks Øe'k% 6 ls 35 fnu rFkk 2 ls 4 fnu dk jkstxkj inku fd;k x;kA blh rjg dsoy 1 ls 7 ifr'kr ;kstuk,a NksM nh xbZA ch-ih-,y- ifjokjksa dk Lo&jkstxkj inku fd;k x;kA

¼dfMdk 3-2-5-1¼p½½

rhu ftyk e 12 dk;kUo;u vfHkdj.kk d }kjk 54 tkyh eLVj jk;y ij 1-87 djkM #i;s dk Hkqxrku fd;k x;k ftldh tkp vko';d FkhA

¼dfMdk 3-2-5-1 ¼N½½

pkj ueuk tkfpr ft- xk- fo- vfHk- e 25-93 yk[k #i;s eY; d 291-26 Vu vydrjk ry difu;k }kjk de vkifr dh xbA blh idkj nk ft- xk- fo- vfHk- rFkk ,d i[kM dk;k;y e 32-03 yk[k #i;s eY; d 26614 cx fleUV de vkifr dh xbA bu de vkifr;k d fo:) dkbZ dkjokbZ ugh dh xbA

¼dfMdk 3-2-6 ¼d½½x½½

,d duh; vfHk;rk }kjk 25-92 yk[k #i;s eY; d 378-11 Vu vydrjk dk nfofu;kstu fd;k x;k ¼uoEcj 1997½A

¼dfMdk 3-2-6 ¼[k½½

o"k 1997&98 d nkjku ft- xk- fo- vfHk-] tgkukckn e 48-64 yk[k #i;s d vfxe dk tkyh lek;kstu rFkk xkeh.k fodkl foHkkx] iVuk e 8-70 yk[k #i;s d xcu dh tkp vif{kr gA

¼dfMdk 3-2-8-2 ,oa 3-2-8-3½

3-2-1 iLrkouk

xkeh.k fodkl foHkkx] xkeh.k fu/kurk mUeyu dk;ØeksaZ d lapkyu gsrq vf/kn'kh Fkk

ग्रामीण विकास विभाग केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), न्यूनतम बुनियादी सेवाएँ (बी.एम.एस.), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.), सूखाड़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विधायकों द्वारा अनुमोदित अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि के संचालन के लिए उत्तरदायी था।

3-2-2 lxBukRed <kpk

ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त–सह–सचिव योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी थे। उन्हें 3 विशेष सचिवों, 2 संयुक्त सचिवों, 2 निदेशकों एवं राज्य स्तर पर अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती थी। उप विकास आयुक्तों (डी.डी.सी) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी.डी.ओ.) द्वारा सहायता प्राप्त जिला समाहर्त्ताओं ने क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया। इसके अतिरिक्त 3 आंचलिक मुख्य अभियंताओं, 3 अधीक्षण अभियंताओं तथा 31 कार्यपालक अभियंताओं द्वारा सहयोग प्राप्त तथा अभियंता–प्रमुख–सह–विशेष सचिव द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन प्रबंधित था।

3-2-3 y[kkijh{kk dk foLrkj

p;fur dk;kZy;ksa dk ueuk tkp fd;k x;k

वर्ष 1995–2002 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के क्रियाकलाप की समीक्षा अक्टूबर 2000 तथा जुलाई 2001 एवं मई 2002 से जुलाई 2002 के बीच 9 जिलों[1] (38 में से),

[1] *भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली*

9 जिला परिषदों[2] (38 में से), 7 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल[3] (36 में से) 9 ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल[4] (65 में से), 9 एन.आर.ई.पी. एवं 18 प्रखंडों[5] (533 में से) के अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा की गई। परवर्त्ती अनुच्छेदों में पाए गए तथ्यों की चर्चा की गई है।

3-2-4 ctV iko/kku ,oa 0;;

बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत थे :–

o"k	ctV iko/kku			0;;			vkf/kD; ¼$½@cpr¼&½		
	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy
	¼djksM #i;ksa esa½								
1995-96	354.60	219.19	573.79	349.07	193.91	542.98	(-) 5.53	(-) 25.28	(-) 30.81
1996-97	550.39	162.96	713.35	535.29	170.05	705.34	(-) 15.10	(+) 7.09	(-) 8.01
1997-98	739.05	193.51	932.56	736.22	207.72	943.94	(-) 2.83	(+) 14.21	(+) 11.38
1998-99	861.27	263.48	1124.75	816.00	231.90	1047.90	(-) 45.27	(-) 31.58	(-) 76.85
1999-2000	1152.41	340.53	1492.94	1044.58	301.05	1345.63	(-) 107.83	(-) 39.48	(-) 147.31
2000-01	549.43	386.69	936.12	301.40	148.68	450.08	(-) 248.03	(-) 238.01	(-) 486.04
2001-02	942.43	254.78	1197.21	239.35	145.71	385.06	(-) 703.08	(-) 109.07	(-) 812.15
;kx	**5149.58**	**1821.14**	**6970.72**	**4021.91**	**1399.02**	**5420.93**	**(-) 1127.67**	**(-) 422.12**	**(-) 1549.79**

(स्रोत : विनियोग लेखा वर्ष 1997–2000 तक तथा आगे के वर्षों के विभागीय आँकड़े)

3-2-4-1 foÙkh; ifj0;; rFkk ;kstukvksa ij 0;;

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित एवं राज्य से सहायता प्राप्त योजनाओं पर वित्तीय परिव्यय तथा व्यय निम्नवत थे :

dkQh ek=k esa fuf/k vuqi;ksfxr jgh

o"k	vkfn'k"V	lgk;rk	dsUnzh; va'k	jkT; dk va'k	dqy miyC/k fuf/k	0;;	vkf/kD; ¼$½@ cpr¼&½
	¼djksM #i;ksa esa½						
1995-96	189.69	--	608.91	65.83	864.43	594.85	(-) 269.58
1996-97	--	--	525.31	335.76	861.07	592.54	(-) 268.53
1997-98	--	--	731.07	386.83	1117.90	963.41	(-) 154.49
1998-99	--	--	577.60	465.33	1042.93	1093.51	(+) 50.58
1999-2000	--	--	677.85	655.51	1333.36	1172.27	(-) 161.09
2000-01	--	--	437.72	287.13	724.85	958.80	(+) 233.95
2001-02	--	4.65	612.23	452.25	1069.13	1082.17	(+) 13.04
;kx	**189.69**	**4.65**	**4170.69**	**2648.64**	**7013.67**	**6457.55**	**(-) 556.12**

संवीक्षा से निम्नवत पाया गया :

nsa;va'k jkT; }kjk foeDr ugha dh xbZ

(i) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर निर्धारित अनुपात के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निधि का बँटवारा किया जाना था। ऐसा पाया गया कि राज्य सरकार ने नीचे दिए गए विवरणी के अनुसार अपने हिस्से का 138.37 करोड़ रुपये की विमुक्ति नहीं की :

2 *भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली*

3 *भागलपुर, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी*

4 *भागलपुर, गया, ,हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर*

5 *बोधगया, जयनगर, जहानाबाद सदर, हाजीपुर सदर, कहार, कतैया, काको, कांति, मानपुर, मोतिहारी सदर, नाथनगर, पंडौल, रहिका, रक्सौल, रोसरा, सबौर, समस्तीपुर सदर, सकरा*

;kstuk,¡	vof/k	dUnz ,oa jkT; ljdkj dk vuqikr	izkIr dUnzh; vu'k	okfNr jkT; vu'k	foeDr jkT; vu'k	de foeDr jkT; vu'k
		¼djksM #i;ksa esa½				
एम.डब्लू.एस.	1995-99	80:20	73.16	18.29	12.67	5.62
डी.डब्ल्यू.सी. आर.ए.	–वही–	50:50	11.75	11.75	4.88	6.87
टी.आर.वाई. एस.इ.एम.	–वही–	–वही–	20.57	20.57	10.38	10.19
आई.आर.डी. पी./एस.जी. एस.वाई.	–वही–	–वही–	124.94	124.94	124.29	0.65
डी.पी.ए.पी.	–वही–	–वही–	2.21	2.21	1.44	0.77
	1999-2001	75:25	5.33	1.84	1.55	0.29
ई.ए.एस.	1995-99	80:20	424.22	106.05	100.80	5.25
	1999-2002	75:25	448.81	149.60	135.61	13.99
आई.ए.वाई. (नया)	1995-99	80:20	460.57	115.14	81.12	34.02
जे.आर.वाई. / जे.जी. एस.वाई.	1995-99	80:20	736.17	184.04	146.67	37.37
	1999-2002	75:25	511.61	170.53	147.18	23.35
;kx			**2819.34**	**904.96**	**766.59**	**138.37**

राज्य के अंश की कम विमुक्ति के परिणामस्वरूप विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

foeDr fuf/k dk 0;; d: i esa fn[kk;k x;k

(ii) कार्यकारी अभिकरणों को विमुक्त किए गए राज्यांश राज्य के लेखे में व्यय के रूप में दिखाया गया था। परन्तु इस तरह विमुक्त 188.96 करोड़ रुपये में से मार्च 2002 तक 55.38 करोड़ रुपये ''असैनिक जमा'' में पड़ा था।

3-2-4-2 ueuk tkfpr ftyksa esa fuf/k dk iz/kkuk ,oa 0;;

वर्ष 1995–2002 के दौरान नमूना जाँचित जिलों में व्यय निम्नवत थे :

ueuk tkfpr ftyksa esa vf/kdrj fuf/k vuqi;qDr jgh

o"kZ	vkfn 'k"kZ	lan	fofo/k ØfMV	dUnzh; vu'k	jkT; vu'k	dqy	0;;	cpr
	¼djksM #i;ksa esa½							
1995-96	81.55	2.07	24.16	133.59	38.56	279.93	163.64	116.29
1996-97	116.29	3.11	20.13	145.90	110.23	395.66	208.27	187.39
1997-98	187.39	3.14	10.97	225.95	137.48	564.93	345.97	218.96
1998-99	218.96	3.93	9.72	245.42	137.69	615.72	389.48	226.24
1999-2000	226.24	5.13	10.76	218.89	280.08	741.10	455.06	286.04
2000-01	286.04	1.20	5.66	146.04	88.32	527.26	310.59	216.67
2001-02	216.67	Nil	3.12	208.74	113.73	542.26	324.64	217.62
;kx		**18.58**	**84.52**	**1324.53**	**906.09**		**2197.65**	

उपलब्ध निधि में से 217.62 करोड़ रुपये अनुपयोगित रहे।

fuf/k;k¡ **vlfud tek** esa j[kh xbZ

(i) तीन नमूना जाँचित जि. ग्रा. वि. अभि.[6] में लघु सिंचाई, विधायक/विधान पार्षद, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. तथा बुनियादी न्यूनतम सेवा योजनाओं हेतु निमित्त 14.69 करोड़ रुपये मार्च 2000 के दौरान ''असैनिक जमा'' में रखे गए जबकि मार्च 2002 तक राशि अनुपयोगित रहे।

[6] *जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली*

fuf/k lkof/kd tek e fuo'k dh xb

(ii) जि. ग्रा. वि. अभि., मधुबनी में विभिन्न योजनाओं हेतु निमित्त 9.10 करोड़ रुपये (जे.आर.वाई : 6.17 करोड़ रुपये ; सामुदायिक विकास : 0.30 करोड़ रुपये ; लघु सिंचाई : 0.25 करोड़ रुपये तथा आई आर. डी. पी. : 2.38 करोड़ रुपये) की निधि को वर्ष 1992–93 के दौरान छः बैंकों में सावधिक जमा में रखे गए। इसमें से उप–विकास आयुक्त द्वारा भुनाए गए 3.56 करोड़ रुपये रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं किए गए। बाद में भुनाए गए 3.95 करोड़ रुपये (1995–96 : 0.11 करोड़ रुपये तथा 1996–97 : 3.84 करोड़ रुपये) लेखे में लिए गए। शेष 1.59 करोड़ रुपये न तो लेखे में आहरित दिखाए गए न ही लेखे में वर्ष 1996–97 से बैंक में जमा के रूप में दिखाई पड़े। कुल मिलाकर 5.15 करोड़ रुपये (3.56 करोड़ रुपये + 1.59 करोड़ रुपये) लेखे में नहीं दिखाए गए जिसके जाँच की आवश्यकता थी।

fuf/k d y[kkdj.k ugh dju l nfofu;k tu@ tkyl kth vU; ;k tukvk ij fuf/k dk fopyu fd;k x;k

(iii) 6 जि. ग्रा. वि. अभि.[7] ने वर्ष 1995–2001 के दौरान एक योजना से दूसरे योजना में 32.40 करोड़ रुपये की निधि का विचलन किया। जून 2002 तक इन विचलित निधि की वापसी नहीं की गई थी। निधि के विचलन के फलस्वरूप 847962 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से होने वाले वांक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

(iv) 6 जि. ग्रा. वि. अभि. में, जिला मुख्यालय में विकास भवन के निर्माण, जेनरेटर/गाड़ियों की खरीद तथा अन्य आकस्मिक खर्च पर 2.39 करोड़ रुपये का दुरूपयोग हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

fofo/k vkdfLed rk 0;; d fy, fuf/k dk n: i ;kx

Øekd	ftyk	;kt uk	jkf'k ¼djkM #i ;s e½
1	पूर्वी चम्पारण	आई.आर.डी.पी जे.आर.वाई	0.22 0.03
2	सहरसा	आई.आर.डी.पी. सूद	0.85
3	वैशाली	आई.आर.डी.पी.	0.31
4	समस्तीपुर	आई.आर.डी.पी जे.आर.वाई	0.22 0.51
5	मधुबनी	आई.आर.डी.पी.	0.17
6	जहानाबाद	सूद	0.08
	;kx		**2.39**

(v) नौ. जि. ग्रा. वि. अभि. ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर वर्ष 1995–2001 के दौरान 194 ए.सी. विपत्रों पर 138.64 करोड़ रुपये कोषागारों से आहरित किया जबकि इनके डी. सी. विपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए।

(vi) नमूना जाँचित 8 जि. ग्रा. वि. अभि. द्वारा वर्ष 1995–2000 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों को भुगतान की गई 72.08 करोड़ रुपये जुलाई 2002 तक अवसूलित/असमायोजित पड़े रहे, जबकि उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

vkdfLed [kpk gr vfxe vol fyr@ vlek;kftr jg

इसके अतिरिक्त, जे. आर. वाई. के तहत आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जून 1994 से मार्च 2001 के दौरान जि. ग्रा. वि. अभि. पटना द्वारा 2.27 करोड़ रुपये की अग्रिम भुगतान की गई। फिर भी प्राप्त अग्रिम का कोई लेखा पेश नहीं किया गया तथा अगस्त 2002 तक ये असमायोजित/अवसूलित रही।

[7] *भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर*

118-06 djkM+ #i;s dh vfxze ,oa çkfIr;ksa dk nqfofu;kstu

इसके अलावे, जे.आर.वाई. योजना के अंतर्गत उसास–दौरा पथ के प्रीमिक्सिंग कार्य हेतु वर्ष 1996–97 के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोच (गया) ने कनीय अभियंता, ग्रा. अभि. संगठन. प्रमंडल, गया को 20.63 लाख रुपये का अग्रिम प्रदान किया। इसके विरूद्ध जुलाई 2002 तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। वर्ष 1996–98 के दौरान 12 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उसी कनीय अभियंता को 1.24 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रदान किया गया। पुनः 7 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता को 35.76 लाख रुपये प्रदान किया गया। इस प्रकार वर्ष 1996–98 के दौरान 20 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता को 1.81 करोड़ रुपये का कुल अग्रिम प्रदान किया गया। इसके विरूद्ध मार्च 1998 तक केवल 74.90 लाख रुपये समायोजित किए गए थे तथा जून 2002 तक 1.06 करोड़ रुपये असमायोजित पड़े रहे। इसके अतिरिक्त, कनीय अभियंता के द्वारा 12.21 लाख रुपये का एक विभागीय प्राप्ति (मार्च एवं सितम्बर 1997) का लेखाकरण नहीं किया गया। इस प्रकार, कनीय अभियंता के द्वारा किए गए 1.18 करोड़ रुपये के असमायोजन के जाँच की आवश्यकता थी।

i'kklh vuqlajpuk ij ekud ls vf/kd 0;;

(vii) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 8 या अधिक प्रखंडों वाले जिलों के आवंटन का 10 प्रतिशत, 5 से 7 प्रखंडों वाले जिलों के आवंटन का 12.5 प्रतिशत तथा 4 प्रखंडों तक वाले जिलों के आवंटन का 15 प्रतिशत प्रशासनिक अंतःसंरचना हेतु उपयोग किया जाना था। हाँलाकि 8 नमूना जाँचित जि. ग्रा. वि. अभि. में मानक से ज्यादा 8.68 करोड़ रुपये प्रशासनिक अंतःसंरचना पर खर्च किया गया जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास योजनाओं पर कम खर्च हुआ।

fuf/k nqfofu;kstu dh xbZ

(viii) 3 कार्यपालक अभियंताओं द्वारा 3.89 करोड़ रुपये की निधि का दुर्विनियोजन किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत है :

Øe la-	ftyk	;kstuk	dk;Zdkjh vfHkdj.k	nqfofu;kstu jkf'k ¼djkM+ #i;s esa½	o"kZ	vH;fä
1	गया	ई.ए.एस.	ग्रा. अभि. स. प्रमंडल, गया	0.03	1998-99	कार्य पूरा नहीं किया गया तथा व्यय के लेखे जुलाई 2002 तक प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राथमिकी दर्ज की गई (27 अक्टूबर 1998)।
2	मधुबनी	विभिन्न योजनाएँ	कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी.	0.52	1995-2000	व्यय के अभिलेख का संधारण नहीं किया गया। मार्च 2001 से कार्यपालक अभियंता निलंबित हैं।
3	सहरसा	–वही–	–वही–	2.97	1993-99	सहायक अभियंता तथा 4 कनीय अभियंताओं ने 4 से 10 वर्षों के विलम्ब के बाद भी कार्य पूरा नहीं किया। पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज किए जाने के अलावे जुलाई 2002 तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। (25 जनवरी, 2000)
4	सहरसा	जे.आर.वाई.	–वही–	0.37	1993-98	–
	;kx			**3.89**		

3-2-5 ;kstukvksa dh Hkkfrd izxfr

विभिन्न योजनाओं के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत थे :

Øe l-	;kstuk	o"k	y{; dh miyfC/k	çfr'kr	
				0;oâr fuf/k	y{; d fo:) Hkkfrd çxfr
1.	एम. डब्लू. एस.	1995-99	16145	82	50
2.	बी. एम. एस.	1996-02	373616	102	59
3.	आई.ए.वाई (यू.पी.)	1999-02	105244	91	49
4.	आई.ए.वाई (जेन)	1995-02	604363	103	57
5.	टी.आर.वाई.एस.इ.एम.	1995-99	82024	76	51
6.	डी.डब्लू.ए.सी.आर.ए.	1995-99	7531	96	56
7.	विधायक/विधान पर्षद	1995-02	45486	78	45
8.	आई.आर.डी.पी./ एस.जी.एस.वाई.	1995-02	818091	71	60

3-2-5-1 uewuk tkfpr ftyksa esa Hkkfrd izxfr

नमूना जाँचित जिलों में व्यय की तुलना में चयनित योजनाओं की भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

;kstuk	o"k	0;oâr fuf/k ¼djksM #i;ksa esa½	çkIr y{;	miyfC/k dk ifr'kr
				Hkkfrd
आई.ए.वाई (नया)	1996-02	373.83	166560	70
बी.एम.एस.	1996-2000	349.74	91443	74
टी.आर.वाई. एस.ई.एम.	1995-99	7.43	22977	49

लेखा संवीक्षा से निम्न बातों का भी पता चला :

¼d½ ;kstukvksa d ifjf/k l ckgj ykHkkfFkZ;ksa dk p;u

v;kX; ykHkkFkh

आई.एम.वाई. के तहत मकानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के एक सदस्य के लिए मान्य थी। इसके विपरीत जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में योजना कें अंतर्गत योग्य लाभार्थियों को वांक्षित लाभ से वंचित करते हुए 43 लाभार्थी जो बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं आते थे पर 8.60 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

¼[k½ vuqnku d Hkqxrku esa ekud dk ikyu ugh fd;k tkuk

iwo 'kÙkksa ij iwjk fd, cxj vuqnku dk Hkqxrku fd;k x;k

आई.आर.डी.पी./एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अनुदान का भुगतान, ऋण के अदायगी के कुछ अंतिम किस्तों के द्वारा समायोजित किया जाना था। अदायगी अनुसूची के अनुसार अगर ऋण की पूरी अदायगी एक निश्चित निर्धारित अवधि के अंदर कर दिया गया तो योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को अनुदान देय नहीं था। लाभार्थी को अनुदान का लाभ ऋण के उचित उपयोग के साथ–साथ इसके तत्पर अदायगी तथा अच्छी स्थिति में बनाए गए सम्पत्ति के रख–रखाव पर निर्भर था।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 1995–2002 के दौरान 818091 लाभार्थियों को वितरित किए गए 820.18 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली पर निगरानी नहीं रखी गयी तथा वांक्षित उद्देश्यों के लिए ऋण के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसी अवधि के दौरान केवल 1.22 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी हुई।

vuinku d Hkxrku d i)fr;k dk mYy?ku fd;k x;k

यह भी पाया गया कि भारत सरकार के मानकों के विरूद्ध जि. ग्रा. वि. अभि., मधुबनी ने 1996–98 के दौरान आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत उन लाभार्थियों को 58.43 लाख रुपये का नकद अनुदान वितरित किया जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं था। इस विषय की जाँच की आवश्यकता थी।

¼x½ vi.k ;ktukvksa ij 0;;

vi.k ;ktukvksa ij ogr vykHkdkjh 0;;

हालाँकि शुरू की गई ग्रामीण विकास योजनाएँ उसी वित्तीय वर्ष में पूरी की जानी चाहिए थी, नमूना जाँचित 9 जि. ग्रा. वि. अभि. में से 8 में, वर्ष 1995–2000 के दौरान शुरू की गई 2504 योजनाएँ जुलाई 2002 तक 2 से 7 वर्षों तक पूरी नहीं हुई जबकि इन योजनाओं पर 18.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए। विवरणी निम्नवत थे :

ftyk	t- vkj- okb-		b- ,- ,l-		,e- MCY;-,l-		vkb-,-okb ¼lk-½		fo/kk;d@fo/kku ik"kn		,e-,u-ih-		,e-ih-,y-,Mh-,l-	
	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;	;ktuk	0;;
	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½
मधुबनी	9	19.38	97	286.04	--	--	10	1.29	5	15.81	23	65.22	--	--
समस्तीपुर	18	19.23	104	230.05	--	--	94	11.06	53	32.51	1	24.96	--	--
गया	48	49.73	34	32.61	71	15.99	--	--	2	1.06	15	96.52	--	--
मुजफ्फरपुर	--	--	29	56.46	--	--	--	--	9	15.56	--	--	--	--
जहानाबाद	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	114.48	--	--
सहरसा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26	43.80	--	--
पूर्वी चम्पारण	--	--	--	--	--	--	936	114.42	--	--	19	61.47	--	--
भागलपुर	40	103.85	62	158.77	122	16.35	478	57.74	170	164.92	--	--	8	5.78
;kx	**115**	**192.19**	**326**	**763.93**	**193**	**32.34**	**1518**	**184.51**	**239**	**229.86**	**105**	**406.45**	**8**	**5.78**

¼?k½ ifjR;ä ;ktukvksa ij Hkh 0;Fkk 0;;

7 नमूना जाँचित जि. ग्रा. वि. अभि. में, 104 शुरू की गई योजनाएँ छोड़ दी गई जबकि इन पर 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए। विवरण निम्नवत थे :

ifjR;Dr ;ktukvksa ij [kpk fd, x, Hkkjh fuf/k 0;Fkk lkfcr gq,

;ktuk	ftyk	o"k	ifjR;Dr ;ktuk	vkdfyr 0;;	ifjR;Dr dk;k ij dqy 0;;
			¼lk[;k e½	¼yk[k #i;s e½	
ई.ए.एस.	समस्तीपुर	1998-99	6	28.17	6.50
	पूर्वी चम्पारण	2000-01	19	28.00	19.11
एस.एन.पी./ ई.ए.एस	जहानाबाद	1997-98	11	133.64	43.91
	गया	1996-99	13	40.57	11.62
एम.एन.पी.	समस्तीपुर	1998-99	6	28.27	6.50
	पूर्वी चम्पारण	2000-01	19	28.00	19.11
एम.पी.एल.ए. डी.	जहानाबाद	1995-96	1	--	1.68
सेक सड़क	भागलपुर	1995-2000	2	14.79	2.07
	हाजीपुर	–वही–	8	36.11	19.84
	जहानाबाद	–वही–	1	7.75	3.37
	मधुबनी	–वही–	18	--	41.40
;kx			**104**	**345.30**	**175.11**

योजनाओं को छोड़ देने का कोई कारण उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार 1.75 करोड़ रुपये का कुल व्यय व्यर्थ साबित हुआ।

¼3½ lEifÙk lph l/kkfjr ugh dh xbZ

lftr dh xbZ lEifÙk lph fdlh Lrj ij l?kkfjr ugh

किसी भी नमूना जाँचित जि. ग्रा. वि. अभि. में सृजित सम्पत्ति सूची का संधारण नहीं किया गया एवं राज्य स्तर पर भी इनका संधारण नहीं किया गया था।

¼p½ jkstxkj dk l`tu

¼i½ Je & jkstxkj

jkstxkj dk vYi l`tu

जे. आर. वाई. के तहत् प्रत्येक पंजीकृत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार तथा ई.ए.एस. के तहत दो सदस्यों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना था। इसके बदले जे. आर. वाई. के तहत केवल 6 से 35 दिनों का तथा ई. ए. एस. के तहत 2 से 4 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया जिनका विवरणी निम्नवत है :

;kstuk	o"kZ	dqy iathdr Jfedksa dk ifjokj ¼lwpdkad yk[k esa½	o"kZ esa dqy lftr Je fnol ¼lwpdkad yk[k esa½	o"kZ esa inUkq vkSlr Je fnol ¼lwpdkad esa½
tsvkj-okbZ-	1995-96	14.81	525.24	35
	1996-97	24.10	266.63	11
	1997-98	31.31	315.81	10
	1998-99	31.00	344.69	11
	1999-2000	34.68	254.68	7
	2000-01	35.55	205.68	6
	2001-02	35.55	233.19	7
bZ-,-,l-				
	1995-96	14.81 x 2	68.44	2
	1996-97	24.10 x 2	148.23	3
	1997-98	31.31 x 2	267.12	4
	1998-99	31.00 x 2	270.54	4
	1999-2000	34.68 x 2	249.85	4
	2000-01	35.55 x 2	192.06	3
	2001-02	35.55 x 2	215.60	3

¼ii½ Lo&jkstxkj

ch-ih-,y- ;kstuk dk ek= 1 ls 7 izfr'kr dk Lo&jkstxkj izkIr fd, x,

आई.आर.डी.पी./एस.जी.एस.वाई. के द्वारा ग्रामीण युवको को स्वरोजगार हेतु माइक्रो इन्टरप्राइजेज के स्थापना हेतु अनुदान प्रदान किया गया। योग्य बी. पी. एल. युवकों का केवल 1 से 7 प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया गया, जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है :

o"kZ	dqy ch-ih-,y- ;kstuk	iathdr Jfedksa dk ifjokj	Lojkstxkj gsrq ;kX; dqy ch-ih-,y- ;kstuk ¼2&3½	ch-ih-,y- ;kstuk dk inUkq vuqeku	ykHkkFkhZ for ch-ih-,y- ;kstuk ¼ifr'kr esa½	ch-ih-,y- ;kstuk dk ¼dkyye 5½ Hkkxrku fd;k tkus okyk vuqeku	Hkkxrku fd;k x;k vuqeku
1	2	3	4	5	6	7	8
	¼lwpdkad yk[k esa½					¼#i;s djksM esa½	
1995-96	48.43	14.81	33.62	1.71	5	85.50	55.41
1996-97	48.43	24.10	24.33	1.68	7	83.76	70.54
1997-98	68.93	31.31	37.62	1.31	3	65.55	NA
1998-99	68.93	31.00	37.93	1.21	3	60.42	75.92

o"k	dy ch-ih-,y-;kstuk	ifjdfYir Jfedksa dk ifjokj	Lojkstxkj gsrq ;kX; dy ch-ih-,y-;kstuk ¼2&3½	ch-ih-,y-;kstuk dk izLrko vuqeksnu	ykHkkFkhZ ch-ih-,y-;kstuk ¼ifr 'kr e½	ch-ih-,y-;kstuk dk ¼dkye 5½ Hkqxrku fd;k tkus okyk vuqeksnu	Hkqxrku fd;k x;k vuqeksnu
1	2	3	4	5	6	7	8
	¼lqfu;kstuk yk[k e½					¼#i;ksa djksM e½	
1999-2000	68.93	34.68	34.25	0.45	1	39.48	42.18
2000-01	68.93	35.55	33.38	0.78	2	68.70	55.41
2001-02	68.93	35.55	33.38	1.05	3	92.71	73.94
;ksx						**496.12**	**373.40**

¼N½ *tkyh eLVj jksy ij Hkqxrku*

tkyh eLVj jksy dk }kjk Hkqxrku

वर्ष 1996–2001 के दौरान 3 जिलों (जहानाबाद, मधुबनी एवं समस्तीपुर) में 12 कार्यकारी अभिकरणों द्वारा 54 मस्टर रॉल के द्वारा श्रमिकों को 1.87 करोड़ रुपये का भुगतान एक ही श्रमिक का नाम एक ही अवधि में दो या तीन बार दिखाकार किया गया। कुल मिलाकर जाली मस्टर रॉल के माध्यम से 1.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

3-2-6 Ikexh izca/ku

(क) 4 नमूना जाँचित जि. ग्रा. वि. अभि. में वर्ष 1996–2000 के दौरान तेल कम्पनियों के द्वारा 25.93 लाख रुपये मूल्य का 291.26 टन अलकतरा की कम आपूर्ति की गई जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

vydrjk dh de vkifrZ dh {kfrifrZ@olwyh ugha

ftyk dk uke	o"k	vkn'k dh xbZ ek=k	Hkqxrku fd;k x;k eY;	vkifrZ dh xbZ ek=k	eY;	de vkifrZ dh xbZ ek=k	eY;
		¼ek=k Vu e] eY; yk[k #i;ksa e½					
पूर्वी चम्पारण	1998-2000	359.46	35.90	284.66	28.85	74.80	7.05
एन.आर.ई.पी., वैशाली	1999-2000	172.89	16.53	78.52	8.06	94.37	8.47
जि.ग्रा.वि.अभि. गया	1996-98	600.00	42.69	514.26	36.59	85.74	6.10
जि.ग्रा.वि.अभि. जहानाबाद	1997-98	99.85	9.51	5.20	95.54	36.35	4.31
;ksx		**1232.20**	**104.63**	**940.94**	**78.70**	**291.26**	**25.93**

जिला समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त द्वारा तेल कम्पनियों को कम अलकतरा की आपूर्ति के मुद्दे को नहीं उठाया।

nfo;kstuk vkfr vydrjk dh [kpZ dh olwyh ugha

(ख) उप विकास आयुक्त, गया द्वारा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को 42.69 लाख रुपये मूल्य के 600 टन अलकतरा के आपूर्ति का आदेश (मार्च/मई 1997) दिया गया। भुगतान, आपूर्ति आदेश के साथ किया गया। एक कनीय अभियंता को तेल कम्पनी के हल्दिया डीपो से अलकतरा लेने के लिए निर्दिष्ट किया गया। नवम्बर 1997 में कनीय अभियंता ने 378.11 टन अलकतरा उठाया। कार्यपालक अभियंता, ग्रा. अभि. सं. प्रमंडल, गया के कथन (17 जून 2001) के अनुसार कनीय अभियंता द्वारा उठाये गए अलकतरा की प्राप्ति अभिलेख में दर्ज नहीं था। इस प्रकार, 25.92 लाख रुपये मूल्य का 378.11 टन अलकतरा का दुर्विनियोजन हुआ। जबकि उप विकास आयुक्त/जिला समाहर्त्ता के निदेश (मई 2001) पर सहायक परियोजना पदाधिकारी, गया द्वारा केवल

12.17 लाख रुपये मूल्य का 169.94 टन अलकतरा के दुर्विनियोजन के लिए कनीय अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी (25 अगस्त 2001) दर्ज की गई। पुलिस का फलाफल उपलब्ध नहीं था। आपूर्ति नहीं की गई 13.75 लाख रुपये मूल्य के 208.17 टन अलकतरा की वसूली का मुद्दा तेल कम्पनी से नहीं उठाया गया।

fleUV dh de vkifr

(ग) नमूना जाँचित 2 जि. ग्रा. वि. अभि. तथा एक प्र. वि. पदा. कार्यालय में 32.03 लाख रुपये मूल्य का 26614 बैग सिमेन्ट कम आपूर्ति की गई। जिला समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्तों द्वारा आपूर्तिकर्त्ता से 32.03 लाख रुपये की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3-2-7 ekuo 'kfä ic/ku

3-2-7-1 fuf"Ø; dfe;ksa ij fu"Qy 0;;

cxj dk;Z dh pkydksa ij fujFkd 0;;

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल, मोतिहारी में 1990 से यांत्रिकी खराबी के कारण 20 गाड़ियाँ चालू स्थिति में नहीं थी जबकि 27 चालक कार्यरत थे। 1996 से 2002 के दौरन वगैर कार्य इनके वेतन एवं भत्ते पर 50.02 लाख रुपये का खर्च हुआ।

3-2-8 vU; rF;

3-2-8-1 ifj;kstuk dh vuf/kd`r Lohdfr

ftyk lekgÙkk] e/kqcuh us 1-28 djksM #i;s ykxr dh ,d ogr ifj;kstuk dks vuf/kd`r :i ls Lohdr fd;k

भारत सरकार के अनुदेश (7 जुन 1994) के अनुसार जिला समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये मूल्य तक के परियोजना को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत थे। इसके विपरित जिला समाहर्त्ता, मधुबनी ने आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत मिथिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति, समस्तीपुर द्वारा प्रस्तावित (1996–97) 1.28 करोड़ रुपये के एक परियोजना (दुग्धशाला विकास) को स्वीकृत किया तथा नवम्बर एवं दिसम्बर 1996 के दौरान समिति को 20.62 लाख रुपये विमुक्त किया। जि. ग्रा. वि. अभि., मधुबनी ने परियोजना के घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सरकार को अपना प्रस्ताव दिया (अगस्त 1997) जिसे अस्वीकृत कर दिया गया (सितम्बर 1997)। तब जिला समाहर्त्ता ने समिति को अग्रिम की वापसी हेतु निदेशित किया। इसी बीच, समिति द्वारा 17.49 लाख रुपये खर्च कर दिए गए (जुलाई 1997) जिनमें से 4.36 लाख रुपये का दुरूपयोग हुआ तथा 3.23 लाख रुपये संदेहास्पद प्रकृति का था। जबकि कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गई।

3-2-8-2 vfxeksa dk tkyh lek;kstu

vfxeksa dh tkyh lek;kstu dh tkp dh vko';drk Fkh

जि. ग्रा. वि. अभि., जहानाबाद द्वारा भुगतानकर्त्ता के विस्तृत विवरण के बगैर ही 1995–96 से पूर्व के वर्ष में ट्राइसेम के बैलेंस शीट में 51.82 लाख रुपये का अग्रिम दिखाया गया। बाद में, जि. ग्रा. वि. अभि. द्वारा 1997–98 के दौरान 48.64 लाख रुपये का समायोजन किया गया। इस तरह का समायोजन संदेहास्पद था तथा जाँच की आवश्यकता थी। साथ ही 3.18 लाख रुपये का लेखाकरण किया जाना था।

3-2-8-3 jksdM dk xcu

8-70 yk[k #i;s jksdM dk xcu

ग्रामीण विकास विभाग, पटना के सहायक रोकड़ पंजी के नमूना जाँच से पाया गया कि 25 अक्टूबर 1991 को लेखे के शीर्ष 2505 के तहत 3.12 लाख रुपये, '3451' शीर्ष के

तहत 4.67 लाख रुपये तथा '2501' शीर्ष के तहत 0.89 लाख रुपये का अंतशेष था। 26 अक्टूबर 1991 तथा इसके आगे इन शेषों को आदि शेष के रूप में नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त एक आकस्मिक विपत्र (362/1994–95) द्वारा 0.37 लाख रुपये कोषागार से आहरित (टी भी न. – 24 दिनांक 31.3.95) की गई, परन्तु केवल 0.35 लाख रुपये ही रोकड़ पंजी में प्राप्त दिखाए गए थे। इस प्रकार, 8.70 लाख रुपये का गबन हुआ।

3-2-8-4 xkfM;k ij ljdkjh /ku dk 0;Fk mi;ksx

भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों (दिसम्बर 1994) तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए आदेशों (दिसम्बर 1997) के अनुसार एक जि. ग्रा. वि. अभि. के लिए केवल तीन गाड़ियों (एक कार तथा 2 डीजल जीप या 2 जिप्सी) का परिचालन होना चाहिए था। जबकि 2 जि. ग्रा. वि. अभि. (मोतिहारी तथा नालंदा) में अन्य सरकारी विभाग, जिला परिषद, प्रखंडों आदि द्वारा प्राप्त की गई, गाड़ियाँ मानक से अधिक चलाई गई जिनका विवरणी निम्नांकित है :–

ft-xk-fo-vfHk-	vof/k	xkfM;k dk ifjpkyu	ekud dk vuqlkj okf{kr xkfM;k	ekud ls vf/kd xkfM;k dk ifjpkyu	ekud ls T;knk pykbZ xbZ xkfM;k dk ifjpkyu rFkk nq[kjs[k ij [kpZ
		¼la[;k e½			¼#i;s yk[k e½
मोतिहारी	1996-2003	14	3	11	29.37
नालंदा	1995-2003	10 to 18	3	7 to 15	21.82
;ksx					**51.19**

गाड़ियों की संख्या मानक से अधिक होने के कारण पी ओ एल पर 51.19 लाख रुपये का अधिकाई व्यय हुआ जिसे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था। इसकी जाँच की आवश्यकता है।

3-2-8-5 ikjxeu esa fuf/k

T;knk le; rd ikjxeu esa fuf/k dk jgus ls xcu@ tkylkth dh lHkkouk

2 जि. ग्रा. वि. अभि. में कार्यकारी अभिकरणों को विमुक्त 2.63 करोड़ रुपये की निधि उनके द्वारा 2 से 6 वर्षों तक प्राप्त नहीं किए गए थे तथा इनको मार्च 2002 तक ''पारगमन में निधि'' के रूप में दिखाया जा रहा था। विवरणी निम्नवत थे :–

ft-xk-fo-vfHk-	;kstuk	o"kZ ftlesa fuf/k foeqDr dh xbZ	jkf'k ¼yk[k #i;s e½
जहानाबाद	ट्राइसेम	1994-95	0.71
	जे आर वाई	1996-97	38.15
सहरसा	ई ए एस	1998-99	19.52
	जे आर वाई	1999-2000	204.39
;ksx			**262.77**

अधिक मात्रा में निधियों का लम्बे समय तक पता नहीं चलने के कारण इसके गबन तथा जालसाजी के खतरे की संभावना थी।

3-2-9 vuqJo.k rFkk eY;kadu

n;uh; vuqJo.k

हालाँकि राज्य मुख्यालय में एक अनुश्रवण कोषांग कार्य कर रहा था, मार्च 2002 तक राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण कार्यकारियों के निरीक्षण की कोई सूची नहीं बनाई गई थी। नमूना जाँचित जिलों में अनुश्रवण कोषांग कार्य नहीं कर रहे थे तथा निरीक्षण की कोई सूची तैयार नहीं की गई थी।

dk;kfUor dk;Øek dk dkbZ lLi"V iHkko ugh Fkk

चूँकि जे. आर. वाई. (जे.जी.एस.वाई.), इ.ए.एस., आई.आर.डी.पी., एस.वी.एस.वाई तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत सृजित आय एवं निर्मित सम्पत्ति का पंजी किसी स्तर पर संधारित नहीं था, विभाग के द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव को विश्लेषण नहीं किया गया। जबकि यह देखा गया कि बी. पी. एल. परिवारों की संख्या 1991–92 में 48.43 लाख से बढ़कर 1997 में 68.93 लाख हो गई तथा राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 1991 में 120.89 लाख से बढ़कर 1997 में 158.61 लाख हो गई। इस प्रकार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण गरीबों के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितम्बर 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

3-3 xkeh.k vkokl

e[;kd"k.k

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित इंदिरा आवास योजना एवं 5 अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के अ. जा./अ. ज. जा. के ग्रामीण गरीबों, गैर अ. जा./अ.ज.जा. श्रेणी के मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा सेवा निवृत्त रक्षा कर्मियों को घर मुहैय्या कराना था।

योजना का क्रियान्वयन दयनीय था तथा वह निधि का विचलन, निधि का दुरूपयोग, निधि का अवरोधन, अदेय भुगतान, अयोग्य लाभार्थियों का समावेश, मकानों के अधूरे निर्माण इत्यादि से बुरी तरह ग्रस्त था। अधिकतर मकान बिना स्वास्थ्यकर शौचालय एवं धुँआ रहित चुल्हा सुविधा के बनाए गए थे। पाँच ग्रामीण आवास योजनाएँ (जमा–सह–अनुदान योजना, समग्र आवास योजना, ग्रामीण आवास एवं आवास विकास के लिए प्रवर्तित योजना, ग्रामीण भवन केन्द्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना), जो अप्रील 1999 एवं 2000–01 में चालू की गई थी, शुरू ही नहीं हुईं। इस तरह ग्रामीण आवास योजनाएँ लक्षित लोगों को अभीष्ट लाभ पहुँचाने में विफल रही।

96-43 djkM #i;s v0;âr jgA QyLo:i Hkkjr ljdkj ls 401-40 djkM #i;s ikIr djus esa jkT; foQy jgkA

¼dfMdk 3-3-5-1½

Mh-vkj-Mh-,-] iVuk us vU; ;kstukvksa gsrq 4 ls 5 o"kksZa ds fy, 9-29 djkM #i;s fopfyr fd;k ftldk dkj.k ekpZ 2002 rd 2-23 djkM #i;s dh {kfr gbA esVt¶Qjiij] uoknk ,oa iVuk fty esa dk;ZdYi ,oa vkdfLed 0;; ij 17-27 yk[k #i;s dk nq:i;ksx fd;k x;kA

¼dfMdk 3-3-5-1 ¼i½ ,oa ¼ii½½

nks i[kkM fodkl inkf/kdkfj;ksa ¼xkjkMhg rFkk lcjt½ us vuf/kd`r :i ls 1-46 djkM #i;s ,d futh lg;ksx lfefr esa j[kkA i[kkM fodkl inkf/kdkjh rFkk vpykf/kdkjh] uoknk us cdks dk pkyw [kkrksa esa 92-17 yk[k #i;s j[kk ftlls C;kt dh gkfu gbA

¼dfMdk 3-3-5-1 ¼iv½ ,oa ¼v½½

ueuk tkfpr ftyksa esa 9-01 djkM #i;s lfUufgr 0;; oky 6934 edku 2 ls 5 o"kksZa rd v/kjk@ifjR;ä iM jgA

¼dfMdk 3-3-6-1 ¼i½½

v;kX; ykHkkfFkZ;ksa ds fy, 4-78 djkM #i;s dh ykxr ij 3050 edku cuk, x,A

¼dfMdk 3-3-6-1 ¼iii½½

xkeh.k vkokl ds fy, tek&lg&vuqnku ;kstuk ,oa i/kkuea=h xkE;kn; ;kstuk ¼ih-,e-th-okbZ-½ dh foÙkh; ,oa Hkkfrd izxfr vYi ,oa ux.; FkhA

¼dfMdk 3-3-7-1 ,oa 3-3-7-2½

3-3-1 Hkfedk

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) एक केन्द्र प्रवर्तित योजना – ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) के घटक के रूप में 1985–86 में आरंभ की गई। जनवरी 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना बन गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के अ.जा./अ.ज.जा., गैर

अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के मुक्त बंधुआ मजदूरों के परिवारों को आवास मुहैय्या कराना था तथा इसका लाभ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक/अर्द्ध–सैनिक बल या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इनके परिवार को भी उपलब्ध कराना था।

तदनंतर आई.ए.वाई. निम्नलिखित ग्रामीण आवास योजनाओं : (i) ग्रामीण आवास के लिए जमा–सह–अनुदान योजना ; (ii) प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना ; (iii) समग्र आवास योजना ; (iv) ग्रामीण आवास एवं आवास विकास के लिए प्रवर्तित योजना ; (v) ग्रामीण आवास केन्द्र से संपूरित की गई। हालाँकि अंतिम तीन योजनाएँ राज्य में क्रियान्वित नहीं की गईं।

3-3-2 lkxBfud <kpk

xkeh.k fodkl foHkkx u xkeh.k vkokl ;kstuk dk lapkyu fd;k

आयुक्त–सह–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राज्य में आई.ए.वाई. के क्रियान्वयन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी थे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीन के उपविकास आयुक्त तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी से सहायता प्राप्त तथा उनके द्वारा शीर्षित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) ने योजना का संचालन किया।

3-3-3 y[kkijh{kk foLrkj

9 fty rFkk mudh rgr dh 38 i[kM ueuk tkapk

लेखापरीक्षा द्वारा दिसंबर 2001 एवं मई 2002 के दौरान 9 (37 में से) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.)[1] तथा नमूना जाँचित जिलों के 38 प्रखंड कार्यालयों में 1997–2002 के दौरान योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

3-3-4 lo{k.k ,oa ;kstuk

xjhch vuqikr ,oa vkokl deh dk lo{k.k ugh fd;k x;k

भारत सरकार से राज्य सरकार को 50:50 के अनुपात में उपलब्ध सहायता 1998–99 तक राज्य के ग्रामीण गरीबों का देश के ग्रामीण गरीबों से अनुपात पर एवं उसके बाद गरीबी अनुपात तथा आवास कमी के आधार पर आधारित था। इसके लिए लाभार्थियों का सर्वेक्षण एवं पहचान करनी थी। हालाँकि न तो कोई सर्वेक्षण किया गया न ही सर्वेक्षण करने के लिए कोई प्रयास किया गया।

3-3-5 fuf/kdj.k ifreku

dsUnz ,oa jkT; ljdkj dh xkeh.k vkokl ;kstuk esa vizhy 1999 ls 75%25 dk vuqikr esa la>nkjh Fkh

आई.ए.वाई. के तहत निधि का 31 मार्च 1999 तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 80 : 20 के अनुपात में साझेदारी थी। उसके बाद उसे 75 : 25 के अनुपात में संशोधित किया गया। भारत सरकार डी.आर.डी.ए. को कुछ शर्त्तों को पूरा करने पर प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में निधि विमुक्त करती थी। भारत सरकार से पहली किस्त शुरू में ही विमुक्त होनी थी तथा दूसरी किस्त डी.आर.डी.ए. द्वारा दूसरी किस्त के लिए आवेदन देने के समय उपलब्ध निधि के 60 प्रतिशत का उपयोग करने के बाद विमुक्त होनी थी तथा वर्ष के अंत में अव्यवहृत निधि को कुल विनिधान से 25 प्रतिशत (1 अप्रील 1999 से घटकर 20 प्रतिशत) से अधिक नहीं होना चाहिए। अव्यवह्र निधि का सीमा से अधिक हो जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त विमुक्त करते समय अधिक राशि की कटौती कर लेनी थी। इसके अतिरिक्त आई.ए.वाई. के जमा पर अर्जित ब्याज राशि को आई.ए.वाई. की निधि का भाग समझना था।

[1] *भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना तथा वैशाली*

3-3-5-1 fo"ks"k; ykxr ,oa O;;

miyC/k fuf/k dk 28 l 50 izfr'kr v0;oâr jgk

राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रीय सहायता, विमुक्त राज्य अंश तथा किए गए व्यय निम्नवत थे :

o"k	vkfn 'k"k	çkIr fuf/k		dy	O;;	v0;oâr 'k"k ¼çfr'kr e½
		dUnz	jkT;			
	¼djkM+ #i;s e½					
1997-98	104.33	111.64	27.19	243.16	122.52	120.64 (50)
1998-99	120.64	135.21	32.02	287.87	178.47	109.40 (38)
1999-2000	109.40	193.76	82.02	385.18	249.17	136.01 (35)
2000-01	136.01	133.25	46.69	315.95	220.81	95.14 (30)
2001-02	95.14	183.92	63.24	342.30	245.87	96.43 (28)
;kx	**104.33**	**757.78**	**251.16**	**1113.27**	**1016.84**	**96.43**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार)

उपलब्ध निधि का 28 से 50 प्रतिशत अव्यवहृत रहा। परिणामतः 1159.18 करोड़ रुपये के केन्द्रीय विनिधान के बदले 757.78 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुआ।

नमूना जाँचित जिलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

9-29 djkM+ #i;s v0; i;kstu gsrq fopfyr

(i) डी. आर. डी. ए., पटना ने 1997–99 के दौरान राज्य बुनियादी न्यूनतम सेवा योजना को 9.29 करोड़ रुपये विचलित किया। विचलित की गई राशि को 4 से 5 वर्षों तक वापस नहीं किया गया, परिणामतः मार्च 2002 तक 2.23 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

dk;kZy; ,oa vkdfLed O;; ij 17-27 yk[k #i;s dk nq:i;ksx fd;k x;k

(ii) तीन नमूना जाँचित जिलों[2] में टेलीफोन बिल का भुगतान (0.48 लाख रुपये), वाहनों की मरम्मत एवं संपोषण (2.94 लाख रुपये), आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी (2.95 लाख रुपये) तथा अन्य कार्यालय खर्च (10.90 लाख रुपये) पर 17.27 लाख रुपये का दुरूपयोग किया गया।

20-08 yk[k #i;s dk y[kkdj.k ugha

(iii) मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बुक में मार्च 2002 को 1.14 लाख रुपये का शेष था जबकि रोकड़ बही में 21.22 लाख रुपये का शेष था। 20.08 लाख रुपये का लेखाकरण नहीं किया गया था तथा इसके दुर्विनियोग की संभावना है।

vuf/kd`r lg;ksx lfefr esa 146-27 yk[k #i;s tek

(iv) दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों (भागलपुर जिले में गोराडीह एवं सबौर) ने आई.ए.वाई. (138.69 लाख रुपये) तथा पी. एम. जी. वाई. (7.58 लाख रुपये) निधि को एक निजी सहयोग समिति (सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि.) में रखा (मार्च–मई 2002) जो सरकारी जमा प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत नहीं था।

vkbZ-,-vkbZ- fuf/k dk pkyw [kkrs esa j[kus ls C;kt dh gkfu

(v) प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर ने 2000–02 के दौरान 28.58 लाख रुपये चालू खाते में रखा। इसी तरह अंचलाधिकारी, नवादा ने 1997–2000 के दौरान 3 बैंकों के चालू खाते में 63.59 लाख रुपये रखा। ऐसी जमा पर मार्च 2002 तक 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से 7.64 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

[2] *मुजफ्फरपुर (1.71 लाख रुपये), नवादा (5.86 लाख रुपये) तथा पटना (9.70 लाख रुपये)*

3-3-6 Hkkfrd izxfr

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत थी :

o"k	vi.k edkuk dk fiNys o"k dk 'k"k	y{;	dy	i.k edku ¼dk"Bd e izfr'kr½	fuek.kk/khu edku
	¼l[;k e½				
1997-98	63028	61620	124648	57433 (46)	67215
1998-99	67215	96016	163231	75654 (46)	87577
1999-2000	87577	159109	246686	104386 (42)	142300
2000-01	142300	159109	301409	121353 (40)	180056
2001-02	180056	170873	350929	116136 (33)	234793
;kx		**646727**		**474962**	

(स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

vf/kd l[;k esa vkokl v/kjk iM+k jgk tcfd i;kZIr fuf/k v0;oâr jgh

(i) 54 से 67 प्रतिशत मकान अधूरे रहे। अधूरे मकानों की संख्या 1997–98 में 67,215 से तेजी से बढ़कर 2001–02 के अंत तक 2,34,793 हो गई। लेकिन उसी अवधि में अव्ययित शेष 120.64 करोड़ रुपये से घटकर 96.43 करोड़ रुपये रह गया।

Hkkfrd izxfr [kpZ dh xbZ fuf/k ls vlaxr Fkk

(ii) यद्यपि उपलब्ध निधि का 50 से 72 प्रतिशत खर्च किया गया लेकिन केवल 33 से 46 प्रतिशत ही लक्षित मकानों का निर्माण पूरा किया गया।

LokLF;dj 'kkSpky; dk fuek.k ugha

(iii) इ. आ. यो. में प्रत्येक मकान में धुँआरहित चुल्हा एवं स्वास्थ्यकर शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना थी। भारत सरकार के सचिव, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण ने टिप्पणी की (अगस्त 2001) कि इ. आ. यो. के तहत अधिकतर मकान बिना स्वास्थ्यकर शौचालय एवं धुँआरहित चुल्हा सुविधा के ही निर्मित किए गए हैं जबकि इ. आ. यो. के तहत निर्मित मकान में इस सुविधा का प्रावधान योजना का अभिन्न अंग था। निर्मित मकानों की कमियों को दूर करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

3-3-6-1 ueuk tkapr ftyksa esa Hkkfrd miyfC/k

vf/kd l[;k esa edku v/kjk iM+k jgk ftuij 9-01 djksM+ #i;s dk Hkkjh 0;; gqvk

(i) यद्यपि निर्माण हेतु लिए गए घरों को पहली किस्त के भुगतान से 3 महीने के भीतर पूरा कर लेना था, नमूना जाँचित 8 जिलों[4] के 23 प्रखंडों में मार्च 2002 तक 6934 मकान 2 से 5 वर्षों तक अधूरे/परित्यक्त रहे जिनपर 9.01 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

jksdM+ iath esa tkyh ifof"V dj 5-64 yk[k #i;s dh b- vk-;k- fuf/k dk xcu fd;k x;k

(ii) पटना सदर एवं मसौढ़ी प्रखंड में 1992–97 के दौरान 29 लाभार्थियों को 4.06 लाख रुपये का भुगतान किया गया। उन्हीं 20 लाभार्थियों को 1998–99 में पुनः 5.64 लाख रुपये वितरित दिखाए गए। इसके जाँच की आवश्यकता है।

[4] *भागलपुर (36.78 लाख रुपये), भोजपुर (150.35 लाख रुपये), पूर्वी चम्पारण (161.26 लाख रुपये), कटिहार (35.83 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (231.98 लाख रुपये), नवादा (71.30 लाख रुपये), पटना (101.25 लाख रुपये)*

v;kX; ykxkr d fy, 4-78 djkM #i;s dh ykxr ij 3050 edku fufeZr fd, x,

(iii) नमूना जाँचित 7 जिलों[5] के 26 प्रखंडों में 4.78 करोड़ रुपये की लागत पर 3050 मकान उन लोगों के लिए निर्मित किए गए जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं थे।

fuekZ.k esa fer0;f;rk djus esa i- fo- ink- foQy jgs

(iv) इस योजना में मकानों के निर्माण में कीमती सिमेंट के बदले स्थानीय रूप से उत्पादित चूना एवं चूना सुर्खी का प्रयोग परिकल्पित था। इसके विपरीत पटना जिले के 3 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बख्तियारपुर, पंडारक तथा बाढ़) ने 65.33 लाख रुपये मूल्य के 2628.95 टन सिमेंट का क्रय किया।

edkuksa dh lwph l?kkfjr ugha

(v) किसी भी नमूना जाँचित डी. आर. डी. ए. एवं प्रखंडों में मकानों की सूची संघारित नहीं की गई। परिणामतः निर्मित मकानों के आँकड़ों की सत्यता तथा उनकी भौतिक उपस्थिति सत्यापनीय नहीं थी।

fufeZr edkuksa dh ckMZ ,oa ykxr inf'kZr ugha Fkh] tcfd vifHkr Fkh

(vi) इ. आ. यो. आवास पूरा हो जाने पर संबंधित डी. आर. डी. ए. को सुनिश्चित करना था कि इस तरह निर्मित प्रत्येक मकान के लिए इ. आ. यो. का लोगो, निर्माण का वर्ष, लाभार्थी का नाम दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी बोर्ड लगा दिया जाय। हालाँकि नमूना जाँचित डी. आर. डी. ए. द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी।

3-3-7 vU; xzkeh.k vkokl ;kstuk,a

अन्य ग्रामीण आवास योजनाएँ, जिन्होंने इ. आ. यो. को संपूरित किया, निम्नवत थी :

3-3-7-1 xzkeh.k vkokl dh fy, tek&lg&vuqnku ;kstuk

यह योजना 1 अप्रील 1999 को आरंभ की गई। इस योजना ने 32,000.00 रुपये तक के वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को लक्षित किया। इस योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए सहायता में ऋण एवं अनुदान घटक शामिल थे। अनुदान को 10,000.00 रुपये तक सीमित किया गया था जबकि अधिकतम ऋण राशि 40,000.00 रुपये तक स्वीकार्य थी। योजना के अनुदान घटक को केन्द्र एवं राज्य द्वारा 75 : 25 के अनुपात में साझेदारी करनी थी।

इस योजना के तहत वित्तीय प्रदर्शन नगण्य था, जैसा नीचे विवरणित है :

o"kZ	vkfn 'ks"k	foeDr fuf/k		dqy miyC/k fuf/k	O;;;	vUr 'ks"k	deh ¼izfr'kr½
		dsUnz	jkT;				
	¼yk[k #i;s esa½						
1999-2000	शून्य	968.91	322.95	1291.86	1.30	1290.56	
2000-01	1290.56	शून्य	शून्य	1290.56	38.23	1252.33	97
2001-02	1252.33	शून्य	शून्य	1252.33	70.69	1181.64	94
;ksx					**110.22**		

अतः उपलब्ध राशि (12.92 करोड़ रुपये) के केवल 9 प्रतिशत का उपयोग किया गया। निधि के दयनीय उपयोग का कोई कारण उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए 2000–02 के दौरान कोई राशि विमुक्त नहीं किया।

इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत 1188 लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 437 व्यक्ति ही लाभान्वित हुए। इस प्रकार लक्ष्य के विरूद्ध

[5] *भागलपुर (15.60 लाख रुपये), भोजपुर (215.49 लाख रुपये), पूर्वी चम्पारण (34.86 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (30.53 लाख रुपये), नवादा (27.88 लाख रुपये), पटना (109.61 लाख रुपये) तथा वैशाली (44.39 लाख रुपये)।*

भौतिक उपलब्धि कम (37 प्रतिशत) थी। लक्ष्य से कम उपलब्धि का कोई कारण नहीं बताया गया।

3-3-7-2 i/kkuea=h xzkekn; ;kstuk ¼ih-,e-th-okbZ-½

इन्दिरा आवास योजना के पद्धति पर आधारित वर्ष 2000–01 में आरंभ की गई यह योजना अपने दो घटकों अर्थात मकानों का निर्माण एवं मकानों का उन्नतिकरण में थी। उपलब्ध 90.55 करोड़ रुपये (केन्द्रीय निधि : 63.55 करोड़ रुपये + राज्य निधि : 27 करोड़ रुपये) में से केवल 52.36 करोड़ रुपये (58 प्रतिशत) खर्च किए गए। दयनीय उपयोग का कारण नहीं बताया गया।

निर्माण के लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध उपलब्धि निम्नवत थी :

o"kZ	vkfn 'k"kZ	o"kZ dk fy, y{;	fufeZr edku	dehZ ¼izfr'kr esa½
	¼la[;k esa½			
2000-01	शून्य	12297	शून्य	100
2001-02	12297	27955	16045	60

वर्ष 2000–02 के दौरान मकानों के उन्नतिकरण के लिए उपलब्ध 22.51 करोड़ रुपये की निधि में से केवल 12.86 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया तथा 9.65 करोड़ रुपये (43 प्रतिशत) अव्यवहह्त पड़े रहे। इसी प्रकार 2000–02 के दौरान 20364 मकानों के उन्नतिकरण के विरूद्ध केवल 8196 मकानों (40 प्रतिशत) को उन्नत किया गया। कमी का कारण उपलब्ध नहीं था।

3-3-8 vfHkJo.k ,oa eY;kadu

lHkh Lrjksa ij vfHkJo.k dk vHkko

ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का अभिश्रवण करने हेतु राज्य स्तर समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) विलंब से सितंबर 1999 में गठित की गई। हालाँकि एस.एल. सी.सी. ने मार्च 2002 तक प्रखंड से राज्य स्तर के प्रत्येक पर्यवेक्षक स्तर के कार्यकारियों द्वारा प्रत्येक माह में निरीक्षण करने की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं किया। यह सरकार/एस.एल.सी.सी. द्वारा राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति दिखाई गई अभिरूचि का अभाव प्रदर्शित करता था।

राज्य सरकार ने जिला स्तर अभिश्रवण समिति के गठन का निर्देश दिया (दिसंबर 1998) लेकिन ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई।

ykxksa dh yf{kr leg dk fufn"V ykHk igqapus esa ;kstuk foQy jgh

जेवियर इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल सर्विस, राँची ने अपने प्रतिवेदन (अगस्त 2000) में अवलोकन किया कि योजना का क्रियान्वयन करते समय निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया गया। इस योजना के करीब 46 प्रतिशत लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर थे। केवल 1 प्रतिशत लाभार्थियों को धुँआ रहित चुल्हा तथा स्वास्थ्यकर शौचालय उपलब्ध कराया गया। सामान्यतः प्रत्येक लाभार्थी 20,000.00 रुपये की अपेक्षित निधि से कम प्राप्त किया। लाभार्थियों के करीब दो–तिहाई के पास अपेक्षित आकार (20 वर्ग मीटर) का मकान नहीं था। इस प्रकार राज्य एवं जिला स्तर पर समुचित अभिश्रवण के अभाव में ग्रामीण लोगों के लक्षित समूह को निर्दिष्ट लाभ पहुँचाने में योजना विफल रही।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

3-4 Lo.kt ;rh xke Lojkt xkj ;kstuk ¼,l-th-,l-okbZ-½

e[;kd"k.k

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रील 1999 के प्रभाव से समग्र योजना के रूप में प्रारंभ की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ग्रामीण गरीब परिवारों/स्वरोजगारियों को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने में उन्हें बैंक उधार एवं सरकारी अनुदान के माध्यम से मदद करने के लिए स्वरोजगार के विभिन्न पहलु शामिल थे। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में निधि का बँटवारा किया गया। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे के केवल 4 प्रतिशत परिवार वर्ष 1999–2002 के दौरान लाभान्वित हुए। यह योजना निधि के दयनीय उपयोग, निधि का बड़े पैमाने पर विचलन एवं दुरूपयोग, मानक का पालन नहीं किया जाना, अदेय भुगतान, अलाभकारी एवं अनियमित व्यय, संदेहास्पद भुगतान इत्यादि के कारण यह योजना बीच में ही लड़खड़ा गई।

75-63 djkM #i;s v0;oâr jgsA vr% dUnzh; fuf/k 141-87 djkM #i;s de foeä gksbZA

¼dfMdk 3-4-4¼i½½

vkofrr fuf/k ds :i esa mfí"V fuf/k ds dsoy 3 izfr'kr ¼5-89 djkM #i;½ dk gh Lo&lgk;rk ny ¼,l-,p-th-½ dks lgk;rk nsus esa mi;ksx fd;k x;kA ifj.kkeer% ,l-,p-th- ds lkeF;s fuekZ.k dk dk;Z izHkkoh ugh FkkA

¼dfMdk 3-4-4 ¼iii½½

if'k{k.k nsus ds fy, mfí"V fuf/k ds dsoy 4 izfr'kr ¼9-48 djkM #i;½ dk gh mi;ksx fd;k x;kA ;g n'kkZrk Fkk fd Lojkstxkfj;ksa dks fcuk if'k{k.k ,oa U;wure fuiqUkrk ds gh foÙkh; lgk;rk miyC/k djkbZ xbZA

¼dfMdk 3-4-4 ¼v½½

Mh-vkj-Mh-,-] ekfrgkjh us i[kkM Lrj dh ,l- th- ,l- okbZ- lfefr dh fcuk vuqlwfpr ds gh xkaoksa ds fuekZ.k ds fy, 2-78 djkM #i;s dh vfxe nh vkSj fuekZ.k Hkh v/kjk jgkA fufeZr xkaokas dk nwljs i;kZtu ds fy, nwljh :i;ksa fd;k tk jgk FkkA

¼dfMdk 3-4-6 ¼N½½

Mh-vkj-Mh-,- ekfrgkjh esa fcuk iwoZ 'kÙkZ ijk fd, gh 121 ,l- ,p- th- dks 1-10 djkM #i;s dh foÙkh; lgk;rk izkIr dh xbZA

¼dfMdk 3-4-6 ¼t½½

3-4-1 Hkwfedk

Lo&jkstxkj ds }kjk xjhch j[kk lss Åij ykus esa xkeh.k xjhcksa dk enn igqapkus ds fy, Hkkjr ljdkj us ,l-th-,l-okbZ- vkjaHk fd;k

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रील 1999 से 6 पूर्व रोजगार जनक/संबंधी योजनाओं यथा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (डी. डब्लू. सी. आर. ए.), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार बक्सों की आपूर्त्ति (सिट्रा), गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई.) तथा दस लाख कूप योजना (एम.डब्ल्यू.एस.) को मिलाकर एवं पुनर्गठित कर ग्रामीण लोगों के लिए स्व–रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) के रूप में 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) आरंभ की गई।

स्वरोजगारियों को बैंक उधार एवं सरकारी अनुदान देकर आय देने वाली परिसंपत्ति उपलब्ध कराते हुए तीन वर्षों के भीतर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मदद करने के लिए गरीबों को स्व–सहायता दल (एस.एच.जी.) में संगठित करने, प्रशिक्षण, उधार, तकनीक, अंतःसंरचना, अभिश्रवण इत्यादि जैसी स्व–रोजगार के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए यह एक समग्र योजना थी। इस योजना में परिकल्पित था कि प्रत्येक स्वरोजगारी का मासिक शुद्ध आय कम से कम 2000 रुपये होगी तथा अगले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रखंड में गरीबी रेखा से नीचे के कम से कम 30 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा।

3-4-2 lkxBfud <kpk

jkT; e xkeh.k fodkl foHkkx u , l-th-, l-okbZ- dk lapkyu fd;k

राज्य में एस.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन का समग्र उत्तरदायित्त्व सरकार के आयुक्त–सह–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को था। जिलाधिकारी द्वारा शीर्षित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला एवं प्रखंड स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे।

3-4-3 y[kkijh{kk foLrkj

लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2001 एवं जून 2002 के बीच ग्रामीण विकास विभाग तथा 37 में से 9 डी.आर.डी.ए.[1] के साथ उनके अधीन के 38 प्रखंडों के अभिलेखों की नमूना जाँच के आधार पर एस.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

3-4-4 foÙkh; ykxr ,oa O;;

भारत सरकार एवं राज्य द्वारा निधि का आवंटन एवं व्यय निम्नवत थे :

mi;qDr fuf/k dk 42 l 70 izfr'kr v0;oâr jgk

o"kZ	fuf/k dk vkoaVu			vkfn 'k"kZ	fuf/k dh foefDr				O;;	v0;oâr 'k"kZ
	Hkk-l-	jkT;	dqy		Hkk-l-	jkT;	fofo/k izkfIr	dqy		¼izfr'kr½
	¼djkM+ #i;s esa½									
1999-2000	147.97	41.25	189.22	116.38	79.77	27.72	Nil	223.87	67.18	156.69 (70)
2000-01	81.62	27.21	108.83	156.69	26.44	30.17	Nil	213.30	99.85	113.45 (53)
2001-02	72.99	24.33	97.32	113.45	54.50	10.31	3.38	181.64	106.01	75.63 (42)
;kx	**302.58**	**92.79**	**395.37**		**160.71**	**68.20**	**3.38**	**348.67**	**273.04**	

(विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार)

संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

fuf/k dh de mi;ksx dh dkj.k Hkkjr ljdkj us 141-87 djkM+ #i;s foeäh ugh fd;k

(i) मार्च 2002 के अंत में 75.63 करोड़ रुपये अव्यवहृत रहे। परिणामतः भारत सरकार ने अपने द्वारा आवंटित 141.87 करोड़ रुपये विमुक्त नहीं किया।

cdk }kjk nkok fd, x, vuqnku dh Nkuchu ugh dh xbZ

(ii) अनुदान के रूप में भुगतान करने के लिए निधि का 60 प्रतिशत (137.35 करोड़ रुपये) चिह्नित थे। इसके विपरीत बैंकों द्वारा 193.38 करोड़ रुपये के अनुदान का दावा किया गया। चूँकि बैंकों के दावे की छानबीन राज्य या जिला स्तर पर नहीं की गई, अतः बैंकों द्वारा किए गए अधिक अनुदान के दावे से इंकार नहीं किया जा सकता।

[1] *भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना तथा वैशाली*

,l-,p-th- dh lgk;rk d fy, vkofr r fuf/k d :i e 10 ifr'kr d ekud d foijhr doy 3 ifr'kr fuf/k dk mi;kx fd;k x;k

v r% lqpuk d fodkl ij 9-34 djkM #i;s dk vf/kd 0;;

(iii) 10 प्रतिशत के मानक के विपरीत केवल 3 प्रतिशत की (5.89 करोड़ रुपये) विमुक्त निधि ही आवर्तित निधि के लिए उपयोग में लाए गए। यह दर्शाता था कि एस. एच. जी. के अंतर्गत लक्ष्य उपलब्धि का कार्य प्रभावी नहीं था।

Lokt xkfj;k dk if'k{k.k d fy, fuf/k dk 10 ifr'kr d foijhr doy 4 ifr'kr mi;kx fd;k x;k

(iv) अंतः संरचना के विकास के लिए 20 प्रतिशत (45.78 करोड़ रुपये) चिह्नित थी। इसके विपरीत 55.12 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 9.34 करोड़ रुपये का अधिक व्यय अनुचित था क्योंकि अंतःसंरचना के निर्माण का दायित्त्व राज्य सरकार का था तथा एस.जी.एस.वाई निधि से आवश्यक अंतःसंरचना के केवल भारी अंतर को पूरा करना था।

(v) स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने के लिए चिह्नित निधि के 10 प्रतिशत (22.89 करोड़ रुपये) के विपरीत केवल 4 प्रतिशत (9.48 करोड़ रुपये) का ही उपयोग किया गया। यह दर्शाता था कि एस.जी.एस.वाई. के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्वरोजगारी समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किए गए थे एवं उन्हें न्यूनतम निपुणता हासिल नहीं थी।

3-4-4-1 cdk }kjk _.k lqpkj.k

एस.जी.एस.वाई. मुख्यतः ऋण प्रेरित एवं अनुदान समर्थित था। बैंकों द्वारा ऋण संचारण के लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध उपलब्धि निम्नवत थी :

n;uh; _.k lqpkj.k

o"k	y{;	ikfIr	ifr'kr
	¼#i;s djkM e½		
1999-2000	371.25	76.81	21
2000-01	406.39	143.17	35
2001-02	371.07	192.35	52

सारणी से स्पष्ट था कि योजना के तहत राज्य में ऋण संचारण का धीमा विकास था जो बैंकों के साथ खराब समन्वयन को दर्शाता था।

3-4-5 Hkkfrd izxfr

योजना की भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

o"k	ch-ih-,y- ifjokj	lgk;rr cjkt xkfj;k dh l[;k	if'k{k.k izkIr fd, x, Lokt xkjh	lgk;rr Lokt xkjh ¼ifr'kr½	ch-ih-,y- lqfBk, x, Lokt xkjh
	¼l[;k e½				
1999-2000	7077190	44736	13377	0.63	अनु.
2000-01	7077190	125792	82349	1.78	अनु.
2001-02	7077190	146925	101997	2.08	अनु.
;kx		**317453**	**197723**	**4.47**	

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)
अनु. – अनुपलब्ध

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

xjhch j[kk l uhps d doy 4 ifr'kr dk ykHk gqvk

(i) योजना के तहत 5 वर्षों के दौरान 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल करना था। तद्नुसार तीन वर्षों में कम से कम 18 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को शामिल होना चाहिए था। इसके विपरीत केवल 4 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार लाभान्वित हुए। विकास की गति धीमी थी।

(ii) इस योजना के तहत मार्च 2002 तक गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए स्वरोजगारियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

p;fur Lojkt xkfj;ksa d{ 38 if'kr dk if'k{k.k ugh fn;k x;k

(iii) इस योजना के तहत सहायता प्राप्त 3,17,453 स्वरोजगारियों में से 1,19,730 (38 प्रतिशत) स्वरोजगारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। परिणामतः लाभार्थियों के रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित नहीं थी।

3-4-6 fØ;kUo;u esa =fV

¼d½ xjh&xjhch j[kk lwph dh ifjokjksa dk foÙkh; lgk;rk

vuqi;ä leg@ifjokjksa dk ikIr 3-31 djksM #i;s dh lgk;rk

नमूना जाँचित 7 डी.आर.डी.ए.[2] में 44 स्व–सहायता–दल (96.40 लाख रुपये) तथा 464 व्यक्तियों (2.23 करोड़ रुपये) को 3.19 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई जो सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे चिह्नित नहीं थे।

पूर्वी चम्पारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड में 1999–2001 के दौरान 4 दलों को 12.33 लाख रुपये प्रदान किए गए जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में नहीं थे।

¼[k½ fuf/k dk fopyu ,oa C;kt dh gkfu

,l-tgk-,l-okbZ- fuf/k dk vuf/kd`r fopyu us ;kstuk dk cjh rjg iHkkfor fd;k

नमूना जाँचित 8 डी. आर. डी. ए.[3] में जिलाधिकारीयों/उप–विकास आयुक्त ने 1999–2002 के दौरान अनधिकृत रूप से 8.05 करोड़ रुपये की एस.जी.एस.वाई. निधि को अन्य योजनाओं/वेतन भुगतान के लिए विचलित किया। जिसमें से 5 डी.आर.डी.ए.[4] द्वारा मार्च 2002 तक 4.30 करोड़ रुपये प्रापत कर ली गई एवं 3.75 करोड़ रुपये अप्राप्त (31 मार्च 2002) रहे। ऐसे विचलन से मार्च 2002 तक 40.10 लाख रुपये (5 प्रतिशत वार्षिक) के ब्याज की हानि हुई।

¼x½ fuf/k dk nq:i;ksx

dk;kZy; ,oa vU; [kpksZ ij ,l-tgk-,l-okbZ- fuf/k dk nq:i;ksx fd;k x;k

नमूना जाँचित 9 जिलों[5] में 1999–2002 के दौरान योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार के क्रय (11.30 लाख रुपये), टेलीफोन विपत्र (21.74 लाख रुपये), विद्युत विपत्र (3.15 लाख रुपये) के भुगतान, वाहनों की मरम्मति एवं रखरखाव (5.26 लाख रुपये), पेट्रोल एवं लुब्रिकेंट (41.16 लाख रुपये), दोपहर का खाना एवं रात्रिभोज (2.10 लाख रुपये) तथा मजदूरी इत्यादि (19.17 लाख रुपये) पर 103.88 लाख रुपये का दुरूपयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त एस.जी.एस.वाई. प्रशिक्षण निधि जो वैसे लोगों के भुगतान के लिए रखी गई थी, जिन्हें विभिन्न रोजगारों में दक्षता तथा निपुणता प्राप्त थी, में से डी.आर.डी.ए.,

[2] *भागलपुर (34.75 लाख रुपये), पूर्वी चम्पारण (58.56 लाख रुपये), कटिहार (7.08 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (27.24 लाख रुपये), नालंदा (5.28 लाख रुपये), नवादा (1.81 करोड़ रुपये) एवं वैशाली (5.00 लाख रुपये)*

[3] *भागलपुर (2.75 करोड़ रुपये), भोजपुर (62.31 लाख रुपये), पूर्वी चम्पारण (19.00 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (21.47 लाख रुपये), नालंदा (59.62 लाख रुपये), नवादा (35.46 लाख रुपये), पटना (1.75 करोड़ रुपये) तथा वैशाली (1.58 करोड़ रुपये)*

[4] *भागलपुर (2.75 करोड़), नालंदा (47.49 लाख रुपये) तथा वैशाली (1.07 करोड़ रुपये)*

[5] *भागलपुर (4.38 लाख रुपये), भोजपुर (2.04 लाख रुपये), पूर्वी चम्पारण (42.63 लाख रुपये), कटिहार (7.55 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (18.17 लाख रुपये), नालंदा (3.84 लाख रुपये), नवादा (10.15 लाख रुपये), पटना (7.51 लाख रुपये) तथा वैशाली (9.32 लाख रुपये)*

पूर्वी चम्पारण में अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए 6 अनुमंडलीय पदाधिकारियों (9 लाख रुपये) तथा 20 अंचलाधिकारियों (2 लाख रुपये) को जिलाधिकारी को (1.25 लाख रुपये) ईंधन तथा अभिलेखों के संधारण इत्यादि के लिए उस एस.जी.एस.वाई. प्रशिक्षण निधि से 12.25 लाख रुपये (2000–2001) का अग्रिम दिया गया (1999–2002), इसके अलावे इस योजना के कार्यक्षेत्र से अलग पंचायत सेवक, मुखिया, प्रखंडों के नाजिर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर 1.56 लाख रुपये व्यय किए गए (फरवरी 2002)।

¼?k½ *lg;kx lfefr;ksa dk vn;; foÙkh; lgk;rk*

, l-th-, l-okbZ- fuf/k ls futh lg;kx lfefr dk ykHk igqapk;k x;k

(i) एस.जी.एस.वाई. निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखना था तथा स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) की वित्तीय सहायता को संबंधित एस.एच.जी. के बैंक खाते में जमा करना था। इसके विपरीत डी.आर.डी.ए., भागलपुर ने सबौर स्थित एक सहयोग समिति – सृजन महिला विकास सहयोग समिति जिसे बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुच्छेद 22 के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी, में 62.92 लाख* रुपये जमा किया। इससे समिति को अदेय वित्तीय सहायता हुई। यह भी पाया गया कि सहयोग समिति द्वारा 25 लाख रुपये (62.92 लाख रुपये में से) का ऋण वैसे 10 एस. एच.जी. को वितरीत किया गया जिसके सदस्य गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के नहीं थे।

Mh-vkj-Mh-,- us cMh jkf'k dk mi;qfxrk izek.ki= izkIr ugh fd;k

(ii) छः, डी. आर. डी. ए.[6] ने 1999–2002 के दौरान अंतःसंरचना का विकास करने के लिए बिहार राज्य सहयोग दुग्ध उत्पादक संघ लि. (कम्फेड), बिहार, पटना को 3. 39 करोड़ रुपये (एस.जी.एस.वाई. निधि में से) की अग्रिम दी।

इसके विरूद्ध 2.19 करोड़ रुपये" का उपयोगिता प्रमाण पत्र डी. आर. डी. ए., नालंदा द्वारा मार्च 2002 तक प्राप्त नहीं किया गया। डी.आर.डी.ए., नालंदा द्वारा (2001–02 में प्राप्त 1.62 करोड़ रुपये में से) एक राज्य सहयोग समिति–कॉमफेड को बड़ा कूलर, दुग्ध प्रशितक संयंत्र इत्यादि के प्रतिष्ठापन के लिए 3.39 करोड़ रुपये में से 1.15 करोड़ रुपये की अग्रिम दी गई जो योजना के तहत अनुज्ञेय नहीं था। इस प्रकार योजना के लाभ को लोगों के लक्षित समूह तक नहीं पहुँचाया गया।

¼p½ *xkanke ,oa ikrh{kk d{k dk vufpr fuekZ.k*

xkanke rFkk ikrh{kk d{k dk fuekZ.k dk fy, nh xbZ 2-78 djksM #i;s dh vfxze uk Lojkt xkfj;ksa dk dkbZ lgk;rk ugh dh

जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने जिले के प्रत्येक 27 प्रखंडों में 3.05 करोड़ रुपये की आकलित राशि पर स्वरोजगारियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष तथा गोदाम के निर्माण का आदेश दिया (दिसंबर 2000) तथा 3 कार्यपालक अभियंताओं, एन.आर.ई.पी., मोतिहारी को 2.78 करोड़ रुपये की अग्रिम (दिसंबर 2000 से अक्टूबर 2001 के दौरान) दी। जुलाई 2002 तक निर्माण अर्पूण था तथा 3 स्थानों (ढ़ाका, रक्सौल, मोतिहारी) पर पूर्ण भवनों का प्रयोग अनुमंडल पदाधिकारी (सिकरहना), अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी

* *आवर्तित निधि : 7.25 लाख रुपये, ऋण राशि : 25 लाख रुपये, 11 कार्यशाला–सह–गोदाम का निर्माण : 24.40 लाख रुपये एवं प्रशिक्षण निधि के 6.27 लाख रुपये।*

[6] *पूर्वी चम्पारण (28.33 लाख रुपये), मुजफ्फरपुर (102.98 लाख रुपये), नालंदा (115.00 लाख रुपये), नवादा (14.05 लाख रुपये), पटना (36.71 लाख रुपये) एवं वैशाली (41.00 लाख रुपये)।*

" *नालंदा (1.15 करोड़ रुपये), पूर्वी चम्पारण (0.29 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर (0.19 करोड़ रुपये), नवादा (0.14 करोड़ रुपये), पटना (0.37 करोड़ रुपये) तथा वैशाली (0.05 करोड़ रुपये)।*

(सिकरहना), के कार्यालय तथा अनाज भंडार (मोतिहारी तथा रक्सौल) के रूप में होता था। भवन स्वरोजगारियों के उपयोग में नहीं आया। इसके अतिरिक्त, जैसा कि नमूना जाँच में पाया गया, 3 स्थानों (रक्सौल, मोतिहारी, सुगौली) पर ट्राइसेम भवनों, जिनके उपयोग स्वरोजगारियों के लिए किये जा सकते थे, का दूसरे प्रयोजन के लिए दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार उपलब्ध ट्राइसेम भवनों का उपयोग किए बिना तथा गोदाम एवं प्रतीक्षा कक्ष की आवश्यकता पर विचार किए बिना उनके निर्माण कार्य का कोई औचित्य नहीं था।

¼N½ *Lo&lgk;rk leg dk vfu;fer lg;kx*

121 ,l-,p-th- dk vfu;fer lgk;rk nh xbi

स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) को तीन स्तरों से गुजरना होता है यथा समूह गठन, पूँजी निर्माण तथा आय सृजन हेतु क्रियाकलाप शुरू करना तथा वित्तीय सहायता हेतु उनकी सक्षमता एवं योग्यता को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक छःमाही उनका वर्गीकरण करना था। राज्य में एस.एच.जी. की स्थिति निम्नवत थी :

o"k	,l-th-,p-,l-xfBr leg	ijk fd;k gvk fofHkUu pj.k		vkofr;r fuf/k dh jkf'k	vkfFkd fØ;kdyki 'k:djuk oky rFkk lgk;rk ikIr ,l-,p-th-,l- dh l[;k	lnL;k dh dy l[;k	vunku dh jkf'k
		J.kh l-&I	J.kh l-&II	¼djkM #i;s e½			
1999-2000	7380	952	957	1.78	2251	24631	42.18
2000-2001	10010	1678	966	1.46	3757	43443	69.28
2001-2002	10683	3219	1336	2.65	3671	44928	81.92
;kx	**28073**	**5849**	**3259**	**5.89**	**9679**	**113002**	**193.38**

गठित एस.एच.जी. के 34 प्रतिशत (9679) को सहायता प्राप्त हुई जबकि गठित एस.एच. जी. के 12 प्रतिशत (3259) में जीवनक्षमता की संभावना थी।

इसके अतिरिक्त, डी.आर.डी.ए., पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में 121 एस.एच.जी. को बिना वर्गीकरण तथा उनकी सक्षमता का मूल्यांकन किए एवं क्षमता विकास हेतु आवर्तित निधि के लिए बिना किसी वित्तीय सहायता के 1.10 करोड़ रुपये (ऋण : 59.53 लाख रुपये ; अनुदान : 50.52 लाख रुपये) प्रदान किए गए। इस प्रकार, 1.10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अनियमित रूप से प्रदान किया गया।

3-4-7 vU; rF;

jkdM+ ifjth e 9-90 yk[k #i;s dh tkp dh vko';drk Fkh

(i) डी. आर. डी. ए., मोतिहारी के एस.जी.एस.वाई. के रोकड़ पंजी में ''भूमि विकास बैंक, मोतिहारी'' द्वारा दावा किए गए अनुदान से संबंधित 31 मार्च 2001 को 9.90 लाख का डेबिट दर्ज था। उप–विकास आयुक्त द्वारा इसे संदेहास्पद भुगतान वर्गीकृत किया गया था। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

tkyh ,oa lqaxkLin eLVj jksy ij Hkkxrku dh tokcnsgh dk fu/kkj.k djuk vifr{kr Fkk vfxe volfyr@ vlek;kftr jgk

(ii) चार प्रखंडों[7] एवं चार जिलों[8] का एक ग्रामीण अभियंत्रण प्रमंडल में अंतःसंरचना/भवन निर्माण के विकास के लिए मस्टर रॉल (कुल संख्या : 60) पर 5.24 लाख रुपये का संदेहास्पद भुगतान हुआ।

[7] *नौगछिया, कुरसेला, सौची, बिहारशरीफ सदर*

[8] *भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, नालंदा*

(iii) डी.आर.डी.ए., नवादा ने कारीगरों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उन्नत औजार बक्स की आपूर्ति के लिए एक फर्म को 4.49 लाख रुपये की अग्रिम (मार्च 1998) दी। न तो कोई आपूर्ति की गई न ही अग्रिम की वसुली की गई।

lqifÙk;ksa dk Hkkfrd lR;kiu ugh fd;k x;k

(iv) मार्गदर्शन की अवहेलना करते हुए नमूना जाँचित जिलों में स्वरोजगारियों द्वारा अधिप्राप्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किसी भी स्तर पर नहीं किया गया।

y[k dk iFkd ?kVd dk :i esa l?kkj.k ugh

(v) एस.जी.एस.वाई. के लिए मार्गदर्शन के अनुसार कुल निधि के प्रत्येक घटक यथा आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुदान, अंतःसंरचना निधि, प्रशिक्षण निधि तथा आवर्तित निधि के लिए पृथक लेखे का संधारण प्रत्येक जिले में किया जाना अपेक्षित था।

पृथक लेखे के अभाव में प्रत्येक घटक में निधि की उपलब्धता की सत्यता तथा प्रत्येक घटक में निधि के आधिक्य/बचत को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

;kstuk dk rgr lfr;r ifjlqifÙk;ksa dh lph la/kkfjr ugh

(vi) जिला, प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर एस.जी.एस.वाई. के तहत सृजित परिसंपत्तियों की सूची, जिसमें कार्य की पूर्णता, उस पर आयी लागत, प्राप्त लाभ, सृजित रोजगार, संबंधित विभाग को परिसंपत्तियों को सौंपने की तिथि इत्यादि की विवरणी दर्शित हो, को संघारित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त एस.जी.एस.वाई. के तहत सृजित पंरिसंपत्तियों को राज्य सरकार के संबंधित विभागों एवं पंचायती राज संस्थानों को रख–रखाव के लिए सौंपना था। परन्तु ऐसी कोई सूची किसी स्तर पर संघारित नहीं की गई थी। इसके अलावे, अगर कोई संपत्ति सृजित की गई तो संबंधित विभाग को रख–रखाव के लिए सौंपी गई, ऐसा नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि किसी भी नमूना जाँचित डी.आर.डी.ए./प्रखंडों में आवेदकों, मुख्य गतिविधि, वित्तीय स्थिति, अनुशंसित/स्वीकृत ऋण इत्यादि के विवरण को दर्शाने वाला पंजी/खाता संघारित नहीं थे।

fodkl if=dk dk izdk'ku ij fu"Qy 0;;

(vii) डी.आर.डी.ए., भागलपुर ने स्वरोजगारियों की पहचान के लिए ''विकास पत्रिका'' के प्रकाशन पर 5.49 लाख रुपये (जनवरी 2000) खर्च किया। स्वरोजगारियों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए सभी प्रखंडों को विकास पत्रिका की आपूर्ति की गई। हालाँकि सभी पत्रिकाएँ प्रखंडों के भंडारों में बिना किसी उपयोग के पड़ी रही। परिणामस्वरूप 5.49 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

3-4-8 vuJo.k ,oa eY;kdu

lHkh Lrj ij vfHkJo.k dk vHkko

एस.जी.एस.वाई. योजना के क्रियान्वयन का अभिश्रवण क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से करना था। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी.आर.डी.ए. के क्षेत्र दौरे की उपयुक्त संख्या का निर्धारण करना था।

उनके निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर डी. आर. डी. ए. के अभिश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा डी. आर. डी. ए. के शासी निकाय को समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन किसी भी स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया। लाभार्थियों की मासिक आय के निर्धारण तथा उनसे ऋण की वसुली के लिए कुछ भी नहीं किया गया।

;kstuk dk fØ;kUo;u dk eY;kdu ugh

राज्य सरकार या प्रतिष्ठित संस्थान तथा संगठन द्वारा मार्च 2002 तक योजना के क्रियान्वयन का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

lgdkfjrk foHkkx

3-5 fcgkj esa lgdkjh xkeh.k Hk.Mkj dUnz

यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) से सहायता प्राप्त परियोजना (भारत सरकार के माध्यम से), सहकारी ग्रामीण भण्डार केन्द्र (बिहार) भारत सरकार द्वारा बिहार के 28 (वर्त्तमान बिहार : 25, झारखंड : 3) जिलों[1] में 33.78 करोड़ रुपये (दिसंबर 1994 में पुनरीक्षित 46.77 करोड़ रुपये) की लागत पर मार्च 1988 में स्वीकृत की गई। योजना को मार्च 2001 तक पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 1998 में दिए गए 20.35 करोड़ रुपये के अनुदान से अनुपूरित किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण, कृषि ऋण में सुधार तथा व्यवसायिक दक्षता एवं प्रबंधकीय क्षमता को उन्नत कर राज्य में प्राथमिक सहकारी समिति के कृषि उत्पादन, भंडार एवं विपणन को बढ़ाना था। तदनुसार 5 वर्षों की अवधि में प्रत्येक 100 टन क्षमता के 1500 गोदामों (बिहार : 1361 ; झारखंड : 139) का निर्माण करना था।

परियोजना के क्रियान्वयन का समग्र उत्तरदायित्त्व सरकार के सचिव, सहकारिता विभाग की थी जिन्हें निबंधक, सहकारी समिति तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन कोषांग से सहयोग प्राप्त था। परियोजना के तहत गोदामों का निर्माण कार्य अभियंत्रण कोषांग, बिहार राज्य सहकारिता विपणन संघ (बिस्कोमान) (संयुक्त बिहार : 233 ; बिहार : 196), बिहार राज्य गोदाम निगम (75), परियोजना कोषांग (69) एवं जिलों में उप विकास आयुक्त (संयुक्त बिहार : 1123 ; बिहार : 1021) को सौंपा गया था।

परियोजना के विभिन्न घटकों पर शुरू में राज्य सरकार द्वारा व्यय किया गया एवं तदनंतर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा प्रतिपूरित किया गया।

एन.सी.डी.सी. ने सहकारी समितियों को ऋण के रूप में भारत सरकार से निधि प्राप्त किया। इसने ऋण (50 प्रतिशत) एवं शेयर पूंजी (35 प्रतिशत) के रूप में गोदामों के निर्माण लागत का 85 प्रतिशत के लिए निधि प्रदान किया जबकि शेष लागत राज्य योजना (10 प्रतिशत) एवं समिति (5 प्रतिशत) द्वारा वहन किया गया।

3-5-1 foÙkh; ifj0;; rFkk 0;;

राज्य सरकार द्वारा परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक के शीर्षस्थता में परियोजना क्रियान्वयन कोषांग (पी.आई.सी.) को 31 मार्च 2001 तक विमुक्त की गई निधि एवं उनके विरूद्ध से किए गए व्यय निम्नवत थे :

[1] *fcgkj : अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, किसनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण, औरंगाबाद, बाँका, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना तथा शेखपुरा ; >kj[kM % गढ़वा, गुमला, पलामू*

o"k	ih- vkbZ- lh- dk inUk fuf/k				0;;			
	xkenke dk fuekZ.k	0;kikj ikRlkgu	lLFkkxr Hkou	;kx	Hkou fuekZ.k	0;kikj ikRlkgu	lLFkkxr Hkou	;kx
	¼djkM #i;s e½							
1995-96 rd	30.71	7.50	5.77	43.98	27.84	5.38	3.54	36.76
1996-97	0.95	-	-	0.95	0.29	2.00	0.86	3.15
1997-98	--	--	--	--	2.12	--	0.89	3.01
1998-99	--	--	--	--	0.13	--	0.82	0.95
1999-2000	--	--	--	--	0.02	--	1.06	1.08
2000-01	--	1.92	13.61	15.53	--	1.92	12.02	13.94
;kx	**31.66**	**9.42**	**19.38**	**60.46**	**30.40**	**9.30**	**19.19**	**58.89**

(स्रोत : परियोजना क्रियान्वयन कोषांग द्वारा प्रदत्त सूचना)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

foeäh xbZ fuf/k dk 0;; dk :i n'kkZ;k x;k

(i) 31 मार्च 2001 तक पी. आई. सी. द्वारा विभिन्न कार्यकारी एजेसियों को विमुक्त की गई 58.89 करोड़ रुपये व्यय के रूप में दर्शाए गए थे और जबकि उन इकाईयों द्वारा यह वास्तविक रूप में व्यय को नहीं दर्शाता था। परियोजना प्रबंधक, पी.आई.सी. ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किया।

ifj;kstuk dh lekfIr ckn v0;ogkj 'k"kZ dk ljdkj dks [kkrs esa tek ugha fd;k x;k

(ii) मार्च 2001 में परियोजना की समाप्ति के बाद 1.57 करोड़ रुपये के अव्यवहृत शेष को सरकार के लेखे में जमा कर देना था लेकिन वह पी.आई.सी. के ही पास रहा।

(iii) नमूना जाँचित 5 जिलों में 2.57 करोड़ रुपये (23 प्रतिशत) अव्यवहृत रहे। प्रबंधकीय अनुदान के लिए उद्दिष्ट निधि का 87 प्रतिशत (97.08 लाख रुपये) तथा महिलाओं के लिए आय सृजनकारी योजना के लिए निधि का 75 प्रतिशत (62.00 लाख रुपये) अव्यवहृत रहे। सरकार के सचिव, सहकारिता विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2002) प्रबंधकीय अनुदान को आवश्यकतानुसार समिति द्वारा व्यापारिक गतिविधि हेतु निवेश किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समितियों ने महिला दल का गठन किया था तथा जिन्होंने नहीं किया था, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रबंधकीय अनुदान एवं महिलाओं के लिए आय सृजनकारी योजना के लिए उद्दिष्ट निधि का अधिकांश डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी अव्यवहृत रहा।

3-5-2 ifj;kstuk fØ;kUo;u

¼d½ vi.kZ xkenkeksa ij fu"Qy 0;;

66-67 yk[k #i;s lfUufgr 0;; okys vi.kZ xkenke vdk;Zdh jgs

परियोजना के अंतर्गत लिए गए 1500 गोदामों (बिहार : 1361, झारखंड : 139) में से 1472 गोदाम (बिहार : 1339, झारखंड : 133) प्रतिवेदन के अनुसार पूर्ण थे। सरकार के सचिव (सहकारिता विभाग) ने बताया (अक्टूबर 2002) कि सदस्यों के बीच असहमति, विवाद के कारण केवल 28 गोदाम (बिहार : 22, झारखंड : 6) ही अपूर्ण थे। सरकार द्वारा दी गई अपूर्ण गोदामों की संख्या विश्वसनीय नहीं थी चूँकि नमूना जाँचित केवल 3 जिलों में ही 28 गोदाम अपूर्ण थे।

इन अपूर्ण गोदामों पर किए गए 66.67 लाख रुपये के व्यय निष्फल रहे।

¼[k½ izkFkfed df"k lg;kx lfefr;ksa ¼ih-,-lh-,l-½ dk n;uh; izn'kZu

परियोजना क्रियान्वयन कोषांग ने कार्यशील सहकारी समितियों को निम्न तरह से 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया :

87 ih- ,- lh- ,l- dh dkbZ 0;kikfjd xfrfof/k ugh Fkh] ifj.kkerh 1-97 djksM #i;s dk fu"Qy fuos'k

J.kh	0;kikj dk eYy; ¼yk[k #i;s e½	0;ogk;rk fLFkfr
क	20 लाख रुपये से अधिक	व्यवहार्य
ख	15–20 लाख रुपये के बीच	प्रयास की आवश्यकता
ग	10–15 लाख रुपये के बीच	तात्कालिक सतर्कता की आवश्यकता
घ	5–10 लाख रुपये के बीच	केन्द्रीय अनुश्रवण की आवश्यकता
च	5 लाख रुपये से कम	चिंताजनक

यह पाया गया कि 1997–2001 के दौरान राज्य के 87 (1361 में से) पी. ए. सी. एस. की कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं थी। इन पी.ए.सी.एस. की गोदामों के निर्माण, सीमांत राशि, बैंकिंग व्यापार, प्रबंधकीय अनुदान के मद में विमुक्त किए गए 1.97 करोड़ रुपये निष्फल रहे।

¼x½ ih- ,- lh- ,l- }kjk _.kksa dh vnk;xh ugh

vf/kdka'k ih-,-lh-,l- }kjk _.kksa dh vnk;xh ugh dh xbZ

राज्य सरकार ने 1361 पी. ए. सी. एस. को 1991–96 के दौरान गोदामों के निर्माण के लिए 15.21 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया। ब्याज* सहित ऋण को ऋण लेने की तिथि के चौथे वर्ष से 12 समान वार्षिक किस्तों में वसूल करना था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केवल 257 पी. ए. सी. एस. ने ऋण की अदायगी शुरू की थी तथा जून 2002 तक 60.90 लाख रुपये (मूलधन : 37.18 लाख रुपये, ब्याज : 23.72 लाख रुपये) वसूल किए गए थे। परियोजना क्रियान्वयन कोषांग ने दोषी पी. ए. सी. एस. से ऋण की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। सरकार के सचिव ने बताया (अक्टूबर 2002) कि विभाग इस पर ध्यान दे रही है तथा सम्पूर्ण ऋण की वसूली के लिए प्रतिबद्ध है।

3-5-3 vuqJo.k ,oa eYy;kadu

मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन कोषांग को परियोजना विकास प्रबंधक की सहायता से परियोजना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने हेतु उसकी व्यापारिक गतिविधियों का अनुश्रवण करना था। यह देखा गया कि 87 पी. ए. सी. एस. (1361 में से) की कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं थी। यह दर्शाता था कि अनुश्रवण का पूर्णतः अभाव था।

परियोजना मार्च 2001 में बंद हो गई। अनुबंध के अनुसार भुगतान एवं मूल्यांकन कार्यवाही को मार्च 2003 तक पूरा हो जाना था। ई.ई.सी. ने परियोजना के मूल्यांकन के लिए जुलाई 2001 में एक विशेषज्ञ दल भेजा। सरकार के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2002) कि दल का प्रतिवेदन ई.ई.सी. एवं एन.सी.डी.सी. को प्रस्तुत किया गया। हालाँकि लेखापरीक्षा को प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

1.57 करोड़ रुपये अव्यवहृत रहे। अधिकांश प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ने ऋण का भुगतान नहीं किया। 87 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं थी तथा परियोजना क्रियान्वयन कोषांग ने उनकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। अधिक संख्या में गोदाम अपूर्ण पड़े रहे जबकि निधि विमुक्त की गई तथा कार्यकारी एजेंसियों के पास अव्यवहृत पड़ी रही। प्रबंधकीय अनुदान एवं आय सृजनकारी योजना ने भी उद्देश्यों को पूरा नहीं किया।

* *पी.आई.सी. द्वारा परिगणित वसूलनीय ब्याज मार्च 2001 तक 9.89 करोड़ रुपये था।*

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर प्राप्त हुए (अक्टूबर 2002) एवं जहाँ तक संभव था पूर्ववर्त्ती उप–कंडिकाओं में उन्हें समावेशित किया गया।

3-6 lgdkjh {k= e ljdkj }kjk _.k rFkk fuos'k

बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के धारा 13 (ए) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों में अंशगत पूँजी, ऋण या अग्रिम आदि के रूप में निवेश किया गया। 31 मार्च 2002 तक 237.54 करोड़ रुपये अंशगत पूँजी के रूप में तथा 255.57 करोड़ रुपये ऋण के रूप में निवेश किया गया।

सचिव, सहकारिता विभाग, निबंधक, सहकारी समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (बी.एस.सी.एल.डी.बी.) पटना तथा बिहार राज्य सहकारी बैंक (बी.एस.सी.बी.) पटना के कार्यालयों के वर्ष 1997–2002 से संबंधित अभिलेखों का नमूना जाँच फरवरी से मई 2002 के दौरान किया गया। पाए गए तथ्य निम्नवत थे :

¼v½ *lgdkjh {k= e vfxr ifjtuk d :i e ljdkjh fuos'k*

सहकारी समितियों के अंशगत पूँजी में निवेशों का प्रतिफल शून्य या नगन्य था। निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा न तो किए गए निवेश का विवरणी संधारित किया गया न ही सहकारी समितियों के वित्तीय स्थिति को आकलित किया गया जिसके परिणामस्वरूप हानि वाले/वित्तीय अव्यवहार्य समितियों पर निवेश हुआ।

¼c½ *ljdkj }kjk mxkgh fd;k x;k _.k rFkk lfefr;k dk fn;k x;k vfxe*

वर्ष 1997–2002 के दौरान, सहकारी संस्थानों को ऋण अग्रिम प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा एन.सी. डी. सी. से उगाही किए गए ऋण, किया गया अदायगी तथा एन.सी.डी. सी. को सरकार द्वारा किए गए अदायगी हेतु बकाया शेष का विवरण निम्नवत है :

o"k	,uhMhlh ls mxkgh fd;k x;k _.k		vnk;xh		vfr'k"k
	vkfn'k"k	o"k dk nkjku	eyy/ku	ln	
	¼#i;s djksM esa½				
1997-98	33.75	Nil	2.95	3.35	30.80
1998-99	30.80	3.74	3.44	3.06	31.10
1999-2000	31.10	11.13	4.02	3.14	38.21
2000-01	38.21	Nil	2.84	2.61	35.37
2001-02	35.37	15.20	3.32	3.00	47.25
;kx		**30.07**	**16.57**	**15.16**	

(स्रोत : सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

31 मार्च 1997 तक सरकार को सहकारी समितियों से कुल बकाया अति देय ऋण की वसूली की जानकारी नहीं थी। जबकि वित्त लेखा के अनुसार, 31 मार्च 1997 तक सहकारी संस्थाओं से वसूली हेतु 185.23 करोड़ रुपये का सरकारी ऋण बकाया था। वर्ष 1997–2002 के दौरान सरकार द्वारा 11.75 तथा 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष परिवर्त्तनीय दरों तक 71.26 करोड़ रुपये के ऋण की अग्रिम प्रदान की गई। इसमें से अभी तक के ऋणों के अदायगी हेतु बिस्कोमान तथा बी.एस.सी.एल.डी.बी. को 64.33 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रदान किया गया।

सहकारी संस्थाओं से ऋण की वापसी को निम्नवत् तालिका दर्शाती है :

o"k	vkfn 'k"k	lefr;k dk vfxe fd;k x;k _.k	lefr;k }kjk vnk;xh dh xbZ _.k	vUr 'k"k	ikIr Un
	¼#i;s djksM esa½				
1997-98	185.23	6.47	0.08	191.62	2.11
1998-99	191.62	6.28	0.38	197.51	0.03
1999-2000	197.51	6.33	0.39	203.46	0.28
2000-01	203.46	29.50	0.07	232.89	0.28
2001-02	232.89	22.68	अनु.	255.57	अनु.
;ksx	-	**71.26**	**0.92**	--	**2.70**

(स्रोत : वित्त लेखा तथा सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

ऐसा पाया गया कि विभाग द्वारा वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्त्ती कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2002 तक 22.58 करोड़ रुपये (मूलधन : 8.59 करोड़ रुपये, सूद 13.99 करोड़ रुपये) के बकाए वसूली के विरूद्ध, मूलधन के रूप में केवल 0.92 करोड़ रुपये तथा सूद के रूप में 2.76 करोड़ रुपये का भुगतान सहकारी समितियों द्वारा किया गया।

साथ ही यह देखा गया कि सरकार द्वारा एनसीडीसी को 31.73 करोड़ रुपये (मूलधन 16.57 करोड़ रुपये, सूद 15.16 करोड़ रुपये) ऋण की अदायगी की गई जबकि सहकारी समितियों से उनके द्वारा मात्र 3.62 करोड़ रुपये (मूलधन : 0.92 करोड़ रुपये, सूद : 2.70 करोड़ रुपये) प्राप्त किए गए।

¼x½ *ifjiDo _.ki=k dk vudnhdj.k*

यह पाया गया कि बी एस सी एल डी बी से क्रय किए गए (तिथि अनुपलब्ध) 13.05 करोड़ रुपये का ऋण–पत्र फरवरी 1981 से जनवरी 2002 के बीच नकदीकरण के लिए परिपक्व हो गए थे। इन ऋण–पत्रों के सूद दर 6 से 12 प्रतिशत के बीच थे। हाँलाकि सरकार द्वारा इन ऋण–पत्रों के नकदीकरण हेतु कोई पहल नहीं किया गया। सरकार द्वारा परिपक्व ऋण–पत्रों के नकदीकरण हेतु पहल नहीं किए जाने के फलस्वरूप परिपक्वता की तिथि से मात्र 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से परिकलित करने पर 13.05 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(घ) विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं को दिए गए ऋण के विरूद्ध वसूली एवं निवेश की प्राप्ति का अनुश्रवण नहीं किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; सरकार के सचिव ने बताया (दिसम्बर 2002) कि अंतिम दशक में कम सहायता के कारण समितियाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकीं तथा विभाग द्वारा समितियों से ऋण की वसूली हेतु हाल में अभियान चलाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक समिति के अभिलेखों को संधारित रखने के लिए कहा गया तथा उनको ऋणों की वसूली तथा समितियों के गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार बनाया गया।

LokLF;] fpfdRlk f'k{kk ,oa ifjokj dY;k.k foHkkx

3-7 fu;eksa dk fo:) **vlfud tek**@cdk e j[kus dk fy, fuf/k vkgfjr dh xbZ

*fu;eksa dk fo:) dk"kkxkj lsa 2-50 djksM #i;s vkgfjr fd, x, ¼ekpZ 2000½A xjhch j[kk lsa uhps jgus okys ykxksa dk fpfdRlk lqfo/kk iznku djus dk okf{kr mís'; dh izkfIr ugha gqbZ pfd jkf'k **vlfud tek**@cd e vuqi;qDr iMh jghA*

निकासी एवं आहरण पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि का आहरण आवश्यक तत्काल भुगतान के लिए किया जाना चाहिए था तथा कोषागार से किसी राशि का आहरण उसे बैंक में रखने के लिए करना नियम के विरूद्ध था।

सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच में यह पाया गया (जुलाई 2000) कि इन प्रावधानों के विरूद्ध सरकार के अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग ने राज्य स्वास्थ्य सहायता निधि के लिए राज्य का अंश प्रदान करने हेतु राज्य के आकस्मिकता निधि से 2.50 करोड़ रुपये के आहरण की स्वीकृति (14 मार्च 2000) प्रदान किया। बिहार राज्य बीमारी सहायता समिति के नाम से एक समिति का गठन (मार्च 2000) निधि को नियंत्रण करने के लिए किया गया। इस निधि से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा पर खर्च किया जाना था। इसके अनुसार सहायक निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार द्वारा 2.50 करोड़ रुपये का आहरण किया (मार्च 2000) तथा इसे ''सिविल डिपोजिट'' में रखा गया। इसके बाद उन्होंने इस निधि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्थानान्तरित किया (16 जून 2000)।

सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया (जुलाई 2000) कि लाभार्थियों की रूचि तथा ध्यान आकर्षित करने तथा लक्षित लाभार्थियों को जागरूक करने हेतु योजना के मुख्य विशेषताओं को प्रकाशित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, अगस्त 2002 तक 3 रोगियों के चिकित्सा के लिए मात्र 1.33 लाख रुपये खर्च किए गए। इसके बाद बैंक में निधियों को रखने के कारण, सरकार को अगस्त 2002 तक 69.91 लाख रुपये के सूद की हानि (12 प्रतिशत प्रति वर्ष सरकारी उधार दर से) हुई। इसके अलावे राज्य सरकार के हिस्से को अनुपूरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए (जुलाई 2002) 1.25 करोड़ रुपये को कोष में जमा करने के बदले सरकारी खाते में जमा किया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 2002)। सरकार के आयुक्त–सह–सचिव ने बताया (अगस्त 2002) कि योजना किशोरावस्था में थी इसलिए प्रगति धीमी थी। जवाब समुचित नहीं था चूँकि दो वर्ष के विलम्ब के पश्चात भी कल्याणकारी योजनाओं का शुरूआत नहीं हुआ था। आयुक्त–सह–सचिव ने कहा कि योजना निधि को बैंक खाते में भारत सरकार के आदेश के तहत रखा गया था। राशि को सूदधारी खाते में नहीं रखे जाने का कारण उन्होंने स्पष्ट नहीं किया।

xg ¼dkjk½ foHkkx

3-8 cfn;k dh fy, ty dh Ø; ij ifjgk;h 0;;

vizy 1988 l dk;'kh ftyk dkjkxkj] lkalkjke e ty lfo/kk dk vHkko FkkA QyLo:i ty dh Ø; ij 46-50 yk[k #i;s dk ifjgk;h 0;; gvkA

जिला कारागार, सासाराम के अभिलेखों के नमूना जाँच (जून 2000) से तथा उसके बाद सूचनाओं के संकलन (मई 2002) से प्रकट हुआ कि उप–कारागार, सासाराम जिला कारागार के रूप में उन्नयित्त किया गया तथा एक नए भवन में अवस्थित किया गया। उप–कारागार, सासाराम के सभी कैदियों को नव निर्मित जिला कारागार में स्थानान्तरित कर दिया गया। चूँकि कारागार में पेयजल सुविधा नहीं थी, इसलिए जिला कारा अधीक्षक, सासाराम ने पानी के टैंकों द्वारा सासाराम नगरपालिका से जल का क्रय किया तथा अप्रील 1988 से मार्च 2003 के दौरान इस पर 46.50 लाख रुपये का व्यय किया।

अधीक्षक, जिला कारा, सासाराम ने बताया (मई 2002) कि सासाराम नगर पालिका से जल का क्रय इसलिए किया जा रहा था चूँकि कारा परिसर में जल स्रोत का विकल्प उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, जिला कारागार, सासाराम में 14 वर्षों तक पी.एच.ई.डी. द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके परिणामस्वरूप अप्रील 1988 से मार्च 2003 के दौरान जल के क्रय पर 46.50 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ। जब तक जल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तब तक भविष्य में भी कारागार को इस परिहार्य दायित्त्व को वहन करना है।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जुलाई 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

;ktuk ,oa fodkl foHkkx

3-9 v/kjh rFkk ifjR;ä ftyk ;kstukxr ;kstukvksa ij vykHkdkjh 0;; % 48-49 yk[k #i;s

fuf/k dh miyC/krk dk lfuf'pr fd, oxj ;ktukvksa dk ikjHk fd, tkus ds QyLo:i tgkukckn fty e 35 v/kjh ,oa ifjR;ä ;ktukvksa ij 48-49 yk[k #i;s dk vykHkdkjh 0;; gvkA

जिला योजना एवं विकास परिषद (डी. पी. डी. सी) द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जिला समाहर्त्ता द्वारा विभिन्न जिला योजनागत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

की गई। जिला समाहर्त्ता को जिला योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं को उनके प्रशासनिक तकनिकी तथा वित्तीय औचित्य का आकलन करने के बाद शुरू किया जाना था ताकि चयनित योजनाओं को उसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सके।

जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद के अभिलेखों के संवीक्षा से प्रकट हुआ (जनवरी 2002) कि जिला योजनागत योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1996 तक जिला समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा पुलों, सामुदायिक भवन, नाला के निर्माण, हैंड पंप लगाना, सड़क निर्माण आदि से संबंधित 47 योजनाओं को स्वीकृत किया गया। इसमें से मार्च 1996 तक चलाई गई 35 योजनाओं (आकलित लागत 84.25 लाख रुपये) को डी.पी.डी.सी. द्वारा निधि के अभाव में छोड़ दिया गया (सितम्बर 1996)। ये सभी योजनाएँ मई 2002 तक अपूर्ण थे, जबकि इन अपूर्ण एवं परित्यक्त योजनाओं पर 48.49 लाख रुपये का व्यय हो चुका था। इन योजनाओं के पूर्णता की कोई संभावना नहीं थी।

इस प्रकार, निधि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर बड़ी संख्या में जिला योजनागत योजनाओं को चलाने का अनुचित निर्णय के फलस्वरूप इनको बीच में ही छोड़ देना पड़ा तथा 48.49 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ। इन योजनाओं को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अतः 48.49 लाख रुपये का सकल व्यय निरर्थक साबित हुआ क्योंकि इन अपूर्ण योजनाओं को शुरू करने की कोई योजना नहीं थी।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

ek/;fed] ikFkfed rFkk o;Ld f'k{kk foHkkx

3-10 f'k{kdksa dk oruHkxrku ij fujFkd 0;; % 1-11 djksM #i;s

456 f'k{kd] tks vUrsokl; i.f'k{k.k dsa ckn ;ksxnku fn, Fks] dks inLFkkiuk ftyk f'k{kk v/kh{kd] iVuk }kjk 4 ekg ls vf/kd foyEc ls fd;k x;k] ftldh ifj.kkeLo:i 1-11 djksM #i;s dk fujFkd 0;; gqvkA

सरकार के अनुदेश (मार्च 2000) के अनुसार वैसे सभी व्यक्तियों, जो शिक्षण कार्य हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे तथा जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, को शिक्षक के रूप में पदस्थापना के पूर्व अंतर्सेवा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए था।

जिला शिक्षा अधीक्षक, पटना के अभिलेखों (मार्च 2002) के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 496 अप्रशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया तथा अप्रील से जून 2000 के दौरान विभिन्न विद्यालयों में एक वर्ष के अंतर्सेवा प्रशिक्षण के लिए भेजे गये। इनमें से 456 शिक्षकों ने अंतर्सेवा प्रशिक्षण से वापस आकर शिक्षा अधीक्षक, पटना के पास विद्यालयों में पदस्थापना के लिए योगदान दिए (अप्रैल 2001) तथा 40 शिक्षक अंतर्सेवा प्रशिक्षण के दौरान ही नौकरी छोड़ दिये।

जिला शिक्षा अधीक्षक, पटना उन 456 शिक्षक को तत्परता से पदस्थापित नहीं किये। इन सभी शिक्षकों को बिना कारण के अगस्त 2001 तक पदस्थापना के लिए प्रतीक्षा करना पड़ी। इस पदस्थापना के प्रतीक्षा के अवधि के दौरान (अप्रैल से अगस्त 2001)

सभी शिक्षक बगैर कार्य के थे जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन एवं भत्ते के भुगतान पर 1.11 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

xg ¼vkj{kh½] xg ¼dkjk½] jkt Lo ,oa Hkkfe l/kkj
rFkk xkeh.k fodkl foHkkx

3-11 xcu ,oa gkfu

व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों, नियंत्री पदाधिकारियों तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारियों के लगातार विफलता के परिणामस्वरूप नमूना जाँचित 4 सिविल विभागों के 4 कार्यालयों में 1.90 करोड़ रुपये का गबन हुआ। विवरण निम्नवत थे :

Øe l-	foHkkx	dk;kZy; tgk¡ xcu gqvk	o"k	xcu dh xbZ jkf'k ¼yk[k #i ;s e½	vfHk;fDr
1.	गृह (आरक्षी)	डी.आई.जी. (सी.आई.डी.)	अप्रील–मई 1996 तथा अक्टूबर 1996 से जनवरी 1997	43.27	बिहार आरक्षी नियमावली के नियम 972, 937, 963 तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 270, 305 A तथा 306 A के प्रावधानो का व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद निकासी एवं वितरण के संदर्भ में अवहेलना किया गया। न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की गई तथा न हीं विभागीय कार्रवाई शुरू किया गया।
2.	गृह (कारा)	अधीक्षक, उपकारा, बेनीपुर	अक्टूबर 1998 से मार्च 2000	19.33	राशि की निकासी एवं वितरण तथा लेखा के निरीक्षण के संदर्भ में अधीक्षक, कोषागार पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा बिहार कोषागांर संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया।
3.	राजस्व तथा भू–सुधार	अनुमंडल पदाधिकारी,, पुपरी, सीतामढ़ी	1998–2000	6.06	चौकीदारों का वेतन एवं संवितरण के संदर्भ में बिहार चौकीदार संहिता के नियम 107 के तहत दिए गए प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने तथा निस्तार पंजी पर जाली/गलत पावती दिए जाने के फलस्वरूप गबन हुआ। हालाँकि प्राथमिकी दर्ज किया गया (जुलाई 2002)। दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई।

Øe l-	foHkkx	dk;k&y; tgk xcu gvk	o"k	xcu dh xbZ jkf'k ¼yk[k #i;s e½	vfHk;fDr
4.	ग्रामीण विकास विभाग	प्रखंड विकास कार्यालय, कीरतपुर, दरभंगा	1997–99	10.84	इंदिरा आवास तथा बुनियादी सेवा योजनाओं के तहत मकान के निर्माण का कोई प्रमाण नहीं
			1997–2000	30.39	41 अपूर्ण योजनाओं पर व्यय के लिए मस्टर रॉल, अभिश्रव इत्यादि जैसे अभिलेखीय प्रमाण आदि उपलब्ध नहीं थे। मापी पुस्त में जाली प्रविष्टियों से इन्कार नहीं किया जा सकता।
			1997–2001	69.60	विभिन्न पदाधिकारियों (बीडीओ, राजस्व लिपिक, कनीय अभियंता, पंचायत सेवक, भीएलडब्ल्यू तथा नाजिर) को अग्रिम दिए गए राशि का दुर्विनियोजन
			1998–2001	10.26	रोकड़ पंजी तथा लेखे में लेनदेन की जाली प्रविष्टियों के माध्यम से गबन
	योग			**189.75**	

विषयवस्तु सरकार को संदर्भित किए गए (जून, अगस्त, सितम्बर 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

dY;k.k foHkkx

3-12 fcgkj e lQkbZdfe;ksa dh efDr rFkk iquokZl

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, सफाईकर्मियों की मुक्ति तथा पुनर्वास सफाईकर्मियों की मुक्ति तथा वैकल्पिक एवं प्रतिष्ठित व्यवसाय में उनको कार्यरत करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1980–81 में शुरू की गई। भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने इन योजनाओं में सुधार लाते हुए (अप्रील 1996) तथा इन पर बल देते हुए (जनवरी 2000) योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। जी.ओ.आई. ने वर्ष 1993 में एक अधिनियम के द्वारा शारीरिक श्रम करने वाले सफाईकर्मियों के रोजगार तथा सूखे शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाई। योजना के मुख्य अवयव निम्नवत थे :

- सफाईकर्मियों एवं उनके आश्रितों के पहचान हेतु कालावधि कार्यक्रम तथा सर्वेक्षण के द्वारा वैकल्पिक व्यवसाय के लिए उनकी रूचि ;
- सफाईकर्मियों एवं उनके आश्रितों को चुने गए व्यवसायों में प्रशिक्षण ;
- सफाईकर्मियों एवं उनके आश्रितों को अनुदान, अतिरिक्त ऋण राशि, बैंक ऋण इत्यादि मुहैय्या कराते हुए विभिन्न व्यवसायों एवं व्यापार एवं पेशा पुर्नवास;
- वर्त्तमान सूखे शौचालयों का पानी वाले शौचालयों में परिवर्त्तन।

सफाईकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी गई जबकि सफाईकर्मियों के पुनर्वास की जिम्मेवारी भारत सरकार, राज्य सरकार/एस.सी.डी.सी. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों पर थी। पुनर्वास पर औसत लागत 20,000 रुपये तक आँकी गई जिसमें 11,470 रुपये की निधि भारत सरकार द्वारा तथा शेष राज्य सरकार/एस.सी.डी.सी. द्वारा वहन किया जाना था। प्रशिक्षण तथा पुनर्वास हेतु उपलब्ध निधि तथा उनके विरूद्ध व्यय निम्नवत थे :

o"k	v0;f;r jkf'k	dUnz l jkT; ikIr fuf/k	jkT; ljdkj@ ,lhMhlh@ cd }kjk fn;k x;k vuqnku	dqy miyC/k fuf/k	foeDr fuf/k		;kx	v0;f;r 'k"k ¼ifr'kr dk"Bd e½
					fcgkj {k=	>kj[kM {k=		
¼yk[k #i;s e½								
1997-98	612.47	शून्य	शून्य	612.47	1.33	--	1.33	611.14 (99.8)
1998-99		464.23	शून्य	1075.37	15.68	1.88	17.56	1057.81 (98)
1999-2000		शून्य	शून्य	1057.81	63.22	18.02	81.24	976.57 (92)
2000-01		शून्य	शून्य	976.57	24.33	4.18	28.51	948.06 (97)
2001-02		शून्य	शून्य	948.06	28.39	(-) 1.58*	26.81	921.25 (97)

(* -झारखंड के जिलों द्वारा वापस की गई राशि**)**

विश्लेषण से निम्नवत प्रकट हुआ :

(क) एस.सी.डी.सी. के पास 10.77 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि में से जिला कार्यपालक पदाधिकारियों (डी.ई.ओ.) द्वारा सिर्फ 1.55 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) विमुक्त किया गया। जबकि एस.सी.डी.सी. द्वारा सारे प्राप्त पूर्ण राशि को व्यय के रूप में दर्शाया गया था।

(ख) एस.सी.डी.सी. द्वारा जी.ओ.आई. को न तो अनुपयोगित निधि को वापस किया न ही आगे के वर्षों में उपयोग हेतु शेष राशि ले जाने की अनुमति ही लिया।

(ग) लाभार्थियों को मिलनेवाला अतिरिक्त ऋण राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 49 : 51 के अनुपात में दिया जाना था। भारत सरकार द्वारा मात्र 4.64 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा कोई राशि विमुक्त नहीं की गई।

(घ) प्रत्येक माह के 10 तारीख तक व्यय की मासिक प्रगति प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना था परन्तु इस तरह के कोई प्रतिवेदन नहीं भेजे गए।

(ङ) उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित लेखापरीक्षित लेखोंओं को एस.सी.डी.सी. द्वारा आगामी वर्ष के एक माह के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। जबकि मई 2002 तक कोई लेखापरीक्षित लेखा या उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

नमूना जाँचित 10 जिलों[1] में उपलब्ध निधि तथा उनके विरूद्ध व्यय निम्नवत थे :

o"k	vkfn 'k"k	izkIr fuf/k	;kx	0;;	v0;f;r 'k"k ¼izfr'kr dk"Bd e½
	¼#i;s yk[k e½				
1997-98	23.34	0.83	24.17	10.41	13.76 (57)
1998-99	13.76	8.06	21.82	4.16	17.66 (80)
1999-2000	17.66	11.55	29.21	5.97	23.24 (80)
2000-01	23.24	22.18	45.42	17.84	27.58 (61)
2001-02	27.58	10.79	38.37	11.19	27.18 (71)
;kx		**53.41**		**49.57**	

(स्रोत : डी. ई.ओ. द्वारा दी गई सूचना)

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 57 से 80 प्रतिशत उपलब्ध निधि खर्च नहीं की गई। कटिहार तथा जहानाबाद जिलों में कोई राशि खर्च नहीं की गई।

सभी 10 जिलों के जिला कार्यपालक पदाधिकारियों के रोकड़ पंजी/खाता–बही में दर्शाए गए रोकड़ शेष पर विश्वास नहीं किया जा सका क्योंकि रोकड़ पंजियों के शेषों का मिलान बैंक के शेषों से नहीं किया गया था।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक चिह्नित सफाईकर्मियों तथा उनके आश्रितों को उनके अभिरूचियों, अधिमानों तथा सक्षमता के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना था। यह पाया गया कि 462 (4508 में से) सफाईकर्मियों को वर्ष 1998–99 (332) तथा वर्ष 2000–01 (130) के दौरान प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव था। जबकि एससीडीसी द्वारा उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 44.66 लाख रुपये मई 2002 तक एस सी डी सी के पास अनुपयोगित थे।

सफाईकर्मियों के पुनर्वास का लक्ष्य तथा उनके विरूद्ध उपलब्धि निम्नवत थे :

o"k	iquokflr fd, tkus okyk lQkbZdehZ	okLro e iquokflr fd, x,	dehZ ¼izfr'kr dk"Bd e½
	¼lk[;k e½		
1997-98	4000	72	3928 (98)
1998-99	4000	129	3871 (97)
1999-2000	4000	38	3962 (99)
2000-01	4000	174	3826 (96)
2001-02	4000	165	3835 (96)
;kx		**578**	

योजना के क्रियान्वयन का प्रथम कदम सफाईकर्मियों का पहचान करना था। यह पाया गया कि वर्ष 1997–98 के दौरान 4508 सफाइकर्मियों की पहचान की गई। लक्ष्य से यह जाहिर था कि प्रत्येक वर्ष 4000 सफाईकर्मियों को पुनर्वासित किया जाना था। इससे इंगित होता है कि या तो सर्वेक्षण अविश्वसनीय था या लक्ष्य का निर्धारण अवास्तविक था। निदेशक, लेखा–सह–वित्तीय सलाहकार, एससीडीसी ने सूचित किया (मार्च 2002) कि सर्वेक्षण अभी भी जारी था।

[1] *भागलपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा तथा रोहतास*

(i) चूँकि वर्ष 1998–2002 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, 16000 सफाईकर्मियों के पुनर्वासन का लक्ष्य वास्तविक तथा विश्वसनीय नहीं था। इसके अलावे, प्रत्येक वर्ष 4000 सफाईकर्मियों को पुनर्वासित करने के लक्ष्य निर्धारण का कोई विवेक नहीं था जबकि वर्ष 1997–98 के दौरान केवल 4508 सफाईकर्मियों की पहचान की गई।

(ii) अवास्तविक तथा अविश्वसनीय लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि में कमी 96 से 99 प्रतिशत थी। निदेशक (परियोजना), एस सी डी सी ने कमी के कारणों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में विलम्ब तथा नगरपालिका निकायों द्वारा वांछित योग्यता प्रमाणपत्र का जारी नहीं किया जाना, बताया (मार्च 2002)। हालाँकि निदेशक द्वारा इन समस्याओं को दूर करने हेतु बैंक तथा नगरपालिका निकायों के समक्ष इस विषय को नहीं लाया गया।

(iii) प्रशिक्षित सफाईकर्मियों को प्रति सफाईकर्मी 20,000.00 रुपये (औसतन) की वित्तीय सहायता प्रदान कर पुनर्वासित किया जाना था। यह देखा गया कि बगैर किसी व्यापार में प्रशिक्षण किए हुए वर्ष 1997–2002 के दौरान कुल 578 सफाईकर्मियों को पुनर्वासित किया गया जबकि उनके पुनर्वासन पर 1.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए। निदेशक (परियोजना) ने सूचित किया (मई 2002) कि उनके द्वारा चाहे गए व्यवसाय/व्यापार में उनको कोई प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि व्यापार/व्यवसाय में निपुणता में वृद्धि समुचित प्रशिक्षण पर निर्भर करता था।

नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि 2 से 13 प्रतिशत तक रही। जिला कार्यपालक पदाधिकारियों ने सूचित किया (मार्च 2002) कि बैंको के असहयोग के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। जबकि बैंको के सक्षम अधिकारियों के समक्ष उनके द्वारा इस विषय को नहीं लाया गया।

योजना की सफलता सूखे शौचालय को नम शौचालय में पूर्ण परिवर्त्तन पर निर्भर करता था अन्यथा सफाई करने की प्रथा जारी रहेगी। वर्ष 1993 में एक अधिनियम, जिसके द्वारा सश्रम सफाईकर्मियों के रोजगार तथा सूखे शौचालयों के निर्माण तथा परिचालन पर रोक लगाया गया, के लागू होने के बावजूद, राज्य सरकार एस सी डी सी द्वारा सूखे शौचालयों के खोज तथा उनके नम शौचालयों में परिवर्तन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। निदेशक (परियोजना) ने बताया (मार्च 2002) कि सूखे शौचालयों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

vuJo.k ,oa eY;kdu dk vHkko

योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी अनुसूचित जाति विकास निगम, जो कि आयुक्त–सह–सचिव, कल्याण विभाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत था, योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण में विफल रहे। अप्रील 2002 तक कोई राज्य स्तरीय अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया गया, जबकि आवश्यक था। निदेशक (परियोजना) ने कहा (मार्च 2002) कि जिला स्तरीय अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया, परन्तु राज्य में सश्रम सफाई करने तथा सूखे शौचालयों के निर्माण पर रोक हेतु अधिनियम 1993 के प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इस प्रकार, अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप योजना का नगण्य प्रर्दशन हुआ।

इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के आयुक्त–सह–सचिव, कल्याण विभाग, पटना या अन्य दूसरे स्वतंत्र निकाय द्वारा योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन नहीं किया गया।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

v/;k; & IV

dk;l 0;;

[k.M&[k % dfMdk,

ykd LokLF; vfHk;=.k foHkkx

4-1 gLr uydiksa l yxs g,, ykg iFkDdj.k l;=ksa d fuek.k esa vfrfjDr ykxr

dk;likyd vfHk;rk] yk- Lok- vfHk- foHkkx] if.k;k u 72 yk[k #i;s d vfrfjDr ykxr ij uydiksa l yxs g,, 2898 ykg iFkDdj.k l;=ksa dk fuek.k fd;kA bld vykok] 1-70 djksM #i;s dh ykxr ij fufer 1277 ¼44 ifr'kr½ ykg iFkDdj.k l;= vfØ;k'khy FkA

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान पेय जल से अधिक लौह के पृथक्करण हेतु एक नयी योजना प्रारंभ किया। तद्नुसार कोसी अमृत पेय जल योजना के तहत 10830 रुपये प्रत्येक की दर से मुख्य अभियंता (ग्रामीण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा अनुमोदित 4.08 करोड़ रुपये के आँकलित लागत पर पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलों के 1862 (1146 + 716) गाँवों में वर्ष 1998–99 के दौरान 3764 लौह पृथक्करण संयंत्र सहित हस्त नलकूपों का निर्माण किया जाना था। सरकार ने मार्च 1999 तक कार्य की पूर्णता हेतु जुलाई 1998 में 4.08 करोड़ रुपये विमुक्त किये।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अभि. प्रमंडल, पूर्णियाँ ने जून 2002 तक 3.86 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 2898 लौह पृथक्करण संयंत्रों का विभागीय निर्माण करवाया जिसपर प्रति संयंत्र औसत व्यय, 10830 रुपये के अनुमोदित व्यय के विरूद्ध 13320 रुपये था। कार्य पूर्णता की समय–सारणी में ढ़ील के कारण प्रति संयंत्र श्रम एवं सामग्री लागत में 2490 रुपये की वृद्धि दर से 72 लाख रुपये की वृद्धि हुयी जबकि 866 लक्षित लौह पृथक्करण संयंत्रों का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2898 लौह पृथक्करण संयंत्रों में से 1277 अक्रियाशील हो गए थे तथा जून 2002 तक इन्हें क्रियाशील करने हेतु किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर 1.70 करोड़ रुपये का व्यय निरर्थक साबित हुआ।

इस प्रकार, पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलों में सभी ग्रामीणों को सुरक्षित पेय जल मुहैय्या कराने के निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुयी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2002)। सरकार के आयुक्त–सह–सचिव, लो. स्वा. अभि. वि. ने अपने जवाब में बताया कि योजना नई थी तथा इसके क्रियान्वयन में जागरूकता लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे क्रियाकलाप शामिल थे जिससे क्रियान्वयन में विलंब हुआ। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्यक्रम की पूर्णता हेतु इन

क्रियाकलापों को लागत प्रभावी तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए था तथा पूर्णियाँ एवं किशनगंज जिलों के लोगों को पेयजल आपूर्ति के निर्दिष्ट लाभ की प्रदत्तता सुनिश्चित की जानी थी।

iFk fuekZ.k foHkkx

4-2 dk;Z dk voekud dk;Zo;u dk dkj.k gkfu

rduhdh 0;ogk;Zrk lqfuf'pr fd, oxZ iFk dk;Z dk dk;Zo;u dk ifj.kkeLo:i dk;Z dk voekud dk;Zo;u rFkk {kfrxLr iFk dh ifjgk;Z ejEefr ij 48-35 yk[k #i;s dh vkdfyr ykxr dk vykok vkdfLed ejEefr dk;Z ij 6-30 yk[k #i;s dk 0;; gqvkA

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संस्थान, पथ निर्माण विभाग द्वारा आरा–बक्सर पथ (36–74 कि.मी.) के जीर्णाद्धार के कार्य के लिए मार्च 1998 में 5.10 करोड़ रुपये का अनुमोदन तथा 5.66 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति चार भागों में (मार्च 1998 से जनवरी 2000 के मध्य) प्रदान की गयी।

कार्य के प्रथम भाग के लिए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, बक्सर ने जुलाई 1998 में निविदा आमंत्रित किया। निविदा समिति (नि. स.) ने 2.45 करोड़ रुपये के आकलित लागत सहित विभागीय सामग्रियों की 0.85 करोड़ रुपये की लागत से 17 प्रतिशत अधिक पर 3.72 करोड़ रुपये के दर को अनुमोदित (नवंबर 1998) किया। यह अनुचित था क्योंकि नि. स. आँकलित लागत से 5 प्रतिशत से अधिक की संविदा अनुमोदित नहीं कर सकती थी। मुख्य अभियंता (संचार), पथ निर्माण विभाग, दक्षिण बिहार स्कंध, पटना ने अक्टूबर 1999 तक (मार्च 2000 तक विस्तारित) कार्य समाप्ति हेतु 3.71 करोड़ रुपये के लिए कार्य को एक अभिकरण को सौंपा (नवंबर 1998)। संवेदक को मार्च 2000 तक 4.60 करोड़ रुपये के किए गए कार्य के विरूद्ध 4.54 करोड़ रुपये का भुगतान (जुलाई 2000 तक) किया गया।

जनवरी 2000 में किए गए एक संयुक्त निरीक्षण से पथ में 91 जगहों पर धँसाव, टूट व गड्ढे ज्ञात हुए। तदंतर, मुख्य अभियंता (संचार) द्वारा जुलाई 2001 में किए गए निरीक्षण ने प्रकट किया कि तकनीकी स्वीकृति के पूर्व मृदा–जाँच नहीं किए जाने के कारण पथ कार्य विफल हुए। पथ के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मति की आकलित लागत 48.35 लाख रुपये थी जबकि 6.30 लाख रुपये आकस्मिक मरम्मतियों पर खर्च (मार्च 2001) किए जा चुके थे।

इस प्रकार, तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना पथ कार्यों के क्रियान्वयन से 4.54 करोड़ रुपये का अवमानक क्रियान्वयन हुआ, सरकार को 48.35 लाख रुपये के आँकलित लागत की हानि हुयी तथा 6.30 लाख रुपये के आकस्मिक मरम्मति कार्य किए गए।

मामला सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

iFk fuekZ.k ¼jk"Vªh; mPp iFk½ foHkkx

4-3 dk;Z dk mPp nj ij vuf/kd`r :i ls inku fd;k tkuk

jk- m- i- 30 esa iFk dk;Z dk e/;[k vfHk;a=rk] jk- m- i- Ld/k] i- fu- fo- }kjk mPprj njksa ij inku fd, tkus ds QyLo:i 1-03 djksM #i;s dh vfrfjDr ykxr vkbZA

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना द्वारा रा. उ. पथ 30 (मोहनिया से बख्तियारपुर) के 101 से 116 कि.मी. के मजबूतीकरण हेतु स्थल परिवहन मंत्रालय (एम. ओ. आर. टी. एंड एच.) की स्वीकृति के आधार पर सितंबर 1999 में 3.61 करोड़ रुपये के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (पश्चिमी) प्रमंडल, पटना ने पथ पटल कार्य हेतु निविदाएँ आमंत्रित (नवंबर 1999) किया जिसमें मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित 2.99 करोड़ रुपये का परिमाण विपत्र शामिल था। निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर मुख्य अभियंता, पथ रा. उ. प. स्कंध ने कार्य को सितंबर 2000 तक पूर्ण किए जाने हेतु निविदा राशि (विभाग द्वारा आपूरित 0.93 करोड़ रुपये के अलकतरे की लागत को छोड़कर) से 33 प्रतिशत अधिक पर न्यूनतम संवेदक को 2.74 करोड़ रुपये में कार्य सौंपा (मई 2000)। 3.67 करोड़ रुपये के संविदा लागत के विरूद्ध 3.68 करोड़ रुपये की लागत पर अप्रील 2001 में कार्य पूर्ण किया गया।

इसी प्रकार सितंबर 1999 में एम ओ आर टी एच द्वारा 1.54 करोड़ रुपये के लिए उसी उच्च पथ के 154 से 159 कि.मी. विस्तार में चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था। दिसंबर 1999 में उसी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य की निविदा निकाली गयी। निविदा समिति की अनुशंसा पर नवंबर 2001 तक कार्य की समाप्ति हेतु 1.50 करोड़ रुपये की निविदा लागत से 23 प्रतिशत अधिक 1.85 करोड़ रुपये पर न्यूनतम निविदादाता को कार्य आवंटित किया गया। अगस्त 2002 तक अभिकरण को 1.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और कार्य को पूर्ण होना बाकी था।

एम ओ आर टी एच के निर्देशों के अनुसार आकलित/निविदा लागत से 5 प्रतिशत अधिक वाली निविदाओं को अस्वीकृत किया जाना था तथा पुनरीक्षित आकलन हेतु एम ओ आर टी एच से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। इस प्रकार रा. उ. प. 30 में दो विस्तारों में आकलित/निविदा लागत से 33 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत अधिक पर पथ कार्य प्रदान किया जाना अनधिकृत था जिसके परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रुपये (68 लाख रुपये + 35 लाख रुपये) की अतिरिक्त लागत हुई तथा राज्य पर अतिरिक्त परिणामी वित्तीय भार पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

t y l l k/ku foHkkx

4-4 i y d fuek.k ykxr e of) rFkk C;k t dh gkfu

e[; vfHk;rk] njHkxk }kjk iujhf{kr vkdyu dh e tjh rFkk 3-38 yk[k #i;s dk Hkxrku le; ij ugh fd, tkus ds ifj.kkeLo:i i y fuek.k e 32-17 yk[k #i;s d ykxr vfrjd d vykok jyo d ikl 21-85 yk[k #i;s vo:) jgs rFkk 35-39 yk[k #i;s dh C;k t dh gkfu gbZ

पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल, झंझारपुर ने मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा अनुमोदित झंझारपुर उप–नहर पर (महरेल तथा चंद्रेश्वर स्थान रेलवे स्टेशन : आर डी 63.10 तथा झंझारपुर मिथिलादीप रेलवे स्टेशनों : आर डी 99.756 के मध्य) क्रमशः 37.65 लाख रुपये तथा 22.27 लाख रुपये के दो रेलवे पुलों हेतु पूर्वोत्तर रेलवे, समस्तीपुर को दो आकलन प्रस्तुत (मार्च 1991) किया। झंझारपुर तथा मिथिलादीप रेलवे स्टेशनों के मध्य 22.27 लाख रुपये के पुल के आकलन को रेलवे ने 25.23 लाख रुपये के पुनरीक्षण का सुझाव (25 मार्च 1991) दिया। इसी दौरान, दोनों पुलों के 59.92 लाख रुपये के आकलित लागत के विरूद्ध पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल ने 59.50 लाख रुपये का भुगतान (26 मार्च 1991) कर दिया। हालाँकि, मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा झंझारपुर मिथिलादीप पुल के 25.23 लाख रुपये के पुनरीक्षित आकलन को 14 माह के विलंब के उपरांत जून 1992 में मंजूरी दी गयी।

चूँकि रेलवे को दोनों पुलों के लिए 62.88 लाख रुपये के पूर्ण आकलित लागत को भुगतान नहीं किया गया, उन्होंने 37.65 लाख रुपये की लागत पर मई 1995 में महरैल–चंद्रेश्वर स्थान के मध्य एक पुल को ही निर्मित किया। तदंतर, प्रमंडल के निवेदन पर रेलवे ने दूसरे पुल के लिए 25.23 लाख रुपये के पूर्व आकलित लागत के विरूद्ध 57.40 लाख रुपये का एक आकलन प्रस्तुत (फरवरी 2000) किया। मार्च 2000 में प्रमंडल ने दूसरे पुल के निर्माण हेतु रेलवे की माँग के अनुसार 35.55 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान किया।

इस प्रकार, पुनरीक्षित आँकलन की अस्वीकृति तथा समय पर 3.38 लाख रुपये का भुगतान नहीं किए जाने के कारण रेलवे के पास 9 सालों तक (अप्रील 1991 से मार्च 2000 तक) 21.85 लाख रुपये अवरूद्ध रहे तथा 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से 23.60 लाख रुपये के सूद की हानि के अलावा 32.17 लाख रुपये का लागत अतिरेक भी हुआ। यह भी पाया गया कि पुल का निर्माण जून 2002 तक पूरा नहीं हुआ था।

मामला सरकार को संदर्भित (जुलाई 2002) किया गया। सरकार के आयुक्त–सह–सचिव, जल संसाधन विभाग ने बताया (नवंबर 2002) कि नवंबर 1990 में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा निधियों के अभाव के कारण रेलवे को समय पर 3.38 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया था। उनका जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नवंबर 1990 में तथाकथित प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मार्च 1991 में रेलवे को 59.50 लाख रुपये भुगतान किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे ने तब से पुल निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

4-5 LFkyh; Ld/kksa d fuekZ.k ij fu"Qy 0;;

iLrkfor iDdk rVc/k dk;ksZ d cnyh LFkyh; Ld/kksa d fuekZ.k d ifj.kkeLo:i 3-72 djksM #i;s dk fu"Qy 0;; rFkk ck< fu;a=.k dk;ksZ ij 46-49 yk[k #i;s dk ifjgk;Z 0;; gqvkA

कस्बा, रूपनगर के समीप गंगा नदी द्वारा कटाव रोकने हेतु 70वें तकनीकी सलाहकार समिति ने नवंबर 1998 में पक्का तटबंध के निर्माण (अपप्रवाह में 250 मीटर लंबा तथा अनुप्रवाह में 150 मीटर लंबा) की अनुशंसा की थी। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने हालाँकि 3.66 करोड़ रुपये की लागत पर 2 स्थलीय स्कंधों का निर्माण अनुमोदित (फरवरी 1999) किया। मई 1999 तक पूर्ण किए जाने हेतु 3.45 करोड़ रुपये की आँकलित लागत पर कार्य दो अभिकरणों को सौपा गया (फरवरी 1999)।

अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि बाढ़ आगमन (अगस्त 1999) के दौरान 3.72 करोड़ रुपये की लागत पर स्थलीय स्कंधों का निर्माण कराया गया था। परिणामस्वरूप, नदी किनारों का कटाव नहीं रोका जा सकता था। अगस्त 1999 में भी अभियंता प्रमुख के आदेशों पर उसी अभिकरण द्वारा 46.49 लाख रुपये के बाढ़ नियंत्रण कार्य प्रारंभ किया गया था। इसके बावजूद तटबंध में वृहत् कटाव तथा दरार आए थे।

तदंतर 3.48 करोड़ रुपये की लागत पर पक्का तटबंध के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति (जनवरी 2000) प्रदान की गयी। आकस्मिकताओं, भू–अर्जन इत्यादि को शामिल करते हुए 3.40 करोड़ रुपये की लागत पर पक्के तटबंध का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

इस प्रकार, पक्के तटबंध कार्यों के बदले स्थलीय स्कंधों के निर्माण के परिणामस्वरूप 3.72 करोड़ रुपये के निष्फल व्यय के साथ–साथ बाढ़ बचाव उपायों पर 46.49 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2002)। आयुक्त–सह–सचिव का जवाब (सितंबर 2002) कि दोनों स्कंधों का निर्माण 70वें तकनीकी सलाहकार समिति के अनुशंसा पर किया गया था, तथ्यगत सही नहीं था क्योंकि उक्त समिति ने सिर्फ तटबंध के निर्माण की ही अनुशंसा की थी (कार्य सूची सं. 70/118)।

4-6 iokg rk= vkj ejEerh dk;ksZ ij fu"Qy 0;;

djyyk ty /kkjk e mfpr fu;a=.k d fcuk f=;d iokg lajpuk] njHkxk d fuekZ.k rFkk ejEerh dk;Z fd, tkus d dkj.k 29-08 yk[k #i;s dk fu"Qy 0;; gqvkA

जल संसाधन विभाग ने पूर्णियाँ जिला में फरियानी नदी के 61.90 बिन्दु दुरी पर कुरसेला जलधारा में जल निस्सरण क्षमता को 500 क्यूसेक से 2000 क्यूसेक तक बढ़ाने का तथा 61.90 बिन्दु दुरी के पहले कुरसेला जलधारा और नहर की मरम्मती

करने का निर्णय लिया जिससे कि सिंचाई क्षमता 981 हेक्टेयर से बढ़ा कर 5854 हेक्टैयर की जा सके। तदनुसार, मई 1999 तक कार्य की पूर्णता 75.54 लाख रुपये की आँकलित लागत पर सरकार ने त्रियक प्रवाह संरचना के निर्माण का कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को सौंपा (फरवरी 1999)। मार्च 1999 से अप्रील 2000 के मध्य कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 47.72 लाख रुपये की कुल लागत पर 61.90 बिन्दु दुरी के पहले जलधारा और नहर की मरम्मती का कार्य वर्ष 1998–2000 के दौरान 12 विभिन्न अभिकरणों को सौंपा गया।

मुख्य अभियंता ने निरीक्षण के दौरान पाया (सितंबर 1999) कि वर्ष 1999 के बाढ़ के दौरान तटबंधों की दरारों से अत्यधिक जल निष्कासन हुआ था (लगभग 10000 क्यूसेक जल) तथा इन दरारों को बंद नहीं किए जाने से त्रियक प्रवाह संरचना को खतरा था। परिणामतः मुख्य अभियंता द्वारा त्रियक प्रवाह संरचना का निर्माण तथा मरम्मती कार्य रोक दिया गया (दिसंबर 2000)। तब तक अधूरे कार्यों पर 29.08 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे (संरचना के निर्माण पर 1.18 लाख रुपये तथा मरम्मती कार्य पर 27.90 लाख रुपये)। जुलाई 2002 तक न तो संरचना का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था और न ही तटबंधों के दरारों को पाटा ही गया था। त्रियक प्रवाह संरचना का निर्माण तथा मरम्मती कार्य प्रारंभ करने के पहले मुख्य अभियंता को तटबंधों के दरारों की पटाई सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बिना समुचित नियोजन के कुरसेला जलधारा का त्रियक प्रवाह संरचना का निर्माण तथा जल धारा और नहर के मरम्मती कार्यों को आरंभ किए जाने से 29.08 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, जलधारा की सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य भी नहीं प्राप्त किया जा सका।

मामला सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

Hkou fuekZ.k ,oa vkokl rFkk iFk fuekZ.k foHkkx

4-7 xcu

वित्तीय लेन–देन एवं कोषागारों में भुगतान हेतु रोकड़ पंजी के संधारण से संबंधित बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 तथा बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम 93 (1) तथा (3) के विहित प्रावधानों का दो कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 20 लाख रुपये का गबन संभावित हुआ जैसा नीचे दिया गया है :

Øe l-	foHkkx	dk;kZy; tgk¡ xcu gqvk	o"kZ	xcfur jkf'k ¼yk[k #i;ksa esa½	vfHk;qä ;k¡
1.	भवन निर्माण एवं आवास	पाटलिपुत्र भवन निर्माण प्रमंडल, पटना तथा किराया एवं उपकर प्रमंडल, पटना	जुलाई 1999 से जनवरी 2001 के मध्य तथा सितंबर 1991 और अक्टूबर 1998 के मध्य	15.72	पटना सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन तथा निर्माण भवन) में भुगतान की रोकड़–पंजी में काल्पनिक प्रविष्टियों द्वारा राशि गबन की गयी।

Øe l-	foHkkx	dk;kZy ; tgk xcu gvk	o"k	xcfur jkf'k ¼yk[k #i ;s e½	vH;fä ;k
2.	पथ निर्माण विभाग	पथ निर्माण प्रमंडल, रामनगर, पश्चिमी चंपारण	जून 2000, दिसंबर 1999, अप्रील–मई 1999	4.28	वैयक्तिक दावों के भुगतानों में चेक की गड़बड़ी, मृत्यु–सह–सेवा निवृत्ति उपादान एवं वेतन भुगतान का जाली भुगतान तथा लेखा में दर्शाए गए रोकड़ का प्रमंडल में जाली स्थानांतरण ने गबन संभावित किया।
	;kx			20-00	

सरकार के सचिव, भवन निर्माण विभाग ने पूछे जाने पर (अगस्त 2002) बताया (अक्टूबर 2002) कि संबंधित प्रमंडलों के रोकड़पालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी तथा वे निलंबित किए जा चुके थे।

सरकार के सचिव, पथ निर्माण विभाग ने भी यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2002) बताया (जनवरी 2003) कि तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी जो प्रथम द्रष्ट्या अपराधी था तथा अदालत में पुलिस चार्जशीट दायर की जा चुकी थी। वह भी निलंबित किया जा चुका था।

v/;k; & v

HkkMkj ,oa lkexh

[k.M & c % dfMdk

iFk fuekZ.k foHkkx

5-1 vydrjk dh deh

dk;kZikyd vfHk;ark] iFk fuekZ.k izeaMy] <kdk vydrjk dh deh@pkjh dk fy, mÙkjnkf;Ro fu/kkZj.k djus esa foQy jgk ftldk ifj.kkeLo:i 37-02 yk[k #i;s dh gkfu gqbZA

पथ निर्माण प्रमंडल, ढ़ाका, पूर्वी चंपारण के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (मई 2001) कि प्रमंडल के दो कनीय अभियंताओं ने वर्ष 1993–96 के दौरान अभियंता प्रमुख द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं से 20.19 लाख रुपये की कीमत का 480.62 टन अलकतरा प्राप्त किया। कनीय अभियंताओं द्वारा प्राप्त अलकतरे अनुमंडलयी अभिलेखों में प्रविष्ट नहीं किए गए थे। मई 2002 तक 20.19 लाख रुपये के अलकतरे की चोरी एवं लेखाकरण नहीं किए जाने का उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि पथ निर्माण प्रमंडल, ढ़ाका के भंडार के भौतिक परीक्षण (मई 1996, सितंबर 1999 तथा जून 2000) में पाए गए 16.73 लाख रुपये मूलय के 371.136 टन अलकतरे (352.397 टन ठोस अलकतरा तथा 18.739 टन पैक अलकतरा) की कमी को उत्तरदायी कर्मियों से वसूली नहीं किया गया था।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, ढ़ाका ने अलकतरे की चोरी को वित्त विभाग तथा महालेखाकार को प्रतिवेदित नहीं किया, हालाँकि नियम के तहत अपेक्षित था। इसके अलावा दोषी कर्मियों के विरूद्ध 851.76 टन अलकतरे की वसूली हेतु विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई आरंभ करने में उनकी विफलता के कारण 37.02 लाख रुपये की हानि हुयी।

मामला सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

v/;k; & VI

LFkkuh; fudk;ksa ,oa vU; dks foÙkh; lgk;rk

[k.M&d % leh{kk

mPp f'k{kk foHkkx

6-1 iVuk fo'ofo|ky; dh dk;Zi.kkyh

e/[;kd"k.k

ifj.kkeksa ds i.dk'ku esa 92 ls 211 fnuksa rd dk foyEc Fkk ftlls fo|kFkhZ çHkkfor gq,A

½dfMdk 6-1-5-1½

o"k 1997&2000 ds nkjku f'k{kdksa dk vfu;fer :i ls 1-97 djksM #i;s ds vrfje jkgr dk Hkqxrku fd;k x;k FkkA

½dfMdk 6-1-7 ½i½½

vizSy 1997 ls Qjojh 2002 ds nkjku 'kf{kd ,oa f'k{kdsÙkj dfe;ksa dk 1-12 djksM #i;s ds oruu dk vf/kd Hkqxrku volfyr iMk jgkA

½dfMdk 6-1-7 ½ii½½

17 i;kZoj.kkyk iHkkjh] tks vfu;fer :i ls fu;ksDr fd, x, Fks rFkk lksus cuk jgs] dks 81-73 yk[k #i;s ds oruu dk vfu;fer Hkqxrku fd;k x;kA f'k{kdsÙkj dfe;ksa dk 14-58 yk[k #i;s ds ckuu dk vfu;fer Hkqxrku fd;k x;k FkkA

½dfMdk 6-1-7 ½iii½ ,oa ½iv½½

okfNr mís';ksa dks çkIr ugha fd, tkus ds dkj.k fo- v- vk- ¼;w-th-lh-½ ds buf¶ycuV ¼vkbZ ,u ,Q ,y vkbZ ch ,u bZ Vh½ dk;Øe ds rgr 47-16 yk[k #i;s dk 0;; fu"Qy jgkA

½dfMdk 6-1-8½

fo- v- vk- ls ikIr 1-35 djksM #i;s dk fodkl vuqnku vuqi;ksfxr iMk jgkA

½dfMdk 6-1-9½

6-1-1 çLrkouk

1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 द्वारा संचालित है। इसके पास 11 अंगीभूत महाविद्यालय, 28 स्नातकोत्तर विभाग, 4 संस्थान तथा एक अभियंत्रण महाविद्यालय है। विश्वविद्यालय के पास चार संबद्ध इकाईयाँ है यथा पुस्तकालय, औषधालय, प्रेस तथा अतिथिशाला। विश्वविद्यालय का

मुख्य उद्देश्य साहित्य, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य तथा अभियंत्रण संभागों को निर्देश जारी करना है।

6-1-2 lkxBfud <kpk

बिहार के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी तथा शैक्षिक पदाधिकारी होते हैं और ये तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते है। वे कुलपति तथा निबंधक द्वारा शासकीय मामलों तथा वित्त सलाहकार एवं वित्त पदाधिकारी द्वारा वित्तीय मामलों में सहायतित होते हैं।

6-1-3 foLrkj

वर्ष 1997–2002 की अवधि के लिए पटना विश्वविद्यालय के कार्यकलाप की समीक्षा फरवरी 2002 से जुलाई 2002 के मध्य की गई। नियंत्रक महालेखापरीक्षक (क.रा.नि.) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 के तहत् विश्वविद्यालय के मुख्य लेखे के साथ–साथ छः महाविद्यालयों, 15 स्नातकोत्तर विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय, औषधालय, प्रेस, दूर–शिक्षा निदेशालय, वयस्क एवं निरंतर शिक्षा, जनसंख्या शोध केन्द्र, शैक्षिक कर्मी महाविद्यालय, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान आदि के लेखे भी नमूना–जाँच किए गए। अनुवर्त्ती कंडिकाओं में फलाफल वर्णित हैं।

6-1-4 ctVh; ifØ;k ,oa y[kk fu;a=.k

विश्वविद्यालय राज्य सरकार के मुख्यतः सहायता–अनुदानों से वित्त पोषित की जाती रही है। इसके अलावा शोध एवं विकास के उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) केन्द्रीय सरकार एवं अन्य केन्द्रीय संस्थाओं से भी निधियाँ प्राप्त की जाती थी। 31 मार्च 2002 को समाप्त विश्वविालय के 5 वर्षों की प्राप्तियों तथा व्यय के ब्यौरे निम्नवत् थे :

çkfIr;k¡ ¼yk[k #i;s esa½						0;; ¼yk[k #i;s esa½		
o"kZ	jkT; ljdkj	fo-v-vk- ,oa vU;	viu lkr	vU; lkr	dqy	lkxB&fud@jkt Lo	iathxr ,oa vU;	dqy 0;;
1997-98	2047.46	226.78	296.99	235.79	2807.02	2486.80	114.07	2600.87
1998-99	1940.27	26.38	286.72	94.65	2348.02	2625.00	118.56	2743.56
1999-2000	3835.11	247.14	506.81	183.27	4772.33	4282.26	182.87	4465.13
2000-2001	2541.77	129.83	471.29	101.24	3244.13	3201.56	113.78	3315.34
2001-2002	2786.22	107.76	964.87	264.33	4123.18	4084.90	124.87	4209.77
;kx	**13150.83**	**737.89**	**2526.68**	**879.28**	**17294.68**	**16680.52**	**654.15**	**17334.67**

y[kk vfHky[k v/kjs Fk rFkk vkdMks dh lR;rk tkph ugh tk ldh Fkh

विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक लेखे में आरंभ शेष तथा अंतःशेष का उल्लेख नहीं किया गया था। यह पाया गया कि अधूरे रोकड़ पंजी एवं अन्य सहायक अभिलेखों के कारण लेखापरीक्षा के लिए संभव नहीं रह गया था कि वह बजट एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखों के आँकड़ों की सत्यता जाँच सके।

वर्ष 2001–02 के दौरान राजस्व के अपने संसाधनों में बढ़ोतरी कटौती किए गए सफल वेतन के 2.70 करोड़ की प्राप्ति की प्रति दर्जता तथा महाविद्यालयों/संस्थानों तथा परीक्षा अनुभाग से 1.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उगाही के कारण था। वर्ष 2000–01 के दौरान सरकार से कम अनुदान की प्राप्ति के कारण व्यय में कमी आई जिससे पूरे वेतन आदि का भुगतान नहीं हो सका।

इसके अलावा वार्षिक लेखे में 40.49 लाख रुपये की प्राप्तियाँ कम दर्शायी गयी जो निम्नवत् है :

Øe l-	fooj.k	1998&99	1999&2000	2000&01
		¼yk[k #i;s e½		
क	सहायक रोकड़ पंजी के अनुसार प्राप्त अनुदान	37.27	273.23	133.34
ख	वार्षिक लेखे में दर्शाए गए अनुदान	26.38	247.14	129.83
ग	वार्षिक लेखे में दर्शाए गई कमी	10.89	26.09	3.51

6-1-5 ijh{kk

6-1-5-1 ijh{kkQyksa dk izdk'ku esa vR;f/kd foyac

ijh{kkQyksa dk izdk'ku esa 92 ls 211 fnuksa dk foyac

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अनुसार परीक्षाफलों का प्रकाशन परीक्षा समाप्ति के साठ दिनों के अवधि के अंदर किया जाना चाहिए जिसे लिखित रूप से कारण दर्ज करते हुए अगले साठ दिनों तक बढ़ाया जा सकता था। यह पाया गया कि लगभग सभी मामलों में परीक्षा–परिणामों के प्रकाशन में विहित समय–सीमा का अनुपालन नहीं किया गया था। 60 दिनों के विहित समय–सीमा से परे परीक्षा–परिणामों के प्रकाशन में 92 दिनों से 211 दिनों का विलंब था जो निम्नवत् है :

Øe l-	ijh{kk dk fooj.k	ijh{kk dh vfre frfFk	ijh{kkQy dk çdk'ku dh frfFk	ijh{kk dh vfre frfFk ds ckn ds fnuksa dh l[;k	60 fnuksa ls ij foyac
1	बी. ए. भाग–I, 1997	11.4.1997	11.9.1997	152	92
2	बी. ए., बी.एस.सी., बी.कॉम भाग–I, 1998	23.6.1998	31.12.1998	190	130
3	बी. एस. सी. भाग–II, 1997	10.5.1997	20.10.1997	162	102
4	बी. ए. भाग–II, 1998	20.5.1998	13.11.1998	176	116
5	बी. एस. सी. भाग–II, 1998	20.5.1998	2.11.1998	165	105
6	बी. कॉम भाग–II, 1998	20.5.1998	6.11.1998	169	109
7	बी. ए. भाग–I, 2000	22.6.2000	21.3.2001	271	211
8	बी. एस. सी. भाग–II, 2000	22.6.2000	5.3.2001	255	195
9	बी. कॉम भाग–II, 2000	22.6.2000	28.2.2001	250	190
10	बी. ए. भाग–II, 2001	21.8.2001	28.2.2002	190	130

परीक्षाफल के प्रकाशन में विलंब ने विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया। इसके अलावा स्नात्तकोत्तर कोर्स 1998–2000 का सत्र 21.3.2001 से 20.4.2001 के दौरान कोर्स के एक वर्ष के उपरांत आरंभ हुआ।

6-1-5-2 'kf{kd le; rkfydk dk vuqikyu ugh

'kf{kd l= dk vuqikyu ugh fd;k x;k

जैसा नीचे विवरणित है, परीक्षा नियंत्रक ने वर्ष 1997–2002 के दौरान शैक्षिक समय तालिका का अनुपालन नहीं किया था :

Øe l-	ijh{kk dk uke	'kf{kd le; rkfydk dk vuqlkj		okLrfod	
		ijh{kk dk vkjaHk dh frfFk	ijh{kkQy dk izdk'ku dh frfFk		
1	स्नातक भाग–I, 1998	द्वितीय सप्ताह, मई 1998	जुलाई 1998	26.5.98	31.12.98
2	स्नातक भाग–II, 1998	तृतीय सप्ताह, अप्रील 1998	जून 1998	21.4.98	नवम्बर 1998
3	स्नातक भाग–III, 1998	प्रथम सप्ताह, अप्रील 1998	जून 1998	2.4.98	अगस्त 1998
4	स्नात्तकोत्तर कोर्स 1999–2001 भाग–I, 1999–2000	29.11.01	अनु.	8.12.01	अनु.
5	स्नात्तकोत्तर कोर्स 2000–2001	1.12.01	अनु.	5.7.02	अनु.

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2003) कि परीक्षा संचालन तथा परीक्षाफल के प्रकाशन में विलंब तथा शैक्षिक समय तालिका का अनुपालन नहीं किए जाने का कारण शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का हड़ताल तथा विद्यार्थियों का आंदोलन था।

6-1-6 'kks/k dk;Z/ xfrfof/k;k

वर्ष 1997 से मार्च 2002 तक कुल 821 अभ्यर्थियों ने शोध कार्य किया तथा इन्हें पी. एच. डी. (5 डी. लिट. को शामिल करते हुए) की उपाधि प्रदान की गयी जैसा कि नीचे विवरणित है :–

ldk;	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002** (मार्च 2002 तक)	dqy
मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान	92	105	173	114	115	18	617
वाणिज्य	4	10	9	9	3	1	36
विज्ञान	29	20	28	28	17	3	125
शिक्षा	1	2	नगण्य	8	8	नगण्य	19
विधि	नगण्य	नगण्य	1	1	नगण्य	नगण्य	2
अभियंत्रण	2	नगण्य	4	1	1	नगण्य	8
चिकित्सा शास्त्र	5	1	1	3	3	नगण्य	13
ललित कला	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	1	नगण्य	1
dqy	**133**	**138**	**216**	**164**	**148**	**22**	**821**

çfØ;kRed foyac dk dkj.k 'kks/k dk;Z ckf/kr gqvkA

यह पाया गया कि पी. एच. डी. के लिए शोध–प्रबंध के जमा किए जाने की तिथि से 2 से साढ़े आठ वर्षों के विलंब के बाद मौखिक–परीक्षा लिया गया जिससे शोध कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2002 तथा मार्च 2003) विलंब का कारण पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षकों की सूची देर से जमा करना, परीक्षकों द्वारा शोध–प्रबंधों का मूल्यांकन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप नए परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षकों के मूल्यांकन प्रतिवेदन को भेजे जाने में विलंब, बाह्य परीक्षकों द्वारा मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने में विलंब आदि थे।

6-1-7 LFkkiuk e vfu;fer@vf/kdkb Hkxrku

vrfje jkgr dk vfu;fer Hkxrku

(i) राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया (मई 1996 तथा दिसंबर 1999) था कि शिक्षण कर्मियों को अंतरिम राहत का भुगतान नहीं किया जाना था। जनवरी 1996 से लागू (मार्च 2000 में कार्यान्वित) अनुमोदित वेतन निर्धारण पुर्जी में भी सरकार ने अंतरिम राहत के भुगतान को प्राधिकृत नहीं किया था। शिक्षकों को अंतरिम राहत के भुगतान के संबंध में वि. अनु. आ. द्वारा भी कोई निर्देश नहीं था। सरकार के निर्देश के उल्लंघन में वर्ष 1997–2000 के दौरान कुलपति ने शिक्षकों को 1.97 करोड़ रुपये के अंतरिम राहत के भुगतान को अनियमित रूप से स्वीकृत किया। विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2003) कि मार्च 2000 से वेतन से अंतरिम राहत का भुगतान रोक दिया गया था तथा पूर्व भुगतीत अंतरिम राहत को इस संबंध के बकाये दावों से वसूल कर लिया जाएगा।

1-12 djkM #i;s dh vf/kd oruHkxrku dh olyh ugh dh x;h

(ii) राज्य सरकार ने शिक्षकेत्तर कर्मियों को मार्च 1989 से तथा शिक्षण कर्मियों को अगस्त 1989 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने औपबंधिक रूप से कर्मियों को पुनर्रीक्षित वेतन का भुगतान किया। हालाँकि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को वेतन निर्धारण चार्ट 1997 में अनुमोदनार्थ भेजा था, वेतन का वर्ष 1998 और वर्ष 2000 के मध्य पुनर्निर्धारण किया गया। हालाँकि सरकार की स्वीकृति के आधार पर विश्वविद्यालय ने मार्च 2000 से वेतन का भुगतान किया। कर्मचारियों ने मार्च 2000 से पूर्व देय वेतन से अधिक प्राप्त किया। लेखापरीक्षा में की गयी गणना के अनुसार अप्रील 1997 से फरवरी 2000 के दौरान 1.12 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान (शिक्षकेत्तर : 45.94 लाख रुपये तथा शिक्षक : 66.20 लाख रुपये) था। विश्वविद्यालय ने बताया कि (मार्च 2003) मार्च 1989/अगस्त 1989 से फरवरी 2000 की अवधि से संबंधित वसूलनीय राशि की गणना अविलम्ब वसूली हेतु की जा रही थी।

nks i;kx'kkyk izHkkjh d Lohdr ink d fo:) 19 dehpkjh fu;ä fd, x,

(iii) 4 महाविद्यालयों तथा एक स्नात्तकोत्तर विभाग में दो प्रयोगशाला प्रभारी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध 19 कर्मचारी कार्यरत् थे। इनमें से 17* कर्मचारियों की नियुक्तियाँ अगस्त 1980 से फरवरी 1993 के मध्य 6 महीनों के लिए ही की गयी थी पर वे सेवा में बने रहे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1997–2002 के दौरान 81.73 लाखरुपये के वेतन का अनियमित भुगतान हुआ।

dehpkfj;ks ls 26-21 yk[k #i;s d nMkRed fdjk, dh olyh ugh dh x;h

(iv) विश्वविद्यालय ने 83 कर्मचारियों से उनके द्वारा विश्वविद्यालय आवासों को अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के विरूद्ध 26.21 लाख रुपये के दंडात्मक किराए की वसूली के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया। विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2003) कि दंडात्मक किराए की वसूली संबंधित कर्मचारियों के बकाए से की जा रही थी।

f'k{kdsÙkj dfe;ks dk dy 14-58 yk[k #i;s d ckul dk vfu;fer Hkxrku fd;k x;k

(v) सरकारी अनुदेशों (मई 1996 तथा दिसंबर 1997) के उल्लंघन में विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997–98 (6.55 लाख रुपये) तथा वर्ष 1998–99 (8.03 लाख रुपये) के दौरान शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष 1995'97 की अवधि के लिए 14.58 लाख रुपये के बोनस का भुगतान किया।

y[kkijh{kk rFkk y[kk vf/kdkjh dh vfu;fer fu;qfDr

(vi) विश्वविद्यालय में लेखापरीक्षा एवं लेखा अधिकारी का कोई भी स्वीकृत पद नहीं है। कुलपति ने पेंशन एवं अन्य सेवा–निवृत्ति लाभ संबंधित कार्यों की देखरेख हेतु राज्य सरकार के अवकाश प्राप्त अधिकारी को अनियमित रूप से नियुक्त (मई 1995) किया

* *अगस्त 1980 : 2, सितंबर 1980 : 1, नवंबर 1980 : 3, फरवरी 1981 : 5, सितंबर 1987 : 4, अगस्त 1992 : 1, फरवरी 1993 : 1*

जबकि पेंशन भुगतानों का अंतिम रूप से निपटान बजट–सह–लेखा पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी तथा विश्वविद्यालय के निबंधक द्वारा किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप मई 1995 से फरवरी 1998 तथा जुलाई 1998 से जून 1999 के दौरान अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी को 3.56 लाख रुपये का अनियमित भुगतान हुआ।

6-1-8 fo- vu- vk-@buf¶ycuV dk;Øe ij fu"Qy 0;;

भारत में विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ नेटवर्क से जोड़ने हेतु इनफ्लिबनेट (इनफॉरमेशन इन लाईब्रेरी नेटवर्किंग) कार्यक्रमों के तहत पुस्तकालय सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु विश्वविद्यालय ने वि. अनु. आ. से विशेष अनुदान के रूप में मार्च 1995 में 50.00 लाख रुपये प्राप्त किया। विश्वविद्यालय ने 1995 में अपने केन्द्रीय पुस्तकालय को सकल अनुदान विमुक्त कर दिया। पुस्तकालय ने वर्ष 1995–2002 के दौरान 47.16 लाख रुपये खर्च किया तथा 2.84 लाख रुपये अनुपयोगित छोड़ दिया।

vf/k"Bkfir ;|= vfØ;k'khy Fk

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सितंबर 1995 में 8.69 लाख रुपये की लागत से खरीदे गए 8 कम्प्यूटरों में से 3.26 लाख 3पये लागत के तीन कम्प्यूटर उनके अधिष्ठापन (सितंबर 1995) के समय से ही अक्रियाशील थे। इसके अलावा, एक कम्प्यूटर (1.08 लाख रुपये), एक एयर कंडिशनर (0.58 लाख रुपये), एक फैक्स मशीन (0.71 लाख रुपये), एक फोटो कॉपियर (1.00 लाख रुपये) तथा एक डिश एंटेना (0.34 लाख रुपये) जिनकी कुल लागत 3.71 लाख रुपये थी, दो से चार वर्षों तक खराब पड़े थे।

lpuk oKkfud fu;|Dr ugh fd, x,

2,06,000 पुस्तकों एवं 16,189 शोध प्रबंधों में से मात्र 1500 पुस्तकों (0.72 प्रतिशत) तथा 389 शोध प्रबंधों (2.4 प्रतिशत) को ही कम्प्यूटर में दर्ज किया गया था (अप्रील 2002) जो पाँच वर्षों के उपरांत भी नगण्य उपलब्धि दर्शाता था। विश्वविद्यालय ने किसी सूचना वैज्ञानिक की नियुक्ति नहीं की थी जो वि. अनु. आ. के द्वारा वांछित था। विश्वविद्यालय ने वि.अनु.आ. को प्राप्त की गयी निधियों के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत किया।

fu"Qy 0;;

पुस्तकाध्यक्ष ने जवाब दिया (मार्च 2002) कि वांछित परिणाम की अप्राप्ति का कारण रख–रखाव हेतु निधियों की कमी थी। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि पुस्तकालय ने इस कार्यक्रम के तहत् आवर्ती व्यय हेतु अप्रील 2000 में 1.72 लाख रुपये प्राप्त किया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2000–01 के दौरान मात्र 0.31 लाख रुपये ही खर्च किए गए थे। इस प्रकार, कार्यक्रम के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी और कार्यक्रम पर व्ययित 47.16 लाख रुपये निष्फल साबित हुए।

6-1-9 fo- vu- vk- d| fodkl vuqnku dk vuqi;ksx

वि. अनु. आ. ने विश्वविद्यालय का 2.70 करोड़ रुपये की IX योजना विकास अनुदान स्वीकृत (मार्च 1998) किया परन्तु वर्ष 1997–2002 के दौरान 9 किस्तों में 2.43 करोड़ रुपये[1] ही विमुक्त किया। मार्च 2002 तक मदवार आबंटन एवं व्यय निम्नवत् थे :

[1] *वर्ष 1997–98 में शून्य रुपये प्राप्त किए गए, 0.16 लाख रुपये उपयोग किए गए ; वर्ष 1998–99 में 54 लाख रुपये प्राप्त किए गए, 9.20 लाख रुपये उपयोग किए गए ; वर्ष 1999–2000 में 1.08 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए, 28.55 लाख रुपये उपयोग किए गए ; वर्ष 2000–01 में 54 लाख रुपये प्राप्त किए गए, 15.75 लाख रुपये उपयोग किए गए ; वर्ष 2000–01 में 27 लाख रुपये प्राप्त किए गए, 54.93 लाख रुपये उपयोग किए गए।*

Øe l-	fooj.k	Lohdr jkf'k	0;; dh x;h jkf'k	'k"k	mi;kx dh ifr'krrk
		¼yk[k #i;s e½			
1	जैव रसायन एवं ग्रामीण अध्ययन विभाग का आरंभ	39.00	8.66	30.34	22
2	कर्मचारी आवास का निर्माण	40.00	0.20	114.80	0.17
3	परीक्षा भवन का निर्माण	50.00			
4	शासकीय भवन का निर्माण	25.00			
5	अधूरे भवनों का निर्माण पूरा किया जाना	10.00	8.98	1.02	90
6	भवनों की मरम्मति	10.00	9.41	0.59	94
7	उपकरणों का क्रय	45.00	37.38	7.62	83
8	पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय	35.00	30.54	4.46	87
9	खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ	3.40	3.40	Nil	
10	वयस्क एवं अनवरत शिक्षा	10.00	9.44	0.56	94
11	28 विभागों के लिए नेशनल एसेसमेंट एवं एक्रेडिशन काऊँसिल (एन.ए.ए.सी.)	2.60	0.47	2.13	18
	dy	**270.00**	**108.48**	**161.52**	
	?kVko vfoeDr	**27.00**		**27.00**	
	dy	**243.00**		**134.52**	**45**

e[; fuf/k ;k rk vuqi;qDr jgh ;k nq:i;qDr jgh

1.35 करोड़ रुपये की शेष राशि अनुपयोगित पड़ी रही। वि. अनु. आ. ने हालाँकि भवन कार्यों के लिए दो वर्ष तथा उपकरणों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के क्रय हेतु छः माह का अवधि विस्तार स्वीकृत किया था। यह पाया गया कि वर्ष 1997–2001 के दौरान वेतन भुगतान (80.87 लाख रुपये) एवं अन्य मदों (3.01 लाख रुपये[2]) पर 83.88 लाख रुपये विपथित किया गया था।

6-1-10 Nk=ofÙk ,oa ofÙk dk vuqcaVu

vuqcafVr Nk=ofÙk fuf/k;ksa ljdkj dks çR;fir ugha dh x;h

(i) मार्च 2003 तक 15.01 लाख रुपये (राज्य छात्रवृत्ति : 13.99 लाख रुपये तथा स्नात्तकोत्तर छात्रवृत्ति : 1.02 लाख रुपये) के छात्रवृत्ति की अनाबंटित निधियाँ सरकार को प्रत्यपिर्त नहीं की गयी थी।

ljdkjh /ku ij vftZr C;kt jkf'k çR;fir ugha dh x;h

(ii) इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने वर्ष 1991–2002 के दौरान बैंक के बचत खाते में जमा छात्रवृत्ति राशि पर 3.62 लाख रुपये का ब्याज अर्जित किया। अर्जित ब्याज की राशि, जो सरकारी धन का हिस्सा थी, सरकार को प्रत्यर्पित नहीं की गयी।

Nk=ofÙk y[kk vlek;kftr

(iii) वर्ष 1991–96 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा जमा की गयी 4.54 लाख रुपये* की राशि स्नात्तकोत्तर छात्रवृत्ति लेखे में नामे नहीं की गयी। विश्वविद्यालय ने इस त्रुटि के सामंजन हेतु कोई कदम नहीं उठाया (मार्च 2003)।

[2] *वि.अनु.आ. की आगंतुक टीम पर 1.33 लाख रुपये (वर्ष 1997–98) का व्यय, एसेसमेंट एक्रेडिशन काऊंसिल की कार्यशाला पर 0.94 लाख रुपये (वर्ष 1998–99), ई.पी.ए.बी.एक्स. की संविदा के लिए टेली–को–ओपरेटिव सर्विस को भुगतान : 0.19 लाख रुपये (वर्ष 1999–2000) ; कम्प्यूटर सेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम : 0.14 लाख रुपये (वर्ष 1999–2000) तथा कुलपति के आदेश पर सिनेट मिटिंग पर व्यय : 0.41 लाख रुपये (वर्ष 2000–01)*

* *वर्ष 1991–92 (1.64 लाख रुपये), वर्ष 1992–93 (0.26 लाख रुपये), वर्ष 1993–94 (0.59 लाख रुपये), वर्ष 1994–95 (1.55 लाख रुपये) तथा वर्ष 1995–96 (0.50 लाख रुपये)*

6-1-11 vfrn; vfxeksa dk v&lek'kks/ku

3-62 djksM+ #i;s dh vfrn; vfxe

विश्वविद्यालय द्वारा अतिदेय अग्रिमों की वसूली पर नजर नहीं रखी गयी। 31 मार्च 2002 तक परीक्षा निधि (274.74 लाख रुपये) तथा सामान्य निधि (87.29 लाख रुपये) से निर्मित कुल अतिदेय अग्रिमें 3.62 करोड़ रुपये थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (मार्च 2003) कि उसने परीक्षा निधि से 178.49 लाख रुपये तथा सामान्य निधि से 9.09 लाख रुपये का समायोजन कर लिया था तथा बचे शेष के समायोजन की क्रिया प्रगति पर थी। हालाँकि मार्च 2003 तक 1.74 करोड़ रुपये (परीक्षा निधि : 96.25 लाख रुपये ; सामान्य निधि : 78.20 लाख रुपये) अवसूलित थे।

6-1-12 vfHkys[kksa dk vi;Lr/rhdj.k

vfHkys[kksa dh çLrfr esa foQyrk

विश्वविद्यालय ने वर्ष 1997–2002 के दौरान वि. अ. आ. से प्राप्त अनुदानों से एकेडेमिक स्टाफ कॉलेज को 83.00 लाख रुपये और अल्पसंख्यक प्रशिक्षण केन्द्र को 5.14 लाख रुपये तथा वर्ष 1999–2000 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय से प्राप्त 2.28 लाख रुपये समाज विज्ञान के विभागाध्यक्ष को शोध–परियोजना हेतु प्रदान किया। विभिन्न स्मारों एवं कुलपति से विमर्श के बावजूद इन तीनों इकाईयों ने लेखापरीक्षा को संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप गंभीर अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

6-2 lkekU;

6-2-1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार संचित निधि में से अनुदानों या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों एवं प्राधिकारों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। अधिनियम की धारा 15 के तहत जहाँ संचित निधि में से कोई अनुदान या ऋण किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दिए जाये, वहाँ भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करेगा जिनसे मंजूरी देने वाला अधिकारी अपने को संतुष्ट करता है कि, जिसके लिए ऐसे ऋण या अनुदान दिया गया है। अधिनियम की धारा 19 के तहत सांविधिक निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा राज्यपाल द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक उनसे विमर्श के उपरांत सौंपी जा सकती है।

वर्ष 2001–02 के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी निकायों एवं संस्थानों को अनुदान स्वरूप 564.64 करोड़ रुपये दिये गये थे। यह राजस्व लेखा पर सरकार के सकल व्यय का 5.06 प्रतिशत था। वर्ष 2000–01 के दौरान 633.60 करोड़ रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया था जो राजस्व व्यय का 4.69 प्रतिशत था। विवरणी नीचे दिए गए है :

	jkf'k ¼djksM+ #i;s esa½	
	2000-01	**2001-02**
(i) शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालयों सहित)	463.00	369.13
(ii) पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकायें	2.90	106.60
(iii) निगम एवं स्वायत्त निकाय	0.0006	6.35
(iv) नगरपालिकाएँ	57.17	28.99
(v) अन्य	110.53	53.57
;ksx	**633.60**	**564.64**

निम्नांकित तालिका व्यापक उद्देश्यों को प्रदर्शित करती है जिसके लिए अनुदान दिए गए थे :

	2000-01	**2001-02**
	¼djksM+ #i;s esa½	
विश्वविद्यालयों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता	463.00	369.13
नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थान, जिला पर्षद नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संशोधित वेतन एवं भत्ते तथा अन्य लोगों के लिए अंशदान, ग्रामीण क्षेत्रों में पथ निर्माण आदि	18.68	116.88
कृषि उत्पादन बढ़ाने, जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं रोकथाम, पर्यावरण सुरक्षा आदि हेतु लघु एवं सीमांत किसानों की सहायता	19.15	4.27
स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए जल निकास एवं शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम	47.39	5.00
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बकाए उर्जा–विपत्रों के भुगतान हेतु नगरपालिकाओं, निगमों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	16.00	16.00
अन्य	69.38	53.36
;ksx	**633.60**	**564.64**

जहाँ अनुदान विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दिए जाते हैं, सरकार के वित्तीय निगमों के तहत विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को एक वर्ष के अंदर इस आशय का

प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया जिसके लिए इसे दिया गया था। सितंबर 2002 तक कुल 138361.28 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित था जैसा कि परिशिष्ट–XV में दर्शाया गया है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि विभागीय अधिकारियों ने किस प्रकार अपने को संतुष्ट किया कि प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया अथवा कितना किया, जिस उद्देश्य के लिए वह दिया गया था।

6-3 ljdkjh vuqnkuksa ,oa _.kksa }kjk i;kZIr :i ls foÙkh;kf"kr fudk;ksa ,oa ikf/kdkfj

निकायों/प्राधिकारों, जिसने 5 लाख रुपये (वर्ष 1983–84 से 25 लाख रुपये) से कम अनुदान प्राप्त नहीं किया था तथा जिससे नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुबंध 14 के प्रयोज्य निर्धारित करने के लिए जिनसे लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2002), की संख्या नीचे दर्शायी गयी है :

o"kZ	fudk;ksa ,oa çkf/kdkjksa dh l[;k ftlus ,d o"kZ esa 5 yk[k #i;s ¼o"kZ 1983&84 ls 25 yk[k #i;s½ ls de vuqnku@_.k ugha ikIr fd;k	fudk;ksa ,oa çkf/kdkjksa dh l[;k ftuls flracj 2001 rd yxkrkj vçkIr Fkk
1981-82	34	1
1982-83	29	0
1983-84	24	1
1984-85	20	2
1985-86	42	4
1986-87	48	4
1987-88	21	5
1988-89	48	9
1989-90	49	12
1990-91	33	11
1991-92	35	15
1992-93	36	24
1993-94	38	2
1994-95	13	14
1995-96	49	16
1996-97	67	18
1997-98	50	19
1998-99	65	41
1999-2000	65	37
2000-01	33	73
2001-02	11	95
;kx	**810**	**403**

निकायों/प्राधिकारों द्वारा लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुति नहीं किए जाने से निधियों के अनुपयोग, दुरूपयोग, विपथन तथा गबन के मामलों पर ठीक समय पर टिप्पणी करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा समाज के गरीब/पिछड़ा वर्ग के मुश्किलों को दूर करने के लिए अन्य सरकारी क्रियाकलापों उदाहरणस्वरूप गरीबी रेखा के नीचे बसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, विकास कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य की अप्राप्ति के मामले, लेखापरीक्षित लेखाओं के अभाव में लेखापरीक्षा टिप्पणी के माध्यम से संबद्ध सरकार/प्राधिकारी को अप्रतिवेदित रह सकते हैं। कल्याण, विकास एवं अनुसंधान क्रियाकलाप की सफलता/विफलता के वित्तीय पक्ष भी अनदेखे तथा अचर्चित रह सकते हैं।

v/;k;&VII

okf.kfT;d fØ;kdyki

[k.M&[k % dfMdk,¡

7-1 lkekU;

31 मार्च 2002 तक राज्य में विभाग द्वारा प्रबंधित 29 वाणिज्यिक/अद्धवाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से परिशिष्ट–XVI में उल्लिखित 26 उपक्रमों ने अपने स्थापनाकाल से ही प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किया था। मामले को समय–समय पर संबद्ध, प्रशासनिक विभागों एवं वित्त विभाग के समक्ष उठाया गया था।

मार्च 2002 तक 3 अन्य उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखे 14 से 25 वर्षों के परवर्ती अवधियों के लिए बकाया थे। प्रासंगिक ब्यौरे परिशिष्ट–XVII में प्रस्तुत किए गए हैं।

यह देखा गया कि कोई भी उपक्रम अपना वाणिज्यिक लेखा (दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में लेखा) संघारित नहीं कर रहा था, जैसा कि विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अद्धवाणिज्यिक उपक्रमों के संबंध में निर्धारित था।

i;koj.k ,oa ou foHkkx

7-2 bekjrh ydMh dh x.kooÙkk esa deh ds fy, mÙkjnkf;Ùo dk fu/kkj.k ugh fd;k tkuk

ou lajf{kd] x;k u 27-82 yk[k #i;s ykxr dh bekjrh ydfM;ksa dh gkfu ds fy, mÙkjnk;h inkf/kdkfj;ksa dk uke mtkxj djus lacaf/kr e[;ou lajf{kd ds vkn'k dk vuqikyu ugh fd;kA

राजकीय व्यापार प्रमंडल, गया के अभिलेखों के नमूना जाँच (अप्रील–मई 2002) ने प्रकट किया कि वर्ष 1992–93 के दौरान विभिन्न डिपो में 27.82 लाख रुपये[1] मूल्य के 613 घन मीटर लकड़ी के बोटे तथा 85565 लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। जुलाई 2000 तक खुले आकाश तले भंडारण के कारण इनमें से 18.61 लाख रुपये के 335 घन मीटर के लकड़ी के बोटे तथा 81801 टुकड़े पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे जबकि 9.21 लाख रुपये मूल्य के 278 घन मीटर बोटे तथा 3764 लकड़ी के टुकड़े आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (30 से 70 प्रतिशत) हो गए थे।

[1] *कोवाकोल : 250 घ.मी. तथा 71115 टुकड़े ; रजौली : 136 घन मी. तथा 4789 टुकड़े ; रोहतास : 188 घन मी. ; गुरपा : 10 घ. मी. तथा 634 टुकड़े तथा गया : 29 घ. मी. जोड़ 9027 टुकड़े*

वन संरक्षक, गया अंचल, गया ने मुख्य वन संरक्षक तथा निदेशक, राजकीय व्यापार, बिहार, राँची से उनके निपटारे के लिए स्वीकृति माँगी (अगस्त 2000)। मुख्य वन संरक्षक ने वन संरक्षक, गया को सरकार को हानि रद्द करने हेतु आवेदन उपस्थापित करने तथा हानि के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नाम बताने और उसे महालेखाकार को सूचित करने का निर्देश (सितंबर 2000) दिया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वन संरक्षक ने इनमें से किसी भी अनुदेश का पालन नहीं किया था। परिणामस्वरूप 27.82 लाख रुपये मूल्य के लकड़ी के बोटे और टुकड़े जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जून 2002 तक निपटाए या बेचे नहीं गए थे।

इसके अलावा, प्रकृति की विभीषिका के कारण ईमारती लकड़ी के बोटे एवं टुकड़ों की गुणवत्ता में ह्रास से इंकार नहीं किया जा सकता था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2002) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2003)।

iVuk ¼foØe pUn½
fnukd i/kku egky[kkdkj ¼y[kkijh{kk½] fcgkj

çfrgLrk{kfjr

ubZ fnYyh ¼fot ;Un ukFk dk'y½
fnukd Hkkjr d fu;=d&egky[kkijh{kd

परिशिष्ट–I

भाग–'क' : सरकारी लेखे

(संदर्भ : कंडिका 1.1 एवं 1.11.2 ; पृष्ठ : 3 एवं 26)

I. संरचना

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (I) संचित निधि (II) आकस्किमता निधि और (III) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि

राजस्व, ऋण एवं ऋणों की वसूलियों से सरकार की सभी प्राप्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत गठित किए गये राज्य की संचित निधि में जाती है। सरकार के सभी व्यय इस निधि से पूरा किये जाते है तथा राज्य विधानमंडल के स्वीकृति के वगैर किसी भी राशि की निकासी इस निधि से नहीं की जा सकती है। इसके मुख्यतः दो भाग होते है, यथा–राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राप्तियाँ, व्यय, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियाँ इत्यादि)

भाग II : आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि, राज्य विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लम्बित अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए अग्रदाय के रूप में होता है। ऐसे व्यय तथा संचित निधि से समतुल्य राशि का आकस्मिकता निधि में हस्तांतरण के लिए राज्य विधान मंडल से परवर्ती अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान विधानमंडल द्वारा अधिकृत निधि 150 करोड़ रुपये की थी।

भाग III : लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, जमा, आरक्षित निधि, उचंत तथा प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो कि संचित निधि का अंश नहीं होता है को लोक लेखा में दर्ज किया जाता है तथा विधान मंडल द्वारा पारित होना आवश्यक नहीं है।

II. वार्षिक लेखा का प्रारूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखा एवं विनियोग में तैयार किया जाता है। सरकारी लेखे में उचित वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं व्यय दोनों से संबंधित सभी लेन–देन का ब्यौरा वित्त लेखा प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा, सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि के साथ–साथ बजट अनुदान में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा नियमित करना आवश्यक है।

भाग–'ख' : सूचकांकों/अनुपातों की सूची एवं उनके गणना का आधार

सूचकांक/अनुपात		गणना का आधार
सुदृढ़ता		
चालू राजस्व से शेष	बी. सी. आर.	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना (वृहत शीर्ष 1601–02,03,04 तथा 05 के अन्तर्गत) एवं गैर योजना राजस्व व्यय
प्रारंभिक घाटा		राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान
ब्याज अनुपात		ब्याज भुगतान – ब्याज प्राप्तियाँ / कुल राजस्व प्राप्तियाँ–ब्याज प्राप्तियाँ
पूँजीगत परिव्यय बनाम पूँजीगत प्राप्तियाँ	पूँजीगत परिव्यय	वित्त लेखे की विवरणी सं. 12 के अनुसार पूँजीगत व्यय
	पूँजीगत प्राप्तियाँ	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ छोड़कर) + भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ + लघु बचत, भ॰ नि॰ इत्यादि से निवल प्राप्तियाँ + राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त पुनर्भुगतान – राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण
कुल कर प्राप्तियाँ बनाम जी.एस.डी.पी.	कुल कर प्राप्तियाँ	राज्य कर प्राप्तियाँ जोड़ संघीय करों में राज्य का अंश
	जी.एस.डी.पी.	प्रदर्श – IV
राज्य कर प्राप्तियाँ बनाम जी.एस.डी.पी.	राज्य कर प्राप्तियाँ	वित्त लेखा की विवरणी सं. 11
नम्यता		
चालू राजस्व से शेष	बी. सी. आर.	उपरोक्त अनुसार
पूँजीगत अदायगियाँ बनाम पूँजीगत उधार	पूँजीगत अदायगियाँ	वृहत शीर्षो 6003 एवं 6004 के अन्तर्गत वितरण घटाव दोनों वृहत शीर्षो के अन्तर्गत अर्थोपाय पेशगियाँ/ ओवरड्राफ्ट की अदायगियाँ
	पूँजीगत उधार	वृहत शीर्ष 6003 एवं 6004 के अन्तर्गत बढ़ोत्तरी घटाव दोनों वृहत शीर्षो के अन्तर्गत अर्थोपाय पेशगियाँ/ ओवरड्राफ्ट के मद में बढ़ोत्तरी
राज्य कर प्राप्तियाँ बनाम जी.एस.डी.पी.		उपरोक्त अनुसार
कर्ज बनाम जी.एस. डी.पी.	कर्ज	वर्ष की समाप्ति पर कर्जे एवं अन्य बाध्यता (वित्त लेखा की विवरणी सं.4)
भेद्यता		
राजस्व घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका सं.1.9.5
राजकोषीय घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका सं.1.9.5
प्रारम्भिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा	प्रारम्भिक घाटा	उपरोक्त अनुसार
लेटर ऑफ कॉमफर्ट सहित कुल लम्बित गारन्टियाँ बनाम सरकार का कुल राजस्व प्राप्तियाँ	लम्बित गारन्टियाँ राजस्व प्राप्तियाँ	प्रदर्श – IV प्रदर्श – II
परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्त्व	परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्त्व	प्रदर्श – I

परिशिष्ट–II

राज्य योजना कार्यक्रमों, केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अधिक बचतों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 1.8.3 ; पृष्ठ : 18)

I. बचत की समग्र स्थिति

योजनाएँ	अनुपूरक सहित कुल प्रावधान	व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)	
राज्य योजना	2555.37	1263.12	1292.25
केन्द्रीय योजना	45.55	11.26	34.29
केन्द्रीय प्रायोजित	613.92	383.11	230.81
योग	**3214.84**	**1657.49**	**1557.35**

II. अधिक बचतों से प्रभावित योजनाएँ (1 करोड़ रुपये एवं अधिक)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
	राज्य योजनागत योजना			
1	**अनुदान सं.1 कृषि विभाग** 2401-फसल पालन 109- विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 0102-कृषि सूचना सेवा	12.60	9.69	2.91
2	2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास 105- अयाकत विकास 0102-क्षेत्र विकास–कमाण्ड स्तरीय	20.83	6.08	14.75
	योग	33.43	15.77	17.66
3	**अनुदान सं.3 भवन निर्माण एवं आवास विभाग** 4059- लोक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय 01- कार्यालय भवन 051- निर्माण–सामान्य पूल आवास 0101-भवन	2.95	1.06	1.89
4	80- सामान्य 051- निर्माण 0103-भवन निर्माण (कल्याण विभाग)	2.00	-	2.00
5	051- निर्माण 0104-कारा विभाग–11 में वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय/मंडलीय/उप कारा भवनों का निर्माण एवं मरम्मति	5.78	--	5.78
6	051- निर्माण 0105- भवन निर्माण विभाग – 11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में न्यायिक भवनों का निर्माण	9.00	2.03	6.97
7	051- निर्माण 0107-पैतृक सम्पत्ति बचाव, संग्रहालय तथा कला भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, पुरातात्विक स्मारकों का रखरखाव एवं बचाव (11वें वित्त आयोग)	3.38	--	3.38

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
8	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 700-अन्य आवास 0601-अन्य क्षेत्र उपयोजना (एकमुस्त)	2.00	0.54	1.46
	योग	25.11	3.63	21.48
9	**अनुदान सं.–8–नागरिक उड्डयन विभाग** 3053-नागरिक उड्डयन 80- सामान्य 003- प्रशिक्षण एवं शिक्षा 0100-प्रशिक्षण एवं शिक्षा	2.63	0.50	2.13
	योग	2.63	0.50	2.13
10	**अनुदान सं. – 9 – सहकारी विभाग** 2425-सहयोग 107- साख सहकारिताओं को सहायता 0101-प्राथमिक कृषि समितियों को प्रबन्धकीय अनुदान	2.00	1.00	1.00
11	4425-सहयोग पर पूँजीगत परिव्यय 190- लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 0135-समेकित सहकारिता विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के हिस्सा पूँजी में अंशदान	1.24	--	1.24
	योग	3.24	1.00	2.24
12	**अनुदान सं. 10 – उर्जा विभाग** 2810-उर्जा का गैर–पारम्परिक स्रोत 60- अन्य 600- उर्जा का अन्य स्रोत 0101-उर्जा का गैर पारम्परिक स्रोत–सहायतानुदान	3.21	0.77	2.44
13	6801-उर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 201- जल विद्युत उत्पादन 0105-बिहार राज्य जल विद्युत निगम (नाबार्ड)	10.00	--	10.00
14	204-ग्रामीण विद्युतीकरण 0701-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	30.11	12.90	17.21
	योग	43.32	13.67	29.65
15	**अनुदान सं.22–गृह विभाग** 2055- आरक्षी 800- अन्य व्यय 0102-आरक्षी आवास निर्माण निगम को सहायतानुदान	1.13	--	1.13
16	800- अन्य व्यय 0103-ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन स्तर का मानकीकरण	6.53	--	6.53
17	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 109- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण 0102-11वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर अग्नि सुरक्षा सेवा	1.49	--	1.49

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
18	108-अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण 0103-अग्निशमन सेवाएँ	1.49	--	1.49``
19	4055-आरक्षी पर पूँजीगत परिव्यय 207- राज्य आरक्षी 0000-आधुनिकीकरण	25.00	10.00	15.00
20	102- लघु उद्योग 0103-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना	9.15	5.65	3.50
21	2852-उद्योग 80- सामान्य 102-औद्योगिक उत्पादकता 0152-सी. आई. बी. (निर्णायक अन्तःसंरचना शेष योजना)	2.12	0.60	1.52
	योग	46.91	16.25	30.66
22	**अनुदान सं. 27 – विधि विभाग** 2014- न्याय प्रशासन 105- सिविल एवं सत्र न्यायालय 0701- सिविल एवं सत्र न्यायलय	6.03	2.22	3.81
	योग	6.03	2.22	3.81
23	**अनुदान सं.40 – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** 2029- भू–राजस्व 102-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती संचालन 0101-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती संचालन का पुनरीक्षण	12.49	9.88	2.61
24	102- सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्ती संचालन 0102-काश्तकारी लेखाबही का कार्यान्वयन	2.00	--	2.00
	योग	14.49	9.88	4.61
25	**अनुदान सं.41 – पथ निर्माण विभाग** 5054-पथों एवं पूलों पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य उच्च पथ 101-पूल 0101-पूल	29.80	11.77	18.03
26	337- पथ कार्य 0104-सीमा क्षेत्र विकास योजना – पथ कार्य	2.32	0.50	1.82
27	337- पथ कार्य 0105-केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	1.82	0.57	1.25
28	337- पथ कार्य 0106-केन्द्रीय पथ निधि	35.00	4.84	30.16
	योग	68.94	17.68	51.26
29	**अनुदान सं. 42 – ग्रामीण विकास विभाग** 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01-समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 0102क-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना – स्थापना	11.77	10.01	1.76
30	0102ख-सामान्य के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना कार्यक्रम	13.90	8.40	5.50

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
31	0102ग-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना – अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	13.90	1.34	12.56
32	2505 –ग्रामीण रोजगार 01- राष्ट्रीय कार्यक्रम 702- जवाहर रोजगार योजना 0105-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम – क्षेत्रीय स्थापना	19.28	14.40	4.88
33	0106-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	56.00	47.20	8.80
34	0107-इंदिरा आवास योजना	106.00	62.02	43.98
35	0109-सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष समेकित योजना	38.05	34.11	3.94
36	0109क–सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम–सामान्य के लिए योजना	88.79	23.99	64.80
37	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 101-पंचायती राज 0101-11वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	113.50	106.60	6.90
38	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय 103- ग्रामीण विकास 0101क-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम – स्थापना	11.15	9.93	1.22
39	0101ङ-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नाबार्ड (आर.आई.डी.पी.)	73.68	--	73.68
40	0109-विधायकों एवं विधान पार्षदों के अनुशंसा पर योजनाओं का कार्यान्वयन	301.10	286.39	14.71
41	0111- प्रधानमंत्री उन्नयन योजना – पथ कार्य	185.41	--	185.41
	योग	1032.53	604.39	428.14
42	**अनुदान सं. 43 – विज्ञान एवं तकनिकी विभाग** 2203-तकनीकी शिक्षा 105-पॉलिटेकनिक 0101-डिप्लोमा पाठ्यक्रम – विश्व बैंक के अनुदान से पॉलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	1.96	0.41	1.55
	योग	1.96	0.41	1.55
43	**अनुदान सं.44–माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग** 2202- सामान्य शिक्षा 01- प्राथमिक शिक्षा 101- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 0101- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	23.00	1.73	21.27
44	0801- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय – प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	24.58	12.29	12.29
45	01- प्राथमिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0102- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत रोजगारोन्मुखी योजना	52.00	28.19	23.81
46	0106- अनौपचारिक शिक्षा	8.32	0.90	7.42

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
47	*109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय* 0701-11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत	1.07	--	1.07
48	4202-शिक्षाक्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 201-प्राथमिक शिक्षा 0701- 11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत – प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	28.41	7.38	21.03
49	0801- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना – प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन निर्माण एवं पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था	24.58	12.29	12.29
	Total	161.96	62.78	99.18
50	**अनुदान सं.46–पर्यटन विभाग** 3452- पर्यटन 101- पर्यटक अंतःसंरचना 0101घ–वर्ष 1990–91 से 1999–2000 तक केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना का राज्यांश	1.60	0.29	1.31
	योग	1.60	0.29	1.31
51	**अनुदान सं.47 –परिवहन विभाग** 5055- पथ परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 190- लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश 0101-बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को हिस्सा	3.49	1.00	2.49
	योग	3.49	1.00	2.49
52	**अनुदान सं. 48 – नगर विकास विभाग** 2217- नगर विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0113- अनुसूचित जाति के लिए पर्यावरणीय सुधार योजना के तहत अनुदान – हिस्सा निकासी एवं पर्यावरणीय सुधार	18.33	--	18.33
53	0114- 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से स्थानीय निकाय श्रमिक को सहायतानुदान	13.55	--	13.55
54	0115- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायतानुदान	3.50	--	3.50
	योग	35.38	--	35.38
55	**अनुदान सं. 49 – जल संसाधन विभाग** 4701- वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0101- तकनीकी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण – स्थापना	1.93	0.54	1.39
56	0100- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान – स्थापना	3.44	1.09	2.35
57	0110-दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना – स्थापना	70.24	61.18	9.06

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
58	0113-उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना – स्थापना	36.90	27.35	9.55
59	0117-दक्षिण बिहार की सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) कार्य	180.14	60.45	119.69
60	0118-उत्तर बिहार की सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.)	60.05	25.16	34.89
61	0120-उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड)	80.00	--	80.00
62	0121- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड)	45.00	--	45.00
63	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0102क–उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना – कार्य	36.00	14.67	21.33
64	0103-दक्षिण बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना – निर्देशन एवं प्रशासन	6.40	2.69	3.71
65	0104-प्राथमिकता आधारित बाढ़ नियंत्रण परियोजना – निर्देशन एवं प्रशासन	7.56	4.37	3.19
66	0108-गंगा नदी पर भू–क्षरण निरोधी कार्य – कार्यें	11.00	7.60	3.40
	योग	538.66	205.10	333.56
67	**अनुदान सं. 50 – लघु सिंचाई विभाग** 2702- लघु सिंचाई 02- सतही जल 005- जाँच 0101-सर्वेक्षण एवं जाँच	4.49	3.31	1.18
68	103- नलकूप 0101-राज्य नलकूपें	17.52	1.39	16.13
69	0104- नीजी नलकूपें	26.62	25.23	1.39
70	101- सतही जल 0101-लघु सिंचाई	4.48	1.78	2.70
71	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 102- सतही जल 0101- नलकूप योजना कार्यों में समाप्ति के लिए नाबार्ड से ऋण	60.31	9.79	50.52
72	0102- नई/अपूर्ण मध्यम सिंचाई योजनाओं की पूर्णता के लिए नाबार्ड से ऋण	32.37	--	32.37
	योग	145.79	41.50	104.29
73	**अनुदान सं. 51 – कल्याण विभाग** 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03-अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 277-शिक्षा 0101ङ–प्रवेशिका–पूर्व छात्रवृत्तियाँ	1.35	--	1.35
74	0107-छात्रों के लिए छात्रावास	2.50	--	2.50
75	0108-छात्राओं के लिए छात्रावास वृहत् निर्माण कार्य	2.50	0.32	2.18

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
76	2236-पोषाहार 02-पोषक भोजन एवं पेय का वितरण 101-विशेष पोषण कार्यक्रमें 0801-गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को पोषक भोजन वितरण करने के लिए विशेष योजना	32.19	12.73	19.46
	योग	38.54	13.05	25.49
77	**अनुदान सं. 52 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग** 4202- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 03- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएँ 101-युवा छात्रावास 0101-युवा छात्रावास	1.51	--	1.51
	योग	1.51	--	1.51
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1	**अनुदान सं.1–कृषि विभाग** 2401- फसल पालन 01– निर्देशन एवं प्रशासन 0602- कृषि विपणन	10.80	9.75	1.05
2	107- पौधा सुरक्षा – आई.पी.एम. कार्यक्रम	1.38	--	1.38
3	109- विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 0609-विस्तार, अन्तःसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण	1.90	0.02	1.88
4	113- कृषि अभियंत्रण 0614-कृषि कार्यशाला को प्रोत्साहन	7.57	--	7.57
5	2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास 105- अयाकत विकास 0602- क्षेत्र विकास – कमाण्ड स्तर	5.68	--	5.68
	योग	27.33	9.77	17.56
6	**अनुदान सं. 2 – पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग** 2403- पशुपालन 106- अन्य पशुधन विकास 0608- पशु गणना का प्रबन्धन	3.02	--	3.02
	योग	3.02	--	3.02
7	**अनुदान सं. 3 – भवन निर्माण एवं आवास विभाग** 4059- लोक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 051- निर्माण 0601- अन्य क्षेत्र उपयोजना (एकमुश्त) केन्द्रांश	3.00	1.68	1.32
8	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01- सरकारी आवासीय भवनें 700- अन्य आवास 0601- अन्य क्षेत्र उपयोजना (एकमुश्त)	2.00	0.54	1.46
	योग	5.00	2.22	2.78

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
9	**अनुदान सं. 10 – उर्जा विभाग** 2801- उर्जा 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 8603-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना – ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान	12.90	5.53	7.37
	योग	12.90	5.53	7.37
10	**अनुदान सं. 23 – उद्योग विभाग** 2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग 003- प्रशिक्षण 0601- स्वनियोजन के लिए शिक्षित बेरोजगारों हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना – सहायतानुदान	2.46	--	2.46
	योग	2.46	--	2.46
11	**अनुदान सं. 41 – पथ निर्माण विभाग** 5054- पथों एवं पूलों पर पूँजीगत परिव्यय 03- राज्य उच्च पथ 101- पूलें 0601-रेलवे सुरक्षा कार्य	2.00	--	2.00
	योग	2.00	--	2.00
12	**अनुदान सं.44 – माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग** 2202- सामान्य शिक्षा 01- प्राथमिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0602- प्राथमिक शिक्षा – सबों के लिए शिक्षा अभियान	30.00	28.50	1.50
13	0611- अनौपचारिक शिक्षा	7.58	0.79	6.79
	योग	37.58	29.29	8.29
14	**अनुदान सं. 46 – पर्यटन विभाग** 3452- पर्यटन 01- पर्यटक अन्तःसंरचना 101-पर्यटक केन्द्र 0601- पर्यटक सूचना केन्द्र का कम्प्यूटरीकरण एवं जीर्णोद्धार – वर्ष 1990–91 से 1999–2000 तक केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्यांश	1.60	--	1.60
	योग	1.60	--	1.60
15	**अनुदान सं. 48 – नगर विकास विभाग** 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0601- नगर समग्र विकास के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायतानुदान	9.50	1.60	7.90
	योग	9.50	1.60	7.90

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
16	**अनुदान सं. 49 – जल संसाधन विभाग** 4701- वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0110ख–दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना कार्य के तहत जमुनिया पम्प नहर योजना	2.00	--	2.00
17	0110ग- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता को बचाए रखना – कार्य	3.00	--	3.00
18	0614- गंडक परियोजना के अन्तर्गत सारण मुख्य नहर का पूर्व स्थिति बनाए रखना	21.39	16.95	4.44
19	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 800- अन्य व्यय 0607- गंगा नदी के बाँए किनारे पर बरौनी–बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र बाढ़ सुरक्षा योजना	2.00	0.94	1.06
20	0608- नेपाल तक लाल बकेया नदी पर बनाए ग तटबंध का विस्तार – भारतीय भाग	1.30	--	1.30
21	0609- बागमती नदी तटबंध का विस्तार एवं मजबूतीकरण	5.00	3.78	1.22
	योग	34.69	21.67	13.02
22	**अनुदान सं. 51 – कल्याण विभाग** 2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 793- अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 0602-विकास के लिए हरिजनों हेतु विशेष समेकित योजना – विशेष नियंत्रण सहायता	50.91	42.67	8.24
23	02-अनुसूचित जनजाति का कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र का योजना 0601-अनुसूचित जनजाति के चहुमुखी विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता	1.85	--	1.85
24	**अनुदान सं. 51 – कल्याण विभाग** 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण 03- पिछड़े वर्गो का कल्याण 277- शिक्षा 0601- प्रवेशोपरान्त छात्रवृत्ति	1.00	--	1.00
25	0606- छात्रों के लिए छात्रावास – वृहत् निर्माण कार्य	2.50	--	2.50
26	0607- छात्राओं के लिए छात्रावास–वृहत् निर्माण कार्य	2.50	0.32	2.18

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
27	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-सामाजिक सुरक्षा 102- बाल कल्याण 0602-समेकित बाल विकास योजना	21.59	15.51	6.08
28	0603-बाह्यरूप से प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) समेकित बाल विकास योजना	47.45	40.24	7.21
	योग	127.80	98.74	29.06
	केन्द्रीय योजनागत योजना			
1	**अनुदान सं.2 – पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग** 2404- डेयरी विकास 102- डेयरी विकास योजना 0401- शीतक केन्द्र	2.46	1.31	1.15
	योग	2.46	1.31	1.15
2	**अनुदान सं. 44 – माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग** 4202- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 201- प्राथमिक शिक्षा 0401- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2.80	--	2.80
3	202- माध्यमिक शिक्षा 0401- भवन	7.24	3.91	3.33
	योग	10.04	3.91	6.13
4	**अनुदान सं. 52 – कला, संस्कृति एवं युवा विभाग** 4402- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2.10	--	2.10
	योग	2.10	--	2.10

परिशिष्ट–III

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएँ, जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थीं, की सूची

(संदर्भ : कंडिका 1.9.2; पृष्ठ : 20)

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	व्यय		
		2000–2001 तक	2001–2002 में	योग
1.	स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	8670423552	झारखण्ड राज्य को स्थानान्तरित	
2.	पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	3334253952	शून्य	333,42,53,952
3.	पूर्वी कोशी परियोजना फेज–II	529790245	3,01,68,791	55,99,59,036
4.	गंडक परियोजना फेज–II	474977945	शून्य	47,49,77,945
5.	समेकित जल निस्सरण परियोजना	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
6.	उत्तर कोयल परियोजना	3648427186	शून्य	364,84,27,186
7.	कोणार सिंचाई परियोजना	706421627	शून्य	70,64,21,627
8.	औरंगा जलाशय परियोजना	365274217	शून्य	36,52,74,217
9.	कदवन जलाशय	3040000	शून्य	30,40,000
10.	दुर्गावती जलाशय	520561397	शून्य	52,05,61,397
11.	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	476907329	26,99,28,985	74,68,36,314
12.	राष्ट्रीय जल प्रबन्धन परियोजना	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
	योग (क)	**10059653898**	**30,00,97,776**	**10,35,97,51,674**
1.	नकटी जलाशय योजना	140103285	शून्य	14,01,03,285
2.	उपरी शंख जलाशय	115352305	शून्य	11,53,52,305
3.	राम रेखा जलाशय	29583886	शून्य	2,95,83,886
4.	पमेश खेरा जलाशय योजना	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
5.	कंस जलाशय योजना	86589490	शून्य	8,65,89,490
6.	सोनुआ जलाशय योजना	245239163	शून्य	24,52,39,163
7.	भैरवा जलाशय योजना	74057882	शून्य	7,40,57,882
8.	केसो जलाशय योजना	32210882	शून्य	3,22,10,882
9.	धानसिंह टोली जलाशय योजना	148253933	शून्य	14,82,53,933
10.	कतरी जलाशय योजना	333573432	शून्य	33,35,73,432
11.	कामशजोर जलाशय योजना	173477499	शून्य	17,34,77,499
	योग (ख)	**1378441757**	**शून्य**	**1,37,84,41,757**
	कुल योग (क+ख)	**11438095655**	**30,00,97,776**	**11,73,81,93,431**

परिशिष्ट–IV

वित्तीय सूचकों के कार्य–पत्रक

(संदर्भ : कंडिका 1.11.2 ; पृष्ठ : 26)

क्रम सं.		विवरण	2001–2002 (करोड़ रुपये में)
1	(क)	राजस्व प्राप्तियाँ	9839.29
	(ख)	घटाव (सभी योजना अनुदान 1601–02, 03, 04 एवं 05 के तहत)	789.94
	(ग)	घटाव, गैर योजना राजस्व व्यय	10291.70
	(घ)	बी. सी. आर.	(-)1242.35
2.	(क)	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	11.75
	(ख)	ब्याज भुगतान (2049)	2629.34
	(ग)	निवल ब्याज भुगतान (ख–क)	2617.59
	(घ)	राजस्व प्राप्तियाँ – ब्याज प्राप्तियाँ	9827.54
	(ङ)	ब्याज अनुपात (2ग / 2घ)	0.27
3.		पूँजीगत परिव्यय	742.48
4.		पूँजीगत प्राप्तियाँ	
	(क)	आन्तरिक ऋण 6003 के तहत बढ़ोत्तरी घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	2681.01
	(ख)	6004 केन्द्र सरकार से ऋण के तहत बढ़ोत्तरी घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	1076.66
	(ग)	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि के तहत निवल प्राप्तियाँ	59.61
	(घ)	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (4000)	-
	(ङ)	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं पेशगियाँ के तहत निवल प्राप्तिया(+) / संवितरण	520.76
	(च)	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	3817.28
5.		पूँजीगत परिव्यय / पूँजीगत प्राप्तियाँ (3 / 4)	0.19
6.		राज्य घरेलू उत्पाद (एस. डी. पी.)	50987
7.		कुल कर प्राप्तियाँ (राज्यकर + संघीय करों में राज्यांश)	8495.57
8.		कुल कर प्राप्तियाँ / जी. डी. पी. (7+6)	0.17
9.		राज्य कर प्राप्तियाँ (कर राजस्व – संघीय करों में राज्यांश)	2318.95*
10.		राज्य कर प्राप्तियाँ / एस. डी. पी. (9–6)	0.05
11.		कुल निवेश	688.85
12.		निवेश से प्रतिफल	नगण्य
13.		निवेश पर प्रतिफल का अनुपात (12:11)	नगण्य
14.		पूँजीगत अदायगी	-
	(क)	आन्तरिक ऋण 6003 के अन्तर्गत संवितरण घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	95.79
	(ख)	6004 ऋण एवं अग्रिम केन्द्र सरकार से घटाव अर्थोपाय पेशगियाँ	528.23
	(ग)	योग (क+ख)	624.02
15.		पूँजीगत उधार अर्थात (4क + 4ख)	3757.67
16.		पूँजीगत अदायगी / पूँजीगत उधार	0.17
17.		ऋण	-
	(क)	उधार (वर्ष के दौरान प्राप्ति)	10350.48
	(ख)	अन्य दायित्त्व	2104.77
	(ग)	योग (क+ख) (वर्ष के दौरान प्राप्ति)	12455.25
18.		ऋण / एस. डी. पी. (17(ग) : 6)	0.24
19.		राजस्व घाटा	1320.06
20.		राजस्व व्यय	11159.35
21.		राजकोषीय घाटा (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम) – (राजस्व प्राप्तियाँ + विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ)	(-) 2583.30

क्रम सं.		विवरण	2001–2002 (करोड़ रुपये में)
22		आरंभिक घाटा (राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान (20–21)	(-) 46.04
23.		पी. डी. / एफ. डी. (21/20)	0.02
24.		आर. डी. / एफ. डी. (19 + 20)	0.51
25.		लम्बित गारन्टी + ब्याज	209.21
26.		लम्बित गारन्टी/राजस्व प्राप्तियाँ	0.02
27.		परिसम्पत्तियाँ	23643.49
28.		दायित्त्व	32706.38
29.		परिसम्पत्तियाँ/दायित्त्व (20/27)	0.72

* निगम कर,, आय–कर, अन्य निगम कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, सम्पत्ति पर कर, सीमा, संघीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उपभोक्ता सामग्रियों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क

परिशिष्ट–V

नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य का विवरण

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ : 37)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुदान/विनियोग का योग	व्यय	आधिक्य	नियमन के लिए आवश्यक आधिक्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			राजस्व प्रभाग		
1	14–ऋण की अदायगी पूँजीगत भारित	15,91,01,40,767	64,46,78,40,640	48,55,76,99,873	#
2	15–पेंशन दत्तमत	17,81,64,63,000	22,72,88,99,659	4,91,24,36,659	4,91,24,36,659
	योग	**3372,66,03,767**	**8719,67,40,299**	**5347,01,36,532**	**4,91,24,36,659**

पूँजीगत प्रभाग में विनियोग सं. –14–ऋण का पुनर्भुगतान के तहत 48,55,76,99,873.00 रुपये के आधिक्य को विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 'राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण – 6003' एवं 'केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम – 6004' वृहत शीर्ष, जो लेखा के पूँजीगत प्रभाग के अन्तर्गत आता है, भूलवश राजस्व प्रभाग में अनुदानों की अनुसूची एवं विनियोग विधेयक के विनियोगों की परिशिष्ट में शामिल हो गया था, को 55,00,31,88,000.00 रुपये के द्वितीय अनुपूरक विनियोग द्वारा आधिक्य पूरा किया गया है।

परिशिष्ट–VI

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3 ; पृष्ठ : 37)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	बचत
			(लाख रुपये में)
	राजस्व प्रभाग		
1.	1- कृषि विभाग	20,36.31	66,46.69
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य पालन	4,44.98	47,65.41
3.	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	2.82	43,99.12
4.	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	27.64	117.41
5.	6- निर्वाचन	2,43.94	3,03.25
6.	7-निगरानी	6.75	41.97
7.	8-नागरिक उड्डयन विभाग	1.58	2,75.96
8.	9-सहकारिता विभाग	4.00	14,84.74
9.	11-उत्पाद विभाग	85.00	351.56
10.	12-वित्त विभाग	5,46.67	321,64.92
11.	13- ब्याज भुगतान	14,24.97	121,38.19
12.	16-राष्ट्रीय बचत	2.45	37.38
13.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	1,28.07	13,07.19
14.	20-स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	42,47.10	234,25.02
15.	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	1,01.96	3361.07
16.	22-गृह विभाग	28,65.81	262,70.32
17.	23-उद्योग विभाग	1,88.88	21,40.52
18.	24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	5.27	162.76
19.	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	22.85	53,46.62
20.	27-विधि विभाग	4,02.55	31,67.75
21.	28- बिहार के उच्च न्यायालय	22.91	9,76.04
22.	29- खान एवं भू–गर्भ विभाग	35.00	100.37
23.	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10.11	47.83
24.	32-विधायिका	9.00	6,52.19
25.	35-योजना एवं विकास विभाग	69.45	9,91.52
26.	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,89.61	34,79.30
27.	37- राजभाषा विभाग	16.55	3,68.51
28.	38- निबंधन विभाग	2.07	1,34.52
29.	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3,93.78	4071.30
30.	41-पथ निर्माण विभाग	6.64	90,30.36
31.	42- ग्रामीण विकास विभाग	18,52.12	252,66.63
32.	43- विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	5.30	5,07.66
33.	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	10,65.49	5,11,08.05
34.	45-ईख विभाग	0.70	5,09.83
35.	47-परिवहन विभाग	33.85	1,49.79
36.	48- नगर विकास विभाग	4,74.31	46,40.11
37.	49-जल संसाधन विभाग	43.04	55,81.48

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	बचत
			(लाख रुपये में)
38.	50-लघु सिंचाई विभाग	26,13.95	30,34.10
39.	51-कल्याण विभाग	6,79.69	106,64.13
40.	52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	92.03	6,99.61
	योग	**20605.20**	**249921.18**
	पूँजीगत प्रभाग		
1.	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	1,35.00	24,85.36
2.	10-उर्जा विभाग	71,55.72	107,40.53
3.	12-वित्त विभाग	19.67	6,94.17
4.	23-उद्योग विभाग	2,15.62	4,24.84
5.	36-लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	13,73.57	84,27.39
6.	41-पथ निर्माण विभाग	51.54	52,35.32
7.	42-ग्रामीण विकास विभाग	86,13.03	27707.00
8.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	8,57.90	3945.41
9.	49-जल संसाधन विभाग	74,12.00	351,01.56
10.	50- लघु सिंचाई विभाग	3.72	85,58.70
	योग	**25837.77**	**103320.28**
	कुल योग	**46442.97**	**353241.46**

परिशिष्ट – VII

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3 ; पृष्ठ : 37)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	बचत
	राजस्व प्रभाग		(लाख रुपये में)
1.	10- उर्जा विभाग	2077.17	1171.77
2.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	1598.51	491.02
3.	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	141.74	82.77
4	39-सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	9722.45	6718.85
	योग	135,39.87	84,64.41

परिशिष्ट–VIII

वैसे मामले जहाँ व्यय कम हुए

(संदर्भ : कंडिका 2.3.6 ; पृष्ठ : 38)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
	दत्तमत प्रभाग		
1	**1 - कृषि विभाग**	राजस्व 66.47 (31.58)	अंशतः अत्यधिक संख्या में कर्मियों की सेवानिवृत्ति, अस्थायी स्थापना का विस्तार नहीं किये जाने, दो चलंत भू–जाँच प्रयोगशालाओं की अवधि का विस्तार नहीं किये जाने, बकाये वेतन के भुगतान पर रोक, बोनस तथा बढ़े हुये दर पर मंहगाई भत्ते स्वीकृत नहीं किए जाने, रियायती अवकाश यात्रा एवं मोटर वाहन के लिए ऋण की निकासी पर रोक लगाये जाने, वित्त विभाग द्वारा रोक लगाये जाने के कारण विपत्रों को पारित नहीं किये जाने तथा सी.एस.एस. के तहत कृषि के लिए राष्ट्रीय जल छाजन विकास कार्यक्रम के योजना को स्वीकृत नहीं करने के कारण। 52.01 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
2	**2- पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग**	राजस्व 47.65 (42.69)	मुख्यतः बकाये वेतन के भुगतान पर रोक लगाये जाने, सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते की किस्त विमुक्त नहीं करने, पदों को रिक्त रखने, मित्तव्ययिता उपाय, योजनाओं के लिए निधि कम स्वीकृत करने, सामग्रियों के लिए दर अनुमोदित नहीं करने, रियायती यात्रा अवकाश पर रोक, योजना सीमा/परिव्यय में कटौती, योजनाओं की अवधि के विस्तार को अनुमोदित करने में विलम्ब, यात्रा एवं मोटर वाहनों पर होने वाले व्यय पर रोक, केन्द्र सरकार द्वारा निधि कम विमुक्त करने, वित्त विभाग द्वारा व्यय करने पर रोक लगाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त निधि का पुनर्वैधिकरण नहीं करने के कारण। 6.66 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है।
3	**3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग**	राजस्व 43.99 (44.76)	अंशतः पदों को रिक्त रखने, भवनों के लघु कार्य एवं मरम्मति तथा रखरखाव और वाहनों पर होने वाले व्यय को रोकने, निधि की माँग नहीं करने, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक होने के कारण। 4.62 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
			राजस्व प्रभाग के अंतर्गत 2.72 करोड़ रुपये की समग्र बचत हुई थी, जिसे विनियोजित करने की आवश्यकता है। मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति, प्रशासी, अनुमोदन प्रदान करने में विलंब, स्थल चयन नहीं करने, निविदा प्रक्रिया समाप्त नहीं करने तथा केन्द्रीय अंश कम विमुक्त करने के कारण। 6.74 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)। पूँजीगत प्रभाग में 1.73 करोड़ रुपये का समग्र आधिक्य है, जिसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
4	**4- मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग**	राजस्व 1.17 (17.75)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, मंहगाई भत्ते में वृद्धि को स्वीकृत नहीं करने, मितव्ययिता उपाय, दूरभाष तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण पर कम व्यय, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक के कारण। 0.24 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
5	**6- निर्वाचन**	राजस्व 3.03 (35.63)	अंशतः उप चुनाव नहीं किये जाने के कारण (0.15 करोड़ रुपये)। शेष बचत के लिए कारण संसुचित नहीं किये गये है।
6	**8- नागरिक उड्यन विभाग**	राजस्व 2.76 (36.60)	समग्र बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
7	**9- सहकारिता विभाग**	राजस्व 14.85 (33.88) पूँजीगत 14.45 (38.92)	मुख्यतः बोनस एवं बढ़े हुए दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किये जाने, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं वाहन व्यय में मितव्ययिता, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, योजना परिव्यय को पुनरीक्षण के द्वारा घटाये जाने तथा भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधिकरण नहीं किये जाने के कारण। 1.83 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है। मुख्यतः योजना परिव्यय का अभाव, योजना परिव्यय को पुनरीक्षण में घटाये जाने तथा भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधिकरण की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण।
8	**10- उर्जा विभाग**	राजस्व 11.72 (32.14)	मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक लगाये जाने, अत्यधिक प्रावधान तथा केन्द्रीय अंश को विमुक्त नहीं करने के कारण।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
		पूँजीगत 107.41 (17.88)	पुनरीक्षित योजना परिव्यय में योजना के लिए निधि का आबंटन नहीं किये जाने तथा अत्यधिक निधि का प्रावधान करने के कारण। 66.37 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
9	**11-** उत्पाद एवं निषेध विभाग	राजस्व 3.52 (20.35)	बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
10	**12-** वित्त विभाग	राजस्व 321.65 (87.41)	अंशतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों का झारखण्ड राज्य में स्थानान्तरण होने, बोनस एवं बढ़े हुए दर पर मँहगाई भत्ते का भुगतान नहीं होने, नगरपालिका करों एवं विद्युत शुल्कों के लिए विपत्रों की अप्राप्ति, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, मित्तव्ययिता उपाय तथा टंकण मशीनों के क्रय पर व्यय, लेखन सामग्रियों का क्रय, बोनस का भुगतान, बढ़े हुए दर पर मँहगाई भत्ता एवं पेंशन शीर्ष से सेवानिवृत्तों के छुट्टी के नकदीकरण के भुगतान के लिए वित्त विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं करने और पदों को रिक्त रखने, मितव्ययिता उपाय एवं निधि का माँग कम करने के कारण। 314.54 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
		पूँजीगत 6.94 (50.34)	मुख्यतः अन्तिम तिमाही के लिए आबंटन विमुक्त नहीं करने, व्यय पर रोक लगाये जाने, अभ्यर्थियों की कम संख्या तथा स्वीकृत्यादेश के अभाव के कारण। 1.36 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
11	**17-** वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व 5.50 (22.61)	अंशतः वित्त विभाग द्वारा किराए के भवनों का किराया स्वीकृत नहीं करने, कोषागारों द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने तथा योजना आबंटन में कटौती के कारण। 1.46 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)।
12	**18-** खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व 4.91 (10.87)	मुख्यतः पदाधिकारियों के पदों का अवधि विस्तार करने में विलम्ब, यात्रा एवं आकस्मिकता व्यय में मितव्ययिता उपाय, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक तथा योजना परिव्यय में कटौती करने के कारण।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
13	**19-** वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व 13.07 (30.73)	मुख्यतः बकाए वेतन भुगतान पर रोक, पदों को रिक्त रखने, मित्तव्ययिता उपाय, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, रख–रखाव व्यय तथा अनावर्त्ती व्यय तथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण द्वारा काट कर गिराए गए पेड़ का परिहवन करने पर वित्त विभाग द्वारा रोक लगाए जाने, राजकीय व्यापार प्रमण्डल, गया के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित नहीं करने, योजना परिव्यय में संशोधन, भारत सरकार द्वारा कम निधि विमुक्त करने, भारत सरकार द्वारा कम निधि का पुनर्वैधिकरण करने, निधि का आबंटन विलम्ब से प्राप्त होने, योजनाओं को स्वीकृत नहीं करने के कारण। 1.17 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।
14	**20-** स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व 234.25 (31.29) पूँजीगत 10.86 (79.99)	मुख्यतः निधि की निकासी पर रोक लगाये जाने, पदों को रिक्त रखने, योजना सशक्तीकरण कमिटी द्वारा निधि कम स्वीकृत करने, भारत सरकार द्वारा निधि कम विमुक्त करने, निधि का अत्यधिक प्रावधान, महिला छात्राओं के लिए नर्स प्रशिक्षण हेतु सत्र प्रारम्भ नहीं होने, चिकित्सा पदाधिकारियों का ए.एस.पी. बन्द करने, बोनस का भुगतान नहीं होने, लम्बित मँहगाई भत्ते के भुगतान के लिए आदेश निर्गत नहीं होने, रियायती यात्रा अवकाश पर रोक, निधि स्वीकृत नहीं करने, भारत सरकार द्वारा निधि का आबंटन सीधे किए जाने के कारण। 123. 16 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। 30. 14 करोड़ रुपये का व्यय बजट प्रावधान के बगैर ही किया गया था जिसने बचतों को अंशतः प्रति संतुलित किया। समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
15	**21-** उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व 33.61 (9.97)	अंशतः पदों को रिक्त रखने, बढ़े हुए दर पर मँहगाई भत्ता स्वीकृत नहीं करने, वित्त विभाग के निर्देश के तहत व्यय पर रोक, वित्त विभाग की असहमति के कारण। 32.52 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
16	**22-गृह विभाग**	राजस्व 262.70 (22.48) पूँजीगत 15.00 (60.00)	अंशतः पदों को रिक्त रखने, मँहगाई भत्ते का अतिरिक्त किश्त निर्गत नहीं करने, मितव्ययिता उपाय, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, सैनिक कल्याण निदेशालय नहीं बनाये जाने, वित्त विभाग द्वारा रोक लगाए जाने, किराया/यात्रा व्यय के लिए विपत्रें प्राप्त नहीं होने, कुत्तों का क्रय नहीं होने, दवाओं का कम क्रय, वेतन एवं भत्ते तथा आहार पर कम व्यय, स्वीकृत्यादेश का अभाव, कुछ मदों का क्रय नहीं होने, सश्रम कारावास में रह रहे कैदियों की मजदूरी के लिए न्यास नहीं बनाए जाने, कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम भुगतान, सरकारी स्वीकृति का अभाव तथा व्यय स्वीकृत नहीं करने के कारण। 75.46 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
17	**23-उद्योग विभाग**	राजस्व 21.41 (46.28) पूँजीगत 4.25 (60.65)	अंशतः कोषागारों द्वारा विपत्रें पारित नहीं करने, योजना आकार में कटौती एवं निधि की निकासी नहीं होने के कारण। 12.42 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसुचित नहीं किया गया है (2003)। समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
18	**26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग**	राजस्व 53.47 (36.81)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, मितव्ययिता उपाय, निधि/बकाये विपत्र की निकासी पर रोक लगाने, प्रतिष्ठानों द्वारा 49 चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग में वापस करने, दवाओं की आपूर्ति नहीं होने, 21 चिकित्सकों के पदों का विस्तार वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षण में करने, विद्युत शुल्कों पर कम व्यय, योजना परिव्यय का आबंटन नहीं किये जाने के कारण, कम्प्यूटरीकरण योजना स्वीकृत नहीं करने, पेंशनों का संवितरण कम करने तथा वेतन पर कम व्यय होने के कारण।
19	**27- विधि विभाग**	राजस्व 31.68 (25.04)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने तथा निधि की निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण। 1.74 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
20	**29-** खान एवं भूत्तत्व विभाग	राजस्व 1.00 (16.20)	मुख्यतः कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निधि के आहरण पर रोक लगाये जाने के कारण। 0.24 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
21	**30-** अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूँजीगत 1.80 (90)	समग्र बचत के लिए कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
22	**32-**विधायिका	राजस्व 6.52 (20.39)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, कमिटियों द्वारा यात्रा नहीं करने, निर्धारित सीमा के अधीन दूरभाष कॉलों को रखने, कर्मियों द्वारा यात्रा भत्ता विपत्रों को जमा नहीं करने, झारखण्ड राज्य के 146 कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी एवं पदोन्नति तथा आबंटन को रोके रखने, दूरभाष से एस.टी.डी. एवं 95 कोड की सुविधा वापस लेने, छुट्टी का नकदीकरण का भुगतान पेंशन शीर्ष से करने, जर्नल के प्रकाशन में विलम्ब के कारण। 1.23 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
23	**33-**कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	पूँजीगत 2.61 (62.90)	समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
24	**35-** योजना एवं विकास विभाग	राजस्व 9.92 (38.15)	मुख्यतः मितव्ययिता उपाय, पदों को रिक्त रखने, योजनाओं की स्वीकृति विलम्ब से करने तथा पदें स्वीकृत नहीं करने के कारण। 1.62 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
25	**36-** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व 34.79 (25.36) पूँजीगत 84.27 (86.05)	मुख्यतः लघु कार्य, रखरखाव तथा मरम्मति एवं लम्बित वेतन का भुगतान पर रोक/अवरोध लगाये जाने, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का सम्मेलन स्थगित किये जाने, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक तथा चापाकल के मरम्मति का अधिकार पंचायतों को सौंपने के कारण। 6.89 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। अंशतः सामग्रियों के क्रय में विलम्ब, कर्मियों की कमी, भारत सरकार द्वारा व्यय के हिस्से की दूसरी किश्त विमुक्त नहीं करने, योजना की स्वीकृति में विलम्ब, सी.आई. पाइप की प्राप्ति में विलम्ब, योजनाओं की विलम्बित स्वीकृति, भारत सरकार द्वारा अभिकरणों को निधि का भुगतान सीधे करने, योजना कार्यान्वित

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
			नहीं करने, भारत सरकार से निधि का पुनर्वैधिकरण प्राप्त नहीं होने के कारण। 30.71 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
26	**37-राजभाषा विभाग**	राजस्व 3.69 (28.28)	बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
27	**38-निबंधन विभाग**	राजस्व 1.35 (6.88)	मुख्यतः केन्द्रीय मुद्रांक भंडार द्वारा मुद्रांको की आपूर्ति कम करने तथा विपत्रों में त्रुटियों के चलते उनका भुगतान नहीं होने के कारण। 4.68 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है, अनुदान में कुल मिलाकर 4.25 करोड़ रुपये का आधिक्य है।
28	**39-सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग**	राजस्व 67.19 (37.38)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, निधि के आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने, परवर्ती वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 के लिए वार्षिक अंशदान का द्वितीय किश्त विमुक्त नहीं करने, वार्षिक अंशदान के प्रथम किश्त को स्थानान्तरित करने के लिए स्वीकृति नहीं देने, असहाय एवं विकलांग लोगों तथा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए निधि उपलब्ध कराने के कारण। 35.80 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। 70.31 करोड़ रुपये के त्रुटिपूर्ण बजट करने के कारण 70.31 करोड़ रुपये के आधिक्य के द्वारा अनुदान के बचत को अंशतः प्रतितुलित किया गया था, क्योंकि सहाय्य व्यय को आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी।
29	**40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**	राजस्व 40.71 (19.61)	अंशतः होल्डिंग के समेकन के तहत स्थापना के लिए निधि अलग करने, अतिरिक्त कर्मियों को विभागों में स्थानान्तरित करने, लम्बित वेतन इत्यादि के निकासी पर वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति में विलम्ब, वित्त विभाग द्वारा द्रुत आदेश को निर्गत नहीं करने, समयाभाव के कारण कम व्यय, स्थापना के जारी रहने की स्वीकृति नहीं देने के कारण। 36.51 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
30	**41-पथ निर्माण विभाग**	राजस्व 90.30 (41.65)	निविदा के माध्यम से कार्यों के संपोषण एवं मरम्मति तथा कार्यान्वयन पर प्रतिबंध लगाये जाने, आपूर्ति/निविदाओं का निराकरण/प्राक्कलनों का अनुमोदन में विलम्ब, वित्त विभाग द्वारा व्यय पर रोक/प्रतिबंध, मांग की प्राप्ति नहीं होने, पदों को रिक्त रखने, योजना परिव्यय में कटौति करने के कारण। 2.35 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
		पूँजिगत 52.35 (61.05)	मुख्यतः नाबार्ड से ऋण प्राप्त नहीं होने, रेलवे से निधि प्राप्त नहीं होने, योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब, केन्द्र सरकार द्वारा कम अनुदान विमुक्त करने के कारण। 7.06 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है। पूँजीगत प्रभाग में कुल 4.95 करोड़ रुपये का समग्र बचत था, जिसके लिए कारण संसूचित नहीं किये गये हैं (2003)।
31	**42-ग्रामीण विकास विभाग**	राजस्व 252.67 (34.40)	मुख्यतः लम्बित वेतन के भुगतान पर रोक, केन्द्रांश में कटौती, पदें रिक्त रखने, कर्मियों की सेवानिवृत्ति, योजना परिव्यय में कटौती, रिक्तियाँ भरने हेतु पंचायत चुनाव नहीं होने तथा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन नहीं होने, पंचायत सेवकों के यात्रा भत्ते पर रोक लगाने, प्रशासी कठिनाईयों के कारण दलपति के भत्ते पर कम व्यय, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, नवीन बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत भत्ते के दर का निर्धारण नहीं करने, निधि स्वीकृत नहीं करने के कारण। 40.46 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। राजस्व प्रभाग में 3.29 करोड़ रुपये का आधिक्य है, जिसने बचत को अंशतः प्रतितुलित किया है।
		पूँजीगत 277.07 (45.08)	मुख्यतः योजना परिव्यय में कटौती तथा लम्बित वेतन के भुगतान पर वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने, रियायती अवकाश यात्रा पर रोक, नाबार्ड से ऋणों द्वारा वित्त पोषित योजनाओं को स्वीकृत नहीं करने तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अनुदान विमुक्त नहीं करने के कारण।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
32	**43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**	राजस्व 5.08 (25.23)	समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।
33	**44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग**	राजस्व 511.08 (19.23)	अंशतः योजना परिव्यय में कटौती, सरकार द्वारा निधि कम स्वीकृत करने, कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने, पदें रिक्त रखने, बढ़े हुए दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने, विद्युत शुल्कों, यात्रा व्यय, रियायती अवकाश यात्रा, ईंधन, पुस्तकालय, कार्यालय व्यय, वाहनों का संपोषण तथा किराया के लिए निधि का मांग प्राप्त नहीं होने, निधि स्वीकृत नहीं करने, परियोजना स्वीकृत नहीं करने, पूर्ववर्त्ती वर्ष में किये गये अनुदान के भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुछ जिलों से प्राप्त नहीं होने, मंत्रिमंडल द्वारा योजना स्थगित करने के कारण। 372.19 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया हैं (2003)।
		पूँजीगत 39.45 (62.69)	मुख्यतः योजना परिव्यय में कटौती, भारत सरकार द्वारा अनुदान के प्रथम किश्त की स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण। 2.80 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। बजट को व्यपगत होने से रोकने के लिए 3.66 करोड़ रुपये असैनिक जमा में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं जो राज्य वित्तीय नियमावली के अनुसार अनियमित है।
34	**45-ईख विभाग**	राजस्व 5.10 (44.04)	मुख्यतः सेवानिवृत्ति, निधि का अत्यधिक प्रावधान, रियायती अवकाश यात्रा पर प्रतिबंध लगाये जाने, परिकल्पना की तुलना में कम व्यय, बिहार राज्य ईंख निगम लिमिटेड की ईकाइयों का मूल्यांकन नहीं करने के चलते ऋण विमुक्त किए जाने के कारण। 2.62 करोड़ रुपये के बचत का कारण अद्यपर्यन्त संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
35	**46-पर्यटन विभाग**	राजस्व 3.37 (56.79)	मुख्यतः पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशालय में स्थानान्तरित करने, योजना परिव्यय में कटौती तथा प्राधिकृत कमिटी द्वारा योजना स्वीकृत नहीं करने के कारण।
36	**47-परिवहन विभाग**	राजस्व 1.50 (24.91)	मुख्यतः कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा पदें रिक्त रहने के कारण।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
		पूँजीगत 6.75 (87.10)	अंशतः योजना परिव्यय में कटौती के कारण। 4.26 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।
37	**48-नगर विकास विभाग**	राजस्व 46.40 (55.08)	अंशतः सशक्तिकृत कमिटी द्वारा निधि कम स्वीकृत करने, स्वीकृत पद के विरूद्ध उपसमाहर्त्ता की सेवा की अनुपलब्धता, भारत सरकार द्वारा निधि स्वीकृत नहीं करने, संशोधित योजना परिव्यय में निधि का आबंटन नहीं किये जाने, योजना परिव्यय में संशोधन, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं करने तथा संशोधित योजना परिव्यय में राज्यांश को चिह्नित नहीं करने के कारण। 9.04 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
38	**49-जल संसाधन विभाग**	राजस्व 55.81 (22.00)	मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने, निधि का प्रावधान अधिक करने, पूर्ववर्त्ती वर्ष में कम व्यय होने के चलते, अनुदान कम स्वीकृत करने के कारण। 17.45 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
		पूँजीगत 351.02 (54.90)	अंशतः समयाभाव में कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होने तथा बाढ़ क्षेत्र में कार्य के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराने, वित्त विभाग द्वारा निधि के आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने, योजना परिव्यय में कटौती, नागरिकों द्वारा आपत्ति उठाये जाने, नाबार्ड द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब, केन्द्र सरकार द्वारा निधि की विमुक्ति की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने, निधि की कम विमुक्ति/कम स्वीकृति के कारण। 41.72 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है। पूँजीगत प्रभाग में कुल मिलाकर 22.05 करोड़ रुपये का आधिक्य है, जिसने बचतों को अंशतः प्रतितुलित किया है।
39	**50-लघु सिंचाई विभाग**	राजस्व 30.34 (19.58)	मुख्यतः पद रिक्त रखने, महँगाई भत्ते की स्वीकृति/बढ़ोत्तरी नहीं करने, बोनस का भुगतान नहीं करने, मितव्ययिता उपाय, कार्यभारित – मस्टर रौल कामगारों की सेवानिवृत्ति, पदों को झारखण्ड राज्य में स्थानान्तरित करने, व्यय की स्वीकृति में विलम्ब, लघु कार्यों के लिए निधि कम स्वीकृत करने तथा योजनाओं को स्वीकृत नहीं करने के कारण। 2.44 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
		पूँजीगत 85.59 (88.09)	अंशतः वन/भू–अधिग्रहण विभागों द्वारा आपत्ति किये जाने, निविदाओं का निराकरण नहीं करने, नई/अपूर्ण योजनाओं के लिए प्राक्कलन स्वीकृत नहीं करने, तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब तथा निविदाओं का निराकरण नहीं किये जाने के कारण। 69.51 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
40	**51-कल्याण विभाग**	राजस्व 106.64 (37.18)	अंशतः लंबित भुगतान पर प्रतिबन्ध, विपत्र पारित नहीं होने, लम्बित वेतन के भुगतान पर प्रतिबंध, पुर्जा विपत्र की अनुपलब्धता, वर्ष 2000–01 से सम्बन्धित छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए समयाभाव, केन्द्रांश की कम विमुक्ति/अप्राप्ति तथा निधि के लिए मांग का अभाव, वित्त विभाग द्वारा निधि कम स्वीकृत करने, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत योजना स्वीकृत एवं निधि का प्रावधान नहीं करने के कारण। 70.41 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)।
41	**52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग**	राजस्व 7.00 (34.20)	अंशतः वित्त विभाग द्वारा निधि के आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने, योजना सशक्तिकृत कमिटी द्वारा योजना/निधि स्वीकृत नहीं करने, कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं करने, वेतन पुनरीक्षित नहीं करने, बकाये वेतन के भुगतान पर प्रतिबंध लगाने, कुछ पदों का विस्तार नहीं करने, बोनस तथा बढ़े हुए दर पर महँगाई भत्ते की स्वीकृति नहीं करने, मितव्ययिता उपाय एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण।
	<u>भारित प्रभाग</u>		
1	**13- ब्याज भुगतान**	राजस्व 121.38 (4.41)	अंशतः कम भुगतान के कारण। 1061.80 करोड़ रुपये के बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है (2003)। अनुदान में 10.66 करोड़ रुपये का आधिक्य है, जिसका कारण संसूचित नहीं किया गया है। वृहत शीर्ष (i) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय बचत सुरक्षा कोष को राज्य सरकार द्वारा निर्गत विशेष सुरक्षा पर ब्याज (263.92 करोड़ रुपये) (ii) वर्ष 1984–89 समेकित ऋण पर ब्याज (22.57 करोड़ रुपये) क्रमशः के तहत बजट प्रावधान के तहत 286.49 करोड़ रुपये का व्यय था, जिसने बचत को अंशतः प्रतितुलित किया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड रुपये में) (कोष्ठक में प्रावधान का प्रतिशत)	बचत के मुख्य कारण, जैसा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया
2	**28-** उच्च न्यायालय, बिहार	राजस्व 9.76 (41.94)	मुख्यतः पदों को रिक्त रखने, जुलाई 2001 से बढ़े हुए महँगाई भत्ते तथा बोनस का भुगतान नहीं किये जाने, कार्यालय व्यय, किराया, प्रकाशन तथा सामग्रियों के लिए विपत्र प्राप्त कम/नहीं होने तथा दो वर्षों से रियायती अवकाश यात्रा पर रोक होने के कारण।
3	**34-** बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व 2.39 (31.72)	समग्र बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–IX

वैसे मामले जिनमें प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक सतत् बचत था

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ : 38)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में एवं प्रावधान से इसका प्रतिशत कोष्ठक में)	
		2000-2001	2001-02
	राजस्व – दत्तमत		
1	1- कृषि विभाग	64.75(28)	66.47(32)
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	39.31(31)	47.65(43)
3	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	24.41(20)	43.99(45)
4	6-निर्वाचन	3.31(30)	3.03(36)
5	8-नागरिक उड्डयन विभाग	4.47(49)	2.76(37)
6	9-सहकारिता विभाग	17.08(21)	14.85(34)
7	10-उर्जा विभाग	8.23(41)	11.72(32)
8	11- उत्पाद एवं निषेध विभाग	2.68(14)	3.52(20)
9	12- वित्त विभाग	19.39(26)	321.65(87)
10	13-ब्याज भुगतान	347.28(12)	121.38(4)
11	17-वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	9.59(28)	5.50(23)
12	18-खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	14.02(30)	4.91(11)
13	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	64.43(56)	13.07(31)
14	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	321.94(32)	234.25(31)
15	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	56.71(13)	33.61(10)
16	22-गृह विभाग	229.43(17)	262.70(22)
17	23-उद्योग विभाग	39.23(51)	21.41(46)
18	26-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	67.41(38)	53.47(37)
19	27-विधि विभाग	25.23(18)	31.68(25)
20	28-उच्च न्यायालय	2.75(11)	9.76(42)
21	32-विधायिका	5.58(15)	6.52(20)
22	34-बिहार लोक सेवा आयोग	3.44(38)	2.39(32)
23	35-योजना एवं विकास विभाग	72.98(52)	9.92(38)
24	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	23.95(12)	34.79(25)
25	37-राज भाषा विभाग	3.84(26)	3.69(28)
26	39-राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	32.90(8)	67.19(37)
27	40-राजस्व एवं भूमि–सुधार विभाग	70.97(20)	40.71(20)
28	41-पथ निर्माण विभाग	42.84(17)	90.30(42)
29	42-ग्रामीण विकास विभाग	430.98(41)	252.67(34)
30	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	12.86(34)	5.08(25)
31	44-मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	676.82(19)	511.08(19)
32	45-ईख विभाग	5.50(38)	5.10(44)
33	46-पर्यटन विभाग	5.61(62)	3.37(57)
34	48-नगर विकास विभाग	13.80(27)	46.40(55)
35	49-जल संसाधन विभाग	37.99(14)	55.81(22)
36	50-लघु सिंचाई विभाग	31.59(20)	30.34(20)
37	51-कल्याण विभाग	235.04(65)	106.64(37)
38	52-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	7.31(33)	7.00(34)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में एवं प्रावधान से इसका प्रतिशत कोष्ठक में)	
		2000-2001	2001-02
	पूँजीगत – दत्तमत		
1.	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	21.62(66)	24.85(69)
2.	9-सहकारिता विभाग	11.75(23)	14.45(39)
3.	10- उर्जा विभाग	114.05(16)	107.41(18)
4.	12-वित्त विभाग	4.16(18)	6.94(50)
5.	23-उद्योग विभाग	24.69(51)	4.25(61)
6.	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	2.10(27)	2.61(63)
7.	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	78.93(75)	84.27(86)
8.	41-पथ निर्माण विभाग	211.44(65)	52.35(61)
9.	42-ग्रामीण विकास विभाग	165.31(30)	277.07(45)
10.	47- परिवहन विभाग	9.36(85)	6.75(87)
11.	49- जल संसाधन विभाग	347.11(45)	351.02(55)
12.	50-लघु सिंचाई विभाग	20.23(53)	85.59(88)
13.	52- युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.01(100)	3.61(100)

परिशिष्ट–X

नई सेवाएँ/सेवा के नए साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ : 38)

क्रम सं.	अनुदान विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपये में)		
1.	38-2030-मुद्रांक एवं निबंधन 03- निबंधन 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-अधीक्षण (गैर योजना)	59.83	250.12	190.29

परिशिष्ट – XI

नई सेवाएँ/सेवा के नए साधन पर बिना बजट प्रावधान के व्यय

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ : 38)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(लाख रुपये में)		
1	12-7610-सरकारी सेवकों को ऋण 800-अन्य पेशगियाँ 10-अन्य पेशगियाँ (गैर–योजना)	शून्य	10.61	10.61
2	20-2211-परिवार कल्याण 109-प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 0001-टीका एवं औषधि कीट की आपूर्ति की कीमत	शून्य	3013.54	3013.54
	योग		**3024.15**	**3024.15**

परिशिष्ट–XII

प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ : 38)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अनाभ्यर्पित बचतें
		(करोड़ रुपये में)	
	राजस्व प्रभाग – दत्तमत्त		
1	1- कृषि विभाग	66.47	50.40
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	47.65	1.52
3	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	43.99	2.28
4	8-नागरिक उड्डयन विभाग	2.76	2.13
5	9- सहकारिता विभाग	14.85	1.97
6	12- वित्त विभाग	321.65	304.08
7	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	5.50	1.15
8	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	234.25	94.51
9	21-उच्चतर शिक्षा विभाग	33.61	1.18
10	22-गृह विभाग	262.70	54.78
11	23- उद्योग विभाग	21.41	6.68
12	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	53.47	9.47
13	27- विधि विभाग	31.68	1.76
14	32-विधायिका	6.52	2.76
15	35- योजना एवं विकास विभाग	9.92	1.66
16	37-राज भाषा विभाग	3.69	2.05
17	39-सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	67.19	65.93
18	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40.71	4.39
19	42- ग्रामीण विकास विभाग	252.67	37.61
20	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	5.08	4.88
21	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	511.08	152.03
22	45-ईख विभाग	5.10	2.79
23	48-नगर विकास विभाग	46.40	8.67
24	49-जल संसाधन विभाग	55.81	10.77
25	50-लघु सिंचाई विभाग	30.34	5.01
26	51- कल्याण विभाग	106.64	20.36
	योग	**2281.14**	**850.82**
	राजस्व प्रभाग – भारित		
1.	13- ब्याज भुगतान	121.38	120.62
2	14-ऋण की अदायगी	644.55*	644.33
3	34-बिहार लोक सेवा आयोग	2.39	2.39
	योग	**768.32**	**767.34**
	पूँजीगत प्रभाग – दत्तमत		
1	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	24.85	2.01
2	10-उर्जा विभाग	107.41	80.20
3	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	10.86	10.86
4	22-गृह विभाग	15.00	15.00

* *राजस्व प्रभाग (बचत 5500.32 करोड़ रुपये) एवं पूँजीगत प्रभाग (आधिक्य 4855.77 करोड़ रुपये) में दिखाई गई शुद्ध राशि।*

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अनाभ्यर्पित बचतें
		(करोड़ रुपये में)	
5	23-उद्योग विभाग	4.25	4.25
6	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1.80	1.80
7	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग	2.61	2.61
8	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	84.27	35.01
9	42-ग्रामीण विकास विभाग	277.07	15.87
10	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	39.45	2.80
11	47-परिवहन विभाग	6.75	4.26
12	49-जल संसाधन विभाग	351.02	22.17
13	50- लघु सिंचाई विभाग	85.59	69.51
14	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.61	3.61
	योग	**1010.93**	**266.35**
	कुल योग	**4060.39**	**1884.51**

परिशिष्ट–XIII

अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10 ; पृष्ठ : 39)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग सं.	उपशीर्ष / योजना	प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
1	1	2402-मृदा एवं जल संरक्षण 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-मुख्यालय स्थापना	46.13	26.98	48.20	29.05
2.	1	2402-मृदा एवं जल संरक्षण 101-मृदा सर्वेक्षण एवं जाँच 0001-सर्वेक्षण स्थापना	64.78	22.49	59.76	17.47
3	3	2059- लोक कार्य 80-सामान्य 053-सम्पोषण एवं मरम्मति 0001-सम्पोषण एवं मरम्मति	3300.00	1853.20	1668.22	221.42
4	3	4216-आवास पर पूँजिगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 700-अन्य आवास 0601-अन्य क्षेत्र उपयोजना (एकमुश्त)	200.00	150.88	54.12	5.00
5	3	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 700-अन्य आवास 0100-अन्य आवास	181.84	69.14	280.61	167.91
6	11	2039-राज्य उत्पाद 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0002-जिला शुल्क	1526.31	323.66	1227.70	25.05
7	12	7610-सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण 202-मोटर सवारी के क्रय के लिए अग्रिम 0001-मोटर सवारी के क्रय के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	66.00	29.95	69.51	33.46

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग सं.	उपशीर्ष / योजना	प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
8	20	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 110-औषधालय एवं अस्पतालें 0801-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एलोपैथी	3219.00	766.35	2457.90	5.25
9	35	2053-जिला प्रशासन 800-अन्य व्यय 0101-योजना तंत्र का मजबूतीकरण	321.84	68.29	295.40	41.85
10	36	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 0004-नगर निगम का जल आपूर्ति योजना	2260.44	401.29	1961.16	102.01
11	36	2215-जल आपूर्ति एवं स्चच्छता 01-जल आपूर्ति 102- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 0001-ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजना	4688.96	879.51	3914.11	104.66
12	36	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जल आपूर्ति 102- ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 0002-मुख्य नलकूप, तालाब तथा कुँआ – उच्च चाप नलकूपें	5331.05	1535.36	4006.23	210.54
13	38	2030-मुद्रांक एवं निबंधन 03-निबंधन 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-अधीक्षण	68.30	8.47	250.12	190.29
14	38	2030-मुद्रांक एवं निबंधन 03-निबंधन 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0002-जिला शुल्क	1612.24	340.19	1506.98	234.93
15	41	3054-पथ एवं पूलें 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0003-कार्यान्वयन	6301.37	1691.53	4844.99	235.15

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग सं.	उपशीर्ष / योजना	प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
16	41	5054-पथों एवं पूलों पर पूँजीगत परिव्यय 03-राज्य उच्च पथ 337- पथ कार्य 0101-वृहत् पथ (नावार्ड ऋण)	1480.00	390.95	1583.90	494.85
17	42	2501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम 01-समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 800-अन्य व्यय 0102-ख–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कार्यक्रम, सामान्य (योजना)	1390.00	879.11	840.00	329.11
18	49	4701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 0110-दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना – स्थापना (योजना)	7023.50	1024.53	6117.93	118.96
19	49	4701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 0118-उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) (योजना)	6005.00	3634.48	2515.98	145.46
20	49	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0102-उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना – निर्देशन एवं प्रशासन (योजना)	1352.55	103.72	2310.03	1061.20

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग स.	उपशीर्ष / योजना	प्रावधान (मूल + पूरक)	अभ्यर्पण	व्यय	आधिक्य
			(रुपये लाख में)			
21	49	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0609- बागमती नदी के तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार (सी. एस. एस.)	500.00	350.00	378.18	228.18
22	49	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0610- गंगा नदी पर कटाव निरोधी कार्य (सी.एस.एस.)	3300.00	1700.29	1833.19	233.48
		योग	**50239.31**	**16250.37**	**38224.22**	**4235.28**

परिशिष्ट–XIV

असमायोजित व्यय की विवरणी

(संदर्भ : कंडिका 2.3.11 ; पृष्ठ : 39)

क्रम सं.	विभाग का नाम	ईकाई	रकम (करोड़ रुपये में)
1	मानव संसाधन विभाग	236	2424.57
2	वित्त विभाग	59	2294.56
3	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	170	431.82
4	ग्रामीण विकास विभाग	179	387.25
5	सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार कल्याण	147	345.13
6	पंचायती राज	03	323.62
7	गृह (आरक्षी निगरानी) विभाग	59	242.92
8	जल संसाधन एवं बाढ़ नियंत्रण (एम.आई.)	33	251.10
9	राजस्व एवं भूमि सुधार	17	204.80
10	लोक कार्य प्रमण्डल	40	131.01
11	विधि (प्रशासनिक एवं न्याय) विभाग	12	88.52
12	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	09	39.14
13	नगर विकास	09	29.27
14	वन एवं पर्यावरण	29	21.67
15	विद्युत (उर्जा) विभाग	25	14.16
16	उत्पाद विभाग	40	13.75
17	श्रम एवं नियोज़न	27	10.10
18	उद्योग एवं खनिज	446	09.84
19	सूचना एवं प्रसार	06	08.15
20	परिवहन विभाग	30	05.66
21	दुग्धशाला विकास	16	04.57
22	आवास विभाग	05	03.91
23	योजना एवं विकास विभाग	25	03.27
24	खान एंव भूतत्व विभाग	24	00.40
25	बिहार एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण	02	00.34
26	पर्यटन विभाग	01	00.10
27	मुद्रांक एवं निबंधन	01	00.04
	योग	**1650**	**7289.67**

परिशिष्ट–XV

मार्च 2002 तक भुगतान किए गये सहायता अनुदान, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 सितंबर 2002 तक अप्राप्त था

(संदर्भ : कंडिका 6.2.1 ; पृष्ठ : 116)

क्रम सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	पशुपालन विभाग	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	514	1537.83	3	4.30	511	1533.53
		बिहार 2000–01	1	48.60	-	-	1	48.60
		बिहार 2001–02	4	139.15	-	-	4	139.15
2.	कृषि	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	167	4811.84	-	-	167	4811.84
		बिहार 2000–01	1	25.00	1	25.00	-	-
		बिहार 2001–02	8	5417.17	7	4500.87	1	916.30
3.	सहकारिता	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	471	7149.69	-	-	471	7149.69
		बिहार 2000–01	4	108.25	-	-	4	108.25
		बिहार 2001–02	2	44.00	-	-	2	44.00
4.	शिक्षा	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	63	4731.27	7	516.36	56	4214.91
		बिहार 2000–01	15	8742.13	6	2060.25	9	6681.88
		बिहार 2001–02	39	32144.84	18	31018.69	21	1126.15
5.	कल्याण	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	1617	2912.37	2	315	1615	2909.22

क्रम सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)
		बिहार 2000–01	1	1087.12	-	-	1	1087.12
		बिहार 2001–02	37	55.50	10	7.28	27	48.22
6.	उद्योग	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	2495	33639.88	-	-	2495	33639.88
		बिहार 2000–01	29	930.25	-	-	29	930.25
		बिहार 2001–02	8	50.49	-	-	8	50.49
7.	शहरी विकास	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	6886	23316.17	34	400.41	6852	22915.76
		बिहार 2000–01	146	1336.41	31	157.01	115	1179.40
		बिहार 2001–02	96	1041.86	4	311.91	92	729.95
8.	पुलिस	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	6	559.94	-	-	6	559.94
		बिहार 2000–01	-	-	-	-	-	-
		बिहार 2001–02	-	-	-	-	-	-
9.	लोक कार्य	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	555	512.12	-	-	555	512.12
		बिहार 2000–01	-	-	-	-	-	-
		बिहार 2001–02	-	-	-	-	-	-
10.	परिवार कल्याण	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	34	8.42	34	8.42	-	-
		बिहार 2000–01	-	-	-	-	-	-
		बिहार 2001–02	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	विभाग	अनुदान भुगतान का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)	संख्या	राशि (लाख रुपये में)
11.	चिकित्सा	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	778	2233.09	-	-	778	2233.09
		बिहार 2000–01	-	-	-	-	-	-
		बिहार 2001–02	-	-	-	-	-	-
12.	अन्य	संयुक्त राज्य 2000–01 तक	6822	34434.62	138	3731.78	6684	30702.81
		बिहार 2000–01	57	3449.87	2	178.48	55	3271.39
		बिहार 2001–02	117	10988.93	31	171.62	86	10817.31
(क) योग (2000–01 तक)			**20408**	**115847.24**	**218**	**4664.42**	**20190**	**111182.82**
(ख) योग (2000–01) केवल बिहार			**254**	**15727.63**	**40**	**2420.74**	**214**	**13306.89**
(ग) योग (2001–02) केवल बिहार			**311**	**49881.94**	**70**	**36010.37**	**241**	**13871.57**
कुल योग (क+ख+ग)			**20973**	**181456.81**	**328**	**43095.53**	**20645**	**138361.28**

परिशिष्ट–XVI

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने अपने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है

(संदर्भ : कंडिका 7.1 ; पृष्ठ : 119)

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	इकाईयों की संख्या	उपक्रमों की स्थापना तिथि
	पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग		
1	केन्द्रीय मुर्गी पालन फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय मुर्गी पालन फार्म, भागलपुर	1	दिसम्बर 1959
3	क्षेत्रीय मुर्गी पालन फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	उद्योग विभाग		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ट कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा–शोधक कारखाना, महेशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
8	अफीम भंडार की खरीद एवं बिक्री	1	--
9	अनाज भंडार	1	1947-48
	कुल	**26**	

टिप्पणी :

1. क्रम सं. 1 से 3 — सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जिन्होंने प्रोफॉर्मा लेखा अपने स्थापना काल से तैयार नहीं किया था।

2. क्रम सं. 4 — आदर्श लौह कार्यशाला, मुंगेर, समस्तीपुर एवं आरा की लेखापरीक्षा की गयी जिन्होंने प्रोफॉर्मा लेखा तैयार नहीं किया था। शेष इकाईयों को उनके प्रोफॉर्मा लेखा की स्थिति की जानकारी देने की सूचना दी जा रही है।

3. क्रम सं. 5 — आदर्श काष्ठ कार्यशाला, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं हाजीपुर जिन्होंने प्रोफॉर्मा लेखा तैयार नहीं किया था, की लेखापरीक्षा की गयी। शेष 4 इकाईयों को उनके प्रोफॉर्मा लेखा की वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने हेतु सूचना दी जा रही है।

4. क्रम सं. 6 — सभी अधिप्राप्ति केन्द्रों को उनके प्रोफॉर्मा लेखे की वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने हेतु सूचित किया जा रहा है।

5. क्रम सं. 7 — शोरा–शोधक कारखाना, महेशी को उसके प्रोफॉर्मा लेखा की वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने हेतु सूचना दी जा रही है।

परिशिष्ट–XVII

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफॉर्मा लेखे बकाया हैं

(संदर्भ : कंडिका 7.1; पृष्ठ : 119)

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	प्रोफॉर्मा लेखे के बकाये की अवधि
	कृषि विभाग	
1.	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	गृह (कारा) विभाग	
2.	उत्पादन विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2000 (जनवरी से दिसंबर)
3.	उत्पादन विभाग, केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2000 (जनवरी से दिसंबर)

टिप्पणी :

1. राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ के बंद होने की सूचना है। (जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कथनानुसार)

2. क्रम सं. 2 एवं 3 केन्द्रीय कारा, भागलपुर तथा बक्सर की लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

संबंधित विभागों का प्रोफॉर्मा लेखा संधारण की वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने हेतु सूचना दी जा रही हैं।